अष्टम माला, खण्ड 10, अंक 10

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1985

11 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 10, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1985/11 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—25**
* तारांकित प्रश्न संख्या : 182, 183, 186, 188, 190 से 193, 195 और 199 से 201	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**25—214**
तारांकित प्रश्न संख्या : 184, 185, 189, 194 और 196 से 198	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1941 से 2039, 2041 से 2062, 2064 से 2087, 2089 से 2126 और 2128 से 2152	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	**217—220**
राज्य सभा से संदेश	**220**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	**220—232**
पाकिस्तान में कनाडा से आये हुए तीर्थयात्रियों द्वारा भारतीय राजनयिकों पर किये गये आक्रमण का समाचार	
श्री कमल नाथ	220, 222—224
श्री बी० आर० भगत	221—222, 227—232
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	224—225
श्री एस० एम० भट्टम	225—227
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक, 1985, के बारे में	**232**
नियम 377 के अधीन मामले :	**233—236**
(एक) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसूचित जातियों पर लागू करने के बारे में अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता	
श्री जुझार सिंह	233

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गोमती और रेठ नदियों पर पुलों का निर्माण	
श्री कमला प्रसाद रावत	233
(तीन) बम्बई में तेरह रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने और सरकार द्वारा अधिग्रहीत अन्य तीन मिलों को उदारतापूर्ण रियायतें देने की आवश्यकता	
श्री शरद दिघे	233—234
(चार) पान उत्पादकों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री अमर राय प्रधान	234—235
(पाँच) हिमाचल प्रदेश को अपनी राजधानी का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने और उसे भूमि और भवन अन्तरित किये जाने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	235
(छः) पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश के कई जिलों में वनों की कटाई को रोकने की आवश्यकता	
श्री एम० ए० झिकराम	235
(सात) गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अम्बाथुराई, जिला अन्ना, तमिलनाडु, का प्रबंधग्रहण	
श्री पी० कुलनदईवेलु	236
डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक	**236—249**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	236—247
श्री मूलचन्द डागा	236—241
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	241—243
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	243—244
श्री विजय कुमार यादव	244
श्री काली प्रसाद पाण्डे	244—245
श्री टी० अंजैया	245—247
खण्ड 2 से 25 और 1	247—249
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी० अंजैया	248
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक (समाप्त)	**249—265**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	249—263
श्री टी० अंजैया	249

विषय	पृष्ठ
श्री ई० अप्पप्पु रेड्डी	249—250
श्री अजय विश्वास	250—252
श्री मूल चन्द डागा	252—254
श्री विजय कुमार यादव	254
डा० दत्ता सामंत	254—258
श्री शान्ता राम नायक	258—259
श्री थम्पन थामस	259—260
श्री टी० अंजैया	260—263
खण्ड 2 से 5 और 1	263—265
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी० अंजैया	265
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	**265—294**
श्री जनार्दन पुजारी	265—268
श्री वी० तुलसीराम	268—270
श्री ब्रह्म दत्त	270—273
कुमारी ममता बनर्जी	273—276
श्री पी० सेलवेन्द्रन	276—278
प्रो० एन० जी० रंगा	278—282
श्री राम सिंह यादव	282—286
श्री मेवा सिंह गिल	286—288
श्री उमा कान्त मिश्र	288—291
श्री अनादि चरण दास	291—294

लोक सभा

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1985/ 11 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उचित दर की दुकानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

*182. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से कहा है कि प्रत्येक जिले में उचित दर की दुकानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कई क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के कार्यकरण में पाई गयी कुछ कमियों का उल्लेख किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों ने तदनुसार उचित दर की दुकानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने राज्यों ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी है; और

(ङ) अब स्थिति कैसी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जाती रही है। इस प्रणाली को प्रभावी बनाने और इसके मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकानें पर्याप्त संख्या में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें, ताकि उपभोक्ताओं को इन दुकानों पर पहुंचने में आसानी हो, भण्डारण, ढुलाई जैसे आधार ढांचे सम्बन्धी प्रबन्धों में सुधार करें, उचित परिवीक्षण प्रणाली विकसित करें, उचित दर की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए जिलावार योजना बनायें, विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां स्थापित करें और निरीक्षण तथा प्रवर्तन उपायों को कड़ा करे, ताकि खुदरा स्तर पर एक कारगर सुपुर्दगी

प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा कर रहे हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देश भर में हमेशा ही आलोचना होती रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रणाली को कारगर ढंग से चलाने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में मन्त्रालय ने राज्य सरकारों का बुनियादी ढांचा तैयार करने की सलाह दी है तथा इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किये हैं। इसके मार्गदर्शनों एवं सलाह के बावजूद भी कई राज्य सरकारें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर नहीं चलना चाहतीं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस प्रणाली की निगरानी करने एवं जांच करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी बनाना चाहते हैं। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, सबसे पहली एवं जरूरी बात तो यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की ही संयुक्त जिम्मेदारी है। परन्तु इसका क्रियान्वयन सिर्फ राज्य सरकारों के हाथ में है। जहां तक मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति करने का सम्बन्ध है, यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपनी एजेन्सियों, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य निगमों के माध्यम से इसकी आपूर्ति करे। परन्तु केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित करने के प्रश्न की जांच करनी होगी क्योंकि कई चीजें हैं जैसे संविधान का संघीय ढांचा आदि। परन्तु हमारे यहां केन्द्र स्तर पर सभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रियों तथा उनके सचिवों की एक बैठक होती है जोकि सलाहकार गोष्ठी कहलाती है। यह बैठक संसद अधिवेशन शुरू होने से पहले ही हुई थी। इस बीच हम सचिवों तथा मन्त्रियों के स्तर पर राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी करते रहते हैं। हमारे अधिकारीगण भी उनसे बातचीत करते रहते हैं। यह एक प्रकार की निगरानी है। संघीय ढांचे को दृष्टिगत रखते हुए इसकी उचित जांच किए जाने की आवश्यकता है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है : सम्पूर्ण देश में, सभी राज्यों में उचित दर की दुकानें राजनैतिक कारणों की वजह से आवंटित की गयी हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इस बात को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ क्या सरकार या उनका मन्त्रालय कोई भी निदेश जारी करने के लिए तैयार हैं ताकि सम्पूर्ण देश में उचित दर की दुकानों को चलाने के लिए वे शिक्षित बेरोजगार युवकों का चयन कर सकें। मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूँ।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं स्पष्ट जवाब दे सकता हूँ कि हम माननीय सदस्य के सुझाव को राज्य सरकारों तक पहुँचा देंगे; परन्तु हम कोई निदेश जारी नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाह दे सकते हैं तथा सिफारिश कर सकते हैं कि वे इस पर असल करें क्योंकि इसका क्रियान्वयन पूरी तरह राज्य सरकारों के हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय : श्री देसाई उपस्थित नहीं हैं। अब श्री राजू।

श्री आनन्द गजपति राजू : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कैसा चल रहा है, यह देखने के लिए क्या सरकार इसकी सरसरी जांच करेगी—सरसरी जांच इसलिए क्योंकि सारी प्रणाली की जांच करना मुमकिन नहीं है— ताकि इस प्रणाली में जो कदाचार चल रहा है उसे समाप्त किया जा सके ?

दूसरे, गाँवों में निर्धनता को देखते हुए क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करेगी ? साथ ही, क्या वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जैसी वह केन्द्र एवं विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही है, एक श्वेत-पत्र तैयार करेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं, पहला तो यह कि क्या सरसरी जाँच की जाएगी। सरसरी जाँच राज्य सरकारों द्वारा और कभी-कभी केन्द्र सरकार की एजेन्सियों के अधिकारियों के साथ मिलकर की जाती है। दूसरा प्रश्न कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में है। सातवीं पन्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में 19 तारीख को ही वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की है कि समाज के निर्धन वर्गों, जिसमें बच्चे एवं महिलाएँ सम्मिलित हैं, के लिए हम इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार एवं उसे सुदृढ़ कर रहे हैं। तथा तीसरा प्रश्न है श्वेत-पत्र जारी करने के बारे में। इसके बारे में आश्वासन देने से पहले इसकी जाँच करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह समस्या आती है कि जो फेयर प्राइस शाप्स हैं, उनको फेअर प्राइस शाप्स में व्हीट या शुगर लाने के लिए दस, पन्द्रह और कहीं-कहीं बीस किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन डेजर्ट एरियाज में पी० डी० एस० के अन्तर्गत फेअर प्राइस शाप्स बढ़ायेंगे और दूसरी बात यह है कि ट्रान्सपोर्ट का जो फीक्स्ड रेट है, वह बहुत ही कम है और जो मार्किट रेट है वह दुगुना या तिगुना है। इस सम्बन्ध में भी क्या राजस्थान सरकार को डाइरेक्शन्स देंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : जैसाकि मैंने पहले कहा है, हम निदेश जारी नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार मूलरूप में चीजों की खरीद तथा सात आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से ही सम्बन्धित है। व्यापक वितरण तन्त्र तैयार करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। भाड़े की दरें तथा अन्य चीजें प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य के सुझाव को राजस्थान सरकार तक पहुंचा दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी सरकार से पूरी तरह सम्पर्क बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा खाद्य तेलों की खरीद

*183. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन के अधिकारियों ने निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही बाजार से मनमानी दरों पर खाद्य तेल खरीदा है और इसके लिए बाजार भाव से दुगुनी राशि अदा की है;

(ख) क्या कनस्तरों और पीपों जैसे तेल के डिब्बों की खरीद में भी किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका है; और

(ग) यदि हाँ, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्य में कितनी फर्में शामिल हैं ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयलस कार्पोरेशन द्वारा खाद्य तेलों और डिब्बों की खरीद में की गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को कुछ सूचना मिली थी। उसके तत्काल बाद प्रारम्भिक जांच की गई, जिसके निष्कर्षों के आधार पर इस मामले में और छानबीन करने की आवश्यकता पड़ी। तद्नुसार यह मामला विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। इस मामले में ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इन अनियमितताओं में जो अधिकारी शामिल होंगे, उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष जांच के लिए, जो जांच चल रही है, उसके पहले यह आवश्यक है कि वहां से उनको हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, तभी उचित जांच हो सकती है?

श्री के० पी० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं है, माननीय सदस्य किसको हटाने की बात कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय : रावत साहब, क्या जांच को ही हटवा रहे हैं, कृपया दुबारा पूछिए।

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष जांच के लिए, वहां जो अधिकारी हैं उनको हटाने के लिए क्या मन्त्री महोदय निर्देश जारी करेंगे ताकि जांच निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से हो सके?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रश्न में जिन फर्मों से इस कार्पोरेशन ने माल खरीदा है उसके बारे में भी प्रश्न किया है, किन्तु मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, कृपया मेरे प्रश्न के उस भाग का भी उत्तर देने की कृपा करें।

कार्पोरेशन के जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उनके स्थानांतरण या उनको वहां से हटाए जाने के निर्देश जारी किए जाने के सम्बन्ध में मैं पूछ रहा हूँ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : जांच कार्य अभी शुरू हुआ है। जब तक कि यह मामला साबित नहीं हो जाता और कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता हम लोगों का स्थानान्तरण एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि यह जांच निष्पक्ष होगी। अगर जांच के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो यह अनुभव करता है कि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होना चाहिए तो उसका स्थानांतरण कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय : रावत जी, क्या आप एक और प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री कमला प्रसाद रावत : जी ठीक है, जांच के बाद इसमें फिर कार्यवाही की जाए।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाएगा, क्या उसकी कोई निश्चित अवधि निर्धारित है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : ऐसी अवस्था में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती न ही किसी प्रकार का ब्यौरा ही दिया जा सकता है जबकि जांच कार्य पूरा होने जा रहा है। बल्कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी जांच शीघ्र पूरी करे तथा अपनी सिफारिशें दें।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम इस सरकार के कार्यकाल में तो दे ही दे।

श्री के० पी० सिंह देव : निश्चित ही।

अध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी। अनुपस्थित। श्री राम भागत पासवान। अनुपस्थित।

कोयला खानों में मारे गए कर्मचारी

*186. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में असंख्य कोयला खान कर्मचारी सुरक्षा उपाय न अपनाये जाने के कारण दुर्घटना में मारे गए हैं; और

(ख) लोगों की जान बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार इन खानों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विगत पांच वर्षों के दौरान, बिहार में कोयला खानों में दुर्घटनाओं में मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिकों की संख्या निम्नप्रकार से है :

वर्ष	घातक दुघटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1980	58	72	372	390
1981	68	71	344	379
1982	56	76	343	368
1983	60	84	326	348
1984	51	58	175	183

ये दुर्घटनाएं मुख्यत: छत के गिर जाने, साइड के गिरने, विस्फोटकों का प्रयोग करने और मशीनरी को खान के अन्दर इधर-उधर ले जाने के कारण हुईं।

खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, जिनकी तहत खानों में सुरक्षा पर ध्यान रखा जाता है, को खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू किया जाता है। इन उपबन्धों को 1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा शक्तिशाली बनाया गया, जिसे 31 मई, 1984 से लागू किया गया। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मकार निरीक्षकों की नियुक्ति करने, सांविधिक पिट सुरक्षा समितियां गठित करने और सुरक्षा मामलों का लगातार उल्लंघन करने के कारण नियोजन प्रतिनिधि करने के लिए निरीक्षकों को शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दांडिक उपबंधों को तेज किया गया और घोर उपेक्षा या लापरवाही करने के लिए दो हजार रुपए का न्यूनतम जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई। खतरनाक स्थानों में नियोजन प्रतिनिद्धि करने के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अनिवार्यत: कारावास की सजा होगी। निरीक्षकों को विशेष सर्वेक्षण और अध्ययन करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिनका प्रयोग विशेषकर व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में किया जाना है।

महानिदेशालय को अनुदेश दिए गए हैं कि वे खानों का निरीक्षण करने, निरीक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं खान में दुर्घटना होने की दशा में की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई करने के बारे में विद्यमान प्रक्रिया की जांच करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे खान प्रबन्धतन्त्रों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करें ताकि खान और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने प्रबंधतंत्र सुरक्षा विनियमों को लागू करने में अतिरिक्त ध्यान दें। खान निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करने के लिए उपाए किए जा रहे हैं ताकि बार-बार निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक अधिक संख्या में उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो यह बताया है कि घातक दुर्घटनाओं की संख्या 1980 से 1984 तक 293 तथा इसी दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या उन्होंने 361 बताई है तथा गम्भीर दुघटनाओं की संख्या 1640 बताई है और इन दुर्घटनाओं का कारण उन्होंने मुख्यत: छत के गिर जाने, साइड के गिरने, विस्फोटकों का प्रयोग करने और मशीनरी को खान के अन्दर इधर-उधर ले जाने में हुआ बताया है, तो ये दुर्घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं, ये बताने की कृपा करेंगे ?

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इसमें वर्कर्स को भी प्रॉसीक्यूशन का प्रॉविजन क्रिएट किया जा रहा है और वर्कर्स को भी यह राइट दिया जा रहा है कि वह अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉसीक्यूशन कर सकता है, इस प्रकार का अमेंडमेंट हुआ है और अब रूल्स बन रहे हैं जिससे उनकी सेफ्टी होगी।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष महोदय, बिहार की भूमि रत्नगर्भा है और कोयले की खदानों का वहां पर राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य से हुआ था कि कोयले का उत्पादन बढ़े और वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के उपाय हों और उनके लिए कल्याण की योजनाएं बनें, इसके लिए मन्त्री महोदय ने भी अपने लिखित उत्तर में काफी विस्तार से बताया है और कहा कि खान अधिनियम 1952 और नियमों और विनियमों तथा इन उपबंधों को 1983 के संशोधन द्वारा कड़ा

किया गया है, तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि आपने जो अपने दण्ड प्रावधानों को कठोर किया गया है तो इनके तहत कितने प्रबन्धकों और अधिकारों पर जुर्माना किया है, कितने अभियोजन के मामले दायर किए गए हैं और कितने लोगों को आपने सजा दी है ? कितने पर विभागीय कार्यवाही की गई है।

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष जी, अभी हमने 1980 में 5 लोगों को, 81 में 10 लोगों को, 1982 में 7,1983 में 9 तथा 1984 में 16 लोगों को प्रॉसीक्यूट किया है।

अध्यक्ष जी, दूसरी कंट्रीज में इससे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी कंट्री में तो नेशनलाइजेशन के बाद से बहुत कम हुए हैं। हम इनको रोकने के लिए वर्कर्स को और अधिकार दे रहे हैं तथा रूल्स में भी अमेंडमेंट ला रहे हैं।

अध्यक्ष जी, जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, आप जानते हैं दूसरी कंट्रीज में हमारे यहां से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उनकी तुलना में हमारा प्रोडक्शन कम है, जिसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां यूनियन्स बहुत ज्यादा है और इन तमाम यूनियन्स के आपस के झगड़े की वजह से प्रोडक्शन कम होता है। महोदय हर आदमी अपनी-अपनी यूनियन बनाए हुए है। यह हिन्दुस्तान की एक बदकिस्मती है कि यूनियन्स के आपसी झगड़ों की वजह से प्रोडक्शन कम होता है।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जवाब गोल-मोल है। मैंने प्रश्न पूछा है कि कितने अधिकारियों को सजा दी गई है ?

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, जवाब गोलमोल नहीं है, वे भी···।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, जवाब गोल-मोल नहीं है, मिनिस्टर "गोल-मोल" हैं···।

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, वे भी लेबर मिनिस्टर थीं, वे जानती हैं कि बिहार में कितने एक्सीडेंट हुए हैं कितने लोगों को सजा दी गई है, उनके पास पूरी इन्फर्मेशन है।

अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइजेशन होने के बाद वर्कर्स की स्थिति बहुत सुधरी है, तनख्वाहों में भी काफी इजाफा हुआ है तथा सेफ्टी के लिए भी व्यवस्था पहले से ज्यादा कर दी गई है अब और क्या कर सकते हैं।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछा था कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए कोई प्रावधान किया है या नहीं ?

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय : यह डिबेट नहीं है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है और कोई प्रश्न नहीं। क्या यह महिला के हित में है अथवा कोई विशेष अधिकार है कि आप चार या पांच प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० वत्सा सामन्त : अध्यक्ष महोदय, आपके हुकुम से, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक्सीडेंट का जो नम्बर और डेट दिया है, यह जरूर ज्यादा है और जवाब में मन्त्री महोदय ने

दो दफा लिखा है कि फैक्ट्री इंस्पैक्टर्स को स्ट्रिक्ट इस्ट्रक्शन्स दी गई हैं कि इनके ऊपर प्रॉसीक्यूशन करो, जवाब के बाद में यह भी लिखा है कि ये गुनाह ।

[अनुवाद]

इसके लिए सजा दी जा सकती है। नियमों के तहत उन पर मुकदमा ही चलाया जा सकता है। इसकी सजा कारावास है ।

[हिन्दी]

जो माननीय सदस्य पूछते हैं, 1982 के बाद आपने ऐसे 5 ही प्रॉसीक्यूशन किए, ऐसे बोल रहे हैं, मगर मेरा सवाल है कितने लोगों को आपने इम्प्रिजनमेंट दी है और प्रॉसीक्यूशन के बाद आपने कितने लोगों को सजा दी है, मन्त्री महोदय इन दोनों सवालों के बारे में डिटेल से जवाब दें,यही सवाल मुझसे पहले माननीय सदस्य ने पूछा है ।

[अनुवाद]

मैं इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं रखता हूं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हमारी मुसीबत यह होती है कि कुछ मिलता नहीं है, खाली पार्ट प्रॉसीक्यूशन बोलते हैं ।

[अनुवाद]

परन्तु इसमें आप उन पर इस तरह का दबाव डालते हैं। लोग मर रहे हैं। मेरा खास प्रश्न यही है ।

[हिन्दी]

मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य ने मुझसे पहले भी पूछा है कि दोनों तरह के गुनाहों के बारे में कितने लोगों को आपने जेल में डाला, कितने लोगों को सख्त सजा दी है ?

श्री टी० अन्जैया : जेल में डालने का काम नहीं है। जेल में डालना है तो बहुत से लेबर लीडर्स को भी डाल सकते हैं ।

डा० दत्ता सामन्त : हमको तो 25 दफा जेल में डाला है । मैं परसों बम्बई गया था, फिर भी मुझे जेल में डाला गया, आज छूटकर आया हूं ।

श्री टी० अन्जैया : वर्कर्स की बहुत गलती है। सैफ्टी के बारे में जो चीजें दी जाती हैं, वह पहनते नहीं हैं। अब हम क्या करें ? क्या जेल में डालें ? सैफ्टी के बारे में सरकार हर तरह से कोशिश करती है, जो चीजें सैफ्टी के लिए दी जाती हैं, वर्कर्स उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर वह उन्हें इस्तेमाल न करें तो क्या इसके लिए उन्हें जेल में डालें ? उनको जेल में कैसे डाल सकते हैं ? वर्कर्स के लीडर्स को कहें तो डाल देंगे ।

श्री शिव प्रसाद साहू : हिन्दुस्तान में बहुत सी जगह कोयले की माइन्स हैं, लेकिन क्या वजह है कि बिहार में ही अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं ? इसका एक बड़ा कारण यह तो नहीं है कि जो बड़े अधिकारीगण हैं, उनकी मिलीभगत इललीगल से जो माइनिंग होती है, उसकी वजह से ये घटनाएं होती हों ? इसकी छानबीन की गई है या नहीं ?

श्री टी० अन्जैया : ऐसा नहीं है कि बिहार में ही ऐसा होता है। बाज जगह और भी हैं जहां ऐसा होता है। जो 8, 10 लाख कुल मजदूरों की फिगर्स हमने दी हैं, वहां भी काफी घटनाएं हुई हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू : मेरा प्रश्न है कि बिहार में ही क्यों होता है ?

श्री टी० अन्जैया : बिहार में ही कोई खास बात थोड़े ही है।

[अनुवाद]

प्रायोगिक पनधारा विकास परियोजना

188. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शुष्क भूमि में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पनधारा विकास कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में समिति क्षेत्रों में पनधारा विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास की मार्गदर्शी परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई धनराशि नीचे दी गई है :

राज्य	मंजूर की गई धनराशि (लाख रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	582.00
2. कर्नाटक	552.00
3. मध्य प्रदेश	863.90
4. महाराष्ट्र	443.20

डा० कृपा सिन्धु भोई : मुझे आशा नहीं थी कि माननीय मन्त्री इतना संक्षिप्त उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको यह पसन्द आया।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मेरा मूल प्रश्न था : क्या देश में शुष्क भूमि में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पनधारा विकास कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया है तथा माननीय मन्त्री जी का उत्तर है : जी हां। यह तो एक औपचारिक उत्तर है। यह देश की सबसे ऊंची संस्था है परन्तु मन्त्री जी अपने अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में कुल खेती योग्य भूमि कितनी है तथा उस कुल भूमि में से सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है ? हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कितनी भूमि पर शुष्क खेती की जा सकती है ? इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह है। परन्तु माननीय मन्त्री जी ने जो

उत्तर दिया है वह देश को मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है। वे पहले इस बात का जवाब दें तथा उसके बाद मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यद्यपि यह प्रश्न मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है परन्तु मैं अपनी याददास्त से माननीय सदस्य को बता सकता हूँ कि देश में कुल क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 142 मिलियन हेक्टेयर बुवाई का क्षेत्र नहीं है। इसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि है। अत: जहां तक शुष्क भूमि पर खेती का सम्बन्ध है इस बारे में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं। उसमें शोध कार्य, उन्नत किस्म के बीज, विस्तार सेवाएं, किसानों को कृषि सम्बन्धी औजार देना, भूमि एवं फसल बीमा आदि सम्मिलित हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, अब मैं अपने प्रश्न को लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है और अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ राज्यों में सीमित क्षेत्रों में भारत सरकार पनधारा विकास के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना अपनायी है, और यदि हां, तो उसमें से कितनी एकड़ भूमि के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गयी, और क्या उन्होंने उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के लिए भी सहायता मांगी है जिसके बारे में पं० जवाहर लाल नेहरु तथा महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि आप निर्धनता देखना चाहते हैं तो उड़ीसा जायें। अत: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में रबी तथा खरीफ के फसलों के लिए भू-भौतिकी क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत कितना है तथा भारत सरकार ने असिंचित भूमि में खेती, तथा सिंचाई कार्यों की अन्य स्थानों की तुलना में कितनी परियोजनाएं हैं ? इस बारे में भारत सरकार ने विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव क्यों नहीं दिया ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : उनका प्रश्न सीमित हैं, परन्तु अनुपूरक प्रश्न असीमित है। यह पूरे मन्त्रालय से सम्बन्धित है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहूंगा कि जहां तक प्रायोगिक परियोजना का प्रश्न है, मैं पहले ही उन्हें बता चुका हूं कि यह चार राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हैं। इसके लिये आवंटन भी कर दिया गया है। यह कार्य विश्व बैंक की सहायता से हाथ में लिया गया है। एक और परियोजना विश्व बैंक की सहायता से हाथ में ली गई है—वह पंजाब में है जिसका नाम कंडी पनधारा परियोजना है। भारत सरकार की दो और परियोजनाएं भी हैं। एक में पन्द्रह राज्य हैं जिनमें उड़ीसा भी है और कच्चा माल जैसे बीज, उर्वरक आदि की पूर्ति करने के बारे में है। उड़ीसा में 1980-81 में बुवाई का क्षेत्र 6130 हजार हैक्टेयर था। उसमें से वर्षा पर निर्भर क्षेत्र 4915 हजार हैक्टेयर है जोकि लगभग 80.2 प्रतिशत है। 1981-82 में बुवाई का कुल क्षेत्र 80.2 प्रतिशत अर्थात 6,130 हजार हैक्टेयर ही रहा। इसमें से वर्षा द्वारा सिंचित क्षेत्र भी 4915 हजार हैक्टेयर रहा।

डा० कृपा सिंधु भोई : कृपया बतायें कि वे कौन से क्षेत्र हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बस कीजिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप पहले दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, मैंने अभी तक अपना मूल प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, आन्ध्र प्रदेश का अनन्तपुर जिला सदैव अकाल से पीड़ित रहता है। उसकी केवल 14 प्रतिशत भूमि सिंचित है। शेष 86 प्रतिशत क्षेत्र में शुष्क कृषि होती है। क्या सरकार राज्य की सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस जिले को प्रौद्योगिक परियोजना की क्रियान्विति तथा पनधारा विकास के लिये अपनाने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश भी एक राज्य है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। इसके अन्तर्गत आने वाले पन्द्रह राज्यों के लिए पाँच करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। उसमें से 75 प्रतिशत सहायता के रूप में तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में हैं। आन्ध्र प्रदेश में एक पनधारा विकसित की जानी है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं अनन्तपुर जिले के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे पास अनन्तपुर जिले के पृथक आकड़े नही हैं।

आपरेशन फलड 1 तथा 2 परियोजनाओं के अन्तर्गत वस्तुओं का आयात

190. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड I तथा II और अन्य संबंधित परियोजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम द्वारा लैमिनेटिड पेपर, पशु टीके आदि सहित कुल कितने मूल्य के डेरी उपकरणों का आयात किया गया;

(ख) अब तक आयात की गई मशीनों के लिए फालतू पुर्जों के आयात पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अब तक विदेशी मुद्रा में कितनी रायल्टी का भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) क्या टेट्रापैक में प्रयोग होने वाले डुप्लैक्स बोर्ड/पोलिथीन का आयात किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31 मार्च, 1985 तक भारतीय डेरी निगम द्वारा आयातित डेरी उपकरण इत्यादि का कुल मूल्य निम्न प्रकार है :—

1. डेरी उपकरण	:	1613.00 लाख रुपये
2. पशु	:	193.22 लाख रुपये
3. स्टेनलैस स्टील और डेरी उपकरण (यूनिसेफ से उपहार)	:	181.43 लाख रुपये
4. टीके	:	38.35 लाख रुपये

(ख) प्रारम्भिक 2 वर्षों के कार्य के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों का सामान्यत: मुख्य उपकरण के साथ ही आयात किया जाता है और उसके पश्चात अलग से कोई लेखा नहीं रखा जाता। मशीनरी

प्रतिष्ठापित करने के पश्चात, फालतू पुर्जे खरीदने की जिम्मेदारी भारतीय डेरी निगम की नहीं है। डेरी संयंत्र अपने मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यकलाप के एक भाग के रूप में फालतू पुर्जों का प्रबन्ध स्वयं करते हैं।

(ग) अभी तक विदेशी मुद्रा में कोई रायलटी नहीं दी गई है।

(घ) भारत में टेट्रापैक हेतु पैकिंग सामग्री का निर्माण करने के लिए उपयोग किये जाने वाले डुप्लैक्स बोर्ड का आयात नहीं किया गया है। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निम्न ब्यौरे के अनुसार पोलिथीन का आयात किया गया है :

(क) मात्रा : 57.375 मी० टन

(ख) पार्टी : निहोन टेट्रा पैक के० के० टोक्यो, जापान

(ग) यूनिट का मूल्य : 235 जापानी येन प्रति कि० ग्रा० सी० आई० एफ०, बम्बई।

(घ) कुल मूल्य : 1,34,83,125 जापानी येन

(ङ) पेपर लैमिनेटिंग संयंत्र, एटोला (गुजरात) में प्राप्त हुआ अक्तूबर, 1985

डा० जी० विजय राम राव : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में बताया है कि "भारत में टेट्रामिक हेतु पैकिंग सामग्री का निर्माण करने के लिए उपयोग किये जाने वाले डुप्लैक्स बोर्ड का आयात नहीं किया गया है। तथापि पोलिथीन का आयात किया गया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस टेट्रामिक परियोजना को मंजूरी देते समय संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि इस माल को चाहे यह टेट्रामिक हो या डुप्लैक्स बोर्ड या पोलीथीन हो, का उत्पादन पूर्णत: देश में होगा। यह आश्वासन संसद में दिया गया था। अत: मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य परस्पर विरोधी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह परस्पर विरोधी नहीं है। माल अर्थात डुप्लैक्स बोर्ड तथा पोलीथीन स्वदेश में उपलब्ध है। परन्तु फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो गया और कच्चे माल की कठिनाई हो गई। इसलिए हमने आयात किया है। यह अस्थायी तौर पर किया गया है। फैक्ट्री का उत्पादन आरम्भ होने पर आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी।

डा० जी० विजय राम राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्वीडन अथवा स्विटजरलैंड के निर्माताओं को टेट्रापैक का इस्तेमाल करने के लिए कोई रायल्टी दी गई है तथा इंगलैंड के सहयोग के साथ बनने वाले पांव और मुंह के वैक्सीन के लिए कितनी रायल्टी दी जा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न टेट्रापैक के बारे में है, न कि पांव तथा मुंह के वैक्सीन के बारे में। उसके सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए मुझे पृथक नोटिस की आवश्यकता है। जहां तक टेट्रापैक का प्रश्न है, उस पर रायल्टी दी जा रही है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष तक विदेशी सहयोगकर्त्ताओं को परनदाव कागज के फैक्ट्री द्वार पर विक्रय मूल्य पर 3 प्रतिशत रायल्टी देय है।

[हिन्दी]

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को परिवार पेंशन

*191. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मान्यताप्राप्त पत्रकारों की मृत्यु के बाद उनके परिवार जनों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि योजना समाचार पत्र उद्योग पर लागू होती है और इसमें इस उद्योग के उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य परिवार पेंशन अन्तर्विष्ट है जो 1971 के बाद सेवा में आए, जबकि यह 1971 से पहले सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कर्मचारियों या नियोजकों द्वारा परिवार पेंशन निधि की बाबत कोई अतिरिक्त अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य निधि अंशदानों के कर्मचारियों और नियोजकों के हिस्सों में से वेतन के 1-1/6 प्रतिशत के बराबर की राशि परिवार पेंशन निधि में डायवर्ट कर दी जाती है। केन्द्रीय सरकार भी 1-1/6 प्रतिशत की दर से परिवार पेंशन निधि में अंशदान करती है।

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, विधवा/विधुर, अवयस्क पुत्रों या अविवाहित पुत्रियों(उपर्युक्त क्रम में एक समय में एक को) 120 रुपये और 410 रुपये के बीच मासिक पेंशन दी जाती है और इसके अतिरिक्त, परिवार पेंशन पाने वाले प्रथम व्यक्ति को जीवन बीमा लाभ के रूप में 2000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। नौकरी छोड़कर जाने वाले या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सदस्यों को सेवा-निवृत्त व निकासी लाभ दिए जाते हैं। इन लाभों की राशि 110 रुपये से लेकर 1000 रुपए तक होती है जो अंशदान किए गए वर्षों पर आधारित होती है।

उपर्युक्त लाभ तभी दिए जाते हैं बशर्ते कि उसने अंशदायी सदस्यता की कम से कम एक वर्ष की अवधि पूरी की हो।

इस उद्योग में कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन योजना के लिए भी मांग प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जाएगी।

श्री निर्मल खत्री : मान्यवर पेंशन के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, वह सम्भवत: समाचार पत्र उद्योग में काम करने वाले उन पत्रकारों तक सीमित है जोकि सीधे वहां से सैलरी ड्रा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जनपद और तहसील स्तर पर जो हमारे अंशकालीन पत्रकार हैं, सम्वाददाता हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको पेंशन देने के सिलसिले में किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री टी० अन्जैया : जो जर्नलिस्ट हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए, मेरी समझ में ठीक से नहीं आया। पार्ट-टाइम के मायने दो जगह काम करते हैं। वहां पर कितने इम्पलायी रहेंगे, एक रहेंगे या दो रहेंगे, मुझे मालूम नहीं। उसके लिए बतायें कि क्या करना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं ?

श्री निर्मल खत्री : मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इस चीज को समझते होंगे कि ये अंशकालीन संवाददाता ही हैं और जोकि हमारे प्रमुख प्रहरी हैं जो देहात और गांवों की खबरों को समाचार-पत्र उद्योग तक पहुँचाते हैं। अगर उनकी पेंशन का इन्तजाम नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि सिर्फ उद्योग से सम्बन्धित पत्रकारों के हितों को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जनपद में काम करने वाले जो भी पत्रकार हैं हो सकता है वह किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़े हों, शायद वह वकील हों। क्या उनके हित के लिये भी सरकार किसी योजना को लागू करने का विचार करेगी।

श्री टी० अन्जैया : विचार तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा कि पार्ट-टाइम में कितने कर्मचारी रहेंगे, कितने लोगों को कितने घंटे का वेतन देना पड़ेगा ? यह भी देखना होगा कि रिटायर करके कितने इम्पलायी कहां से मिलेंगे ? हो सकता है कुछ स्टेट से मिलें, कुछ इधर से मिल जायें।

श्री निर्मल खत्री : मेरा अभिप्राय इनकी पेंशन से है, दूसरे व्यवसाय से नहीं है।

श्री टी० अन्जैया : जब पार्ट-टाइम आप बोलते हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी जगह वे काम कर रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मूल-प्रश्नकर्ता (श्री निर्मल खत्री) ने पूछा है कि हमारे देश में माध्यम के नये विकास के बाद, दूरदर्शन और आकाशवाणी के विकास के बाद और छोटे-छोटे पत्रों के कई प्रकाशनों के बाद तहसील और देहातों तक पत्रकारिता पहुँची लेकिन वे पत्रकार, अंशकालिक, पूर्णकालिक या शुद्धरूपेण पत्रों पर ही आधारित हों---वे आज भी असुरक्षित हैं उनके लिए पारिश्रमिक की समुचित व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा क्या देशव्यापी स्तर पर देहात के स्तर तक के पत्रकारों की जीविका और उनके स्थायी जीवन-निर्वाह के बारे में सरकार किसी नयी नीति पर विचार करेगी ?

श्री टी० अन्जैया : अभी जो वेज-बोर्ड बैठा हुआ है उसमें पार्ट-टाइम वर्कर्स की वेजेज के बारे में भी सोचा जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को बीज की सप्लाई

192. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को बीज सप्लाई करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को उनकी मांग के अनुसार बीज सप्लाई करने में समर्थ है; और

(ग) मांग प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रीय बीज निगम को बीज सप्लाई करने में कितना समय लगता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय बीज निगम केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिष्ठान है, जो उन बहुत सी सरकारी एजेंसियों में से एक है जो किसानों को बीज सप्लाई करती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम विभिन्न माध्यमों से किसानों को बीज की आपूर्ति करता है। उदाहरणार्थ राज्य सरकारों, राज्य बीज निगमों, कृषि उद्योग निगमों, सहकारी संस्थानों, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त किए गए व्यापारियों के माध्यम से और अन्त में अपने निजी खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बीज की आपूर्ति करता है।

(ख) बीजों के लिए किसानों की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मांग, कृषि मन्त्रालय द्वारा आयोजित बैठक में खरीफ तथा रबी मौसमों के अवसर पर मूल्यांकित की जाती है। इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीज उत्पादक भाग लेते हैं। प्रत्येक फसल के बीज तथा प्रत्येक फसल के विभिन्न किस्मों के बीजों तथा प्रत्येक एजेन्सी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली स्वीकृत मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए एक आपूर्ति योजना बनाई जाती है, सामान्यतः राष्ट्रीय बीज निगम बीजों की उन मात्राओं की व्यवस्था करता है, जिनकी आपूर्ति राज्य के बीज उत्पादक अपने उत्पादन से नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय बीज निगम यदि मांग ठीक समय पर प्रस्तुत की जाए तो अखिल भारतीय महत्व के सभी अनाज तथा दलहन तिलहन, चारा, रेशेदार फसलों और सब्जियों सहित अन्य फसलों के मामलों में मांगकर्ताओं की मांगों के अनुसार बीजों की आपूर्ति करने की स्थिति में है। कई मौकों पर विशेष रूप से सूखा तथा बाढ़ की परिस्थितियों से राष्ट्रीय बीज निगम अति अल्प सूचना पर भी किसानों की मांगे पूरी करने में समर्थ हुआ है। राष्ट्रीय बीज निगम को सौंपे गए कार्यों में से एक बीजों की आवश्यकता पूरी करने में राज्यों के प्रयासों में मदद देना है। तथापि, कभी-कभी अल्पकालीन सूचना पर विशिष्ट किस्मों की मांग पूरा करने में कठिनाइयां होती हैं।

(ग) सामान्यतया राष्ट्रीय बीज निगम को कम से कम एक वर्ष पहले मांगें प्रस्तुत की जानी चाहिएँ ताकि अपेक्षित बीज समय पर पैदा करके उसकी आपूर्ति की जा सके। निश्चित मांगों की आयोजना के अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीज निगम अपने निजी जोखिम पर उत्पादन की सम्भाव्य मांग तथा योजनाओं का मूल्यांकन करता है। अतः यह अल्पकालीन सूचना पर भी संभव सीमा तक बीजों की आपूर्ति करने में समर्थ है।

डा० के० जी० अदियोडी : देश में बीज तथा पौध सप्लाई करने वाली बहुत सी एजेंसियां हैं। राज्य सरकार की एजेंसियों के अलावा राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय तिलहन निगम, वनस्पति तेल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेरी विकास निगम तथा जिन्स बोर्ड भी इस कार्य में लगे हुए हैं। परन्तु इस बारे में कोई समन्वय अथवा सहयोग नहीं है तथा वे बीजों तथा पौध की मांग का पहले से अनुमान नहीं लगा पाते। क्या सरकार ने इन निकायों के कार्यों के बीच समन्वय करने तथा देश के किसानों की बीज तथा पौध की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इन सभी एजेंसियों में बहुत अच्छा समन्वय है। कृषि मन्त्रालय यह कार्य कर रहा है। इन निकायों के बीच समन्वय की कमी का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में हमारे पास अनाज बहुलता में है। हमारे पास बीज भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। देश में बीजों की कोई कमी नहीं है।

डा० के० जी० अदियोडी : वाणिज्यिक फसलों के बारे मे पौध की कमी है। इतना ही नहीं रोगग्रस्त पौध तथा बीज वितरित किये जा रहे हैं। विशेषतः वाणिज्यिक फसलों में सात-आठ वर्ष लग जाते हैं। अतः किसानों को रोगग्रस्त पौध तथा बीज देकर तंग किया जाता है। क्या मैं जान

सकता हूँ कि बीजों के मूल्य निर्धारण के लिए क्या सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह समर्थन मूल्य पर अथवा बाजार भाव पर आधारित है ? देश में किसानों को पौध तथा बीजों की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त उगाही का प्रतिशत क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैंने कहा था कि हमारे पास बहुलता है तो मैंने अनाज के बीजों की बात कही थी, वाणिज्यिक फसलों की नहीं। जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, नारियल की पौध नारियल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के मामले में पौध विभिन्न बीज निगमों, राष्ट्रीय स्टेट फार्म कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया इत्यादि द्वारा सप्लाई किये जाते हैं। बीज के मूल्य उत्पादक एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जोकि उत्पादन व्यय तथा किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं।

श्री० पी० कुलन्दई वेलु : बीजों की किस्म का पता लगाने के लिए अंकुरण की दर का पता लगाना महत्वपूर्ण है, कि क्या ये घटिया किस्म के हैं इत्यादि। राष्ट्रीय बीज निगम के लेबल का उपयोग करने वाली कुछ निजी एजेंसियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा वे भी किसानों को बीज बेच रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इन कदाचारों में संलग्न पाई गई हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय बीज निगम में किस्म नियन्त्रण की कोई व्यवस्था है ताकि अनाज के अच्छी किस्म के बीज किसानों को मिल सकें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जहां तक बीजों का सम्बन्ध है अंकुरण परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम का सम्बन्ध है, उसका अपना किस्म नियन्त्रण विभाग है और उसकी अपनी प्रयोगशाला है। जहां तक निजी बीज उत्पादकों का सम्बन्ध है, बहुत सी बीज प्रमाणीकरण एजेंसियां प्रत्येक राज्य में हैं। और वे उन पर ध्यान दे रही हैं। यह कार्य राष्ट्रीय बीज निगम का नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : स्पीकर साहब, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेन्सी से जो हम बीज लेते हैं, वह घटिया किस्म का होता है और जब हम बोते हैं, तो पौधे नहीं आते हैं और फसल पैदा नहीं होती है। हमने रबी की जो फसल ली, उसमें खाली घास पैदा हुई और बाकी कुछ पैदा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए कुछ कम्पेसेशन का प्रावधान करेगी या कड़ी सजा देने के लिए कुछ सोचेगी क्योंकि मिलावटी और घटिया बीज देने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में डेढ़ हजार एकड़ जमीन में घटिया किस्म का बीज होने के कारण बोआई होने के बाद कुछ भी पैदा नहीं हुई।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक प्राइवेट एजेन्सी की बात है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सीड कारपोरेशन होता है। हर स्टेट में जो सीड की एजेन्सी है, उसको यह देखना चाहिए क्योंकि नेशनल सीड्स कारपोरेशन का काम तो सीड प्रोड्यूस करना है और फारमर्स को सप्लाई करना है। नेशनल सीड्स कारपोरेशन के सीड्स के बारे में अगर कोई कम्पलेंट है, तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूँ और एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। जहां तक प्राइवेट एजेन्सी का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने पहले कहा है राज्य सरकारों को इसको देखना चाहिए। यह राज्य का विषय है। जहां तक कम्पेंसेशन की बात है, हम उसके लिए कम्पेंसेशन कैसे दें। प्राइवेट एजेन्सी के पास से खराब बीज परचेज करें और उसको इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हम कम्पेंसेशन

कैसे दें। मैं तो यह कहता हूं कि आप नेशनल सीड्स कारपोरेशन का बीज क्यों नहीं लेते।

[अनुवाद]

कसौली दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य

*193. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 किलोवाट के कसौली दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और यह केन्द्र कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगा;

(ख) इस दूरदर्शन टावर के निमाणकार्य पर सरकार का कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय बोली के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय कलाकारों की भर्ती करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कसौली में दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर परीक्षण आधार पर चालू किया जा चुका है।

(ख) कसौली में दूरदर्शन टावर के निर्माण की अनुमानित लागत 67.24 लाख रुपये है।

(ग) कसौली दूरदर्शन ट्रांसमीटर एक रिले केन्द्र है और कसौली में कोई कार्यक्रम निर्माण सुविधाएँ स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुलतानपुरी : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि यह जो टी० वी० टावर है, यह ट्रायल बेसिस पर चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब से यह ट्रायल बेसिस पर है और कब तक इसको रेगूलर किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य पूरा किया गया, उपकरण लगाये गए तथा प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे एक महीने में चालू कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुलतानपुरी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस टी० वी० टावर लगने से कितने किलोमीटर तक लोग दूरदर्शन का प्रोग्राम देख सकेंगे और जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर के आखिरी हिस्से में बताया है कि वहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बोली के जो प्रोग्राम हैं, वे रिले नहीं होंगे, क्या इस पर मन्त्री जी विचार करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और दूरखराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए वहां की बोली में भी प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाए ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, इन्होंने दो अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं। पहले का उत्तर है, इस तरह के ट्रांसमीटर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 120 किलोमीटर तक देखे जा सकते हैं। कसौली में भी वैसी ही स्थिति है।

स्थानीय कार्यक्रमों के बारे में सातवीं योजना में हमारा विचार सभी राज्यों की राजधानियों में पूर्ण रंगीन स्टुडियो को स्थापित करने का है। अत: शिमला में वैसा स्टुडियो बन जायेगा जिसके बाद स्थानीय कार्यक्रम प्रदर्शित किये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहाड़ पर लगा रहे हैं, तो हर्ष के पहाड़ पर कब लगेगा।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : आपको उत्तर का पता है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : आपके यहां तो लगा हुआ है। दिल्ली में क्या झगड़ा है। यहां तो डबल चैनेल लगा हुआ है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि टी० वी० से जो संसद समाचार आते हैं, उसी समय लोकल समाचार भी आते हैं। दोनों में कौन सा जरूरी है। मैंने मन्त्री महोदय से पहले भी इसके बारे में कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में लिखकर दें। यह प्रश्न इससे संगत नहीं है।

रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाना

*195. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री एस० जी० घोलप :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटर लगाये जाएंगे;

(ग) इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) किन-किन राज्यों में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कम्प्यूटर प्रणाली लागू की जाएगी; और

(ङ) कम्प्यूटर लगाने से देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ). रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने के लिए बराबर के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 35 लाख रुपये के परिव्यय के साथ एक स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत सारे देश में फैले हुए उन सभी रोजगार कार्यालयों को लाया जाएगा, जिनके चालू रजिस्टरों पर एक लाख या इससे अधिक उम्मीदवार दर्ज होंगे।

(ङ) रोजगार कार्यालय स्वयं कोई नौकरियां सृजित नहीं करते बल्कि नियोजकों द्वारा उनको अधिसूचित की गयी नौकरी संबंधी रिक्तियों के प्रति उम्मीदवारों को सम्प्रेषित तथा नियोजित करते हैं। विकास प्रक्रिया की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का उद्देश्य राष्ट्रीय रोजगार सेवा को सज्जित करना है ताकि नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों और नियोजकों को उच्च सेवा प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब में बताया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 35 लाख रुपये मैचिंग ग्रांट देने का प्रावधान किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि एक लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स वाले कितने एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं उनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर लगाने की योजना है और एक सेंटर में कंप्यूटर देने में कितना खर्चा आएगा ? क्या 35 लाख रुपये में पूरे देश के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कंप्यूटराइज हो सकेंगे ?

श्री टी० अन्जैया : सभी जगह तो लगाना मुश्किल है, जो फण्ड 35 लाख रुपये का दिया गया है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 56 एम्लायमेंट एक्सचेंज जो एक लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स के हैं, वहां पर कंप्यूटर लगना चाहिए। इसमें एक जगह दो लाख रुपया खर्चा होगा और इसमें कोशिश की जायेगी कि आगे इस योजना को बढ़ाया जाये। खर्च आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी, आधा हम देंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मन्त्री जी के जवाब के हिसाब से पैसा बहुत कम है। 56 सेंटर पर दो लाख रुपये पर सेंटर के हिसाब से 1 करोड़ 12 लाख रुपये चाहिये, अगर उसका आधा भी लगाया जाय तो भी 56 लाख रुपये की आवश्यकता होगी, 35 लाख रुपये फिर भी कम हैं। यह एक अच्छी योजना है और इसका सबको स्वागत करना चाहिये। इससे एंप्लायमेंट एक्सचेंज में जो गड़बड़ियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, कंप्यूटराइज होने से वह समाप्त हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि जो छोटे एक्सचेंज हैं 10 हजार एप्लीकेंट्स वाले, वहां पर भी इनको लगाने का विचार किया जाए, इसके लिए पैसा मांगिए। प्रधानमन्त्री जी स्वयं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लैक्चर नहीं करना है, प्रश्न करना है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इसलिए जो छोटे 10 हजार तक एप्लीकेंट्स वाले एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज हैं, उनके बारे में क्या विचार किया जायेगा ?

श्री टी० अन्जैया : प्लानिंग कमीशन से बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय, क्या मन्त्री महोदय को विभिन्न राज्यों के रोजगार दफ्तरों में होने वाली अनियमितताओं की जानकारी है। यदि हां, तो क्या सरकार भर्ती के वर्तमान तरीके को बदलेगी और रोजगार दफ्तर द्वारा विभिन्न रोजगार एजेंसियों के उम्मीदवारों को भेजे जाने के बजाय उम्मीदवारों को जो रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हैं रोजगार लेने की अनुमति देगी।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : मैंने अपने पेपर्स में पूरी पालिसी बताई है, मेंबर्स को मालूम होना चाहिए। इनको रट्रेंगदन करने में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि इसको इम्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अथारिटी है।

[अनुवाद]

मिथ्या विज्ञापनों से उपभोक्ताओं की रक्षा

* 199. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम्** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब बनाने वाली तीन कंपनियां अपने सोडा वाटर के लिए, जिनका नाम उनके द्वारा बनाई जाने वाली शराब के नाम जैसा ही है, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी शराब के ब्रान्डों का विज्ञापन करती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में उपभोक्ता संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा गठित भारतीय मानक विज्ञापन परिषद द्वारा उपरोक्त मामलों की जांच किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार के विज्ञापन दूरदर्शन द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

(ख) हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय का उत्तर पूर्ण नहीं है। उन्होंने बहुत कम बात बतायी है। प्रश्न दूरदर्शन में विज्ञापनों के बारे में ही नहीं है। अपितु सामान्य विज्ञापनों के बारे में है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के विज्ञापनों से मन्त्री महोदय परिचित हैं। मैं समझता हूं कि वह समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विज्ञापन देखते हैं, जिनमें शराब निर्माता अपने सोडावाटर का विज्ञापन उसी नाम से करते हैं जिस नाम से उनकी शराब बनती है। विज्ञापनों में केवल शराब के विज्ञापन ही न हों, इतना ही पर्याप्त नहीं है। विज्ञापनों में इसका दुरुपयोग होता है वह है तथा उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मेरे प्रश्न के (क) भाग का स्पष्ट उत्तर देंगे। मैं (क) भाग को दुहरा कर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

(ख) भाग के उत्तर में उन्होंने बताया है "हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।"

इसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्योंकि मन्त्री जी ने कहा है कि हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है। वह यह भी कह सकते थे कि क्या कोई शिकायत मिली भी है। अगर कोई शिकायत नहीं मिली है तो यह बहुत अच्छी बात है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं टालमटोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य बहुत बुद्धिमान हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि उनका प्रश्न दूरदर्शन से संबंधित होगा क्योंकि निजी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर हम नियन्त्रण नहीं रख सकते। अगर समाचार पत्र गलत् अश्लील या इस तरह के अन्य विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो राज्य सरकार संबद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। मेरे विचार से उनका प्रश्न आकाशवाणी और दूरदर्शन को लेकर था इसलिए मैंने उसका उस तरह जवाब दिया। जहां तक शिकायतों का संबंध है, पीछे कुछ शिकातें की गई थीं—मुझे समय ठीक से याद नहीं है। लेकिन उसके बाद विज्ञापन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सुधार किया गया और अब इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या शराब के विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि "हाल ही में" जहां तक समाचार पत्रों में विज्ञापन का संबंध है, इसके लिए उपयुक्त प्राधिकरण राज्य सरकार है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। क्या भारतीय मानक विज्ञापन परिषद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निजी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन भी आते हैं?

श्री वी० एन० गाडगिल : वास्तव में मुझे नहीं मालूम कि क्या उनका कोई क्षेत्राधिकार है। मेरा उत्तर आकाशवाणी और दूरदर्शन तक सीमित है।

श्री शांताराम नायक : क्या सरकार विज्ञापन सामग्री में कही गयी बातों की जांच करती है? क्या सरकार उन बातों की सत्यता की जांच करती है या उनके बारे में पता लगाती है?

श्री वी० एन० गाडगिल : आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापन के लिए जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और जब भी हमें सत्यता आदि के बारे में कोई संदेह होता है तो हम उसका पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, आप जानते ही हैं, कि हाल ही में एक शिकायत की गयी थी कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है हमने सोचा है कि इसके लिए उपयुक्त प्राधिकरण स्वास्थ्य मन्त्रालय है। हमने उनसे सम्पर्क किया। इसीलिए मैंने पिछले सत्र में कहा था कि मैं तब तक जवाब नहीं दे सकता जब तक मैं संबद्ध प्राधिकरण से पूछ न लूं। स्वास्थ्य मन्त्रालय ने बतलाया कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिये हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे। लेकिन इसके बावजूद हमें शिकायतें मिली हैं कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली की वृहद योजना

*200. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरीय कला आयोग को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी दिल्ली वृहद योजना पर विचार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के बारे में नये सिरे से विचार किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर कला आयोग को दिल्ली की प्रारूप वृहद योजना के बारे में इस की व्यापकता एवं कोटि सुनिश्चित करने तथा आगामी वर्षों के लिए दिल्ली के नगरीय विकास की सभी अपेक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया है।

(ग) जनवरी, 1986 के अन्त तक दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा इस कार्य को पूरा कर दिये जाने की संभावना है। तत्पश्चात इस योजना को अन्तिम रूप देने में दो या अधिक महीने लग सकते हैं।

श्री कमल नाथ : दिल्ली के लिए अनेक योजनाएँ और बृहत योजनाएँ बनी हैं। किसी योजना या वृहद योजना के शुरू तथा उसके समाप्त होने के मध्य दिल्ली के पारिस्थितिक सन्तुलन, प्राकृतिक स्वरूप तथा जनसंख्या में भारी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मैं पिछले दो दशकों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्षेत्र जो कि पहले ग्रामीण क्षेत्र थे अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर खेती की जाती थी पर अब वे आवासीय क्षेत्र बन गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली शहरी कला आयोग किस वृहद योजना पर विचार कर रहा है ? इसे कब शुरू किया गया और कब पूरा हुआ ? मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि इसे दिल्ली शहरी कला आयोग के पास भेजा गया है। क्या यह वही योजना है जो 10 साल पहले बनाई गयी थी—क्योंकि ऐसी स्थिति में दिल्ली शहरी कला आयोग को एक ऐसी योजना पर अपना निर्णय देना होगा जो दस साल पहले सोची गई थी—या यह कोई नई योजना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : यह 19 वर्ष पूर्व बनी प्रथम दिल्ली वृहद योजना का संशोधित रूप है। इस सदन में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह इसलिए कहा है कि वृहद योजना में संशोधन किया जा रहा है और समय बहुत कम है। जनवरी या फरवरी महीने में यह पूरी हो जाएगी।

श्री कमल नाथ : महोदय, वह बात को समझे ही नहीं। महोदय, जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ उसे मैं दूसरी तरह कहता हूँ। मुद्दा यह है कि दूसरी वृहद योजना कब शुरू हुई ? क्योंकि दूसरी भी 10 साल पहले शुरू हुई थी। पहली 19 साल पहले शुरू हुई थी। तो यह नई वाली भी पुरानी हो जाएगी और हमें तीसरी वृहद योजना बनानी पड़ेगी। दिल्ली के विस्तार और विकास को देखते हुए क्या एक नयी बृहद योजना नहीं बनाई जानी चाहिए ? दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा शहरी विकास कला आयोग को मिलकर बैठना चाहिए और दिल्ली के मौजूदा विकास, विस्तार पारिस्थिक सन्तुलन आदि पर विचार करके 6 महीने के भीतर कोई निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए।

श्री अब्दुल गफूर : संशोधित बृहद योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बनाई है। 800 से अधिक आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण दूसरी बृहद योजना को पूरा कर ही चुका है। उस समय यह सोचा गया कि इसे शहरी कला आयोग के पास भेजना अच्छा होगा। आयोग कुछ महीने लगाएगा और जनवरी के अन्त तक, मेरे विचार से, संशोधित बृहद योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। मेरे विचार से माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, वह मेरे पहले पूरक प्रश्न का जबाव दे रहे हैं। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है···

अध्यक्ष महोदय : बस, बस।

श्री कमल नाथ : महोदय, वह मेरा पहला पूरक प्रश्न था। मैं उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक और मौका दे रहा था। दिल्ली शहरी कला आयोग से क्या उम्मीद की जा रही है? दिल्ली शहरी कला आयोग, जैसाकि नाम से पता चलता है, एक शहरी कला आयोग है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने एक सवाल तो पूछा ही नहीं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : अपने सहयोगियों के फायदे के लिए मैंने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने का एक मौका दिया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने यह यह तो पूछा ही नहीं कि बच्चा पैदा कराने के लिए कितनी धाएं हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय दिल्ली शहरी कला आयोग की एक निश्चित भूमिका है वह भूमिका क्या है? मेरे विचार से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस वृहदयोजना को तैयार किया है। इसे दिल्ली शहरी कला आयोग के पास क्यों भेजा गया। संवैधानिक तौर पर आयोग की एक विशिष्ट भूमिका है। लेकिन यह भूमिका है क्या? वह कहते हैं कि यह जनवरी 1986 के अन्त तक तैयार हो जाएगी। अब यह किस चरण पर है? दिसम्बर चल रहा है। क्या उसे टाईप किया जा रहा है? अगर टाइप किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह समय पर तैयार हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब इससे है कि यह किस स्तर पर है या इसके अन्तिम रूप से है।

श्री अब्दुल गफूर : दिल्ली में हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण इसे शहरी कला आयोग के पास भेजना पड़ा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को स्वयं इन सभी तथ्यों का पता होगा। मैं उन्हें बता ही चुका हूं कि आयोग जनवरी के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। अब दिसम्बर है। वह एक महीना और इन्तजार क्यों नहीं करते तब तक सब बातें स्पष्ट हो जाएगी।

पति और पत्नी के नाम पर फ्लैटों और भूखण्डों का संयुक्त आवंटन

*201. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने की दृष्टि से पति और पत्नी के नाम पर फ्लैटों और भूखण्डों का संयुक्त आवंटन करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कद उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य शहरी आवास संगठनों की इसी प्रकार की योजना बनाने के लिए कोई निदेश अथवा मार्गनिदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य देश प्रशासनों को 10 जून, 1985 को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र की प्रतिलिपि संलग्न विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी है।

विवरण

तत्काल

संख्या आई-11016/8/85-आवास-11

भारत सरकार

निर्माण और आवास मन्त्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),

1. सभी राज्य सरकार।

2. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

विषय :—महिलाओं के लिए विकास कार्य एवं उनका कल्याण।

महोदय,

जैसाकि आप जानते हैं, महिलाओं के लिए विकास कार्य एवं कल्याण पर छठी योजना (1980-85) में विशेष बल दिया गया था। इस बारे में निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिश की गई थी :

> "आर्थिक स्वतन्त्रता से महिलाओं की स्थिति का त्वरित सुधार होगा। परिसम्पत्तियों के अन्तरण सहित सभी विकासीय गतिविधियों में पति और पत्नी को संयुक्त स्वामित्वाधिकार देने का सरकार प्रयत्न करेगी। भूमि तथा आवास स्थलों और लाभोन्मुखी आर्थिक इकाइयों के वितरण जैसे कार्यक्रमों के भीतर कार्यान्वित करने के लिए इसे आरम्भ किया जाएगा।"

2. यह समझा जाता है कि सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवटित मकानों के सम्बन्ध में संयुक्त अधिकार देने की प्रथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही चल रही होगी। योजना आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि उपर्युक्त सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही को सातवीं योजना दस्तावेज में दिखाया जाना चाहिए जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि तुरन्त ही इससे सम्बन्धित स्थिति को सूचित करें। तथापि, यदि यह

अभी तक नहीं किया गया हो तो इसे करने के लिए तुरन्त ही उपाय किए जाए और 15 जुलाई, 1985 तक इस मन्त्रालय को अवश्य ही इस स्थिति से अवगत कराने की कृपा करें ।

भवदीय
हस्ताक्षर
(ओ० पी० गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

श्री महेन्द्र सिंह : इसका सम्बन्ध अवर सचिव द्वारा विभिन्न राज्यों को लिखे पत्र से है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि अन्तिम तारीख 12 जुलाई से पूर्व कितने राज्यों ने इसका जवाब भेज दिया है। जैसाकि पत्र में उल्लखित है, क्या इस सम्बन्ध में उपाय करने सम्बन्धी सिफारिश को 7वीं योजना में शामिल किया गया है या नहीं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : आपको सच बात बताऊं मैं स्वयं इस पर प्रधान मन्त्री से चर्चा कर रहा था। प्रधानमन्त्री जी ने मुझसे कहा था कि भविष्य में आप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहिए कि वह पत्नी के नाम पर भी पंजीकरण करें।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कह रहे हैं कि अब आप सच कर रहे हैं तो क्या इसका यह मतलब है कि अब तक आप सच नहीं बोल रहे थे ?

श्री अब्दुल गफूर : प्रो० मधु दण्डवते सबसे अधिक अनुभवी और बुद्धिमान है। जब मैंने कहा कि मैं प्रधान मन्त्री जी के साथ चर्चा कर रहा था तो इसमें क्या गलत बात है जबकि मेरे प्रधान मन्त्री ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा ? इसीलिए आवास मन्त्रालय ने सभी राज्यों को इस आशय का एक पत्र भेजा था कि अगर कोई व्यक्ति मकान के लिए पंजीकरण कराता है तो उसमें उसकी पत्नी का नाम भी शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री अब्दुल गफूर : मेरे ख्याल से इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। इस देश में बहुत-सी बातें हैं···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उचित दर की दुकानों के मालिकों को आवंटित खाद्यान्न पर रियायत

*184. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उचित दर की दुकानों के मालिकों को खाद्यान्नों के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत की रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हाल ही में देश के अनेक राज्यों में इस प्रकार की

रियायत का दिया जाना समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इस रियायत का दिया जाना समाप्त कर दिए जाने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर गेहूँ तथा चावल आवंटित करती है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उचित दर की दुकानों के माध्यम से इन खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य में इनकी ढुलाई पर आने वाले खर्च, उचितदर की दुकानों के मालिकों को दी जाने वाले कमीशन तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार जोड़कर इनके खुदरा मूल्य निर्धारित करते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उचित दर की दुकानों के मालिकों के लिए तय की जाने वाली कमीशन की दर हर राज्य में अलग-अलग होती है। राज्य सरकारों से मालूम करने पर पता चला है कि उचित दर की दुकानों के मालिकों को कोई रियायत देने की कोई प्रणाली नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

*185. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने गांव हैं, जहां दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई प्रगति नगण्य है और यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में की गई प्रगति की प्रतिशतता क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन गाडगिल) : (क) से (ग). दूरदर्शन केन्द्र यद्यपि इन कारणों से शहरों/कस्बों में स्थित हैं कि उन स्थानों पर बेहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो भी ये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से सेवा उपलब्ध करते हैं। देश के मौजूदा 174 दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगभग 31.25 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या को सेवा उपलब्ध करते हैं।

सातवीं योजना के दौरान दूरदर्शन का परिव्यय 700 करोड़ रुपये होगा; इसमें से, लगभग 515 रुपयों का उपयोग ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए किए जाने की आशा है। अतिरिक्त 8.45 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या के शीघ्र ही कवर हो जाने की आशा है। इस प्रकार सातवीं योजना में ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह कहना कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा नगण्य है, सही नहीं है। बिहार में छठी योजना की स्कीमों के पूरा हो जाने पर, राज्य की 73.7 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी। ग्रामीण-जनसंख्या के कवरेज की तदनुरूपी राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए खंड स्तरीय सलाहकार समितियां

*189. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए खंड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन करने और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों द्वारा उन दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). जनवरी, 1982 में राज्य सरकारों को खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समिति का गठन करने की सलाह दी गई थी। बाद में ये निर्देश अक्तूबर, 1984 में पुनः जारी किए गए थे। 1984 के परिपत्र में सभी राज्यों में एक सी पद्धति सुनिश्चित करने के लिए इन समितियों का गठन तथा उनके कार्य निर्धारित किए गये थे।

खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समितियों का गठन तथा उनके कार्य नीचे दर्शाये गए हैं जैसाकि 1984 के परिपत्र में उल्लेख किया गया था।

1. **खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समिति का गठन**

उप मंडल अधिकारी खण्ड में चल रहे सभी वाणिज्यक बैंकों के शाखा प्रबन्धक तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक	अध्यक्ष
जिला सहकारिता बैंक के अध्यक्ष-सचिव	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य
सहायक परियोजना अधिकारी (ऋण)	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य

यह महसूस किया गया कि यदि एक राजस्व उप-मंडल में बहुत से खण्ड हों तो खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समिति की अध्यक्षता करना उप-मण्डल अधिकारी के लिए सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार के मामले में राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि खण्ड विकास अधिकारी खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समिति की बैठक बुला सकता है। यह सुझाव दिया गया था कि परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी तथा शीर्ष बैंक अधिकारी विशेष आमन्त्रितों के रूप में बैठक में भाग ले सकते हैं।

2. **खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समिति के कार्य**

(क) शाखा-वार, योजना-वार लक्ष्यों की स्वीकृति देना;

(ख) गांवों के समूहों का चयन करना तथा विभिन्न बैंकों के लिए गांवों का आवंटन करना;

(ग) ऋण कैम्पों के लिए तारीखें निश्चित करना;

(घ) मन्जूरियों की प्रगति, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक शाखा को भेजे गए आवेदन पत्रों की संख्या, अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या, उन्हें रद्द करने के कारणों आदि की मानिटरिंग करना;

(ङ) परिसम्पतियां अधिप्राप्त करने के लिए क्रय समितियों की बैठकों की तारीख निश्चित करना;

(च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वसूलियों की प्रगति की मानिटरिंग करना— वसूली कैम्पों आदि हेतु तारीखें निश्चित करना;

(छ) योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना, परिसम्पतियों की जांच करने हेतु नमूना परीक्षण आयोजित करना।

इस विभाग के 1984 के परिपत्र के संदर्भ में सात राज्य सरकारों ने सूचित किया था कि उन्होंने खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समितियों का पहले से ही गठन कर लिया है तथा चूंकि वे समितियां प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं अत: उनके गठन में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। दो राज्यों ने खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समितियों का गठन इस विभाग की संशोधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार किया है। दो राज्यों ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार खण्ड स्तरीय परामर्शदायी समितियों का गठन करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इस विभाग के परिपत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है तथा उन्हें नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

*194. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री अमरसिंह राठवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए उपलब्ध की गई खाद्यान्न की मात्रा उन राज्यों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जहां बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए उन प्रभावित राज्यों ने खाद्यान्न की कितनी मात्रा दिए जाने की मांग की है और केन्द्र द्वारा उन्हें कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर अक्तूबर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में वितरण हेतु राज्यों को खाद्यान्न दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत आरम्भ किए गए ये नियमित रोजगार कार्यक्रम हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत कार्यक्रम नहीं हैं। सूखा, बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में से राजस्थान ने सूखा राहत कार्य हेतु काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूँ की मांग की है। गुजरात ने सूखा राहत कार्य में लगे मजदूरों के लिए 1.50 रुपए प्रति कि० ग्रा० की रियायती दरों जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्य है, पर गेहूँ की सप्लाई हेतु कहा है। यह मामला विचाराधीन है।

3. राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों ने भी सार्वजनिक विवरण हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि का अनुरोध किया है। प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) राजस्थान

अक्तूबर, 1985 में कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने मक्का, बाजरा तथा ज्वार की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया था। खाद्य विभाग (खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय) को ये वस्तुएं केन्द्रीय भण्डार से सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था। उस विभाग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय भण्डार में मोटे अनाज का कोई भण्डार नहीं है। अतः राजस्थान सरकार को ये खाद्यान्न सप्लाई करना सम्भव नहीं है। फिर भी, राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए राजस्थान की सार्वजनिक वितरण पद्धति हेतु गेहूँ के मासिक आबंटन को अक्तूबर, 1985 में किए गए 28,000 मीटरी टन से बढ़ाकर नवम्बर, 1985 में 50,000 मीटरी टन कर दिया गया है। चावल के मासिक कोटे को अगस्त, 1985 में 1,000 मीटरी टन से बढ़ाकर सितम्बर, 85 से आगे 2,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

(2) गुजरात

गुजरात सरकार ने सूखे की स्थिति हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए 30-10-1985 को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि :—

(क) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग ने भारत सरकार से नवम्बर, 1985 से 40,000 मीटरी टन गेहूँ तथा 30,000 मीटरी टन चावल के आबंटन की मांग की थी। भारत सरकार से सितम्बर, 1986 के अन्त तक इसी दर पर आबंटन करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(ख) भारत सरकार से केन्द्रीय पूल से मोटे अनाज का आबंटन फिर से आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है तथा मोटे अनाज की मांग को ध्यान में रखते हुए नवम्बर, 1985 से जुलाई, 1986 तक प्रतिमाह 20,000 मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किया जाए।

(3) तमिलनाडु

तुफान/भारी वर्षा से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हेतु कृषि मन्त्री के तमिलनाडु के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1985 से लेकर अप्रैल, 198 तक की अवधि के दौरान चावल के मासिक आबंटन को 40,000 टन से बढ़ाकर एक लाख मीटरी टन करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार के अनुरोध को खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री तक पहुंचा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में रोजगार प्रतिशतता में कमी

*196. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977-78 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान देश के कुल रोजगार की तुलना में पश्चिम बंगाल में रोजगार का प्रतिशत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी 32 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, अखिल भारत आधार और पश्चिम बंगाल दोनों के बारे में रोजगार सम्बन्धी कुल आंकड़े 1977-78 तक उपलब्ध हैं। यद्यपि 38वें दौरे (जनवरी-दिसम्बर, 1983) के नवीनतम सर्वेक्षण के कुछ परिणाम रिलीज किए गए हैं, तथापि रोजगार के निरपेक्ष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 32 वें दौर और 27वें दौर से प्राप्त हुई स्थिति नीचे दी गई है :

	नियोजित व्यक्तियों (सामान्य स्तर) की अनुमानित संख्या (लाखों में)	
	27 वां दौर (1972-73)	32 वां दौर (1977-78)
अखिल भारत	2363	2373
पश्चिम बंगाल	153	164

उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल रोजगार में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 27वें दौर और 32वें दौर के अनुसार क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत था।

शिक्षित बेरोजगार महिलायें

*197. **डा० फलरेणु गुहा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 सितम्बर, 1985 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार महिलाओं (अन्तिम स्कूली परीक्षा पास) की संख्या कितनी थी; और

(ख) क्या उनको रोजगार देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) 31-12-84 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिष्टरों पर दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित महिलाओं (स्कूल फाइनल तथा इससे ऊपर) से सम्बन्धित संख्या उपलब्ध सूचना के अनुसार 25.25 लाख थी, यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार हेतु अवसरों में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। प्रौद्योगिकी विकास और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकलापों में विस्तार के कारण सातवीं योजना में शिक्षित जनशक्ति के लिए नौकरी के अवसरों में काफी वृद्धि होने की आशा की जा सकती है। मैट्रिक/हायर सैकेंड्री उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों से उत्पन्न होंगे।

वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के सघन पाठ्यक्रमों की योजना में बिस्तार किया जाएगा ताकि मैट्रिकुलेशन तथा हायर सैकेण्ड्री स्तर तक सार्वजनिक परीक्षाओं के

लिए लक्ष्य ग्रुप तैयार किये जा सकें और उच्चतर रोजगार संभावनाओं के साथ व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यों में महिला विकास निगम स्थापित किये जाने हैं ताकि महिलाओं में आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके और ये आर्थिक कार्य-कलापों का सृजन करने के लिए उत्प्रेरक कारकों के रूप में कार्य कर सकें।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के रोजगार हेतु अन्य प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में, किसानों के प्रशिक्षण, किसानों के विनिमय, बागवानी में प्रशिक्षण, मछली पालन, मुर्गी-पालन, डेरी विकास, चारा उत्पादन, फसल काटने के पश्चात प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों में उपयोग, मुकुलन और पैकबन्द लगाना, सामाजिक वानिकी, आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं के वर्तमान कौशलों में सुधार लाने और नए कौशलों में उन्हें प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने वाले ऐसे परिवार कम से कम 20 प्रतिशत होंगे जिनकी मुखिया महिलाएं होंगी। कुल मिलाकर सातवीं योजना के दौरान, इस कार्यक्रम से 200 लाख लाभानुभोगियों को लाभ पहुंचेगा।

(iii) एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत महिलाओं को पर्याप्त रोजगार देने पर जोर दिया जाएगा।

(iv) आशा है कि ट्राइसेम के अन्तर्गत, लाभ प्राप्त कर्ता व्यक्तियों में से लगभग 1/3 महिलाएं होंगी।

(v) बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को, जिनकी मुखिया महिलाएं होंगी लाभ पहुंचाने के लिए भूमि सुधार नीति में परिवर्तन किया जाएगा।

(vi) महिलाओं हेतु विकास कार्यक्रमों से संबंधित राज्य स्तर की एजेन्सियों के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायक उद्योग प्रायोजित करने के लिए राजी किया जायेगा।

(vii) ग्राम तथा लघु उद्योगों के अन्तर्गत महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जाएगा ताकि उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी से पूर्णतः अवगत कराया जा सके।

(viii) व्यवसायों से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने हेतु महिला कारीगरों/कामगारों के ग्रुपों का पता लगाने के लिए जिला उद्योगकेन्द्र विशेष भूमिका निभायेंगे।

(ix) और अधिक बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए अलग से मिनि इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किए जायेंगे ताकि महिला उद्यमियों को औद्योगिक शैड दिये जा सके।

(x) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा अन्य शिखर संगठन मार्किटिंग उत्पाद डिजाइन और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्थन देंगे।

(xi) समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन को यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा कि महिला कामगारों को समय-समय पर अधिनियम में यथा निर्धारित मजदूरी दी जाए।

दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली और प्रमुख नगरों के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क

*198. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम के लिए राज्यों की राजधानियों समेत प्रमुख नगरों और दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क की व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) क्या ऐसा माइक्रोवेव सम्पर्क भुवनेश्वर में प्रस्तावित स्टुडियो काम्प्लेक्स को उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली तथा जालन्धर, श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा लखनऊ के केन्द्रों के बीच दुतरफा माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध है। देश के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रसुतत होने वाले राष्ट्रीय तथा नेटवर्क कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए इन्सेट-1 बी० के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। प्रस्तावित लिंकेज उपग्रह के माध्यम से है। लिंकेज के लिए पक्की मांग दूर संचार विभाग को भेज दी गयी है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम का दूरदर्शन से प्रसारण

1941. **श्री के० एस० राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे परिवार के लाभ का विश्वास दिलाने के लिए श्रव्य दृश्य माध्यमों से लोगों को शिक्षित करके परिवार नियोजन के लक्ष्य में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). दूरदर्शन छोटे परिवार के लाभों के बारे में दर्शकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न फार्मेटों में परिवार कल्याण कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अपनी सम्बन्धित भाषाओं में नियमित आधार पर टेलीकास्ट किया जाता है। इन कार्यक्रमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा आयोजित विशेष परिवार नियोजन अभियानों के दौरान भी टेलीकास्ट किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा अधिकांश कार्यक्रमों को अपने आबंटनों से तैयार करके टेलीकास्ट किया जाता है, किन्तु विशेष कार्यक्रमों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, छोटे परिवार के क्षेत्र में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है, द्वारा दी गई धनराशि से भी तैयार किये जाते हैं।

सरकार के नियन्त्रण में उर्वरक कम्पनियां

1942. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीन कितनी उर्वरक कम्पनियां हैं और वे कहां-कहां स्थित है ;

(ख) इन उर्वरक कंपनियों को 1984-85 में कितना लाभ प्राप्त हुआ ;

(ग) इन सरकारी कंपनियों द्वारा कृषि की कितने प्रतिशत वार्षिक आवश्यकता पूरी की गई; और

(घ) केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० अल्वाय का 1984-85 के दौरान उत्पादन क्या था ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

उर्वरक कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व वाले एककों के स्थान	वर्ष 1984-85 के कंपनी द्वारा पंजीकृत लाभ(+)अथवा हानि (—) (रु० करोड़)
1. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	उद्योगमण्डल, कोचीन	(+) 19.28
2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि०	सिन्दरी, गोरखपुर, तालचर, रामागुण्डम	(—) 44.54
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो० लि०	बरौनी, दुर्गापुर, नामरूप हल्दिया (प्रारम्भण के अन्तर्गत)	(—) 72.23
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टि० लि०	ट्राम्बे, थाल	(+) 44.35
5. नेशनल फर्टि० लि०	नंगल, भटिण्डा, पानीपत	(+)49.65
6. मद्रास फर्टि० लि०	मद्रास	(+) 5.59
7. इंडियन फार्मस फर्टि० कोप० लि०	कलोल, काण्डला, फूलपुर	(+) 50.00×
8. कृषक भारती कोप० लि०	हाजिरा	परीक्षण चालू अधीन
9. पारादीप फास्फेटस लि०	पारादीप	निर्माणाधीन

(अनुमानित कर से पूर्व लाभ, लेखा परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान सरकार के नियन्त्रणाधीन (सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र) की कम्पनियों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत का लगभग 42 प्रतिशत और फास्फोटि उर्वरकों की खपत का लगभग 37 प्रतिशत किया गया ।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग-मण्डल (अलवाय) एकक का उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :—

	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
उत्पादन (टन)	51.200	29.000
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	65.6	78.4

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा सस्ते फालतू बटर आयल का भारतीय मंडियों में ढेर लगाया जाना

1943. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वनस्पति निर्माताओं और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से सस्ते और फालतू बटर आयल का भारतीय मंडियों में ढेर लगाने से रोका जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). जी हां। अभ्यावेदकों ने कहा है कि यदि बटर आयल का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है तो इसका भी के देशीय उत्पादन और डेरी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तथापि, इस समय वनस्पति उद्योग द्वारा उपयोग के लिए बटर आयल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों को घटिया किस्म के उर्वरक की सप्लाई की शिकायतें

1944. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को घटिया किस्म के उर्वरकों की सप्लाई के संबंध में कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों की गुणवता की जांच के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). देश में प्रति वर्ष 71,000 से अधिक उर्वरक के नमूनों का विश्लेषण करने की कुल क्षमता वाली 44 उर्वरक गुणवता नियन्त्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें केन्द्रीय उर्वरक गुणवता नियन्त्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद भी शामिल है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उर्वरक नमूनों का विश्लेषण करने की क्षमता के साथ राज्यवार उर्वरक गुणवता नियन्त्रण प्रयोगशालाएं

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रयोगशालाओं की संख्या	प्रतिवर्ष उर्वरक नमूनों का विश्लेषण करने की क्षमता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	7,000
2.	असम	1	120
3.	बिहार	1	2,000
4.	गुजरात	2	4,000
5.	हरियाणा	1	1,500
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2,000
7.	जम्मू व कश्मीर	2	1,600
8.	कर्नाटक	2	4,800
9.	केरल	2	4,000
10.	मध्य प्रदेश	3	4,000
11.	महाराष्ट्र	4	6,500
12.	उड़ीसा	2	5,000
13.	पंजाब	1	1,500
14.	राजस्थान	2	4,000
15.	तमिलनाडु	6	11,000
16.	उत्तर प्रदेश	3	4,000
17.	पश्चिम बंगाल	3	2,500
18.	पांडिचेरी	1	600
19.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवता नियन्त्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान (भारत सरकार)	1	5,000
		44	71,120

शहरी निर्धन लोगों के लिए आश्रय सम्बन्धी कृतिक बल

1945. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी निर्धन और गन्दी बस्ती विकास के लिए आश्रय सम्बन्धी कृतिक बल ने यह टिप्पणी की है कि अनेक शहरों में योजना और विकास प्राधिकरण तेजी से भवन निर्माताओं में बदल गए हैं और योजना बनाने वाले तथा विकास को विनियमित करने वाली और महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे अपने वास्तविक कार्यों को भूल गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन अधिकारियों को यह सुझाव दिया गया था कि वे अपने आवास निर्माण कार्यक्रम में कमी करके उनको न्यूनतम तक लाएं और निर्धनों के लिए आवास कार्यक्रम के क्षेत्र के विस्तार के लिए उनका नवीकरण करें ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। नगरीय गरीब तथा मलिन बस्ती सुधारार्थ आश्रय सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अन्य कार्यकारी दल की रिपोर्टों सहित नगरीय विकास पर 7वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा विचार किया गया था तथा तदनुसार सिफारिशें की गई थीं।

भारतीय उर्वरक निगम लि० के सिंदरी एकक की कोयले की आवश्यकता

1946. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लि० के विभिन्न एककों के लिए सिंदरी की एकक प्रतिदिन एककवार औसतन कितने कोयले की आवश्यकता है;

(ख) सितम्बर 1985 के महीने में आवश्यक कोयले का वांछित राख (एश) प्रतिशतता तथा सप्लाई किए गए कोयले की वास्तविक राख प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि कोयले में अधिक राख की प्रतिशतता सिंदरा संयंत्र के बायलरों को नुकसान पहुँचा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) क्या कोयले से विशेष कर तारा का ओपन कास्ट परियोजना द्वारा सप्लाई किए गए कोयले से पत्थर अलग करने के लिए सिन्दरा एकक की अपनी हितकारी योजना होगी ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के सिन्दरी एकक को औसतन लगभग 2100 टन कोयले का आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है—1000 टन प्रतिदिन पावर हाउस के लिए और 1100 टन प्रतिदिन सिन्दरी आधुनिकीकरण में वाष्प उत्पादन के लिए।

(ख) सिन्दरी पावर हाउस के लिए अपेक्षिक कोयले में राख का प्रतिशत 18-20 प्रतिशत और सिन्दरी आधुनिकीकरण में वाष्प उत्पादन के लिए 28-35 प्रतिशत होना चाहिए। सिन्दरी एकक सितम्बर, 1985 के दौरान प्राप्त किए गए कोयले की वास्तविक औसत राख प्रतिशत सम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). जी, हां। उच्च राख अंश के कारण चारों तरफ क्षण और वायलरों तथा अनुषणीयां खराबी हो रही है। मामले में, भारत कुकिंग लि० (बी० सी० सी० एल०) के साथ सम्पर्क किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय का कलकत्ता में स्थानांतरण

1947. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ;

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग). एच० एफ० सी० द्वारा अपना मुख्य कार्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने संबंधित कार्य के लिए अपने कलकत्ता स्थिति हल्दिया प्रभागीय कार्यालय में जुलाई 1979 में एक सैल की स्थापना की गयी थी। निगम अपने कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में था। उसी दौरान, स्थानांतरण के विरोध में सरकार को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों का निपटान होने तक, दिनांक 7-5-1980 को निगम को इस संबंध में कोई वित्तीय वायदा न करने के लिए कहा गया था। कंपनी ने इन्ताजामात पर कोई और कार्यावाही नहीं की।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० सहित कुछ कंपनियों के मुख्यालयों के स्थानान्तरण सहित उर्वरक कंपनियों के पुनर्गठन के संबंध में एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा उच्च स्तर पर अग्रिम अवस्था में विचार किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नीमदिघी (हावड़ा) का विकास

1948. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में नीमदिघी स्थिति कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का विकास करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है;

(घ) सरकार इस अस्पताल के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ङ). कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के नीमदिघी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उलुबेरिया से संबंधित कार्य की निम्नलिखित मदों के बारे में अनुमान प्राप्त हुए हैं :

(i) स्टाफ क्वाटरों और अस्पतालों में बिजली व्यवस्थापन की विशेष मरम्मत;

(ii) स्टाफ क्वाटरों के नालों की विशेष मरम्मत;

(iii) नए आपरेशन थियेटर का निर्माण;

(iv) अस्पतालों और प्रसूति वार्ड का नवीकरण;

(v) अतिरिक्त स्टाफ क्वाटरों का निर्माण; और

(vi) अस्पतालों की क्षतिग्रस्त बांडरी दीवार की विशेष मरम्मत।

उपरोक्त (i) से (iv) पर उल्लिखित कार्य की मदों के बारे में अनुमानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि यदि इन कार्यों को पहले पूरा न कर दिया गया हो तो इन्हें अब तुरन्त पूरा किया जाए। उपरोक्त (V) और (IV) पर उल्लिखित कार्य की मदों के बारे में अनुमानों की जांच की जा रही है।

चीनी का जोन-वार लेवी मूल्य का आकलन

1949. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के मौसम के लिए अलग-अलग चीनी के जोन-वार लेवी मूल्य का आकलन करने का आधार तथा ब्यौरा क्या है जिसकी सरकार द्वारा इस बीच की अधिसूचना जारी की जा चुकी है; और

(ख) इस उक्त मूल्य का आकलन करने के लिए जोन-वार गन्ना कारखाना चलाने की कितनी अवधि और उससे प्राप्त कितनी चीनी को हिसाब में लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). 1983-84 मौसम के लिए लेवी चीनी के जोनवार मूल्यों का उच्च स्तरीय समित द्वारा अभिस्तावित पैरामीटरों के आधार पर हिसाब लगाया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों की वैधता को चीनी वर्ष 1983-84 के लिए भी लागू कर दिया गया था।

1984-85 मौसम के लिए चीनी के जोनवार मूल्यों का हिसाब औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा 16 जोन पैटर्न के बारे में अगस्त, 1984 की अपनी रिपोर्ट में अभिस्तावित पैरामीटरों के आधार पर लगाया गया था।

इन जोनवार मूल्यों को क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में देखा जा सकता है।

रिकवरी और अवधि का अनुमान लगाते समय उद्योग और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुमानों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-1

चीनी वर्ष 1983-84 के लिए जनवरी 11, 1984 को अधिसूचित किए गए डी-30 ग्रेड चीनी के निकासी लेवी मूल्य

क्रम सं०	जोन	निकासी मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल चीनी)
1.	पंजाब	336.11
2.	हरियाणा	342.22
3.	राजस्थान	372.92
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	300.81
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	319.68
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	332.07
7.	उत्तरी बिहार	337.44
8.	दक्षिणी बिहार	403.90
9.	गुजरात	296.24
10.	मध्य प्रदेश	362.90
11.	महाराष्ट्र	297.66
12.	कर्नाटक	300.04
13.	आन्ध्र प्रदेश	322.12
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	329.36
15.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	343.67
16.	केरल और गोआ	347.81

नोट :—मूल्य अधिसूचना की अनुसूची-6 में शामिल कमजोर यूनिटों के मामले में मूल्य में 26 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की अनुमति दी गयी है।

विवरण-2

चीनी वर्ष 1983-85 के लिए मार्च 28, 1985 को अधिसूचित किए गए (अप्रैल 25, 1985 को और यथा संशोधित) एस-30 ग्रेड चीनी के निकासी लेवी मूल्य

क्रम सं०	जोन	निकासी मूल्य (रुपये/क्विंटल चीनी)
1.	पंजाब	337.98
2.	हरियाणा	367.27

3.	राजस्थान	420.45
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	363.47
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	368.24
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	424.11
7.	उत्तरी बिहार	425.64
8.	दक्षिणी बिहार	443.19
9.	गुजरात	333.12
10.	मध्य प्रदेश	417.16
11.	महाराष्ट्र	334.35
12.	कर्नाटक	339.80
13.	आन्ध्र प्रदेश	345.94
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	343.20
15.	असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैण्ड	366.37
16.	केरल और गोआ	375.90

नोट :—मूल्य अधिसूचना की अनुसूची-6 में शामिल कमजोर यूनिटों के मामले में 26 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की अनुमति दी गयी है।

सब्जियों के मूल्य

1950. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सब्जियों के ऊँचे दामों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मौसमों के बीच सब्जियों के मूल्यों के रुख में आवधिक उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। मूल्य के इस रुख पर स्थानीय तथा अल्पावधि स्थिति की विभिन्नता से भी अधिक प्रभाव पड़ता है, जो या तो मांग तथा सप्लाई पर प्रभाव डालती है। सब्जियों के मूल्यों में मौसमी उतार चढ़ाव को कम करने की दृष्टि से सरकार ने अल्प तथा दीर्घ कालीन दोनों उपाय अपनाए हैं। अल्पावधि उपायों में दिल्ली में सार्वजनिक एजेंसियों जैसे सुपर बाजार द्वारा अपने चलायमान वाहनों के जरिए तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सब्जी की खुदरा दुकानें खोल करके प्रतियोगी दरों पर सब्जियों की बिक्री करना शामिल है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ थोक स्तर पर, उन मूल्यों पर जो दिल्ली में बाजार दरों की अपेक्षा काफी कम होते हैं, पहले ही प्याज तथा आलू उपलब्ध करता है। नाफेड ने अन्य राज्यों में भी इस सुविधा का विस्तार करने की पेशकश की है। दीर्घकालीन उपायों में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सालाना 1.20 लाख मिनिकिटों का वितरण करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजना शामिल है। बड़े शहरों के आस पास सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विचाराधीन एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय, सातवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए 200 लाख रुपए के परिव्यय से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करना है।

दिल्ली सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर सड़ रही गेहूँ की बोरियाँ

1951. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अगस्त, 1985 के "नवभारत टाइम्स" और 10 अगस्त, 1985 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ के वर्षा से भीगे 5000 से अधिक बोरे सड़ रहे हैं और गेहूँ में अंकुरण भी हो गया है तथा इससे रेलवे को भी प्लेटफार्म पर रखने और विलम्ब करने का शुल्क देना पड़ेगा;

(ख) उसके तथ्य क्या हैं और इससे कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस नुकसान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; यदि हाँ तो किस पर और क्या दण्ड दिया जायेगा; और

(घ) इस वर्ष वर्षा के कारण खाद्यान्नों के भण्डार में हुई क्षति का मूल्य क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). जी हाँ। सब्जी मण्डी रेल द्वारा प्राप्त हुआ गेहूँ का कुछ स्टाक हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार द्वारा स्टाक परिवहन अचानक बन्द कर देने के कारण भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में नहीं पहुँचाया जा सका था। स्टाक को कोई क्षति नहीं पहुँची थी। तथापि, 5.5 लाख रुपये से डेमरेज/घाटशुल्क प्रभारों का हिसाब लगाया गया था और इस राशि को ठेके की शर्तों के अनुसार हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार के लम्बित बिलों से वसूल किया जा रहा है।

(घ) वर्ष के दौरान दिल्ली में वर्षा के कारण खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

"नाफेड" को तिलहन खरीदने वाली एजेन्सी नियुक्त करना

1952. **डा० बी० एल० शैलेश :**

श्री वी० तुलसी राम :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) को पांच वर्षों के लिए खरीफ तिलहनों अर्थात् मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के मूल्य समर्थन हेतु एकमात्र एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) क्या "नाफेड" ने अपना मूल्य समर्थन कार्य चालू मौसम में शुरू कर दिया है?

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तिलहन उत्पादक राज्यों में इन कार्यों में शामिल विभिन्न घटकों को क्या भूमिका दी गई है;

(घ) इन व्यवस्थाओं का बाजार के उतार चढ़ाव और तत्स्थानिक खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) नाफेड तथा इसमें भाग लेने वाले अन्य घटकों पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अक्टूबर, 1985 में सरकार ने नेफेड को 1985-86 खरीफ मौसम से 5 वर्ष की अवधि के लिए तिलहन अर्थात् मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया।

(ख) नेफेड ने चालू खरीफ मौसम से ही समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है। इस स्कीम के अधीन 24.11.85 तक 30,000 मीटरी टन सोयाबीन खरीदा जा चुका है।

(ग) नैफेड ने राज्य सरकारी विपणन संघों और तिलहन उत्पादक संघों से प्रबन्ध किए हैं। संगठन नेफेड के एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे और स्थानीय कृषक सहकारी समितियों के मार्फत कार्य करेंगे। खरीद कार्य को सुविधा के लिए क्रय केन्द्र विविदिष्ट कर लिए गए हैं। भण्डारण व्यवस्था की गई है और कार्यशील वित्त सुनिश्चित किया गया है। सहकारी समितियां मध्य प्रदेश में 300 केन्द्रों, उत्तर प्रदेश में 150 केन्द्रों, राजस्थान में 40 केन्द्रों और गुजरात तथा महाराष्ट्र में से प्रत्येक में 20-20 केन्द्रों में खरीद करेगी।

(घ) मूंगफली और सूरजमुखी बीज की कीमतें इस समय समर्थन स्तर से ऊपर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीद का काम शुरू हो गया है और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में अभी शुरू होना है। किसानों को स्कीम के अधीन सोयाबीन को खरीद का आश्वासन दिया जा रहा है।

(ङ) स्कीम के अधीन समस्त खरीद नेफेड के खाते पर किया जाएगा। यदि आपरेश में हानि हुई तो सरकार 100 प्रतिशत हानि वहन करेगी। खरीद कार्य की सुविधा के लिए सरकार द्वारा नेफेड को 5 करोड़ रुपये का अल्पकालित ऋण मंजूर किया गया है। स्कीम के कार्यान्वयन में सुविधा के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेफेड को पर्याप्त ऋण सुविधा देने की सिफारिश की है।

महाराष्ट्र के मछुआरों की आर्थिक कठिनाइयां

1953. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम मछली पकड़े जाने के कारण महाराष्ट्र मछुआरों की आर्थिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) बड़ी संख्या में बड़ी नौकाओं के आयात और निर्माण के कारण छोटे मछुआरों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) समुद्री मछली अत्यधिक कम मात्रा में पकड़े जाने के बारे में महाराष्ट्र से कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा में मामूली अन्तर मछली के संसाधनों में प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के कारण आया है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के मछुआरों की आर्थिक कठिनाइयों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न आकारों के मत्स्यन जलयानों को चलाने के क्षेत्रों को परिसीमित करके छोटे मछुआरों के हितों को रक्षा के लिये उपयुक्त कानून बनाये हैं। कानून के अनुसार क्षेत्रीय जल के बाहर चलने वाले बड़े मत्स्यन जलयानों के आयात और निर्माण से छोटे

मछुआरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) और (घ). भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए भाग (ग) और (घ) के प्रश्न नहीं होता।

फसल बीमा योजना

1954. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भीषण बाढ़ तथा सूखे को देखते हुए फसल बीमा को प्रोत्साहित करने तथा इसे लोकप्रिय तथा किसानों के लिए लाभप्रद बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यूरोप तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों में विद्यमान फसल बीमा योजनाओं का कोई विस्तृत अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत में कहाँ तक इन योजनाओं को अपनाया जा सकेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को वितरित करने के लिये पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य प्रकाशित किया है। राज्यों को कहा गया है कि वे योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण और दौरा पद्धति और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे माध्यमों का उपयोग करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गुजरात को पामोलिन तेल की सप्लाई

1955. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों का मुक्त व्यापार है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में खाद्य तेलों (स्वदेशी) की दरें अलग-अलग हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान पामोलिन तेल की सप्लाई के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई माँग तथा की गई वास्तविक सप्लाई का मास-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गई मात्रा से बहुत कम मात्रा सप्लाई की गई, यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्य को समस्त माँग को पूरा करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान गुजरात सरकार द्वारा की गई पामोलीन की माँग, उन्हें आवंटित की गई तथा उनके द्वारा उठाई गयी मात्रा (मासवार) इस प्रकार है :

(मात्रा दस लाख मी० टनों में)

मास	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
मई, 85	9,500	3,000	3,550
जून, 85	9,500	3,000	3,217
जुलाई, 85	7,000	5,000	2,400
अगस्त, 85	7,000	5,000	4,833
सितम्बर, 85	7,000	5,000	3,167
अक्तूबर, 85	7,000	5,000	10,225*

*इसमें सितम्बर तथा अक्तूबर के आवंटन की पूरी मात्रा का उठाया जाना शामिल है।

(घ) राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाने वाला आयातित खाद्य तेलों का आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का है और यह किसी भी राज्य की पूरी मांग की पूर्ति करने के लिए नहीं है। सरकार खाद्य तेल की असीमित मात्रा का आयात नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे हमारा अपना उत्पादन निरुत्साहित होगा। इसके अलावा, गुजरात प्रमुख तेल उत्पादन राज्यों में से एक है।

भारतीय खाद्य निगम को हुआ नुक्सान

1956. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खरीदे से लेकर वितरण तक चोरी, विलम्ब-शुल्क (डेमरेज) के कारण पृथक-पृथक प्रतिवर्ष कितना नुक्सान हुआ ;

(ख) क्या किसी अध्ययन दल ने इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कतिपय उपाय किए जाने के सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की हुई कुल मार्गस्थ और भण्डारण हानियों तथा चोरी/उठाईगीरी के कारण हुई हानियों के आंकड़े तथा साथ ही डेमरेज सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	कुल मार्गस्थ और भण्डारण हानियां (मात्रा लाख मीटरी टन में)	चोरी/उठाईगीरी के कारण हुई हानियां (मात्रा मीटरी टनों में)	खाद्यान्नों पर रेल डेमरेज (लाख रुपये)
1982-83	7.40	203	600.04
1983-84	6.74	505	885.85
1984-85	5.71	293	757.45

भारतीय खाद्य निगम के लेखों से केवल उठाईगीरी के कारण हुई हानियों के पृथक आंकड़ों के बारे में पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग). कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा जन-शिकायत और पेंशन मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार स्कन्ध ने भारतीय खाद्य निगम की मार्गस्थ और भण्डारण हानियां, जिनमें चोरी/उठाईगीरी तथा डेमरेज आदि के कारण हुई हानियां भी सम्मिलित हैं, के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, डिपुओं में उपयुक्त बाड़ें लगाने, प्रकाश आदि की व्यवस्था करने, पैकिंग के आकार को छोटा करने, तौल की उचित और कारगर सुविधाओं की व्यवस्था करने, आकस्मिक छापों में तीव्रता लाने, रेल हैडों पर सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध करने, खुले वैगनों का उपयोग कम करने तथा वैगनों से उतरान करने के लिए अनुमेय फालतू समय की अवधि को बढ़ाने आदि के बारे में सिफारिश की थी। सरकार द्वारा स्थापित की गयी एक शक्ति-प्राप्त समिति द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा ये सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गयी हैं/कार्यान्वित करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य तेलों के आयात पर व्यय

1957. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का अब तक कितना आयात किया गया है तथा विदेशी मुद्रा में कुल कितना भुगतान किया गया है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इसकी कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ग) विभिन्न वनस्पति निर्माता एककों को इसकी कितनी मात्रा आवंटित की गयी है ;

(घ) इन वनस्पति निर्माताओं को सरकार से नियन्त्रित दरों पर तेल उपलब्ध कराने के बावजूद भी वनस्पति घी के मूल्यों में गिरावट न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वनस्पति के मूल्यों में कमी करने और इन निर्माताओं द्वारा न केवल वनस्पति में की जाने वाली मिलावट को रोकने बल्कि अपने विशेषज्ञों द्वारा वनस्पति की लागत निर्धारित करने के लिए भी क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों की (तेलवार) मात्रा और उनकी कीमत इस प्रकार है :—

तेल	आयातित मात्रा (मी० टनों में)	कीमत (करोड़ रु० में)
सोयाबीन का तेल	4,42,101	376.99
रेपसीड तेल	2,42,722	205.32
निर्विषमीकृत ताड़ का तेल	61,052	50.42

तेल	आयातित मात्रा (मी० टनों में)	कीमत (करोड़ रु० में)
ताड़ का तेल	1,15,013	86.64
पामोलीन	5,07,484	403.76
योग :	13,68,372	11,22.13

(ख) तेल वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आबंटित किये गये आयातित खाद्य तेलों की मात्रा संलग्न विवरण(पृष्ठ 47-49)में दी गयी है।

(ग) तेल वर्ष 1984-85 के दौरान वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों की 7.68 लाख मी० टन मात्रा आवंटित की गयी थी, जिसमें से वनस्पति एककों द्वारा 6.26 लाख मी० टन मात्रा उठायी गयी।

(घ) इस समय लागू स्वैच्छिक मूल्य करार के अन्तर्गत वनस्पति के विभिन्न पैकों के मूल्य, देशीय तेलों के मूल्यों तथा वनस्पति एककों को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के बिर्गम मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नियत किए गए हैं। इस मूल्य करार का पालन किया जा रहा है।

(ङ) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वनस्पति घी के मूल्यों पर नजर रखें और साथ ही मूल्य अनुशासन को भी लागू करें। गुणवत्ता नियन्त्रण आदेशों को लागू करने के लिए वनस्पति निदेशालय के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा हर वर्ष वनस्पति एककों के परिसरों से वनस्पति घी के नमूने लिए जाते हैं। इन नमूनों का निदेशालय से सम्बद्ध प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है और जिन एककों के नमूने वनस्पति तेल उत्पाद (गुणवत्ता मानक) आदेश, 1975 के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वनस्पति को अक्तूबर, 1985 से अनिवार्य आई० एस० आई० प्रमाणन के अन्तर्गत भी लाया गया है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना

1958. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग में कार्यरत बीड़ी श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का लाभ उठाने वाले श्रमिकों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) क्या सभी बीड़ी श्रमिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1985 के उपबन्धों को 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बीड़ी उद्योग पर 31-5-1977 से लागू किया गया था। तत्पश्चात कुछ बीड़ी निर्माताओं ने

विवरण

चालू तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर, 1984-85) के दौरान खाद्य तेलों का आबंटन (माहवार) और उठायी गयी मात्रा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नव० 84	दिस० 84	जन० 85	फर० 85	मार्च 85	अप्रै० 85	मई 85	जून 85	जुला० 85	अग० 85	सित० 85	अक्तू० 85	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अरुणाचल प्रदेश	10100	10500	9500	9500	9500	8500	5500	5500	5500	6900	6900	6900	94800
2.	असम	1000	1000	900	900	900	500	300	400	400	400	500	500	7700
3.	बिहार	1300	2000	2000	2000	2000	1000	650	650	650	650	650	650	14200
4.	गुजरात	8000	7000	5500	5500	5000	4500	3000	3000	5000	5000	5000	5000	61500
5.	हरियाणा	1000	2500	2000	2000	2000	1000	650	650	650	650	650	650	14400
6.	हिमाचल प्रदेश	800	800	1150	1150	1150	900	600	600	600	720	720	720	9910
7.	जम्मू व कश्मीर	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	325	325	325	325	325	7450
8.	कर्नाटक	4000	4000	3500	3500	3000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	35000
9.	केरल	5000	5000	4000	5000	5000	3500	2300	2300	3000	4500	3750	3750	47100
10.	मध्य प्रदेश	4000	4000	3600	3600	3600	2500	1550	1550	1550	1780	1780	1780	31290
11.	महाराष्ट्र	11000	11000	10000	10000	10000	8000	5200	5200	7200	7200	7200	7200	99200
12.	मणिपुर	500	500	500	500	500	400	270	320	320	400	400	400	5005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	मेघालय	700	700	700	700	700	600	400	240	240	275	275	275	5850
14.	नागालैंड	700	700	700	700	700	400	270	160	160	160	160	160	4970
15.	उड़ीसा	3000	2500	2000	2000	1500	1200	700	700	700	700	700	700	16400
16.	पंजाब	2000	2000	2500	2500	2500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	19000
17.	राजस्थान	800	800	1000	1000	1000	800	520	520	520	620	400	400	8380
18.	सिक्किम	350	350	300	300	300	200	140	110	110	110	110	110	2490
19.	तमिलनाडु	8500	7500	6500	6500	6500	5500	3600	3600	3600	4500	4500	4500	65300
20.	त्रिपुरा	350	350	100	100	350	100	60	160	160	160	160	160	2210
21.	उत्तर प्रदेश	4500	4500	4000	4000	3000	2000	1300	1300	1300	1300	900	900	29000
22.	पश्चिम बंगाल	12000	12000	12000	12000	10000	9000	6000	6000	6000	7500	8000	8000	108500
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5	5	5	5	5	—	5	5	15	15	15	15	85
24.	अरुणाचल प्रदेश	30	30	50	50	50	20	10	30	30	30	30	30	390
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	30	50	50	50	50	50	40	40	40	50	50	50	550
26.	दादरा व नगर हवेली	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	375
27.	दिल्ली	3000	3000	3000	3000	2500	2000	1260	1260	1260	1460	1460	1460	24660

28. गोवा, दमन व द्वीप	700	700	500	500	500	450	300	300	300	370	370	420	5420
29. लक्षद्वीप	20	20	20	20	20	20	10	10	10	15	15	15	195
30. मिज़ोरम	200	200	200	200	200	200	200	160	160	190	190	190	2290
31. पांडिचेरी	500	500	300	300	300	300	200	200	200	250	150	250	3550
	85115	85235	77605	78305	74355	58670	38390	38320	43020	49665	48995	49045	721120

बीड़ी उद्योग पर उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और उच्चतम न्यायालय ने, उक्त मामले की सुनवायी पूरी हो जाने तक, बीड़ी उद्योग पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की अधिसूचना को प्रवर्तन करने के लिए स्थगन का आदेश दिया। उच्चतमन्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने बीड़ी उद्योग को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण और उपबन्ध अधिनियम, 1952 के सीमा क्षेत्र में लाने को उचित ठहराया है। इसीलिए अब कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी, तदनुसार बीड़ी निर्माताओं द्वारा उक्त अधिनियम का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को बीड़ी उद्योग पर लागू नहीं किया जा रहा था।

(ग) फिलहाल केवल उन्हीं बीड़ी उत्पादक प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र में लाया गया है जो 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करते हैं और ऐसे प्रतिष्ठानों पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही लागू किया जा चुका है।

[अनुवाद]

शहरों में सफाई कार्यक्रमों में सुधार

1959. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान शहरों में सफाई के कार्य में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष ऐसे कोई कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे और उनका स्वरूप क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). स्वच्छता राज्य का विषय है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करने के कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाये और निष्पादित किये जाते हैं। इसलिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान शहरी स्वच्छता सुविधायें मुहैया करने के लिए राज्यों द्वारा आरम्भ किए गये विशिष्ट कार्यक्रमों के बारे में इस मन्त्रालय के पास तथातथ्य कोई सूचना नहीं है।

इस मन्त्रालय द्वारा प्रशासित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत निम्न लागत की स्वच्छता के लिए 15 लाख रुपये की ऋण राशि परियोजना शहरों को ही दी जाती है। चालू वर्ष के दौरान कम लागत की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित राशि जारी की गयी है :—

कोट्टायम (केरल)	:	6.80 लाख रुपये
बलसाड़ (गुजरात)	:	1.74 लाख रुपये
सीवान (बिहार)	:	7.22 लाख रुपये

कल्याण मन्त्रालय ने सूचित किया है कि 1985-86 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये का एक संयुक्त नियतन किया गया है, जिसमें हस्त सफाई कार्य की समाप्ति की योजना भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कम लागत की स्वच्छता सुविधायें मुहैया करने की 21 योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 9.13 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्थानीय निकायों/राज्य स्तरीय अभिकरणों को स्वीकृत की गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लेवी चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी का खुदरा मूल्य

1960. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी का वर्ष 1982 से 1985 तक (अक्तूबर, 1985 तक) वर्ष-वार प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य क्या था;

(ख) सरकार के प्रशासनिक आदेश के द्वारा वर्ष 1982 से अब तक कितनी बार लेवी चीनी मूल्यों में वृद्धि की गई ; और

(ग) प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार द्वारा 1982 से समय-समय पर लेवी चीनी का निर्धारित किया गया खुदरा मूल्य नीचे दिया जाता है :

	(रुपये प्रति किलोग्राम)
1982	
(1) 30-11-82 तक	3.65
(2) 1-12-82 से	3.75
1983	3.75
1984	
(1) 31-1-84 तक	3.75
(2) 1-2-84 से	4.00
1985	
(1) 31-3-85 तक	4.00
(2) 1-4-85 से	4.40
(2) 1-12-85 से	4.80

2. जहां तक खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्यों का संबंध हैं, जनवरी, 1982 से अक्तूबर 1985 तक की अवधि के दौरान प्रमुख मण्डियों में महीने के अन्त में खुदरा मूल्यों को बताने वाला एक विवरण (पृष्ठ 53-54) संलग्न है।

(ख) और (ग). 1982 से लेवी चीनी के खुदरा मूल्य निम्नानुसार चार बार बढ़ाए गए थे :—

जिस तारीख से मूल्य में वृद्धि लागू की गयी	वृद्धि की मात्रा (रुपए प्रति किंवटल)		
	से	तक	वृद्धि की मात्रा
1-12-1982	3.65	3.75	0.10
1-2-1984	3.75	4.00	0.25
1-4-1985	4.00	4.40	0.40
1-12-1985	4.40	4.80	0.40

दुर्गम क्षेत्रों में खोली गई उचित दर की दुकानें

1961. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष देश के दुर्गम क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी उचित दर की दुकानें खोली गई हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश को मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल खरीदने के लिए राज-सहायता

1962. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल की खरीद हेतु कोई राज सहायता दी गई है;

(ख) क्या देशी नौकाओं की खरीद के लिए भी रियायती दरों पर कोई ऋण दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). देशी नौकाओं की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायती दर पर कोई ऋण नहीं दिया जाता। तथापि, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार मछुआरों द्वारा गैर-यंत्रीकृत यन्त्रों (क्राफ्ट और रस्से आदि) की खरीद के लिए 25 प्रतिशत की राज्य सहायता देती है।

विवरण

जनवरी, 1982 से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान ः ख मण्डियों में मास अन्त को मुक्त बिक्री की चीनी के चल रहे खुदरा मूल्य

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
	1982	(22.1)											
बृहत बम्बई		6.20	6.00	5.60	5.80	5.80	5.60	5.80	5.50	4.60	4.50	4.50	4.20
										(23.9)			
	1983	4.40	4.50	5.00	5.50	5.80	5.60	5.20	5.00	5.00	4.80	4.80	5.20
	1984	5.00	5.00	5.00	5.20	5.80	5.60	5.60	5.60	5.30	5.40	5.40	5.20
	1985	5.40	5-20	5.80	5.80	6.00	7.00	7.80	6.80	6.80	7.00		
मद्रास	1982	5.90	5.50	5.40	5.40	5.70	5.20	5.50	4.60	4.30	4.20	4.20	4.10
					(22.4)								
	1983	4.40	4.50	4.60	4.80	5.10	5.10	4.80	5.00	4.40	4.40	4.80	5.00
	1984	4.60	मू० न०	4.75	4.95	5.90	5.10	5.30	5.20	4.90	5.00	5.30	5.40
	1985	5.40	5.00	5.60	5.60	6.00	6.40	7.60	6.30	6.10	6.10		
												(19.11)	(24.12)
कानपुर	1982	6.00	5.80	5.60	5.20	5.20	5.50	5.50	5.20	4.80	4.50	4.50	4.30
					(22.4)					(16.9)			
	1983	4.40	4.50	4.50	4.60	4.80	4.90	5.10	4.85	4.80	4.80	4.80	4.80
		(20.1)											

	1984	4.75	4.80	4.70	5.20	5.70	5.30	5.00	5.20	5.10	5.25	5.00	5.30
	1985	5.10	5.20	5.40	5.80 (23.4)	6.20 (7.5)	6.70	7.25	6.75	6.50	6.75		
बृहद कलकत्ता	1982	6.20	6.00	5.70	5.50	5.50 (22.4)	5.60	5.60	5.60 (19.80)	5.30	4.60 (14.10)	4.70	4.60
"	1983	4.60	4.60	4.70	5.00	सू० न०	5.50	5.30	5.30	5.20	5.20	5.20 (9.11)	5.40
	1984	5.30	5-30	5.20	5.30	6.00	5.60	5.80	5.60	5.60	5.60	5.80	6.00
	1995	5.60	5.40	5.80	6.30	6.50	7.00	7.50	7.25	7.00	(13-9-85)		
दिल्ली	1982	6.30	6-30	6.20	5.50	5-50	6.00	6.00	5.70	5.00	5.00	5-00	4.60 (23.12)
	1983	4.80	5.00	4.80	5.20	5.50	5.70	5.30	5.20	5.30	5.20	5.00	5.20
	1998	5.25	5.25	5.00	5.25	6.00	5.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.70
	1985	5.70	5.40	5.60	6.20	0.20	7.20	8.00	7.00	7.20	7.00 (6-9-86)		

(सू० न०)—आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए।

बिड़ला टेक्सटाइल (टेक्समेको) दिल्ली द्वारा सेवा निवृत्त मृत कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी न किया जाना

1963. **श्री वांगफा लोवांग :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी मिल/फैक्ट्री के किसी मृत कर्मचारी के भविष्य निधि देयताओं की राशि की उसकी विधवा अथवा आश्रितों को कब तक अदायगी कर दी जानी चाहिए;

(ख) क्या ऐसी कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो भविष्य निधि देयताओं की मन्जूरी देने से पूर्व पूरी की जानी चाहिए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिड़ला टेक्सटाइल्स (टेक्समेको) दिल्ली के 1 जनवरी, 1985 से 30 अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान मृत किन-किन और कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की भविष्य निधि देयताएं, प्रबंधकों ने अभी तक मन्जूर नहीं की है;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार मृतकों की विधवाओं/आश्रितों को जिन्हें अभी तक भविष्य निधि देयताओं की अदायगी नहीं की गई है, राहत देने के लिए मृतकों की देयताओं की अदायगी करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) सामान्यत: मृतक कर्मचारी की भविष्य निधि की बकाया राशियों का निपटान और मृतक की विधवा/उत्तराधिकारी को अदायगी, न्यासी बोर्ड द्वारा दावेदार से दावा प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर किया जाना होता है।

(ख) निधि के सीमा क्षेत्र से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की विधवाओं/उत्तराधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने दावे न्यासी बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ निहित फार्म में प्रस्तुत करें।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त प्रतिष्ठान के उन कर्मचारियों के भविष्य निधि के सभी दावों को प्रवर्त्तनतन्त्र द्वारा निपटाया जा चुका है जिनकी पहली जनवरी, 1985 से 30 अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान मृत्यु हुई और ऐसे किसी दावे के बाकी पड़े रहने के बारे में नहीं बताया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[**हिन्दी**]

पेयजल के लिए राजस्थान को आवंटित धनराशि

1964. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान राज्य को पेयजल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). सातवीं योजना के दौरान, राजस्थान में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राज्य क्षेत्र का परिव्यय 220 करोड़ रुपए है जिसमें से ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का परिव्यय 150 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय सरकार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने हेतु सहायता देती है। चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को 27.32 करोड़ रुपए की धनराशि मुक्त की गई है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जाना

1965. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगारों को कतिपय विकास क्षेत्रों में लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए उक्त क्षेत्रों के विस्तार और उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, जहां संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में मैट्रिकुलेटों/हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण और इंजीनियरी डिप्लोमा—धारियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे, वहां अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए प्रमुखत: उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार तथा सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परम्परागत सेवा क्षेत्रों के अतिरिक्त, योजना कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित करने के लिए जनशक्ति की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तकनीकी शिक्षा के कार्य क्षेत्र का इन क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर पद्धतियां, न्यूक्लियर विज्ञान, उपग्रह संचार, पर्यावरण इंजीनियरी, जीव-इन्जीनियरी और गैर-परम्परागत ऊर्जास्त्रोत विकास तथा प्रौद्योगिकी। जनशक्ति आयोजना का उद्देश्य जनशक्ति और शैक्षणिक आयोजना के साथ आर्थिक आयोजना का उपयुक्त सम्बन्ध सुनिश्चित करना होगा ताकि प्रशिक्षित जनशक्ति के अभाव में किसी भी योजना कार्यक्रम को हानि न पहुंचे।

इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदम हैं—इलैक्ट्रॉनिक्स में उच्च प्रौद्योगियों में प्रशिक्षण प्रदान करने में लगी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत करना, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना, उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, अधिकांश

विद्यमान दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाओं और औद्योगिक स्थापनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।

पश्चिम बंगाल में किसानों को बीजों और उर्वरकों के मिनी किटों का वितरण

1966. **श्री सतीश चन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों के स्तर पर उन्नत किस्म के बीज तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों को बीजों और उर्वरकों के मिनी किटों के वितरण हेतु, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि कोई कमी रही, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी योजनाओं के लिए सातवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) ऐसी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित/प्रस्तावित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983-84 में पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांतिक किसानों को केन्द्रीय प्रायोजित सहायता स्कीम के अधीन छोटे और सीमांतिक किसानों को तिलहनों और दालों के उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिटों के निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम के अधीन लक्ष्य के मुकाबले में वितरित मिनीकिटों की संख्या नीचे दी गई है :—

(मिनीकिटों की संख्या लाख में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	तिलहन	दालें	तिलहन	दालें
1983-84	0.67	0.67	1.70	2.71
1984-85	0.67	0.67	1.52	1.65

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन इस स्कीम के अधीन प्रत्येक खंड में दालों, तिलहनों और मोटे अनाज के मिनीकिटों को वितरित करने का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य 400 है।

(ङ) इस स्कीम के अधीन दालों, तिलहनों और मोटे अनाज के बीजों के मिनीकिट वितरण के लिए 0.50 लाख रुपये प्रति खंड वार्षिक परिव्यय तय किया गया है। इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच बराबर भागीदारी होगी।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सुरंग (टनल) निर्माण योजना

1967. **श्री नारायण चौबे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका की दो भूमिगत सुविधाओं कनाट प्लेस में पार्किंग कम्पलैक्स और पालिका बाज़ार को जोड़ने के लिए सुरंग (टनल) निर्माण योजना का कार्य बीच में रोक दिया गया है और इस योजना को भी त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका को इससे कुल कितनी हानि हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). जी, हां। पालिका बाजार तथा पालिका पार्किंग के मध्य सम्पर्क रास्ता बनाने के प्रस्ताव को नई दिल्ली नगर पालिका के निम्नलिखित कारणों से स्थागित कर दिया है :—

(i) क्षेत्र की प्रमुख मल निर्यास पद्धति को हटाना होगा। पद्धति में किसी भी परिवर्तन से पर्याप्त व्यय होगा और जनता को भी असुविधा होगी।

(ii) इसके कारण मल को वर्ष भर पम्प के जरिए निकालना होगा जिसे व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

(ग) इसके कारण नई दिल्ली नगर पालिका को कोई हानि नहीं होगी।

मूंगफली का उत्पादन

1968. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मूंगफली की उत्पादकता 1975-76 में 935 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी, जो 1982-83 में कम होकर 732 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर और 1983-84 में 953 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालय/कलुसा परियोजनाओं द्वारा उन्नत बीजों के क्षेत्र में भारी सफलता के दावे के बावजूद 1984-85 में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है;

(ख) क्या इजराइल में मूंगफली का उत्पादन 5652 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर तथा मलेशिया में 3400 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर था; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत इन देशों से अथवा कलुसा परियोजना के प्रायोजक अमेरिका/कनाडा से बीज और प्रौद्योगिकी का आयात/उधार ले सकते हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चुनिन्दा वर्षों के दौरान भारत में मूंगफली की उत्पादकता इस प्रकार है :

वर्ष	उत्पादकता (किलो ग्राम/प्रति हैक्टर)
1975-76	935
1982-83	732
1983-84	940
1984-85	870

1982-83 तथा 1984-85 के दौरान उत्पादकता में गिरावट देश के अधिकतर भागों में मौसम की खराब स्थितियों के कारण आयी थी। मूंगफली मुख्यतया एक वर्षा सिंचित फसल है, अतः इसका उत्पादन फसल के मौसम में वर्षा और मौसमी स्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन भारत में मूंगफली की उत्पादकता में लम्बी अवधि (1967-68 से 1984-85) के रुख से 1.16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत वृद्धि दर का संकेत मिलता है।

(ख) वर्ष 1983 में इसाइल और मलेशिया में मूंगफली का प्रति हैक्टार उत्पादन क्रमशः 4314 कि० ग्रा० और 3508 किलोग्राम था।

(ग) देश में गहन अनुसंधान प्रयासों से सूखा सहन करने वाली तथा रोग निरोधी किस्मों के विकास से ठोस परिणाम निकले हैं। इनसे मूंगफली के उत्पादन में स्थिरता आने की संभावना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस समय अमरीका सहकारी संघ (क्लूसा) और कनाडा सहकारी संघ की सहायता से "खाने के तेल और तिलहनों के उत्पादन और विपणन की पुनः संरचना की परियोजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत, उपहारस्वरूप तेल का आयात किया जा रहा है और इस उपहार तेल की बिक्री से मिलने वाले धन से इस देश में उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रदर्शनों फिल्म प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के जरिए किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की "क्लुसा" तिलहन परियोजना

1969. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की क्लुसा तिलहन परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में तिलहनों की उत्पादकता में सुधार लाना है और क्या विकसित तिलहनों आदि के द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में विफल होने के कारण वह अब दिल्ली में मदर डेरी के बूथों से क्रोफेड वनस्पति तेल और अमूल बटर की बिक्री करके विपणन, विज्ञापन और प्रचार की ओर तेजी से बढ़ रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अधिगृहीत जीर्ण-शीर्ण भावनगर वनस्पति तेल फैक्ट्री घाटे में चल रही है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विचार में कोई प्रभावी और तात्कालिक सुधारात्मक उपाय है कि रुग्ण एककों की लम्बी सूची न हो ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परियोजना का नाम "खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन तथा विपणन की पुनर्संरचना करना है न कि क्लूजा तिलहन परियोजना। यह परियोजना अमरीका सहकारी संघ (क्लूजा) और कनाडा सहकारी संघ (सी० यू० सी०) की सहायता से चलाई जा रही है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेती क उन्नत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस उद्देश्य को सहकारी संरचना के जरिए, जिसमें ग्राम स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों और राज्य स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी संघ शामिल हैं, तिलहनों के उत्पादन, अधिप्राप्ति, परिसंस्करण और विपणन को संघटित करके प्राप्त किया जाना है। 7 राज्यों में, जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, तिलहनों उत्पादक

सहकारी संघों का राज्य स्तर सर गठन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में ग्राम स्तर पर तिलहन उत्पादकों की सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ग्राम स्तर की तिलहन उत्पादक समितियों को विस्तार कार्यकर्ताओं के जरिए सहायता दी जाती है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और आदानों की समय पर आपूर्ति का प्रबन्ध करने के लिये प्रदर्शनों, बैठकों आदि का आयोजन करके किसानों को प्रेरित करते हैं ताकि वे अपनी उत्पादकता में सुधार ला सकें। किसानों के तिलहनों के उत्पाद की अधिप्राप्ति प्रोत्साहन मूल्यों पर की जाती है, ताकि उन्हें इन फसलों की खेती में निवेश के लिये प्रेरित किया जा सके।

(ख) जी, नहीं। जैसाकि ऊपर भाग (क) में बताया गया है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सफलतापूर्वक अपनी तिलहन परियोजना का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। इस परियोजना के अन्तर्गत तेल का विपणन भी कार्यक्रम का एक भाग है।

(ग) तेल-परिसंस्करण संयंत्रों को प्राप्त करना एन० डी० डी० बी० की तिलहन परियोजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। कृषि मन्त्रालय ने कभी भी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से भावनगर वनस्पति उत्पाद (बी० बी० पी०) एकक को अपने हाथ में लेने के लिये नहीं कहा। बी० बी० पी० एकक का अन्तरिम प्रबन्ध एन० डी० डी० बी० ने अपने हाथ में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश से लिया था। जिसे अन्ततः राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गुजरात सरकार द्वारा सृजित एक निकाय गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (जी० सी० ओ० जी० एफ०) को सौंपा जाना है। भावनगर वनस्पति उत्पाद एकक को शुरू-शुरू में हानि हुई। तथापि अब यह बताया गया है कि यह कम्पनी लाभ में है।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एककों को लाभ में चलाने के लिए अथोपाय का ध्यान रखता है, जो परियोजना के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में रेक केन्द्र

1970. **श्री सहेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश में कितने रेक केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य के संचार साधनों को ध्यान में रखते हुए यह संख्या पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रासायनिक उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री भोगेन्द्र झकवाना) : (क) से (ग). रेलवे ने उर्वरकों के पूरे भरे अथवा आधे रेल भारों की संभाल करने के लिए मध्य प्रदेश में 41 स्टेशनों को अधिसूचित किया है। मध्य प्रदेश के लिए उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा के संचलन में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है। रेल से संचलन के अतिरिक्त, उर्वरक की कुछ मात्रा निकटस्थ पत्तनों तथा सयंत्रों से सड़क के माध्यम से भी लाई ले जाई जाती है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम नगरों का विकास

1971. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार से छोटे और मध्यम नगरों के विकास हेतु क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को मन्जूरी दे दी गयी है और कितने विचाराधीन हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में रीवा डिविजन के कस्बों और शहरों के लिए ऐसी कोई योजनाएँ हैं; और

(घ) यदि हाँ, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1984-85 के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सोलह कस्बों को स्वीकृत किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौराब होशंगाबाद, खण्डवा, गढरवारा तथा पंचमढ़ी कस्बों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ). छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रीवा कस्बे को 12.40 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है और चाल वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान 20 लाख रुपये की और सहायता दी गई है।

बंजर भूमि सर्वेक्षण

1972. **श्री श्री हरि राव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बंजर भूमि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कृषि योग्य भूमि तथा जिस भूमि पर कृषि हो रही है उसकी तुलना में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). अधिकतर राज्यों में राजस्व एजेंसियों द्वारा किए गए नियमित फसल निरीक्षणों के भाग के रूप में सरकार प्रति वर्ष नौ गुणा वर्गीकरण के अनुसार भूमि उपयोग के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करती रहती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ "कृषि योग्य बेकार भूमि" के तहत क्षेत्र के अनुमानों की व्यवस्था है। 1981-82 के दौरान राज्य-वार कृषि योग्य बेकार भूमि की मात्रा तथा कुल "कृषि योग्य क्षेत्र" और "कृष्ट क्षेत्र" में इसकी प्रतिशतता भी संलग्न विवरण में दी गयी है।

सरकार, बंजर भूमि सर्वेक्षण और सुधार समिति (1959) का गठन करके तथा तीसरी पंचवर्षीय योनजा के दौरान क्रियान्वित 100 है० से कम वाले ब्लाकों में बंजर भूमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए राज्यों में बंजर भूमि का पता लगाने और उसका

सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इन प्रयासों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार 7वीं योजना में जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत क्षेत्र का राज्यवार अनुमान
(1981-82)

राज्य	कृषि योग्य बंजर भूमि (हजार है०)	कृषि योग्य बंजर भूमि की प्रतिशतता	
		कृष्ट क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	889	6.6	5.6
बिहार	446	4.5	3.9
गुजरात	1969	19.4	15.8
हरियाणा	41	1.1	1.1
हिमाचल प्रदेश	241	39.1	26.4
जम्मू और काश्मीर	145	17.7	13.7
कर्नाटक	495	4.3	3·9
केरल	130	5.8	5.3
मध्य प्रदेश	1836	9.3	8.1
महाराष्ट्र	987	5.1	4.7
उड़ीसा	249	3.8	3.3
पंजाब	38	0.9	0.9
राजस्थान	6207	35.4	24.0
तमिलनाडु	335	4.5	4.0
उत्तर प्रदेश	1122	6.1	5.4
पश्चिम बंगाल	374	6.6	6.0
अन्य राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	906	20.4	12.7
अखिल भारत	16410	10.6	8.9

टिप्पणी : (1) कृष्य क्षेत्र का अर्थ है कुल बोया गया क्षेत्र तथा इस समय परती पड़ा क्षेत्र।

(2) कृषि योग्य क्षेत्र में कृष्ट क्षेत्र, इस समय परती पड़े क्षेत्र के अलावा परती क्षेत्र, विविध वृक्ष मूलक फसलें और उद्यान के तहत भूमि तथा कृषि योग्य बेकार भूमि शामिल है।

[हिन्दी]

समाज कल्याण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण

1973. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण को कार्यक्रम दूरदर्शन पर उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम में संसद सदस्यों के विचार शामिल करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). जी, नहीं। प्रश्न के भाग (क) में धारणा सही नहीं है। परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर पर्याप्त स्थान मिल रहा है। इन कार्यक्रम को सभी दूरदर्शन केन्द्रों मे विभिन्न फार्मेटों में नियमित आधार पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा आयोजित अभियानों को दूरदर्शन भी कवरेजों तथा अन्य टेलीकास्टों के माध्यम से पूरा समर्थन देता है। यह उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 20.3.1985 से 31-5-1985 तक आयोजित गहन परिवार नियोजन अभियान का व्यापक प्रचार किया। इसके अलावा, दूरदर्शन ने 7-10-1985 से 7-11-1985 तक मनाए गए "परिवार नियोजन मास" के दौरान परिवार नियोजन पर बड़ी संख्या में कार्यक्रमों को टेलीकास्ट किया है।

दूरदर्शन केन्द्रों से समय-समय पर टेलीकास्ट किए जाने वाले बहुत से कार्यक्रमों में संसद सदस्यों को मार्च-मई, 1985 के दौरान गहन अभियान कार्यक्रमों में भी सहयोजित किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विजय मण्डल एनक्लेव में फ्लैटों (स्व-वित्त पोषित योजना-तीन) का कब्जा दिया जाना

1974. **श्री सरफराज अहमद** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विजय मण्डल एन्क्लेव द्वारा इन्क्लेव में फ्लैटों (स्व-वित्त पोषित योजना) का दिए जाने के बारे में 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आवंटितियों को जिन्होंने फ्लैटों की पूरी धनराशि जमा कर दी है परन्तु उन्हें फ्लैटों का अभी तक कब्जा नहीं मिला है, ब्याज दिया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने जुलाई, 1985 तक कब्जा देने का आश्वासन दिया था, यदि हाँ, तो क्या उन फ्लैटों का कब्जा दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आवंटितियों को किस निश्चित तारीख तक कब्जा दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटन की तारीख से 24 महीनों में फ्लैट की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत की मांग की थी। वास्तविक लागत प्रदर्शित करने वाला पाँचवां तथा अन्तिम मांग पत्र फ्लैटों के कब्जे के लिए पूर्ण हो

जाने के बाद ही जारी किया जाएगा। आवंटियों को आवंटन की तारीख से 20 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पंजीकरण जमा पर 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज अनुमेय है तथा आवंटियों द्वारा कमाए गए ब्याज को विशिष्ट ड्रा के बाद फ्लैटों के कब्जे के समय अदा की जाने वाली अन्तिम किस्त में समायोजिकर दिया जाता है। 36 माह से अधिक अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटियों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी करेगा।

(ख) और (ग). कब्जा जुलाई, 1985 तक दिया जाना था जो कि आवास परियोजना को पूर्ण करने की असमर्थता के कारण नहीं दिया जा सका। योजना प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 224 में से 196 फ्लैटों के आवंटन के लिए विशिष्ट ड्रा 15-12-85 को निकाले जाने की संभावना है। 5 वें तथा अन्तिम मांग एवं आवंटन पत्र के जनवरी, 86 के प्रथम सप्ताह तक जारी हो जाने की आशा है। ज्यों ही पृथक-पृथक आवंटी अन्य आवश्यक कानूनी कागजातों सहित मांगे गए धन को जमा कर दिए जाने का सबूत प्रस्तुत कर देंगे, इस अनुरोध के साथ कि फ्लैट का प्रत्यक्ष कब्जा लेने के लिए स्थल कार्यालय से सम्पर्क करें उन्हें कब्जा पत्र जारी कर दिए जाएंगे। सफेदी, रंग रोगन, सफाई, फिटिंग्स, खिड़कियों आदि में शीशे तथा हैण्डिल लगाने जैसे कार्यों की कुछ मदों को आवंटियों के सन्तोष के अनुरूप अन्तिम फिनिशिंग सुनिश्चित करने तथा ऐसी मदों के टूट जाने तथा गुम होने से बचाने के लिए आवंटियों द्वारा कब्जा पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक हड़ताल

1975. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मांगों की ओर समुचित ध्यान दिया है जिनके सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में 12 सितम्बर, 1985 को औद्योगिक हड़ताल की गई थी;

(ख) उनकी मांगे क्या थीं; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की ट्रेड-यूनियनों के उस मांग-पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसके लिए 12 सितम्बर, 1985 को बन्द का आह्वाहन किया गया था। इन मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कामबन्दी/तालाबन्दी वाले कारखानों को पुन: प्रारम्भ करने, जूट और कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने, जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा लाभप्रद कीमतों पर कच्चे जूट की खरीद, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण/अधिग्रहण के लिए निर्धारित शर्तों को वापिस लेने, रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू करने हेतु ठोस नीति बनाने, माल-भाड़ा समरूप नीति को हटाने, सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित परिव्यय में बढ़ोतरी करने से सम्बन्धित आदि मांगे शामिल हैं।

(ग) श्रम मन्त्री ने 17 और 18 सितम्बर, 1985 को ट्रेड-यूनियन नेताओं के साथ बैठक बुलाई जिसमें पश्चिम बंगाल की औद्योगिक गतिहीनता से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 11 अक्तूबर, 1985 को हुई अन्तर मन्त्रासायिक बैठक में पश्चिम बंगाल की औद्योगिक समस्याओं पर फिर विचार-विमर्श किया गया जिसमें वित्त, उद्योग और रेल मन्त्रालयों के प्रतिनिधि थे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल में जूट, कपास और इन्जीनीयरिंग

उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं पर विशेष रूप से विचार किया गया। ये मामले सम्बन्धित मन्त्रालयों के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

1985-86 के लिए कपास का समर्थन मूल्य

1976. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए कपास का समर्थन मूल्य कब घोषित करने का विचार है;

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में किसानों की मांग क्या है और उनके द्वारा हाल ही में इस मूल्य में कितनी वृद्धि किए जाने की माँग की गई है; और

(घ) क्या नई कपड़ा नीति के परिणामस्वरूप कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). वर्ष 1985-86 के लिए कपास की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर दिए गए हैं।

(ग) सरकार को कुछ किसान संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की माँग की गई है। कपास की विभिन्न किस्मों के लिए इस मूल्य को 115 से बढ़ाकर 665 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है।

(घ) यह सुनिश्चित करना सरकार की घोषित नीति है कि कपास के मूल्य निर्धारित समर्थन स्तरों से नीचे न गिरें। सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों में न केवल पर्याप्त उत्पादन लागत शामिल है बल्कि कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन के रूप में अधिक मार्जिन भी शामिल है। नयी कपड़ा नीति कपास के लिए सरकार की मूल्य नीति में किसी परिवर्तन को नहीं दर्शाती। अतः कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित किया जाएगा।

[अनुवाद]

राज्यों में खेती व्यवस्था को नया रूप देना

1977. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में खेती व्यवस्था को नया रूप देने के लिए कहा है और यदि हां, तो क्या कोई नमूना तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय राज्यों में खेती की व्यवस्था को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने "विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति" को नमूने के रूप में लेकर फार्म विस्तार व्यवस्था को नया रूप देने के उपाय किये हैं।

(ख) विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति मासिक कार्यशालाओं के जरिए अनुसंधान वैज्ञानिकों से विषय विशेषज्ञों को पखवाड़ा प्रशिक्षण सत्र के जरिए विषय विशेषज्ञों से सहायक विस्तार

अधिकारियों, ग्राम सेवकों और दौरों के नियमित और निर्धारित पखवाड़ा कार्यक्रम के जरिए उनसे किसानों को योजनाबद्ध तरीके से जानकारी देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के अवसर उपलब्ध करती है। इसे प्रभावी और कारगर बनाने के लिए पद्धति में निम्न व्यवस्था है : (1) कृषि निदेशक से ग्राम सेवकों तक एकल प्रशासन; (2) क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अनन्य विस्तार कार्य; (3) मासिक कार्यशालों की यान्त्रिकी के जरिए प्रभावी अनुसंधान विस्तार सम्पर्क; और (4) राज्यों में क्रमबद्ध प्रबोधन और मूल्यांकन के जरिए पद्धति के प्रभाव के मूल्यांकन को स्वत: विद्यमान पद्धति। इस नीति के आधार पर प्रशिक्षण और दौरा पद्धति के अन्तर्गत पुनर्गठित कृषि विस्तार परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है और इस समय ये परियोजनाएं 14 प्रमुख राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, में चल रही हैं।

राज्यों द्वारा सहकारी कानूनों में संशोधन

1978. **श्री जी० एस० वसवराजू :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने सहकारी कानूनों में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने और अपने सरकारी प्रशासन को अधिक उत्तरदायी तथा विकासोन्मुख बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है अथवा देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). सहकारी समितियां "राज्य का विषय है और इस बारे में विधायन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित है। प्रत्येक राज्य ने तदनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने स्वयं के सहकारिता कानून बनाए हैं। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को सहकारिता कानून पर मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाए हैं। इनमें निम्नलिखित से सम्बन्धित उपबन्धों को हटाना भी शामिल है :—

(1) समितियों की उपविधियों का अनिवार्य संशोधन;

(2) समितियों का अनिवार्य विभाजन;

(3) संकल्पों पर प्रबन्ध समिति में सरकारी प्रतिनिधि द्वारा वीटो करने की शक्ति।

(4) संकल्पों को रद्द या निरस्त करने के लिए पंजीकार की शक्ति।

यह भी सुझाव दिया गया कि सहकारी समितियों के प्रबन्ध मंडलों में राज्य सरकारों द्वारा

केवल अनुभव प्राप्त और पृष्ठ भूमि के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों को नमित किया जाए।

(ग) से (ङ). राज्य सरकारों को उनके सहकारी समितियों के कानूनों में "कष्टदायकों" को हटाने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । फिर भी, सहकारी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए और सहकारिता प्रशिक्षण तथा शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध है जो सहकारिता प्रशासन को विकासोन्मुखी बनाने के लिए महत्वपूर्ण आदान है।

बंगलौर शहर में ऊपरि पुलों के लिए विश्व बैंक सहायता

1979. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर में तीन ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब किया गया था ; और

(ग) बंगलौर शहर में ऊपरिपुलों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग). बंगलौर में ऊपरि पुलों के निर्माणार्थ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरकों के निर्माण हेतु संयंत्र फिर से चालू करना

1980. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरकों का निर्माण करने वाले संयंत्र को फिर से चालू करने का प्रश्न उड़ीसा में तालचर और आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम स्थित अन्य दो कोयले पर आधारित उर्वरक उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन की स्थिरता से जुड़ी है और उन पर निर्भर है ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 13 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनें बेकार पड़ा है तथा उन पर धूल जम रही है, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और भवन पर व्यय भी किया गया है और किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के संयंत्रों में उत्पादन कब स्थिर होने की आशा है;

(घ) सरकार का इस परियोजना में इतनी भारी पूंजी को अवरुद्ध करने के प्रति दृष्टिकोण है; और

(ङ) क्या इस चूक के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (घ). यद्यपि पहले से ही खरीदे गये कुछ उपकरण तथा निर्मित भवन इस समय बेकार पड़े हैं, तथापि कुछ उपकरण अन्य दो कोयले पर आधारित संसद में प्रयुक्त किए गये हैं। इस

स्थिति में कोरबा में कोयले पर आधारित एक अन्य संयंत्र स्थापित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

(ग) रामागुन्डम एवं तालचर में स्थित वर्तमान कोयला आधारित संयंत्रों को पुनर्वासित करने के विभिन्न अल्पावधि उपचारी उपाय या तो पहले से ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं अथवा शीघ्र किये जायेंगे। कमियों को दूर करने के लिए दीर्घावधि उपाय भी एक तकनीकी द्वारा निर्धारित किये गए हैं। अब विदेशी सलाहकारी द्वारा पूर्ण सर्वेक्षण चालू है। विदेशी सलाहकारी की सिफारिशों के आधार पर, अन्तिम कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया जायेगा तथा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) ऊपर भाग (ख) एवं (ग) में दर्शाए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सेल की स्थापना

1981. **श्री शरद दिघे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु एक सेल की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने तथा उनका पुनरीक्षण करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गयी है। इसके अतिरिक्त, केवल गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं से निपटने के लिए उर्वरक विभाग में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है।

उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

1982. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उर्वरक संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) आँवला और हजीरा संयन्त्रों, जो सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, को कब तक चालू किया जायेगा ; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं में कोई विलम्ब हो रहा है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पुराने संयन्त्रों और अन्तर्निहित डिजाईन कमियों और उपकरण समस्याओं के कारण हानि उठा रहे संयंत्रों के अलावा, अन्य नाइट्रोजन युक्त और फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र क्षमता उपयोगिता के इष्टतम स्तर पर चल रहे हैं।

(ख) क्षमता उपयोगिता के इष्टतम आदर्शी स्तर पर न चल रहे संयन्त्रों के सम्बन्ध में नीवीकरण/कठिनाइयों को दूर करना/अधुनिकीकरण, रक्षित पावर सुविधाओं की स्थापना, ताकि उन्हें पावर समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए, आदि जैसे उपाय किए गए हैं अथवा योजना बनाई जा रही है ताकि उनकी क्षमता उपयोगिता में सुधार किया जा सके।

(ग) और (घ). आंवला परियोनाज पर कार्य सन्तोषप्रद रूप से चल रहा है और परियोजना द्वारा निर्धारित समय-सूची के अनुसार अप्रैल, 1988 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिए जाने

की आशा है। हजिरा उर्वरक परियोजना ने परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। तथापि, मुख्यत: गैस की आपूर्ति में विलम्ब के कारण हाजिरा परियोजना की प्रारम्भ समय-सूची में कुछ ढील हुई है।

चीनी उद्योग के श्रमिकों को अन्तरिम राहत

1983. **श्री चित्त महाता** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी उद्योग के श्रमिकों को अन्तरिम राहत देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड का गठन किया है जो उद्योग में वर्तमान मजूरी ढ़ांचे में और संशोधन करने के लिए विचार करेगा। चीनी उद्योग में लगे कर्मकारों की विभिन्न एसोसिएशनों/यूनियनों से अन्तरिम सहायता देने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों को इस मजूरी बोर्ड के पास विचारार्थ भेज दिया गया है।

जिला कुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश) में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र

1981. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में प्रोद्दत्तूर में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र आरम्भ करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : प्रोद्दत्तूर में दूरदर्शन रिले केन्द्र निर्धारित समय के अनुसार, मार्च, 1986 तक चालू हो जाने की आशा है। इस केन्द्र को चालू करने में कोई देरी नहीं हुई है।

केरल में विझिंगम पत्तनम में शुष्क गोदी का निर्माण

1985. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विझिंगम पत्तन में एक शुष्क गोदी के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना का सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1983 में 478.30 लाख रुपए की लागत का अनुमान था। मुख्य घटक हैं, शुष्क गोदी का निर्माण, गोदी द्वारा, बिजली के उपकरणों, जल सप्लाई, मोबाइल-क्रेन और कार्यशाला की व्यवस्था।

(ग) मत्स्यन जलयानों के इस्तेमाल के लिए पहले प्रस्ताव की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाना जरूरी है। इसमें विझिंगम में एक शुष्क गोदी के निर्माण की जरूरत भी शामिल है।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में जल आपूर्ति योजना

1986. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विशेष रूप से कावरत्ती में जल आपूर्ति योजना रुकी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस योजना को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) संरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लोगों की लम्बे समय से पड़ी लम्बित मांग को पूरा करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). कावरत्ती-जल आपूर्ति परियोजना के प्रथम चरण का निष्पादन हेतु अनुमोदन हो चुका है तथा इस समय परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लोगों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान और केरल लोक स्वास्थ्य इन्जिनियरिंग विभाग जैसे संगठनों ने अध्ययन किए हैं। इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर द्वीपसमूह में पेय जल उपलब्ध कराने की योजनायें आरम्भ की जा रही हैं।

दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में बड़े हस्पतालों में पानी की कमी

1987. **श्री बौलत सिंह जी जदेजा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सभी बड़े हस्पतालों में लगातार पानी की कमी के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल को, जहां पर पानी की बहुत अधिक कमी है, पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में अस्पतालों को जल पूर्ति गर्मियों के मौसम के दौरान कुछ अवसरों को छोड़कर आमतौर पर सामान्य है। उस परिस्थिति में इन सभी अस्पतालों में जलपूर्ति टैंकरों के माध्यम से बनाए रखी जाती है।

विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की जल पूर्ति को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अस्पताल के परिसर के बाहर विद्यमान नलकूपों का विकास करके बढ़ाया जा रहा है इसके अलावा अस्पताल के परिसर के भीतर दो नलकूपों को आरम्भ किया जा रहा है।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम का कार्यान्वयन

1988. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय सहकारी बैंकों ने, जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं

हैं, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के कार्यान्वयन में उन्हें हो रही विभिन्न कठिनाईयों के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके काम में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख). सात नगरीय सहकारी बैंकों ने अपने 22 दिसम्बर, 1984 के ज्ञापन के जरिए उन कठिनाईयों का उल्लेख किया है जिन्हें यदि बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को वर्तमान रूप में क्रियान्वित किया जाता है तो उन्हें उनका सामना करना होगा। यह अधिनियम 16-9-1985 से लागू हुआ है। अधिनियम के तहत के नियमों को भी 16-9-85 तथा 28-10-85 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में बैंकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

पीतमपुरा में उचित जल-मल निकासी प्रणाली

1989. **श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूषित पर्यावरण की उस भयंकर दशा का पता है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी में उचित जल-मल निकासी प्रणाली के अभाव में पीतमपुरा के निवासी मजबूरी से रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पीतमपुरा में मलनिर्यास तथा स्वच्छता की समस्याओं की सरकार को जानकारी है।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित की जा रही 2400 मिलीमीटर व्यास को गुहाना ट्रंक सीवर लाइन तथा पम्पिंग स्टेशन तथा शोधन संयंत्र जैसे अन्य सहयोगी कार्यों के 1988 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। प्रीतमपुरा तथा समपीस्थ क्षेत्रों के मलनिर्यास का स्थायी हल दिल्ली नगर निगम द्वारा इस ट्रंक सीवर लाइन के पूर्ण करने पर निर्भर करता है। अन्तरिम उपाय के रूप में पीतमपुरा में मल का निर्यास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आक्सीकरण तालाबों के माध्यम से किया जा रहा है।

बंगलादेश दूरदर्शन कार्यक्रमों द्वारा भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रमों में बाधाएं

1990. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगलादेश के दूरदर्शन कार्यक्रमों द्वारा बाधाएं उत्पन्न किए जाने के कारण कूचबिहार और जलपाइगुडी दक्षिणी भाग में भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). चैनल 6 पर प्रचालित बंगलादेश के एक टी० वी० ट्रांसमीटर से होने वाले हस्तक्षेप से बचने के लिए फुर्सियांग के 1 किलोवाट वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर का प्रचालन 1985 के प्रारम्भ चैनल 6 से चैनल 8 पर कर दिया गया था। वर्ष 1985-86 के दौरान इस ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर इसके सेवा क्षेत्र में इसके संग्रहण में और सुधार होगा।

दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से यौन शिक्षा

1991. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैक्स के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तियों का निराकरण करने के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से यौन शिक्षा प्रदान करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिन के दौरान दूरदर्शन ट्रांसमीशन

1992. श्री शान्ताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन के समय भी दूरदर्शन प्रसारण प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारण कितने घन्टे तक चलेगा; और

(ग) क्या उस प्रसारण में समाचार बुलेटिन भी सम्मिलित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). दिन के दौरान नियमित दूरदर्शन प्रेषण शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन ने 16-11-85 से मुख्यतया महिलाओं, बच्चों तथा युवकों के लिए संजाल पर शनिवार को 2 घन्टे की अवधि के लिए दोपहर प्रेषण आरम्भ किया है।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान गन्ने के उत्पादन में वृद्धि

1993. श्री छीतूभाई गामित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए देश में इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु सातवीं योजना में कोई योजना शामिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार गन्ना विकास को योजना 1979-80 के दौरान राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई है। लेकिन, मीठा कारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गन्ने के उत्पादन लक्ष्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1800 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2170 लाख मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। उत्पादन के उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित नीति अपनाने का प्रस्ताव है :—

(1) अच्छी क्वालिटी के गन्ने के बीजों का उत्पादन और वितरण।

(2) और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना।

(3) उर्वरकों का बेहतर प्रबन्ध।

(4) पेड़ी फसल का प्रभावी प्रबन्ध।

(5) गहन पौध संरक्षण उपाय अपनाना।

(6) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और

(7) कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

प्रत्येक राज्य के लिए पृथक टी० वी० चैनल सुविधा

1994. **श्री जी० भूपति** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के लिए पृथक टी० वी० चैनल की सुविधा स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों के लिए कब तक पृथक टी० वी० चैनल की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन की सातवीं योजना में प्रत्येक बड़े राज्य के लिए सम्बन्धित प्रादेशिक भाषा में मुख्य सेवा की व्यवस्था है जो सम्बन्धित राज्य की राजधानी से मूल रूप से प्रस्तुत होगी तथा राज्य के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले की जायेगी। इसका कार्यान्वयन उन वर्ष वार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं पर निर्भर करेगा, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं।

रोजगार के अवसर जुटाने सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए गए श्रम दिवस

1995. **श्री अनिल बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसर पैदा कराने सम्बन्धी विभिन्न केन्द्रीय रोजगार कार्यक्रमों के जरिए देश के विभिन्न भागों में गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम/परियोजना-वार कितने श्रम दिवस बनाए गए हैं; और

(ख) गरीबी रोकने सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम रोजगार सृजन के मुख्य केन्द्रीय कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान रोजगार सृजन की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विस्तार करने की दृष्टि से, चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्तमान आवंटन के अतिरिक्त एक मिलियन मीटरीटन गेहूँ का अतिरिक्त खाद्यान्न के रूप में आवंटन किया गया है। वर्ष 1986-87 के लिए नकद निधियों के अलावा 2 मिलियन मीटरीटन खाद्यान्नों का आवंटन करने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1985-86 (अप्रैल, 85 से सितम्बर, 85 तक) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र वार स्थिति।

लाख-श्रम दिवसों में आंकड़े

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्त
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.37×	56.90
2.	असम	15.71	15.43
3.	बिहार	124.98	68.36
4.	गुजरात	34.94	48.94
5.	हरियाणा	2.03×	4.87
6.	हिमाचल प्रदेश	4.48	6.46
7.	जम्मू और कश्मीर	1.68×	0.44=
8.	कर्नाटक	87.60	47.17
9.	केरल	45.99	21.28
10.	मध्य प्रदेश	84.02	66.86
11.	महाराष्ट्र	43.57	119.1
12.	मणिपुर	0.53	0.07

1	2	3	4
13.	मेघालय	2.13	0.8
14.	नागालैंड	1.41	1.25
15.	उड़ीसा	56.26	52.63
16.	पंजाब	5.79	11.08
17.	राजस्थान	61.94	33.26
18.	सिक्किम	1.02	0.52
19.	तमिलनाडु	103.16	79.68
20.	त्रिपुरा	1.78	1.52
21.	उत्तर प्रदेश	148.37	131.16
22.	पश्चिम बंगाल	49.89	56.18
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.85	0.21
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.83	0.03
25.	चंडीगढ़	0.18	0.02
26.	दादरा और नगर हवेली	0.94	शून्य
27.	दिल्ली	0.13	0.17
28.	गोवा, दमन और दीव	2.86	1.21
29.	लक्ष्यद्वीप	0.72	0.36
30.	मिजोरम	0.55	0.68
31.	पांडिचेरी	1.10 ×	0.32
	योग :	964.81	826.89

× अगस्त, 1985 तक के आंकड़े = जून, 85 तक के आंकड़े

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्यपालन

1996. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में मत्स्यपालन की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि मत्स्यपालन की गतिविधियों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में एक मत्स्यपालन कालेज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में झींगा मछली पालन का विकास

1997. **श्री वी० एस० विजयन राघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने झींगा मछली पालन के विकास के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक की सहायता माँगी जा रही है; और

(घ) क्या इस परियोजन को मंजूरी दे दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ।

(ख) केरल सरकार के परियोजना प्रस्ताव में 134.72 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित व्यय से करीब 15000 हैक्टार खारे जल क्षेत्र के विकास की व्यवस्था है।

(ग) परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) विश्व बैंक ने अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए राशि आवंटन

1998. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन नेटवर्क के विकास और विस्तार के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन को इसके विकास तथा विस्तार के लिए 700.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का आबंटन किया गया है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कोटा, बाड़मेर तथा जैसलमेर में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन उन वर्षवार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं पर निर्भर करेगा, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं। वित्तीय संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सातवीं योजना के दौरान जोधपुर, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन

1999. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए नई पैकेज

आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त क्या पैकेज कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ख) इन पैकेज कार्यक्रमों के फल-स्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) को जारी रखने तथा इनका विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, जहां एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० द्वारा 24580 लाख श्रम-दिवसों के अतिरिक्त रोजगार के सृजित होने की आशा है, वहां आई० आर० डी० पी० से लगभग 200 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्व: रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी योजना का वर्ष 1985-86 के दौरान भी विस्तार किया गया है और उक्त वर्ष के दौरान, इससे 2.5 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचेगा।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन टावरों की स्थापना

2000. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर सातवीं योजना में दूरदर्शन टावरों की स्थापना की जायेगी और स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक दूरदर्शन टावर की क्षमता कितनी होगी; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत आबादी को दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष वार चरणबद्धताओं और अग्रताओं के अधीन 7वीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है :—

उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर (10 किलो वाट)	अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर (100 वाट)	अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर (2 × 20 वाट)
बरेली	हरिद्वार	रानीखेत
	बांदा	उत्तरकाशी
	बलिया	अल्मोड़ा
	लखीमपुर	हल्द्वानी
	उरई	गोपेश्वर

ललितपुर	गंगोत्री
पूरनपुर	कौसॉनी
टनकपुर	

(ख) उम्मीद है कि सातवीं योजना के अन्त में उत्तर प्रदेश की लगभग 88 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

[अनुवाद]

विदर्भ (महाराष्ट्र) में चीनी कारखाने खोलने के लिये आवेदन पत्र

2001. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ (महाराष्ट्र) में चीनी कारखाने खोलने के लिए अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया है; और

(ख) क्या सभी एककों को नियमानुसार पिछड़े क्षेत्रों को पर्याप्त लाभ दिए जायेंगे और यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से नई चीनी फैक्टरियां स्थापित करने के लिए विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) से केंद्रीय सरकार के विचारार्थ 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 मामलों में आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(ख) जी, हां। सभी यूनिटों को नियमानुसार वही लाभ दिए जायेंगे जो पिछड़े क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को परियोजना-लागत की 25 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत तक शेयर पूंजी दी जाएगी।

गुजरात को चीनी का आवंटन

2002. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खुले बाजार में चीनी 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का विचार था;

(ख) क्या सरकार का बाजार में प्रचुर मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने की दृष्टि से सितम्बर, 1985 से पूर्व लगभग 10 लाख टन चीनी आयात करने का भी विचार था;

(ग) खुले बाजार में नियन्त्रित माध्यम से वितरण हेतु गुजरात राज्य की चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में कितनी चीनी नीलाम की गई है; और

(ङ) क्या खुले बाजार में चीनी का मूल्य वास्तव में 6 रुपये प्रति किलो से कम हो गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अगस्त, 1985 से मुक्त बिक्री वितरण के प्रयोजनार्थ

आयातित चीनी की बिक्री उपभोक्ताओं को नियन्त्रित माध्यमों से खुले बाजार में ऐसी दर पर करें जो 5.80 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक न हो। मुक्त बिक्री के लिए निर्मुक्त की गई स्वदेशी चीनी के मामले में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) गुजरात सरकार को जून, 1985 से नवम्बर, 1985 तक नियन्त्रित माध्यमों से मुक्त बिक्री की चीनी के रूप में वितरित करने के लिए कुल 55417 मीटरी टन आयातित चीनी आबंटित की गई है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने पहली जून, 1985 से नवम्बर, 1985 के दौरान नीलामी/टेंडरों के जरिए खुले बाजार में 3.85 लाख मीटरी टन आयातित चीनी नीलाम की है।

(ङ) स्वदेशी चीनी, जिसके खुले बाजार के मूल्य 31 जुलाई, 1985 को 685 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे, गिरकर 18 नवम्बर, 1985 को 600 रुपये से 670 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में आ गए थे। राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रित माध्यमों से वितरित की गई मुक्त बिक्री की आयातित चीनी 5.80 रुपये प्रति किलो से भी कम मूल्य पर बेची जा रही है।

"वाटर फाउन्ड इनस पेस्टीसाइड बोटल्स" शीर्षक का समाचार

2003. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वाटर फाउंड इन पेस्टीसाइड बोटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कीटनाशक दवाओं में मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पाइरिला पर हवाई छिड़काव के लिए केवल इण्डोसल्फान 35 प्रतिशत ई० सी० इस्तेमाल किया गया था। इसको सारी मात्रा मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई थी। सप्लाई किए गए सभी दस बैचों से नमूने निकाले गए थे और केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया गया था। ये सन्तोषजनक पाये गए थे।

(ख) कीटनाशी दवाइयों पर गुण नियन्त्रण लागू करने के लिए, राज्य सरकारों के पास नमूना निकालने और गलत मार्का लगाये जाने के मामले में कार्यवाही करने की समुचित शक्तियां हैं। वास्तव में अभी हाल ही में चलाये गये पाइरिला विरोधी प्रचालनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने मई-जुलाई 1985 के दौरान छापे मारकर कीटनाशी दवाइयों के नमूने एकत्र किए थे। इनमें से कुछ अपनी रासायनिक मात्रा के मुताबिक घटिया पाये गए थे। राज्य सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शुरू की गई है इसमें तीन फर्मों को काली-सूची में भी शामिल किया गया है।

गुजरात में दुग्ध उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

2004. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुजरात में सूखे से राज्य के दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का कार्यक्रम-वार क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). गुजरात सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम क्वार्टरों के लिए स्थापित अधिकार हेतु आवेदन पत्र

205. श्री मुकुल वासनिक : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम) को वर्ष 1984 में आबंटियों/अधिवासियों से जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम क्वार्टरों में किराये पर रह रहे हैं, स्वामित्व अधिकारी प्रदान करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम) द्वारा आवेदनों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) स्वामीत्व अधिकार के लिए विभिन्न मंजिलों के लिए आबंटियों/अधिवासियों को कितनी धनराशि देनी होगी; और

(घ) आबंटियों/अधिवासियों को स्वामित्व अधिकार कब तक दे दिए जाएंगे ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 11,036.

(ख) आवेदन पत्रों में दिए गए ब्यौरों के सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह पूरा होने वाला है। 30 मामलों में आवेदकों को लीज होल्ड अधिकार पहले ही दे दिए गए हैं।

(ग) समापन लागत कालोनी से कालोनी में भिन्न होती है न कि मंजिल से मंजिल में।

(घ) आवेदकों को मालिकाना अधिकारी तभी दिए जायेंगे जब फ्लैटों की लाइसेंस फीस तथा समापन लागत के बकायों का भुगतान कर दिया जायेगा।

विकास कार्यक्रम के लिए गांवों का चयन

2006. श्री राम स्वरूप राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आदर्श गांव के रूप सर्वतोन्मुखी तथा गहन विकास के लिए कुछ गांवों का चयन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार में ऐसे कितने गांवों का चयन किया गया है; और

(ग) उपरोक्त गावों के लिए कितना पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्या समय अवधि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). कृषि

मन्त्रालय में सर्वांगीण और गहन विकास हेतु आदर्श गावों का चयन करने के लिए कोई केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० आर० सी० ए०) योजना का कार्यान्वयन

2007. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विकास योजना सितम्बर, 1982 में आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर आरम्भ किया गया था; और इस समय प्रत्येक राज्य में कितने जिलों में यह योजना चल रही है और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) उससे कितने बच्चे और महिलायें लाभान्वित हुई हैं; और

(घ) क्या इस योजना को अन्य जिलों में भी आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी हां। जिलों की एक सूची संलग्न है। भारत सरकार ने अक्तूबर, 1985 तक 5.14 करोड़ रु० मुक्त किए हैं।

(ग) 94,923 महिलायें लाभान्वित हुई हैं। बच्चों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) चालू वर्ष से इस योजना का विस्तार प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र के एक जिले में किया गया है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के लिए अनुमोदित जिलों की सूची

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के लिए अनुमोदित जिलों का नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. आदिलाबाद
	2. श्रीकाकूलम
	3. कुडप्पा

1	2
2. असम	1. कर्बी अंगलोंग
	2. धुबरी
3. बिहार	1. हजारीबाग
	2. मधुबनी
	3. गोपालगंज
	4. समस्तीपुर
4. हरियाणा	1. महेन्द्रगढ़
	2. सिरसा
5. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
6. कर्नाटक	1. बीजापुर
	2. चिकमगलूर
7. केरल	1. वायनाड
	2. पालघाट
8. मध्य प्रदेश	1. शहडौल
	2. छिंदवाड़ा
	3. गुना
	4. रायपुर
9. महाराष्ट्र	1. ओसमानाबाद
	2. भांडरा
10. मणिपुर	केन्द्रीय जिला (इम्फाल, थोबल, बिशनपुर)
11. मेघालय	1. पश्चिमी खासी हिल्स
	2. पूर्वी गारो हिल्स
12. उड़ीसा	1. कालाहांडी
	2. बोलनगीर
	3. धेनकनाल
	4. सम्बलपुर
13. पंजाब	1. गुरदासपुर
	2. भटिंडा

1	2
14. राजस्थान	1. बाँसवाड़ा
	2. पाली
	3. भीलवाड़ा
	4. अलवर
15. सिक्किम	1. पश्चिमी जिला
16. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी
	2. पेरियार
17. त्रिपुरा	1. पश्चिमी जिला
18. उत्तर प्रदेश	1. बस्ती
	2. बान्दा
	3. सुल्तानपुर
	4. इटावा
	5. देवरिया
19. पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया
	2. बांकुरा
20. गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. जुनागढ़
21. जम्मू व कश्मीर	1. डोडा
22. नागालैंड	1. कोहिमा

[अनुवाद]

राज्यों को आयातित खाद्य तेल और चीनी का आवंटन

2008. **श्री चित्त महाता** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल और चीनी का कितना आवंटन किया गया है और प्रत्येक को अब तक कितनी मात्रा सप्लाई की गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं के वर्तमान आवंटन और सप्लाई से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की माँग पूरी नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की माँग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) चालू वर्ष

के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों तथा चीनी का किया गया आवंटन और उन्हें सप्लाई की गयी मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण एक और दो में दिया गया है।

(ख) और (ग). आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का है और यह किसी राज्य/क्षेत्र की समूची माँग को पूरा करने के लिए नहीं है। भारत सरकार खाद्य तेलों की असीमित मात्रा का आयात नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे हमारा अपना उत्पादन निरुत्साहित होगा।

चीनी एक दोहरे मूल्य वाली वस्तु है और लेवी चीनी का राज्य-वार मासिक कोटे का आवंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता अथवा उनसे मिली मांग पर आधारित नहीं है। इसकी मात्रा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए उपलब्ध कुल लेवी चीनी में से निश्चित समान प्रतिमानों के आधार पर आवंटित की जाती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1985-86 (अक्तूबर, 85 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आयातित खाद्य तेलों के आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

(मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1.	आन्ध्र प्रदेश	45700	49507
2.	अरुणाचल प्रदेश	180	—
3.	असम	3000	216
4.	बिहार	4900	816
5.	चण्डीगढ़	320	230
6.	दिल्ली	10150	6727
7.	दादर नगर हवेली	225	170
8.	गुजरात	30500	25855
9.	गोवा, दमण व द्वीव	2510	2689
10.	हरियाणा	4900	3666
11.	हिमाचल प्रदेश	4860	3526
12.	जम्मू व कश्मीर	2450	134
13.	केरल	23100	22867
14.	कर्नाटक	16500	18509
15.	लक्षद्वीप	95	78

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठाई गई मात्रा
16.	मध्य प्रदेश	12490	5789
17.	महाराष्ट्र	47200	58025
18.	मणिपुर	2510	2444
19.	मेघालय	2305	2662
20.	मिजोरम	1.90	704
21.	नागालैंड	1470	2340
22.	उड़ीसा	5400	1431
24.	पांडिचेरी	1650	1840
24.	पंजाब	7500	6725
25.	राजस्थान	3780	2281
26.	सिक्किम	890	811
27.	त्रिपुरा	960	195
28.	तमिलनाडु	29800	30975
29.	उत्तर प्रदेश	9000	8739
30.	पश्चिम बंगाल	50500	41274
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	60	10

विवरण-दो

1985-86 (अक्तूबर, 85 तक) के दौरान राज्यवार लेवी चीनी का आवंटन तथा दी गयी मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन (अप्रैल-अक्तूबर, 85)	दी गई मात्रा (अप्रैल-सितम्बर, 85)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	172030	*
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1328	1328
3.	अरुणाचल प्रदेश	2069	64070
4.	असम	65799	—
5.	बिहार	226058	183919

1	2	3	4
6.	चण्डीगढ़	2348	*
7.	दादरा व नगर हवेली	358	*
8.	दिल्ली	49081	41866
9.	गोवा, दमण व द्वीप	3422	*
10.	गुजरात	109983	*
11.	हरियाणा	41792	*
12.	हिमाचल प्रदेश	13725	*
13.	जम्मू व कश्मीर	19138	15050
14.	कर्नाटक	120593	*
15.	केरल	80369	*
16.	लक्षद्वीप	487	407
17.	मध्य प्रदेश	166653	140003
18.	महाराष्ट्र	200462	*
19.	मणिपुर	4604	*
20.	मेघालय	4360	3745
21.	मिजोरम	1718	1446
22.	नागालैंड	2792	*
23.	उड़ीसा	82890	82387
24.	पांडिचेरी	1941	*
25.	पंजाब	54279	*
26.	राजस्थान	113355	*
27.	सिक्किम	466	466
28.	तमिलनाडु	152390	*
29.	उत्तर प्रदेश	361529	*
30.	पश्चिम बंगाल	174951	148519
31.	त्रिपुरा	6859	*

* ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपना कोटा सीधे कारखानों से उठाते हैं और बाकी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की जाती है।

एशियाई खेल गांव में फ्लैटों /रिहायशी यूनिटों का निर्माण

2009. **श्री अमल दत्त :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव में कितने फ्लैट/रिहायशी यूनिट बनाए गए थे और उनकी श्रेणी, संख्या और उन पर आई लागत का ब्यौरा (निर्माण और समाज सुधार की पृथक-पृथक लागत दिखाते हुए) क्या है ;

(ख) उनमें से कितने फ्लैट बेच दिए गए हैं और उनकी श्रेणी, लागत और मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी सरकारी विभाग उन क्रम अथवा अन्य सार्वजनिक निकाय ने कोई फ्लैट/यूनिट खरीदा है/किराए पर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो खरीदने वाले विभाग आदि के नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). एशियाई खेल ग्राम काम्प्लेक्स में 853 रिहायशी एककों का निर्माण किया गया था जिसमें से 265 रिहायशी एककों को बेच दिया गया है। निर्मित तथा बेचे गये रिहायशी एककों के ब्यौरे, टाइप, लागत आदि संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). 257 रिहायशी एकक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों का संलग्न विवरण 2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बेचे गये हैं।

विवरण-1

एशियाई खेल ग्राम काम्प्लेक्स में निर्मित/बेचे गये फ्लैटों की लागत सीमा सहित टाइप वार सूची।

क्रम सं०	टाइप	निर्मित फ्लैटों की संख्या	अब तक बेचे गये फ्लैटों की संख्या	कुल लागत सीमा रुपये
1.	ए	65	27	10,03,300 से 11,88,900 तक
2.	बी	54	50	13,82,100 से 15,85,600 तक
3.	सी० 1	34	15	11,03,800 से 11,76 700 तक
	सी० 2	30	5	11,22,000 से 11,35,300 तक
	सी० 3	22	2	10,87,900 से 11,49,800 तक

4.	डी० 1	10	1	11,62,800
5.	डी० 2	10	—	11,37,200
6.	ई० 1	40	10	10,98,100 से 11,27,000 तक
7.	ई० 2	40	—	10,75,000 से 10,84,300 तक
8.	एफ० 1	48	11	9,57,100
9.	एफ० 2	48	12	7, 20.000
10	एफ० 3(1) तथा (11)	48	8	10,72,800 से 10,74,800 तक
11	जी० 1	20	10	9,12,600
12.	जी० 2	20	6	7,24,900
13.	जी० 3	20	—	10,39,100 से 10,44,800 तक
14. (क)	पी० 1	17	17	9,68,900
(ख)	पी० 2	17	10	9,02,000
15. (क)	पी० 3	17	10	7,67,500
(ख)	पी० 4	17	1	7,80,000
16. (क)	पी० 5	17	—	10,63,400
(ख)	पी० 6	17	—	10,87,800
17.	क्यू० 1 क्यू० 21	12	10	8,62,200
18.	क्यू० 3, क्यू० 4	12	10	8,14,800 से 8,34,800 तक
19.	क्यू० 5, क्यू० 6	12	3	10,88,800 से 11,07,600 तक
20.	आर० 1	9	7	9,23,000 से 9,29,300 तक
21.	आर० 2	8	7	11,80,700 से 12,41,200 तक
22.	आर० 3	8	8	13,71,500 से 13,91,700 तक

23.	आर० 4	8	4	7,29,800
24.	आर० 5	8	8	10,33,300
25.	आर० 6	8	6	7,61,300
26.	आर० 7	8	—	10,34,400
27.	एस० 1	50	3	7,67,400
28.	एस० 2	50	2	8,87,200
29.	एस० 3	50	2	11,56,000
		853	265	

विवरण 2

एशियाड में अब तक जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों को फ्लैटों का आबंटन किया गया उनकी सूची

क्रम सं०	उपक्रम/वित्तीय संस्थान का नाम	आबंटित फ्लैटों की संख्या
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	26
2.	इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डिवलपमेंट कार्पोरेशन	3
3.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०	10
4.	मार्डन फूड इंडस्ट्रीज	2
5.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी	20
6.	फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया	9
7.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	8
8.	प्रोजेक्ट एण्ड इक्वीपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	1
9.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	4
10.	नेशनल हाइड्रा इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि०	2
11.	रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिस	10
12.	टेलीकम्यूनीकेशन कन्सल्टन सर्विसिस इण्डिया	7
13.	आयल इण्डिया लि०	4

14.	स्टील आथरिटी आफ इण्डिया लि०	7
15.	यूनाइटेट बैंक आफ इण्डिया	4
16.	रूरल इलैक्ट्रफिकेशन कार्पोशन लि०	3
17.	ट्रेड फेयर आथरिटी आफ इण्डिया	4
18.	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी	1
19.	ओ रिइंटल इन्श्यारेंस कम्पनी	2
20.	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	1
21.	आयल एण्ड नेशनल गैस कमीशन	15
22.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	2
23.	सी० एम० सी० लि०	9
24.	इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया	4
25.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज	3
26.	नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डिवलपमेंट	2
27.	ब्रेथिनपेट एण्ड कम्पनी	2
28.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	3
29.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०	4
30.	आर० एण्ड डी० आर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री आफ डिफेंस	6
31.	हिन्दुस्तान केवलस लि०	1
32.	इंजीनियर्स इण्डिया लि०	3
33.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०	15
34.	यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी	2
35	इण्डस्ट्रयल रिकंसट्रक्शन बैंक आफ इण्डिया	11
36.	ज्वाइन्ट प्लांट कमेटी	1
37.	इण्यिन एअर लाइन्स	3
38.	इडियन टूरिज्मडिवपमेंट कार्पोरेशन	4
39.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०	4
40.	आन्ध्रा बैंक	1
41.	पैस आथरिटी आफ इण्डिया	9

42.	माइनिंग एण्ड एलाइट मशीनरी कार्पोरेशन	1
43.	फेडरेशन ऑफ इण्डिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन	2
44.	नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कार्पोरेशन	1
45.	हाउसिंग एण्ड अरबल डिवलपमेंट कार्पोरेशन	18
46.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०	1
47.	पंजाब नेशनल बैंक	2
		257

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में धान की खरीद

2010. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में धान की खरीद बन्द कर दी है अथवा उसकी गति धीमी कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पंजाब में खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(घ) 31 अक्तूबर, 1985 तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 26-11-85 तक 18.1 लाख मीटरी टन धान की वसूली की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 31 अक्तूबर, 1985 तक 6.89लाख मीटरी टन धान की वसूली की थी।

केरल में इदुक्की में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना

2011. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदुक्की में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). जी, हाँ। सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान इदुक्की में 2 × 3 किलोवाट एफ० एम०

ट्रासमीटर, एम० पी० स्टूडियो आदि के साथ एक एफ० एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

शहरी आवासहीन लोगों के लिए हुडको द्वारा भूमि बैंक योजना

2012. **श्री टी० तुलसीराम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने शहरी आवासहीन व्यक्तियों के लाभ के लिए एक भूमि बैंक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस योजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया जायेगा;

(ग) आंध्र प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

"हुडको" की ऋण संचालन प्रक्रिया

2013. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवासीय वित्त क्षेत्र में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के लिए अधिक सक्रिय भूमिका के बारे में पहले ही अनुमाने लगा लगाती है और इस विषय पर कुछ नए निर्णयों की घोषणा किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार "हुडको" की ऋण संचालन प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकतम सीमाओं सम्बन्ध मानदण्डों और प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु उसमें संशोधन करने पर भी विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इस मामले की पुनरीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की गयी है और यदि हां, तो इस समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). सातवीं योजनावधि के दौरान हुडको का अनन्तिम रूप से 1845 करोड़ रुपए की लागत की योजनायें स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ). हुडको की वित्त देने की विद्यमान पद्धति की जांच करने के लिए सरकार ने पहले ही एक कार्यकारी दल का गठन कर लिया है। कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम लागत सीमा तथा ऋण परिचालन की पद्धति के पुनरीक्षण का प्रश्न भी शामिल है। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें विभिन्न घटकों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा ली गयी लेवी पर चीनी मिलों को हानि

2014. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी मिलों द्वारा उत्पादित 65 प्रतिशत चीनी गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बन्धित मूल्यों पर उनसे ले लेती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों को, विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग में स्थित चीनी मिलों को गन्ना उत्पादकों को वह मूल्य देने को बाध्य किया जाता है जो गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से काफी अधिक है; और

(ग) क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी मिलों को सरकार को चीनी की सप्लाई करने पर भारी हानि होती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां, चीनी के आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, सरकार द्वारा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को भी साथ-साथ ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए निकासी मूल्यों पर प्रत्येक चीनी मिल के कुल उत्पादन का एक विशिष्ट प्रतिशत लेवी के रूप में वसूल किया जाता है। चालू मौसम 1885-86 के लिए लेवी चीनी से मुक्त बिक्री की चीनी का अनुपात 55 : 45 निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग). चीनी मिलें सामान्यतया राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों के हिसाब से गन्ने के मूल्यों का भुगतान करती हैं जोकि उनके लिए निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है। तथापि, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके द्वारा अदा किए गए गन्ने के ऊँचे मूल्य को मुक्त बिक्री की चीनी से प्राप्त किए गए चीनी के मूल्यों से वसूल करें।

स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण

2015. **श्री अख्तर हसन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर वर्ष 1985-86 में, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु चुने गए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संस्थानों तथा स्वयं सेवी संगठनों में प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) चालू वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कितने युवकों को प्रशिक्षण देने की अनुमति मांगी गई है;

(ग) वे विशिष्ट ट्रेड कौन से हैं जिनमें इन युवकों को प्रशिक्षण देने का विचार है; और

(घ) प्रशिक्षित युवकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नई योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बन्सीलाल चन्द्राकर) : (क) वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधान पहले ही उपलब्ध है। इसके अलावा, संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) 1985-86 में कम से कम 2,00,560 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है।

(ग) जिला तथा उप-जिला स्तरों पर व्यवसायों का चयन किया जाना है और इनका केन्द्रीय स्तर पर चयन नहीं किया जाता है।

(घ) सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु ग्रामीण युवओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन से कालाधन एकत्र करना

2016. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि चीनी उत्पादकों, वितरकों और व्यापारियों द्वारा अनुचित तरीके अपनाकर जैसे कि : जाली रसीदें जारी करके, गन्ना कम तोलकर, कम मूल्य की अदायगी करके, अच्छी किस्म की चीनी खुले बाजार में और घटिया किस्म की चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए देकर आदि के द्वारा चीनी उत्पादन के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत तक कालाधन के रूप में एकत्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चीनी उत्पादन के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत की गणना किस प्रकार की जाती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी के वर्तमान मौसम में इस कदाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने "भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था के पहलुओं" विषयक अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि चीनी उद्योग भी एक ऐसा क्षेत्र है जो काला धन पैदा कर रहा है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान की रिपोर्ट की प्रतियां संसद सदस्यों को भेजी गई हैं और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर पब्लिक डिबेट करवाने के उद्देश्य से उसे समाचार पत्रों में भी दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रस्ताव एक दीर्घकालिक वित्तीय नीति को तैयार करने में सहायक होंगे। करों की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक, कानूनी और संस्थागत उपायों सहित, सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नारियल, खोपरा और नारियल तेल के मूल्यों में गिरावट

2017. **श्री एस० एम० भट्ट** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल, खोपरा और नारियल तेल का भारी मात्रा में आयात

करने के कारण इनके मात्रा अचानक गिर गए हैं;

(ख) वे मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से सरकार को इतनी भारी मात्रा में आयात करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार का विचार नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए नारियल का निम्नतम मूल्य निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। नारियल, खोपरा और नारियल के तेल का आयात नहीं किया जा रहा है। तथापि, चर्वोयुक्त अम्ल के निर्यातकों को भराई योजनाओं के अन्तर्गत नगण्य मात्रा में नारियल का आयात करने की सुविधा प्राप्त है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) और (घ).. सरकार इस सम्बन्ध में एक सुझाव पर विचाद कर रही है।

पेनुकोंडा और कादिरी (आंध्र प्रदेश) में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

2018. **श्री० के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथा औद्योगिक महत्व के स्थानों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पेनुकोंडा तथा कादिरी, जो ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के स्थान हैं, में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए स्थानों का निर्णय लेते समय लोगों की कवरेज आवश्यकताओं के साथ-साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक महत्व के स्थानों को समुचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) जी, नहीं। सातवीं योजना अवधि के दौरान अनन्तपुर जिले में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित उच्च शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर से भू-भागीय परिस्थितियों के अधीन रहते हुए पेनुकोंडा तथा कादिरी सहित सम्पूर्ण जिले को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की आशा है।

बारानी खेती

2019. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बारानी खेती के लिए राज्य वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) सरकार द्वारा भूमि की आर्द्रता सुरक्षित रखने हेतु कौन-सी विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) क्या बारानी खेती के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु कोई समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)सातवीं योजना के दौरान वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वास्ते केन्द्रीय शेयर के रूप में 120 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकारों से अभी ब्योरेवार प्रस्तावों की प्रतीक्षा है और प्रस्तावों के प्राप्त होने पर फंड दिया जाएगा।

(ख) केन्द्र/विश्व बैंक की सहायता से भूमि आर्द्रता संरक्षण की निम्नलिखित स्कीमें चल रही हैं या बनाई जा रही हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में जल विभाजक विकास के लिए मुख्य परियोजनाएं।

(2) 5.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 15 राज्यों में शुष्क कृषि में जल संरक्षण/फसल टेक्नालाजी के प्रचार सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की मार्गदर्शी परियोजना।

(3) 11 राज्यों में वर्षा पोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल—विभाजक विकास कार्यक्रम।

(4) पंजाब में विश्व बैंक कांडी जल-विभाजक और क्षेत्र विकास परियोजना।

(ग) अर्ध शुष्क/वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने और इन क्षेत्रों के विकास के लिए नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा कार्यान्वयन का तरीका सुझाने और भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों के लिए प्राथमिकतायें तथा कार्यक्रम निर्दिष्ट करने के लिए 1977 में एक टास्क फोर्स स्थापित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिशें जल विभाजक आधार पर शुष्क भूमि खेती के विकास की थीं।

आकाशवाणी के प्रसारण के अन्तर्गत क्षेत्र

2020. **श्री सुरेशधर माने** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के और अधिक क्षेत्रों को आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के अन्त तक विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी के प्रसारण के अन्तर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र लाया गया; और

(ग)इस अवधि के दौरान आकाशवाणी के प्रसारण के अन्तर्गत मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) छठी योजना की स्कीमों के पूरा हो जाने के बाद मध्य प्रदेश राज्य की 92 प्रतिशत जनसंख्या और 89 प्रतिशत क्षेत्र की रेडियो सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

विवरण

क्र० सं० राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	छठी योजना की परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कवरेज का प्रतिशत।	
	क्षेत्र	जनसंख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	93	95
2. असम	87	86
3. बिहार	99	99
4. गुजरात	98	98
5. हरियाणा	96	97
6. हिमाचल प्रदेश	45	75
7. जम्मू व काश्मीर	30	85
8. कर्नाटक	92	92
9. केरल	80	85
10. मध्य प्रदेश	89	92
11. महाराष्ट्र	97	97
12. मणिपुर	99	99
13. मेघालय	96	96
14. नागालैंड	95	95
15. उड़ीसा	80	88
16. पंजाब	97	97
17. राजस्थान	81	94
18. सिक्किम	70	80
19. तमिलनाडु	96	97
20. त्रिपुरा	95	96
21. उत्तर प्रदेश	87	96
22. पश्चिम बंगाल	99	99
II. संघशासित क्षेत्र		
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	80	80
2. अरुणाचल प्रदेश	98	98

3. चण्डीगढ़	99	99
4. दादरा, नगर और हवेली	99	99
5. दिल्ली	99	99
6. गोवा, दमन और द्विव	99	99
7. लक्षद्वीव और मिनिकाय द्वीप समूह	99	99
8. मिजोरम	82	82
9. पांडिचेरी	99	99
राष्ट्रीय कवरेज	86	95

राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष

2021. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक कृषि ऋण राहत कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) यह प्रस्ताव विभिन्न संबंधित मन्त्रालयों को उनकी टिप्पणी/उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है।

देश में सहकारी ऋण संस्थाओं समितियों में बकाया राशि की वसूली

2022. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि देश में विभिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं में 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनकी ओर यह राशि बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो इन सहकारी समितियों में बकाया राशि शीघ्रता से वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इस समय देश में 94,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और 1,840 प्राथमिक राज्य भूमि विकास बैंक/शाखाएं हैं, जिनके जरिए सहकारी ऋण संस्थायें किसानों को कृषि संबंधी ऋण वितरित करती हैं और जिनकी ओर अनुमानतः करीब 1600 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। अलग-अलग दोषियों का ब्यौरा सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं द्वारा रखा जाता है और ये ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें/सहकारी संस्थाओं को नियमित रूप से सलाह दी गई है कि वे वसूली संबंधी स्थिति में सुधार करें। इस स्थिति की अक्तूबर, 1985 में नयी दिल्ली में हुए राज्य सचिवों/राज्यों के सहकारिता प्रभारी मन्त्रियों के सम्मेलन में समीक्षा की गई। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर जान-बूझ कर पैसा न लौटाने वाले दोषी व्यक्तियों का पता लगायें और बकाया राशि की वसूली के लिए उनके विरुद्ध क्रमबद्ध ढंग से कार्यवाही करें।

तालचेर स्थित उर्वरक संयंत्र में आग लगना

2023. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर स्थिर उर्वरक संयंत्र में आग लगने की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उससे कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध और ऐसी दुर्घटनाओं के पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। एक भण्डारण टैंक से नैफथा बह गया था। इस नैफथा को संयंत्र बैटरी सीमाओं से बाहर नाली में आग लग गई और "यश पौण्ड" तक फैल गयी। इस बहाव के कारण 1.04 लाख रु० के नैफथा की हानि हुई। संयंत्र और मशीनरी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तथापि, एक ग्रामीण जो नाली क्षेत्र में था जल कर घायल हो गया और मर गया।

(ग) प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर, नैफथा टैंक स्थल पर शिफ्ट इन्चार्ज को निलम्बित कर दिया गया है और मुख्य अभियन्ता अतिरिक्त सुरक्षा अभियन्ता को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। दुर्घटना की जांच करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी नियुक्त की गयी है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

2024. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बिहार के सभी जिले दूरदर्शन नैटवर्क के अन्तर्गत आ गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, सातवीं योजना अवधि के दौरान हाथ में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर, बिहार की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

विवरण

देश में मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का जिलावार वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला
1	2	3
1.	असम	
	(1) गुहाटी *	कामरूप
	(2) तेजपुर	दारंग
	(3) डिब्रुगढ़	डिब्रुगढ़
	(4) सिल्चर	कछार
2.	आंध्र प्रदेश	
	(1) हैदराबाद *	हैदराबाद
	(2) काकीनाडा	पूर्वी गोदावरी
	(3) विजयवाड़ा *	कृष्णा
	(4) तिरुपति	चित्तूर
	(5) नेल्लोर	नेल्लोर
	(6) कुड्डपा	कुड्डपा
	(7) करीमनगर	करीमनगर
	(8) विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम
	(9) निजामाबाद	निजामाबाद
	(10) वारंगल	वारंगल
	(11) राजामुन्द्री	पूर्वी गोदावरी
	(12) कुर्नूल	कुर्नूल
	(13) अनन्तपुर	अनन्तपुर
	(15) एडोनी	कुर्नूल
	(16) महबूबनगर	महबूबनगर
3.	बिहार	
	(1) मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर

	(2) पटना	पटना
	(3) गया	गया
	(4) मुंगेर	मुंगेर
	(5) धनबाद	धनबाद
	(6) जमशेदपुर	सिंहभूमि
	(7) पूर्णिया	पूर्णिया
	(8) राँची*	राँची
	(9) भागलपुर	भागलपुर
4. गुजरात		
	(1) अहमदाबाद*	अहमदाबाद
	(2) वदोदरा	वदोदरा
	(3) सूरत	सूरत
	(3) भावनगर	भावनगर
	(5) पाटन	महेसाना
	(6) राजकोट *	राजकोट
	(7) भरुच	भरुच
	(8) नवासरी	वलासाड
	(9) द्वारका	जामनगर
5. हरियाणा		
	(1) हिसार	हिसार
	(2) भिवानी	भिवानी
6. हिमाचल प्रदेश		
	(1) शिमला	शिमला
	(2) कुल्लू	कुल्लू
	(3) कसौली *	सोलन
7. जम्मू व कश्मीर		
	(1) श्री नगर	श्रीनगर
	(2) जम्मू	जम्मू
	(3) कारगिल	कारगिल
	(4) लेह	लेह

1	2	3
8.	कर्नाटक	
	(1) गुलबर्गा*	गुलबर्गा
	(2) बंगलोर*	बंगलौर
	(3) मैंगलौर	दक्षिण कन्नड़
	(4) देवनगेर	चित्र दुर्ग
	(5) भद्रावती	शिमोगा
	(6) बीजापुर	बीजापुर
	(7) बेल्लारी	बेल्लारी
	(8) गदग-बेतागड़ी	धारवाड़
	(9) रायचूर	रायचूर
	(10) धारवाड़	धारवाड़
	(11) मैसूर	मैसूर
	(12) बेलगांव	बेलगांव
	(13) हासपेट	बेल्लारी
9.	केरल	
	(1) त्रिवेन्द्रम*	त्रिवेन्द्रम
	(2) कालीकट	कोजीकोड
	(3) कोचीन*	एर्नाकुलम
	(4) कन्नानोर	कन्नानोर
	(5) पालघाट	पालघाट
10.	मध्य प्रदेश	
	(1) रायपुर*	रायपुर
	(2) भोपाल*	भोपाल
	(3) इन्दौर*	इन्दौर
	(4) ग्वालियर	ग्वालियर
	(5) जबलपुर	जबलपुर
	(6) बिलासपुर	बिलासपुर
	(7) सागर	सागर

1	2	3
	(8) रीवा	रीवा
	(9) रतलाम	रतलाम
	(10) मुरवाड़ा	जबलपुर
	(11) बुरहानपुर	पूर्वी निमार
	(12) कोरबा	बिलासपुर
	(13) खंडवा	पूर्वी निमाड
11. महाराष्ट्र		
	(1) बम्बई*	बम्बई
	(2) पुणे*	पुणे
	(3) नागपुर	नागपुर
	(4) अकोला	अकोला
	(5) नासिक	नासिक
	(6) कोल्हापुर	कोल्हापुर
	(7) अहमदनगर	अहमदनगर
	(8) जालना	औरंगाबाद
	(9) औरंगाबाद	औरंगाबाद
	(10) घुले	घुले
	(11) लातूर	लातूर
	(12) अमरावती	अमरावती
	(13) शोलापुर	शोलापुर
	(14) परभनी	परभनी
	(15) चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
	(16) नान्देड	नान्देड
	(17) जलगाँव	जलगाँव
	(18) गोंदिया	भडारा
	(19) साँगली	सांगली
	(20) मालेगाँव	नासिक
	(21) भूसावल	जलगांव

1	2	3
12. मणिपुर		
	(1) इम्फाल	मणिपुर केन्द्रीय
13. मेघालय		
	(1) शिलांग	पूर्वी खासी पहाड़ियां
	(2) तुरा	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
14. नागालैंड		
	(1) कोहिमा	कोहिमा
15. उड़ीसा		
	(1) सम्बलपुर*	सम्बलपुर
	(2) कटक*	कटक
	(3) बहरामपुर	गंजम
	(4) राऊरकिला	सुन्दरगढ़
	(5) कोरापुट	कोरापुट
16. पंजाब		
	(1) अमृतसर*	अमृतसर
	(2) जलधर*	जलंधर
	(3) भटिंडा*	भटिंडा
	(4) पठानकोट	गुरुदासपुर
17. राजस्थान		
	(1) जयपुर*	जयपुर
	(2) सूरतगढ़	गंगानगर
	(3) गंगानगर	गंगानगर
	(4) जोधपुर	जोधपुर
	(5) उदयपुर	उदयपुर
	(6) कोटा	कोटा
	(7) अलवर	अलवर
	(8) खेलड़ी	झुन्झुनु
	(9) बीकानेर	बीकानेर
	(10) भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

1	2	3
	(11) अजमेर	अजमेर
	(12) जैसलमेर	जैसलमेर
	(13) बाड़मेर	बाड़मेर
18. सिक्किम		
	(1) गंगतोक	पूर्वी जिला
19. तमिलनाडु		
	(1) मद्रास*	मद्रास
	(2) तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली
	(3) वेल्लोर	उत्तरी आरकोट
	(4) सलेम	सलेम
	(5) कोडैकनाल	मदुरै
	(6) कोयम्बत्तूर	कोयम्बत्तूर
	(7) कुम्बकोनम	तजावुर
	(8) नवेली	दक्षिण आरकोट
20. त्रिपुरा		
	(1) अगरतला	पश्चिमी त्रिपुरा
21. उत्तर प्रदेश		
	(1) लखनऊ*	लखनऊ
	(2) मसूरी*	देहरादून
	(3) कानपुर*	कानपुर
	(4) देवरिया	देवरिया
	(5) इलाहाबाद*	इलाहाबाद
	(6) शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
	(7) सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	(8) रायबरेली	रायबरेली
	(9) बरेली	बरेली
	(10) आगरा*	आगरा
	(11) झांसी	झांसी
	(12) नैनीताल	नैनीताल

1	2	3
	(13) गोरखपुर	गोरखपुर
	(14) वाराणसी*	वाराणसी
	(15) रामपुर	रामपुर
	(16) फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद
	(17) फैजाबाद	फैजाबाद
	(18) इटावा	इटावा
	(19) अलीगढ़	अलीगढ़
	(20) मुरादाबाद	मुरादाबाद
	(21) पौड़ी	गढ़वाल
	(22) बहराइच	बहराइच
	(23) सम्भल	मुरादाबाद
	(24) पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
22. पश्चिम बंगाल		
	(1) कलकत्ता*	कलकत्ता
	(2) माल्दा	माल्दा
	(3) आसनसोल	बर्द्धमान
	(4) खड़गपुर	मिदनापुर
	(5) बर्द्धमान	बर्द्धमान
	(6) बलूरघाट	पश्चिमी दिनाजपुर
	(7) शांति निकेतन	बीरभूम
	(8) मुर्शिदाबाद*	मुर्शिदाबाद
	(9) कुर्सियांग	दार्जिलिंग
संघ शासित क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	(1) पोर्ट ब्लेयर	अंडमान
	(2) कार निकोबार	निकोबार
2. अरुणाचल प्रदेश		
	(1) इटानगर	लोवर सुवनसिटी
3. दिल्ली		
	(1) दिल्ली*	दिल्ली

1	2	3
4. गोवा, दमन और दीव		
	(1) पणजी*	गोवा
5. मिजोरम		
	(1) ऐजवाल	ऐजवाल
6. पांडिचेरी		पांडिचेरी

*उच्च शक्ति (10 किलोवाट/1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटरों को दर्शाता है तथा शेष अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं।

[अनुवाद]

मछुआरों को सहायता

2025. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछुआरों की स्थिती में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय करने का है;

(ख) क्या मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकी और तकनीक में सुधार करने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) मछुआरों को उत्पाद शुल्क में छूट और आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकावना) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यन नौकाओं, नायलोन यार्न गीयर और मत्स्यन की अन्य जरूरत की चीजें प्राप्त करने के लिए राजसहायता और ऋण देने की योजनाओं के माध्यम से मछुआरों की सहायता करते हैं। भारत सरकार ने उन सक्रिय मछुआरों के लिए, जो सहकारी समितियों/सघों/कल्याणकारी संगठनों के सदस्य हैं, ग्रुप एक्सीडेन्ट बीमा प्रीमियम के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। पीने के पानी, चिकित्सा तथा कल्याण की सुविधाएं शिक्षा, आवास, बुढ़ापे के लिए पेंशन आदि जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यस्थथा करने के लिए मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की योजना भी लागू की जा रही है। लघु उद्योग क्षेत्र में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मद्रास में चलाई जा रही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय परियोजना एफ० ए० ओ०/यू० एन० डी० पी० बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम में उन्नत किस्म की नौकाएं और गीयर विकसित किये गए हैं। सरकार ने छोटे पैमाने पर कार्य करने वाले मछुआरों के लिए उन्नत किस्म के समुद्री तट पर उतरने वाले जलयानों का प्रयोग करने के लिए कदम उठाये हैं। सातवीं योजना के दौरान 12,500 पारम्परिक जलयानों के मशीनरीकरण का भी प्रस्ताव है। सभी किस्म की मत्स्यन नौकाओं के लिए हाई स्पीड डीजल तेल पर लगाये गए उत्पाद शुल्क में रिआयत देने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

कर्नाटक की भेड़ परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2026. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र को 30.90 करोड़ रुपये की भेड़ परियोजना का प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). कर्नाटक सरकार ने विदेशी सहायता मांगने के लिए कर्नाटक के 9 जिलों में भेड़ विकास सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव सितम्बर, 1985 में भेजी है। प्रस्ताव में 30.75 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत की व्यवस्था की गई है। इस विभाग में इसकी जांच की जा रही है।

खाद्य तेलों का आयात

2027. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावचि** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को मिले विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के लागत बीमा मूल्य क्या हैं और उन्हें उपभोक्ताओं को किस मूल्यों पर बेचा गया ;

(ख) लागत बीमा मूल्यों तथा बिक्री मूल्यों में भारी अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) किन एजेन्सियों को तेलों का आयात करने की अनुमति दी गई ;

(घ) क्या तेल उद्योग की पेराई करने की विशाल क्षमता के बेकार पड़े रहने की दृष्टि में रखते हुए बीजों का आयात करना लाभप्रद नहीं होगा, यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किए गए आयात तथा आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित आयात का मिट्रीक टन में तथा मूल्यानुसार आकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) खाद्य तेलों का क्रय मूल्य अलग-अलग करार, अलग-अलग लदान की अवधि, अलग-अलग तेल के स्रोत के अनुसार अलग-अलग होता है। वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए खाद्य तेलों की लगभग औसत लागत तथा भाड़ा मूल्य इस प्रकार है :

तेल	औसत लागत व भाड़ा मूल्य (रुपये प्रति मी० टन०) अनन्तिम
एस० बी० ओ० (सोयाबीन का तेल)	8406
एन० पी० ओ० (निर्विष्मीकृत ताड़)	8019
आर० एस० ओ० (रेपसीड तेल)	8205
पी० ओ० (ताड़ का तेल)	7855
पी० एल० (पामोलीन)	8233
एस० एफ० एस० ओ० (सूरजमुखी के बीज का तेल)	7268

भारत सरकार ने सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का निर्गम मूल्य नीचे दिए अनुसार नियत किया है :

	24-5-84 से (प्रति मी० टन)	15-11-85 से (प्रति मी० टन)
थोक में	8,000 रु०	9,000 रु०
टीनों में	9,000 रु०	10,500 रु०

राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेल विभिन्न दरों पर देती हैं, जो स्थानीय करों तथा अन्य ऊपरी खर्चों पर निर्भर करती हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान, क्रय मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्गम मूल्य में अधिक अन्तर नहीं था।

(ग) इस समय, भारतीय राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों का आयात करने के लिए एक-मात्र एजेन्सी है।

(घ) जी नहीं। तिलहनों का आयात न करने के कुछ कारण ये हैं :

1. तिलहनों का आयात करने से तिलहन उगाने वाले किसानों के हतोत्साहित होने की सम्भावना है।

2. देश में किसी भी प्रकार के बीजों का भारी मात्रा में आयात करने के लिए संगरोध (क्वारंटीन) की आवश्यकता होगी। बीजों को देश के भीतर तभी लाया जा सकता है, जब बन्दरगाहों पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इसके लिए क्लीयरेंस दे दी गई हो। इसमें समय लग सकता है।

3. तिलहनों के आयात के साथ उनके साज-सम्भाल, भण्डारण ढुलाई तथा तेल प्राप्त करने के लिए उनके संसाधन से सम्बन्धित समस्या जुड़ी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को तेलों की आपूर्ति करने में समय लग जाएगा। इससे भारी लाजिस्टिक्स समस्यायें उत्पन्न होंगी और इसके लिए अतिरिक्त भण्डारण तथा अन्य ऊपरी खर्चों की आवश्यकता पड़ सकती है।

4. तिलहनों की पेराई, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के तहत उद्योग के विशेष विनियम के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार, यदि तिलहनों की पेराई आरम्भ की जाती है, तो इस कार्य को लाइसेंस के अन्तर्गत लाना होगा। अतः तिलहनों के आयात की अनुमति देने का अर्थ होगा कि आयातित सामग्री के आधार पर लाइसेंस दिया जाए।

5. तिलहनों की पेराई से निकलने वाली खली के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें पेराई के बाद भी तेल का काफी तत्व मौजूद रहेगा। खली के निर्यात की अनुमति तभी दी जाती है, जब उसमें से विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के तहत तेल निकाल लिया जाये। आयातित तिलहनों पर आधारित खली के ऐसे निर्यातों से देश में उगाए जाने वाले तिलहनों के निष्कर्षण से उत्पन्न होने वाली

खली के लिए अधिक निर्यात बाजार ढूंढने के हमारे अपने प्रयासों को गम्भीर धक्का पहुँच सकता है।

(ङ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात किए गए खाद्य तेल इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1982-83	9.80	418.00
1883-84	14.09	846.00
1984-85	15.85	1309.00

किसी वर्ष विशेष में आयात की जाने वाली खाद्य तेल की मात्रा देशीय तेलों की उपलब्धता, खाद्य तेलों की सम्भावित माँग, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करती है।

नारियल को तिलहन के रूप में मान्यता देना

2028. **श्री टी० बशीर :**

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना सम्बन्धी दस्तावेजों में नारियल को एक तिलहन की श्रेणी में नहीं माना गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने नारियल को तिलहन के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ।

(ख) नारियल की फसल तेल वाले पामों की एक बागानी फसल है और इसके उत्पादन का केवल कुछ भाग ही खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ). नारियल को तिलहन के रूप में मान्यता देने के लिए केरल सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार नारियल विकास के लिये निम्न राज-सहायता उपलब्ध करा रही है।

(1) क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन नारियल उत्पादकों जिनकी जोत 2 हैक्टार कम है, को 3000 रुपये प्रति हैक्टार की सहायता देना;

(2) जड़ मुरझान रोग से प्रभावित पामों को हटाने के लिए काटे गये और हटाये गये रोगग्रस्त प्रत्येक पाम के लिए 75 रुपये की सहायता देना ;

(3) नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर रोपण सामग्री और अन्य आदानों की लागत पर 50 प्रतिशत राजसहायता ; और

(4) पम्पसेटों के लिए 1000 रुपये तक की राजसहायता।

ग्रामीणों की गरीबी दूर करना कार्यक्रम

2029. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में ग्रामीणों की निर्धनता दूर करने पर अधिक बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौन सी योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त राशि आबंटित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना में ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि आबंटित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जारी रहेंगे।

(ग) और (घ). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी की वास्तविक व्यापकता को देखते हुए चयनता के सिद्धान्तों के आधार पर होंगे। तथापि, पहले दो वर्षों के लिए आबंटन का 50 प्रतिशत प्रत्येक खण्ड में बराबर के आबंटन के आधार पर किया जाएगा जैसा कि छठी योजना में किया गया था तथा 50 प्रतिशत आबंटन गरीबी के प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। तीसरे वर्ष से आबंटन पूर्णतया गरीबी के प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी राज्यों में संसाधनों के आबंटन हेतु फार्मूला जिसमें छठी योजना के दौरान 25 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव पर तथा 75 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की जनसंख्या पर दिया गया था, को 1986-87 से बदल दिया जाएगा तथा उन पर बराबर-बराबर बल दिया जाएगा। केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्ययों का राज्य-वार आवंटन उड़ीसा सहित उपर्युक्त विभिन्न मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

ठेका श्रम अधिनियम, 1970 और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 की समीक्षा

2030. **श्री राकृष्ण मोरे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने विगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1979 और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 में इनके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी समीक्षा करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस दिशा में क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). सरकार ठेका श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर पहले से ही विचार कर रही है और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन)

अधिनियम, 1970 में किए जाने वाले संशोधनों पर भी विचार किया जा रहा है। इस समय अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्यान भूमि और कृषि परिष्करण शालाओं का विकास

2031. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "उद्यान भूमि" और "कृषि परिष्करणशालाओं" के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के महानिदेशक द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक ने बागवानी सम्पदा तथा कृषि परिष्करण शालाओं के विकास के सम्बन्ध में भारत में दिए गए अपने हाल ही के भाषणों में सुझाव दिया था। इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मार्केट और सिनेमा घर का निर्माण

2032. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मार्केट और सिनेमा घर के निर्माण के बारे में 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मोतियाखान में बनाये जाने वाले मार्केट, सिनेमा, होटल तथा डाक और तार कार्यालय आदि का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया है जबकि यह योजना 5-6 वर्ष पुरानी है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और सम्पूर्ण योजना पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मार्किट, सिनेमा, होटल तथा इस प्रकार की अन्य गतिविधियों का निर्माण ग्रुप आवास के लिए बड़े क्षेत्र के विकास का एक अंग है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप आवास के लिए पहले ही नक्शे तैयार कर लिए हैं और योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा नक्शों को अनुमोदित किए जाने के बाद निष्पादन का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कलकत्ता और दिल्ली में किए गए निर्माण कार्य

2033. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक (सितम्बर, 1985 तक) किए गए

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्य का कुल मूल्य क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चीनी कारखानों से ऋण/अनुदानों के लिए आवेदन-पत्र

2034. **श्री बाला साहेबविखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखानों से आधुनिकीकरण पुनःस्थापना हेतु ऋण/अनुदान, गन्ना विकास के लिए ऋण और अनुसन्धान हेतु अनुदान के लिए वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान अब तक पृथक-पृथक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया है और उन कारखानों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) बकाया आवेदन पत्रों पर कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) चीनी विकास निधि से सहायता लेने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	आधुनिकीकरण/ पुनर्वासन	गन्ना विकास	अनुसन्धान के लिये सहायता अनुदान
1983	7	3	2
1984	14	36	1
1985	2	52	1

(ख) और (ग). चीनी उपक्रमों के आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए ऋण ऐसे चीनी उपक्रमों के लिए अनुमेय है, जिनके बारे में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा चीनी विकास निधि नियमों के अधीन स्वीकृति दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए कुल 23 आवेदन पत्रों में से, 21 चीनी उपक्रमों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के मामले में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अतः इन्हें संबंधित चीनी उपक्रमों को लौटा दिया गया था । स्थायी समिति ने वित्तीय सहायता के लिए दो आवेदन पत्रों की सिफारिश की है । ये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार के पास चीनी विकास के प्रयोजन हेतु सहायता के लिए कुल 91 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 15 आवेदन पत्रों को अपूर्ण पाया गया था और उन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित चीनी उपक्रमों को लौटा दिया गया था।

सहायता-अनुदान के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को चीनी उद्योग विकास परिषद द्वारा अनुपयुक्त पाया गया था। गन्ना विकास के प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों/चीनी उपक्रमों के साथ और आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए ऋणों के बारे में एक ओर वित्तीय संस्थानों तथा चीनी उपक्रमों के बीच और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के साथ करारों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण चीनी विकास निधि से ऋण सुलभ करने में विलम्ब हुआ है। हाल ही में चीनी विकास निधि नियमों में संशोधन

किया गया है। आशा है कि ऋण से संबंधित आवेदन पत्रों का निपटान करने में तेजी आएगी।

उड़ीसा को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

2035. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा जनवरी, 1984 से जनवरी, 1985 तक प्रति माह कितने कितने गेहूँ, चावल, चीनी, और खाद्य तेलों की मांग की गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त महीनों में हर महीने उक्त मदों का कितना कोटा आबंटित किया गया; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने उक्त महीनों में हर महीने उक्त मदों की कितनी-कितनी मात्रा उठाई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). एक विवरण (पृष्ठ 115-116) संलग्न है जिसमें जनवरी, 1984 से जनवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान गेहूँ, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की मासिक मांग, आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम को भण्डारण और मार्ग में हानि

2036. **श्री काली प्रसाद पांडेय** :

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 के बाद से भारतीय खाद्य निगम को भण्डारण और मार्ग में वर्ष-वार/क्षेत्रवार अलग-अलग कितने रुपए का घाटा हुआ; और उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1981 के बाद खाद्यान्नों के चढ़ाने-उतराने पर प्रति क्विंटल वर्ष-वार कितनी लागत आई;

(ग) वर्ष 1981 से भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया; और

(घ) 1981 से भारतीय खाद्य निगम में वेतन के अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) 1981-82 से 1984-85 के वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ, चावल और धान (चावल के हिसाब से) को सम्भालने में, दोनों मात्रा और मूल्य के हिसाब से मार्गस्थ और भण्डारण में हुई हानियों का वर्षवार/क्षेत्रवार ब्यौरा उपबन्ध पर दिए गए विवरण(पृष्ठ 118-121) में दिया गया है। निगम ने इन हानियों को कम से कम करने के लिए कई एक उपाय किए हैं। इन उपायों में दोनों प्राप्ति और निर्गम के समय 100% तौल करना, पैकिंग के आकार को छोटा करना, सिलाई का काम करने के लिए मशीनों का

विवरण

उड़ीसा के सम्बन्ध में जनवरी, 1984 से जनवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान गेहूं, चावल चीनी और खाद्य तेलों की मांग, आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग				आवंटन			उठान				
	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल**	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1984												
जनवरी	35.0	5.0	*	5.0	27.1	5.0	11.582	3.0	12.5	1.8	11.113	शून्य
फरवरी	35.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.582	3.2	17.3	2·9	11.555	1.12
मार्च	30.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.582	3.3	17.5	3.0	11.325	2.00
अप्रैल	30.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.577	3.6	14.3	3.0	11.489	2.76
मई	30.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.577	3.3	15.8	4.1	12.739	2.74
जून	30.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.577	3.3	14.7	4.5	10.535	3.30
जुलाई	30.0	15.0		5.0	27.1	5.0	11.582	3.3	21.2	5.6	11.455	3.50
अगस्त	30.0	30.0		5.0	41.65	8.0	11.582	3.5	25.3	7.8	11.576	33.7
सितम्बर	34.1	30.0		5.0	41.65	8.0	13.433	3.5	27.7	2.7	12.833	0.65
अक्तूबर	48.65	15.0		5.0	41.65	8.0	11.582	3.5	16.7	2.0	11.624	0.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नवम्बर	41.65	8.0		5.0	41.65	8.0	11.582	3.0	23.9	1.0	9.987	शून्य
दिसम्बर 1985	73.65	50.0		5.0	46.65	8.0	11.583	2.5	21.8	4.5	12.483	0.61
जनवरी	73.65	50.0		5.0	46.65	8.0	11.583	2.0	25.3	4.4	12.017	शून्य

* चीनी का आबंटन मांग पर आधारित नहीं होता है बल्कि कुछेक एक-समान मानदण्डों पर आधारित होता है ।

** इसमें छोटे पैकों की योजना के अधीन आबंटन शामिल नहीं है ।

प्रगामी प्रयोग करना, स्कवाडों द्वारा लदान और उतरान केन्द्रों पर अचानक छापे मारना, खुले वैगनों में संचालन को कम करना, भारतीय खाद्य निगम के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करना, स्टाक का बेहतर परिरक्षण तथा वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करना, आदि शामिल है।

(ख) 1981-82 से 9184-85 के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों को सम्भालने की प्रति क्विंटल वर्षवार लागत इस प्रकार रही है :—

(दर रुपये क्विंटल)

(i) वसूली प्रासंगिक खर्च

हैण्डलिंग लागत	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (सं०अ०)
(क) गेहूँ	22.32	24.28	27.17	28.09
(ख) चावल	9.54	6.94	11.11	17.57
(ii) वितरण लागत	37.87	43.91	46.87	48.34
(iii) बफर स्टाक की रखने की लागत	41.78	42.23	40.71	43.82

(ग) 1981-82 से 1984-85 तक भारतीय खाद्य निगम के स्टाक के वेतन पर हुआ वर्षवार व्यय, जिसमें भविष्य निधि अंशदान, कल्याण संबंधी व्यय, समयोपरि भत्ता शामिल है, इस प्रकार है :—

	(रुपए /करोड़)
1985-82	92.58
1982-83	107.98
1083-84	123.81
1984-85	101.75

(घ) 1981-82 से 1984-85 के वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के अन्य प्रशासनिक खर्च इस प्रकार थे :—

	(रुपए/करोड़)
1981-82	11.33
1982-83	12.02
1983-84	12.55
1984-85	15.31

विवरण

1981-82 से 1984-85 तक के वर्षों के लिए
की क्षेत्रवार मार्गस्थ हानियों और

क्षेत्र	मार्गस्थ हानियां						
	1981-82		1982-83		1983-84		1984
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
ज० तथा क०	12638	215.33	11018	202.47	11883	237.60	9959
पंजाब	82	1.51	2864	60.26	316	7.02	3467
हरियाणा	145	2.50	2751	55.68	1117	22.14	2626
उत्तर प्रदेश	17658	299.02	36241	648.76	17574	339.42	12417
दिल्ली	20461	349.49	25717	470.82	17171	343.25	13431
राजस्थान	2501	41.73	10158	182.31	8852	166.37	6009
हिमाचल प्रदेश	78	1.36	113	2.18	103	2.16	8
आंध्र प्रदेश	15553	268.59	14153	267.98	13042	266.39	20015
तमिलनाडु	12693	215.36	9386	167.39	14251	293.88	16749
कर्नाटक	12078	219.41	9021	169.14	13424	271.70	14692
केरल	16157	292.46	13526	275.25	22069	506.93	22225
पी०ओ० मद्रास	4901	*80.74	*3007	*53.16	*3276	—63.22	—42
पी०ओ०विजाग	641	12.47	*1306	*26.60	*1204	*22.43	—274
मध्य प्रदेश	18856	320.91	18026	327.52	26334	506.88	17186
महाराष्ट्र	44545	810.68	32575	613.71	42803	837.00	30953
गुजरात	8391	144.47	8253	150.53	8785	168.69	7166
पी०ओ० कांडला	—104	—1.28	—11040	—194.66	—21712	—405.86	731
पी० पी० कलकत्ता	36124	616.75	36993	717.96	9818	223.81	17580
असम	28854	500.43	39278	687.17	44452	943.97	46517

गेहूँ, चावल और धान(चावल के हिसाब से)
भण्डारण हानियों को बताने वाला विवरण

मूल्य रुपयों/लाखों में (मात्रा मीटरी टन में)

भण्डारण हानियां								
1980-81	1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
9	10	11	12	13	14	15	16	17
213.25	*40	*0.17	336	6.55	1035	22.27	132	3.25
65.39	167156	3118.86	138441	2889.09	103100	2350.50	98617	2146.40
64.73	2234	47.03	2298	52.91	482	27.13	—3868	—46.48
253.98	—414	—2.42	6273	128.71	11019	227.82	5922	154.81
269.88	153	4.86	—1866	*33.44	—151	*2.36	990	21.50
124.02	143	3.10	861	16.25	2663	55.94	788	18.05
0.19	—145	—2.41	8	0.21	83	1.78	36	0.95
440.91	1901	32.73	10662	197.95	13318	282.09	11976	278.06
361.59	20711	361.73	1474	25.78	3879	76.13	3488	80.99
309.20	548	11.00	1343	26.23	3016	63.39	1702	39.51
531.88	12748	232.67	11290	232.23	12447	285.05	2422	66.06
—1.13	—140	—2.37	—291	—5.98	*1598	*27.71	40	0.33
—5.26	—1687	*26.35	739	12.75	2373	41.70	488	8.55
341.98	11164	196.81	11453	223.70	13581	260.06	10010	230.15
628.79	7786	118.25	8306	170.50	3953	90.15	3853	87.61
147.44	1047	19.51	1509	29.79	2205	44.91	1953	32.56
13.55	396	7.62	—85	1.15	144	—0.01	251	3.27
368.96	—810	*9.02	4947	89.84	7982	152.74	13471	266.68
1007.94	1613	24.04	7308	132.53	1900	30.95	1593	36.65

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	42108	708.15	71832	1327.35	82357	1616.30	46348
उड़ीसा	10761	176.52	19017	343.94	21758	422.59	16458
एम० ई० एफ०	5447	113.26	13322	254.10	12321	263.47	15410
पश्चिमी बंगाल	188188	1927.42	158253	3117.83	124331	2629.19	72690
जोड़	409954	7155.80	514104	9767.92	466569	9579.25	391321

वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई

2037. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में शुरू हुए चालू मौसम में वनस्पति उद्योग को आयातित तेलों की सप्लाई करने के लिए नई नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त नीति उपभोक्ताओं के हित में वर्तमान वनस्पति निर्माण लागत को किस प्रकार कम कर पायेगी; और

(घ) विभिन्न वनस्पति निर्माता एककों की खाद्य तेलों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा और उसे किन एजेन्सियों के माध्यम से दिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). 15 नवम्बर, 1985 से लागू नीति के अनुसार, इस समय वनस्पति उद्योग को वनस्पति के उत्पादन के लिए उनकी आवश्यकता के 60 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आयातित तेल का इस्तेमाल करने की अनुमति है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत एक्सपेलर सरसों का तेल इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है।

(ग) वनस्पति की मौजूदा उत्पादन लागत कम नहीं हो सकेगी। तथापि, इससे तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और तिलहनों पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिलेगा। इससे आयात को कम करने और उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में कमी करने में भी मदद मिलेगी।

(घ) इस समय, वनस्पति एककों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन हर तिमाही में उनके औसत मासिक उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है। खाद्य तेलों के आयात करने के लिए मार्गीकरण अभिकरण राज्य व्यापार निगम है।

9	10	11	12	13	14	15	16	17
902.05	2743	41.36	2839	54.59	5663	79.51	3770	72.54
312.13	1237	20.85	5955	54.72	3203	64.45	5272	110.67
359.22	743	12.94	887	14.29	904	19.84	891	20.02
1558.99	12815	225.43	14144	272.53	16266	348.13	15674	320.87
8274.60		4436.05		4592.88		4486.46		3953.00
	241902		225831		207467		179171	

कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र

2038. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने क्षेत्र पर कृषि होती है; और

(ख) कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार, जैसाकि सातवीं योजना में निर्धारित किया गया है, के आधार पर कृषि उत्पादन में वृद्धि की कितनी क्षमता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान कुल कृषिगत क्षेत्र करीब 1550 लाख हैक्टार होने का अनुमान है।

(ख) खेती के तहत क्षेत्र में विस्तार पर आधारित कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की अब केवल सीमित क्षमता मौजूद है। दूसरी ओर, सातवीं योजना में विनिर्दिष्ट उत्पादन लक्ष्य मुख्यतः सिंचाई में विस्तार करने सहित आदानों का अधिक उपयोग करके प्रति हैक्टार उपज में हुई वृद्धि पर निर्भर करेगा। इससे अन्य बातों के साथ-साथ सकल सस्यगत क्षेत्र में वृद्धि करने तथा फसल की गहनता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

बम्बई समुद्र तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

2039. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग द्वारा बम्बई की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ख) बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस उपेक्षा का कारण बम्बई के निकट अधिक मछली पकड़ा जाना है ;

(घ) महाराष्ट्र समुद्र तट पर अत्यधिक मछली पकड़े जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं के प्रवेश के कारण कम मछली मिल रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो कम मछली मिलने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वाणिज्यिक जलपोतों और भारत सरकार के जलपोतों को कोई भी अड्डा आबंटित नहीं किया जाता है। उन्हें परम्परागत

और पंजीकृत क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्रों से परे भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। तथापि, किराए पर लिए गए मछली पकड़ने वाले विदेशी जलपोतों को परिचालन विशेष अड्डे आबंटित किए जाते हैं। परन्तु, सुरक्षा कारणों से किराए पर लिए गए जलपोतों को बम्बई आबंटित नहीं किया जाता है। इस समय गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले किसी भी जलपोत के बम्बई से मछली पकड़ने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) से (च). महाराष्ट्र से अधिक मछली पकड़ने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र से पकड़ी गई समुद्री मछलियों की स्थिति निम्नलिखित है;

(पकड़ी गई मछलियां मीटरी टन में)

1982	1983	1984 (अनन्तिम)
320433	289914	321460

गत तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई मछलियों में भिन्नता का कारण प्राकृतिक उतार-चढ़ाव है।

दूरदर्शन के लिए फिल्मों का चयन

2041. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दर्शक आजकल दूरदर्शन पर, विशेषतया दिल्ली में दिखाये जाने वाली फिल्मों को पसन्द नहीं करते हैं यद्यपि पुरस्कार विजेता फिल्में दिखाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सप्ताह में दो-दो फिल्में दिखाने की पूर्व प्रथा अपनायेगी अथवा दूरदर्शन पर दिखाये जाने के लिए बेहतर फिल्मों का चयन सुनिश्चित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास इस प्रकार की कोई फार्मेट के लिए बड़े पैमाने पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है।

(ख) और (ग). पुरानी परिपाठी को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूरदर्शन द्वारा विषयात्मक उत्कृष्टता, आदि की उच्चतम गुणवत्ता वाली फिल्मों का चयन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट की जाने वाली तीन श्रेणियों की फिल्मों के लिए देय दरों में वृद्धि तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से टेलीकास्ट की जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के लिए दरों में आनुपातिक वृद्धि की गई है। उम्मीद है कि दूरदर्शन दर्शकों को दिखाने के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली बाक्स आफिस फिल्मों को प्राप्त कर सकेगा।

राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा की गई प्रगति

2042. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा स्थापना से लेकर अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड प्रगति को प्रदर्शित करने वाला संलग्न विवरण- 1 में दिया गया है।

(ख) बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं के सम्बन्ध में संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड तिलहन उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग का समेकित विकास सम्बन्धी व्यवस्था करने की दृष्टि से 8 मार्च, 1984 से राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के तहत गठित किया गया है।

नियमित कार्यकारी निदेशक ने 22-7-1985 के अपराह्न से बोर्ड का कार्यभार संभाला।

बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। तथापि, दिल्ली में भीड़-भाड़ के कारण इस प्रयोजन के लिए फरीदाबाद या गाजियाबाद में विकल्प पर विचार किया गया। अन्त में बोर्ड के मुख्यालय को गुड़गांव में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालन में बोर्ड के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 26.28 लाख रुपए में 4.54 एकड़ भूमि का एक भू-खण्ड खरीदा गया। परन्तु अभी तक गुड़गांव में जगह किराए पर नहीं ली गई है, और इस भू-खण्ड पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भी कदम नहीं उठाए गए हैं क्योंकि विभिन्न स्थानों के लाभ और हानियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के मुख्यालय के स्थान के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

इस समय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक दिल्ली में बैठकर ही कार्य कर रहा है। अन्तरिम प्रबंध के रूप में सरकार ने तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद से कहा है कि वह बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को अपना कार्य करने में मदद करे। तिलहन विकास निदेशालय के निदेशक से भी कहा गया है कि वह बोर्ड के सचिव के रूप में मौजूदा कार्यों का कार्यभार संभाले।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 7 में की गई व्यवस्था के अनुसार तिलहन विकास निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बोर्ड में स्थानान्तरण करने की कार्यवाई आरम्भ की गई है।

बोर्ड की पहली बैठक 20 जुलाई, 1984 और दूसरी बैठक 24 अक्तूबर, 1985 को दिल्ली में हुई थी। बोर्ड की प्रबन्ध समिति की पहली बैठक भी 17-10-1985 को दिल्ली में ही हुई थी।

विवरण-2

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं के सम्बन्ध में विवरण

20 जुलाई 1985 को नयी दिल्ली में हुई अपनी पहली बैठक में बोर्ड ने बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाने का निर्णय लिया, जिसमें क्षेत्रीय बीज फार्म स्थापित करना, तिलहनों और वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रशिक्षण और परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण संस्थान की स्थापना स्थापित करना, तिलहन विकास और सम्बद्ध मामलों में आने वाले अवरोधों पर अध्ययन करना शामिल है।

2. बोर्ड का मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने के लिए सभी हितों जैसे तेल उद्योग, व्यापार, अनुसंधान और विकास को शामिल करके एक सेमिनार आयोजित करने का भी प्रस्ताव है, सेमिनार में विचार-विमर्श के आधार पर एक कागज तैयार किया जाएगा, जो देश में वनस्पति तेल उद्योग के विकास हेतु बोर्ड के लिए कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

3. प्रस्तावित संस्थान के लिये सर्जित किए जाने वाले संगठनात्मक ढांचे और सुविधाओं के ब्यौरे की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, इस पैनल से इस प्रश्न की जांच करने के लिए भी कहा जाएगा कि क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक पृथक संस्थान का सृजन किया जाए या मौजूदा संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं में कार्मिकों और सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए।

4. बोर्ड का यह भी प्रस्ताव है कि बिनौले, चावल की भूसी, वृहत मूलक तिलहन तथा वनस्पति तेलों के अन्य गैर परम्परागत स्रोतों के दोहन पर 1986 में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाए ताकि उनके दोहन के क्षेत्र में अवरोधों और अवसरों का पता लगाया जा सके। बोर्ड के तहत विशेषज्ञों का एक पैनल सेमिनार में दिए गए सुझावों की जांच करेगा और उनके क्रियान्वयन के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करेगा।

5. 24 अक्तूबर, 1985 को नई दिल्ली में हुई बोर्ड की दूसरी बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं :—

(1) निम्नलिखित पर एक स्थायी समिति गठित करना

(क) अनुसंधान, विस्तार और आदान

(ख) फसल आकलन, विपणन और मूल्य

(ग) तेल प्रौद्योगिकी और तेल परिसंस्करण उद्योग

(घ) ऋण और सहकारिता

(2) तिलहनों और वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पान, परिसंस्करण, विपणन, मूल्य, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, तथा परिसंस्करण सुविधा और अनुसंधान इत्यादि के सभी पहलुओं को शामिल करके दीर्घकालीन नीति का विकास करना।

(3) राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेल नीति का विकास करना।

6. इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7. बोर्ड की प्रबन्ध समिति ने 17 अक्तूबर, 1985 को हुई अपनी पहली बैठक में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया :—

(1) तिलहन फसलों के आधारों और प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं मिनिकिटों के वितरण की योजना।

(2) नए क्षेत्रों में तिलहनों का विकास करना।

(3) तिलहनों में फसल प्रतियोगिता और "तिलहन पंडित" पुरस्कार के लिए योजना।

(4) तेल तत्व के आधार पर तिलहन उत्पादकों को मूल्य का भुगतान करने के लिए मार्गदर्शी योजना।

5. केरल में छोटी जोतों पर रेड आयल पाम उगाने पर सम्भाव्यता अध्ययन।

6. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रेड आयल पाम के बड़े पैमाने पर पौधे लगाने हेतु, उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाना।

8. उपर्युक्त मद (1) और (2) के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया है कि इनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व तिलहन और वनस्पति तेलों के विकास का पूर्ण परिप्रेक्ष्य ज्ञात किया जाना चाहिए।

9. मद (5) के सम्बन्ध में भी समिति के ध्यान में ये बात लाई गयी कि शायद नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय ने भी विगत समय में एक ऐसा ही अध्ययन किया था। यह निर्णय लिया गया कि आगे कार्रवाई करने से पूर्व उस मन्त्रालय से सूचना और आंकड़े प्राप्त कर लिए जाएं।

10. मद (6) के सम्बन्ध में समिति ने यह निर्णय लिया कि इस पर विचार करने से पूर्व इस विषय पर वन अनुसंधान संस्थान के भूतपूर्व विदेशक, श्री के० एम० तिवारी द्वारा कुछ समय पूर्व तैयार की गयी रिपोर्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि उस रिपोर्ट में शामिल न किए गए मुद्दे को ही इस योजना में शामिल कर लिया जाए।

11. संख्या (3) और (4) पर आगे कार्रवाई करने हेतु समिति द्वारा योजनाएं अनुमोदित की गई। योजना (3) में मूंगफली और तोरिया/सरसों के अलावा, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए कृषि पंडित के पुरस्कार की मंत्रालय की योजना में पहले ही शामिल लिया हुआ है, तिलहन उत्पादकों को "तिलहन पंडित" के पुस्कार की व्यवस्था है।

12. मद (4) की योजना में तेल तत्व के आधार पर मूल्यों के भुगतान को सरल बनाने के लिए तिलहनों के वैज्ञानिक परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

13. इन योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के संबंधित विभागों, राज्य सरकारों और सम्बन्धित स्वायतशासी निकायों के सहयोग से किया जाएगा।

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में निर्मित होटल

2043. **सनत कुमार मण्डल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाड 82 के दौरान इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में निर्मित होटल को वित्त मन्त्रालय को उसके कार्यालय के प्रयोग के लिए सौंपने हेतु सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस होटल के निर्माण पर कुल कितना परिव्यय हुआ और वहां नियुक्त कर्मचारियो के वेतन, बिजली, पानी आदि के खर्च पर की गयी राशि सहित उसके रख-रखाव पर कितना वार्षिक खर्च हुआ; और

(घ) इसकी वर्तमान उपयोगिता और अब तक की आय क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) होटल अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5.76 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। निर्माण आदि की वास्तविक लागत निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद ज्ञात होगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश द्वारा फसल बीमा योजना में संशोधन

2044. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है जिसमें इसे असाधारण भौगोलिक क्षेत्र और राज्य में अलग-अलग कृषि पर्यटन को अनुरूप बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो राज्य ने किन वास्तविक संशोधनों की मांग की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). जी हां। वृहत फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्न सुझाव दिए गये हैं।

(1) ब्लाक की बजाय गांव को बीमा का इकाई क्षेत्र बनाया जाये;

(2) योजना में अदरक, आलू और बागवानी फसलों को भी शामिल किया जाये ; और

(3) दलहन और तिलहन फसलों के लिए इस योजना को वैकल्पिक बनाया जाये।

कृषि मन्त्रालय में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, ताकि विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों की जांच की जा सके और उन संशोधनों, जो योजना में किये जाने हैं, के बारे में सिफारिशें की जा सकें।

रेडियो टी० वी० स्टेशनों के लिए कार्यक्रम परामर्श समितियों का गठन

2045. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र में रेडियो/दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कार्यक्रम परामर्श समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका गठन किस किस तारीख को किया गया था और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन समितियों का गठन किस तारीख तक किया जायेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यक्रम सलाहकार समितियां उन सभी आकाशवाणी केन्द्रों में गठित की जाती हैं जो दैनिक आधार पर न्यूनतम 5.30 घण्टे का मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की समितियां कार्यक्रम निर्माण दूरदर्शन केन्द्रों में भी गठित

की जाती हैं। गैर-सरकारी सदस्यों को मोटे तौर से सेवा क्षेत्र के सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक आदिवासी, महिलाओं के कल्याण आदि से सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। समितियों की संरचना के लिए सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। सूचियों की छानबीन की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद समितियों का गठन कर दिया जाएगा।

राज्यों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के पृथक चैनल

2046. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्यों ने दूरदर्शन/आकाशवाणी पर पृथक चैनल की मांग की है ताकि क्षेत्रीय स्वरूप के उनके कार्यक्रमों के लिए माध्यम में उपलब्ध हो सके ;

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य ने क्या विशिष्ट अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मामले में उनके अनुरोध पर क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2047. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित कितने ग्रामीण विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश की कितनी परियोजनाएँ केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). इस मन्त्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वे हैं— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तथापि, केवल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के मामले में परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे स्वीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है। तथापि, पहले से अनुमोदित की गई तीन परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। संशोधन प्रस्तावों को अभी स्वीकृति दी जानी है क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछेक अपेक्षित अतिरिक्त सूचना अभी भेजनी है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना की सूची।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)
1.	लखनऊ जिले में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण	309.78
2.	बहराइच जिले में सम्पर्क सड़कों का निर्माण तथा बाढ़ सुरक्षा उपाय	249.33
3.	बुन्देलखण्ड जिले में रोक बांधों तथा बंधियों का निर्माण	470.00
4.	रायबरेली जिले में सड़कों का निर्माण, वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना, पुलों तथा गुल का निर्माण ऊसर भूमि में पौध रोपण	525.43
5.	सुलतानपुर जिले में सड़कों का निर्माण तथा उन्हें चौड़ा करना, नालियों तथा सम्पर्क नालियों की व्यवस्था, सड़क के किनारे पौधरोपण, वृक्षारोपण तथा ऊसर भूमि में सामाजिक वानिकी	384.24
6.	फरुखाबाद जिले में नालियों, सड़कों का निर्माण, मछलियों के तालाबों को गहरा बनाना	82.89
7.	फतेहपुर जिले में नालियों, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों तथा सिंचाई की नालियों का निर्माण	184.62
8.	देहरादून जिले में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण तथा भूमि-संरक्षण कार्य	274.06
9.	मिर्जापुर जिले में भूमि तथा जल संरक्षण	300.00
10.	अलीगढ़ जिले में नालियां बनाना	123.23
11.	नैनीताल जिले में गुलों का निर्माण तथा भूमि संरक्षण कार्य	65.20
12.	पीलीभीत जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्य, जल संवाहिकाओं तथा नालियों का निर्माण	53.00
13.	बस्ती जिले में बांधों का निर्माण	74.20
14.	कानपुर नगर जिले में नालियों का निर्माण	29.43
15.	एटा जिले में ऊसर सुधार	114.10
16.	झांसी जिले में सड़कों का निर्माण, तालाबों की मरम्मत आदि।	43.11

17.	बिजनौर जिले में ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण	198.911×
18.	बाराबंकी जिले में संपर्क सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	102.80
19.	हमीरपुर जिले में भूमि संरक्षण, वनरोपण, राज्य ट्यूबवैल/नालियों तथा संपर्क सड़कों का निर्माण	100.25
20.	पौड़ी गढ़वाल जिले में सड़कों, पुलों, गुलों आदि का निर्माण	249.766
21.	जालौन जिले में ट्यूबवैलों के लिए खेत की नालियों तथा पुलियों का निर्माण	209.98××
22.	जौनपुर जिले में सड़कों, सिंचाई की नालियों तथा नालियों का निर्माण	300.02
23.	चमौली जिले में सड़कों का निर्माण, भूमि संरक्षण कार्य तथा गुलें बनाना	131.43
24.	प्रतापगढ़ जिले में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	199.11
25.	सहारनपुर जिले में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	185.021
26.	सीतापुर जिले में नालियों का निर्माण/नवीकरण	249.878
27.	कानपुर (देहात) जिले में नालियों तथा सड़कों का निर्माण	200.15
28.	वाराणसी जिले में संपर्क सड़कों का निर्माण	269.54×××
29.	टिहरी गढ़वाल जिले में सड़कों, स्कूल भवनों का निर्माण तथा भूमि संरक्षण	205.24
30.	गोरखपुर जिले में संपर्क सड़कों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य आदि	341.185
31.	बलिया जिले में सड़कों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य आदि	229.71
32.	आगरा जिले में सड़कों, नालियों तथा पुलियों का निर्माण।	200.04
33.	पिथौरागढ़ जिले में संपर्क सड़कों, स्कूल तथा पंचायत भवनों आदि का निर्माण	259.71
34.	मुरादाबाद जिले में सड़कों का निर्माण, तालाबों की गाद निकालना, भूमि संरक्षण आदि	172.00
35.	बरेली जिले में सड़कों, नालियों तथा तालाबों का निर्माण	200.60

× राज्य गन्ना विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली 56.245 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

×× राज्य/जिला योजना द्वारा दी जाने वाली 184.52 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

××× जिला क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली 101.59 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

36.	रामपुर जिले में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	66.96
37.	इटावा जिले में संपर्क सड़कों का निर्माण तथा सामाजिक वानिकी कार्य	320.00
38.	इलाहाबाद जिले में संपर्क सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	200.00
39.	मथुरा जिले में संपर्क सड़कों का निर्माण	208.05
40.	मैनपुरी जिले में सड़कों, नालियों, तालाबों का निर्माण	250.187
41.	मेरठ जिले में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	208.75
42.	शाहजहांपुर जिले में सड़कों, नालों का निर्माण, तालाब की गाद निकालना, बाढ़ सुरक्षा कार्य	199.82
43.	गाजियाबाद जिले में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	202.41
44.	गोंडा जिले में नालियों तथा संपर्क सड़कों का निर्माण	250.50
45.	अल्मोड़ा जिले में सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई कार्य आदि	130.30
46.	उत्तरकाशी जिले में सड़कों का निर्माण, सिंचाई कार्य	260.147
47.	मुजफ्फर नगर जिले में सड़कों, नालों, पुलों आदि का निर्माण	127.99
48.	फैजाबाद जिले में संपर्क सड़कों का निर्माण	200.00 ×
49.	उन्नाव जिले में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	200.00
50.	लखीमपुर जिले में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	206.440
51.	देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा आदि का कार्य	302.937
52.	गाजीपुर जिले में सड़कों, तथा नालियों का निर्माण	159.000 × ×
53.	बुलन्दशहर में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण	148.74 × × ×
54.	ललितपुर जिले में सड़कों आदि का निर्माण	281.381
55.	बांदा जिले में सड़कों तथा सिंचाई की नालियों का निर्माण	200.130
56.	बदायूं जिले में सड़कों आदि का निर्माण	249.33
57.	हरदोई जिले में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	224.97
58.	आजमगढ़ जिले में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	307.77

× लोक निर्माण विभाग जिला योजना से प्राप्त होने वाली 45.00 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

× × जिला योजना निधियों से प्राप्त होने वाली 91.00 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

× × × विभागीय निधियों से उपलब्ध होने वाली 22.40 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

59.	नैनिताल जिले में सड़कों का निर्माण	273.08
60.	अल्मोड़ा जिले (पूरक परियोजना) में लघु सिंचाई कार्यों, स्कूल भवनों, सड़कों आदि के निर्माण हेतु परियोजना	186.730
61.	पीलीभीत जिले में (पूरक परियोजना) में सड़कों तथा नालियों का निर्माण	237.348—
62.	मेरठ जिले (पूरक परियोजना) में सड़कों का निर्माण	228.25
63.	फरुखाबाद जिले में सड़कों, नालियों का निर्माण, तथा ऊसर भूमि का सुधार	137.125
64.	बिजनौर जिले में खड्ड वाली भूमि का सुधार	74.37
65.	हमीरपुर जिले में गुलों का निर्माण तथा भूमि व जल संरक्षण कार्य	59.175
66.	प्रतापगढ़ जिले में नहरों तथा स्कूल भवनों का निर्माण	42.330
67.	मैनपुरी जिले में भूमि सुधार, मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण, पौध रोपण तथा चैक बांधों का निर्माण	143.813
68.	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण	7590.00 ——
69.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आवासों का निर्माण	2,648.00

सोयाबीन का उत्पादन

2048. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० ने वर्ष 1977-78 और 1980-81 के बीच सोयाबीन के मूल्य में वृद्धि की है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में सोयाबीन के उत्पादन वर्ष 1977-78 में 1.5 लाख टन से बढ़कर इस समय 10 लाख टन हो गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ। इस अवधि के दौरान नाफेड द्वारा वर्षवार की गई खरीद निम्न प्रकार है :—

—इसके अलावा राज्य सरकार वर्ष 1984-85 के दौरान 40.00 लाख रुपए तथा 1985-86 में 82.00 लाख रुपये उपलब्ध करायेगी ताकि इस परियोजना के अन्तर्गत सड़कों पर तारकोल डालने का काम सुनिश्चित किया जा सके।

——राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली 6,000.00 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

वर्ष	खरीदी गई मात्रा (मीटरी टन में)
1977-78	2,054
1978-79	65,917
1979-80	18,291

(ख) देश में सोयाबीन का उत्पादन 1977-78 के 1.83 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 9.34 लाख मीटरी टन हो गया है। 1985-86 के लिए उत्पादन के अनुमान अभी निश्चित नहीं किए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने में विभिन्न घटकों का योगदान होता है। इस सम्बन्ध में मूल्य समर्थन योजना प्रोत्साहन देने का एक उपाय है।

उड़ीसा में मत्स्य परियोजना

2049. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार ने उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी नार्वेजियन एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट (नोराड) के माध्यम से कुछ मत्स्य विकास परियोजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार और मंजूर कर ली गयी है और यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं के नाम क्या हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे तथा उनको कार्यान्वित करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं में से उड़ीसा के बालासोर जिले में कासाफल भी शामिल है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इसे कितने समय में आरम्भ और पूरा किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). बालासोर जिले के कासफल क्षेत्र में उड़ीसा मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार और नार्वे की सरकार के बीच 11 अक्तूबर, 1985 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कासाफल क्षेत्र के लोगों के सामान्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना है जिसमें मछुआरों के परिवारों पर विशेष बल दिया जाएगा और यह एक प्रायोगिक योजना होगी जिसे भविष्य में बालासोट तटवर्ती क्षेत्र के अन्य भागों में विकसित किए जाने की सम्भावना है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं पहुंच सड़क का निर्माण, जलयानों के गियर में सुधार, बर्फ संयंत्र और शीत भण्डार का निर्माण, माल उतारने सम्बन्धी सुविधायें आदि। इस परियोजना की कुल लागत 225 लाख रुपये है। एक नार्वेजियन सामाजिक मानव विज्ञानी पहले ही बालासोर पहुँच चुका है और उसने उस क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों के लिए अपनी प्रश्नावली को अन्तिम रूप दे दिया है। यह परियोजना 1990 तक पूरी की जानी है।

भूमि कटाव के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझावों का कार्यान्वयन

2050. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बताया है कि भूमि के कटाव से उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है और सरकार से अनुरोध किया है कि भूमि को खेती योग्य बनाने तथा मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को सुझाव दिया गया था कि वे भूमि के सुधार और पुन:स्थापन और मृदा और जल के संरक्षण के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें। इसके अनुसरण में, राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक योजनायें शुरू की गईं जिनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कृषि विषयक, इन्जीनियरी और जैव विज्ञान उपायों से कृषि भूमि और कुछ गैर-कृषि भूमि का उपचार करना है। मृदा और भूमि उपयोग सम्बन्धी करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है ताकि प्राथमिकता वाले/प्रतिक्रियाशील क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सवण क्षेत्र के मूल संलक्षणों को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, राज्यों को अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित मृदा संरक्षण योजनाओं के जरिए सहायता भी दी गयी। सरकार ने 1985-86 के दौरान ये कार्यक्रम जारी रखे हैं : मृदा कटाव नियन्त्रण, झूम खेती के अन्तर्गत क्षेत्रों का उपचार प्रमुख और मध्यम जलाशयों की गाद को कम करना, उपजाऊ मैदानों में बाढ़ के खतरे को कम करना और शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों सहित अवक्रमित और कम उपयोग किए गए क्षेत्रों को पुन: उपयोग में लाना ताकि उत्पादी प्रबन्ध के लिए भूमि की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त की जा सके, आदि। शुरू किए गए विशेष कटाव विरोधी उपाय ये हैं : कंटूर बांध और सीढ़ीदार खेत बनाना, बाड़ लगाना और खाई बनाना, वृक्षारोपण, चरागाह भूमि का विकास गली और रोक अपवाह नियन्त्रण करने के लिए मृदा संरक्षण इन्जीनियरी संरचनाओं का निर्माण करना, तटवर्ती बालू के टिब्बों, जल उपयोग संरचनाओं का स्थिरीकरण आदि। 1984-85 तक लगभग 1222 करोड़ रुपये की लागत से 293.8 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में नयी शुरुआत करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना में निम्नलिखित प्रस्तावित नयी केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :—

1. 102.70 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2.09 लाख हैक्टार का उपचार करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का सुधार और विकास करना।

2. 5 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने और 20 लाख हैक्टार क्षेत्र के सर्वेक्षण और वर्गीकरण के लिए 255 करोड़ रुपए के परिव्यय से कृषि योग्य भूमि और चालू परती भूमि के अलावा अन्य भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण और सुधार करना।

3. 25,000 झूमिया परिवारों को बसाने के लिए 75 करोड़ रुपए के परिव्यय से 13 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में झूम खेती का नियन्त्रण करना।

4. एक लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने के लिए 80 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जलमग्न क्षेत्रों का संरक्षण और विकास करना।

5. 0.5 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने के लिए 60 करोड़ रुपए के परिव्यय से तटीय लवणीय रेतीले क्षेत्रों का विकास करना।

6. 6.40 करोड़ रुपए के परिव्यय से राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को सुदृढ़ बनाना।

7. 3 करोड़ रुपये के परिव्यय से राज्य मृदा संरक्षण संगठनों को सुदृढ़ बनाना।

केरल में शहरी प्राथमिक सेवा कार्यक्रम

2051. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मास्टर प्लान में शहरी प्राथमिक सेवा कार्यक्रम के नाम से एक नया कार्यक्रम शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना में केरल का अल्लैपी जिला भी शामिल है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

भारतीय मानक संस्थान के कार्यकरण में सुधार

2052. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मानक संस्थान को अपने मानक लागू करने और/अथवा संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए पर्याप्त धनराशि जनशक्ति और जाँच प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस्म नियन्त्रण और मानकीकरण के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(घ) सरकारी निविदाओं के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं को भारतीय मानक संस्थान के स्तर में ढील देने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि औद्योगिक क्षेत्र अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारतीय मानक संस्थान के मानदण्ड अपनाए ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी हाँ। भारतीय मानक संस्था को योजना के अधीन पूंजीगत परियोजनाओं, जिनमें परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु, उपकरण भी शामिल हैं, के लिए पर्याप्त धन दिया जाता है।

भारतीय मानक संस्था को पर्याप्त शक्तियाँ देने के लिए, भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 में संशोधन कराने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। जैसे ही प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा, विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) सरकार, उद्योगों में गुणता नियंत्रण तथा मानकीकरण का पूरा समर्थन करती है।

(घ) सरकारी विभाग आई० एस० आई० उत्पादकों को तरजीह देते हैं। इस पद्धति में कभी

कभी दी गई ढील निविदा प्रणाली पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक दरों के अनुसार की जाने वाली खरीदारी के कारण हो सकती है।

(ङ) यद्यपि भारतीय मानक स्वैच्छिक स्वरूप के हैं, तथापि, भारत सरकार ने आम खपत के 93 उत्पादों, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, के लिए भारतीत मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण की संकल्पनाओं का प्रचार करने के लिए, भारतीय मानक संस्था नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है और गुणता नियंत्रण की सहायता से उद्योगों को क्वालिटी का उत्पादन करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करती है।

सिन्द्री यूनिट को कोयले का परिवहन

2053. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम लि० के सिन्द्री यूनिट को तसरा से कोयला ढोने वाले परिवहन ठेकेदारों ने असामान्य दर पर निविदा देकर तथा अन्य व्यक्तियों को कम दर पर निविदा भरने से रोक कर एक सिन्डीकेट बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का परिवहन दरों का उल्लेख करते हुए तथ्यों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ठेकेदार, जिसने सिन्द्री संयंत्र से यूरिया की ढुलाई की कम दर का निविदा दिया था, ठेका दिया जाने के बावजूद भी सिन्डीकेट के धमकी के कारण कुछ भी ढुलाई नहीं कर सका, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिन्डीकेट बनाने वाले अधिकांश ठेकेदार धनबाद मालिक के हैं; और

(ङ) इन माफिया ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क), (ख) और (घ). फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के पास परिवहन ठेकेदारों के सिन्डीकेट के विद्यमान होने का कोई सबूत नहीं है। चालू वर्ष तथा गत दो वर्षों के दौरान तसरा से कोयला परिवहन करने के लिए अनुमेय दरें नीचे दी गई हैं :—

(रु० एम० टी०)

1983-84	1984-85	1985-86
10.95	10.95	17.48

(ग) सबसे निम्न टेंडर भरने वाले व्यक्तियों से उपर्युक्त दरों पर यूरिया परिवहन करने के लिए वर्ष 1985-86 के लिए ठेका दिया गया था, वे अभी यथा सूचित कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धमकाये जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया है;

(ङ) कम्पनी स्थानीय कानून एवं व्यवस्था अधिकारियों के साथ मामले पेरवी कर रही है।

प्रति व्यक्ति पेय जल का नुकसान

2054. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न नगरों में प्रति व्यक्ति पेय जल का नुकसान प्रति वर्ष 11,000 लिटर और 31,000 लिटर के बीच है;

(ख) क्या आंकड़ों के अनुसार वितरण व्यवस्था में प्रवाहित होने वाले कुल जल का 20 से 35 प्रतिशत तक जल मुख्यत: पानी की मुख्य लाइन और घरों में पाइपों से पानी के रिसने के कारण बेकार जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा इस संबंध में अध्ययन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन प्रतिवेदन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). मोटेतौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि उन शहरों में जहां वितरण प्रणालियां बहुत पुरानी है तथा जिनकी सामान्य मियाद समाप्त हो गई है, वहां लगभग 20-35 प्रतिशत तक रिसन के कारण वितरण प्रणालियों से पेय जल की हानि हो सकती है।

(ग) और (घ). इस विषय पर राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर ने एक सीमित अध्ययन किया था। अध्ययन से प्रकट हुए मुख्य-मुख्य मुद्दे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सम्बन्धित स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए मन्त्रालय प्रतिवर्ष निवारक प्रबन्ध तथा रिसन अन्वेषण पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त, यह मन्त्रालय "नीरी" द्वारा देश के कुछ चयनित नगरों में वितरण ढांचों के निष्पादन मूल्यांकन पर एक परियोजना प्रवृत्त करने का प्रस्ताव करता है। इस परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ वितरण प्रणालियों की जल हानि भी शामिल होगी जिससे सरकार समस्या की मात्रा का मूल्यांकन करने एवं उचित सुधारात्मक उपाय निकालने में समर्थ होगी।

विवरण

(i) हमारे अधिकांश नगरों में आन्तरायिक जलपूर्ति मुहैया की जाती है।

(ii) भारत के अधिकांश शहरों तथा कस्बों में सही वितरण प्रणाली योजनाएं पाइपों का सही संरेखण प्रदर्शित करना, वाल्वों की अवस्थिति, नलकों तथा पाइपों की सही सूचियां, कूप, घरेलू, कनेक्शन आदि नहीं पाए जाते हैं अथवा आवश्यक ब्यौरों की कमी है। प्रणाली के रोजमर्रा के संचालन तथा अनुसरण में पाइपों, कूपों, नलकों आदि की सूची तथा वितरण योजना तथा विन्यास को आधुनिक बनाने से सहायता मिलेगी।

(iii) यदि कार्मिक उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाएं तो ध्वनि शलाका पद्धति जैसी सस्ती तकनीकी रिशन के पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। जहां कहीं परिष्कृत औचार उपलब्ध हों, वे भी उपयोग में लाए जा सकते हैं।

(iv) अधिकांश घरेलू कनेक्शनों में काक अथवा टोंटियां नहीं हैं अथवा रिसती हैं।

(v) वितरण तन्त्र में उचित पानी के दबाव की आवश्यकता है।

(vi) किसी खास अंचल में रिसन का मुख्य भाग आमतौर पर सकेन्द्रित ढंग में पाया गया है।

(vii) उपभोक्ताओं के उचित विश्वास तथा शिक्षा द्वारा तथा पुर्जों के तत्काल बदलाव से पानी की बरबादी नियन्त्रित की जा सकता है।

(viii) निवारक, अनुरक्षण तथा रिसन अन्वेषण कार्यक्रम सतत चलता रहना चाहिए।

(ix) संशोधित जल की बरबादी रोककर 6 से 18 महीने की अवधि में रिसन अन्वेषण कार्य की लागत का प्रतिकार किया जा सकता है।

(x) रिसन रोककर जलीय बीमारियां नियंत्रित की जा सकती हैं।

(xi) रिसन अन्वेषण तथा नियंत्रण की ओर प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा उचित बल दिए जाने की आवश्यकता है।

(xii) नगर जलपूर्ति विभागों द्वारा रिसन अन्वेषण कक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है।

लक्षद्वीप में पेयजल के लिए सर्वेक्षण

2055. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने के लिए योजनाएं और परियोजनाएं बनाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए अनेक अध्ययन और सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो द्वीप वार विशेष रूप से कवर्ती के सन्दर्भ में इस प्रकार की योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें और ब्यौरा क्या है; और

(ग) कवर्ती जल सप्लाई परियोजना, जिसका शिलान्यास 18 महीने पूर्व किया गया था, के पूरा न होने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान और केरल लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग जैसे संगठनों ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर, द्वीप समूह में पेयजल उपलब्ध करने की योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। करावती जल आपूर्ति परियोजना के प्रथम चरण का निष्पादन हेतु अनुमोदन हो चुका है तथा इस समय परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चितरा द्वीपसमूह योजना में सौर अपक्षारीकरण संयन्त्र का उपयोग करना भी शामिल है। शेष द्वीप समूह हेतु इस योजना में रेडियल कलेक्टर कुंओं से भूमिगत जल निकालना तथा उसे साफ करने के पश्चात सप्लाई करना शामिल है।

चीनी का अभाव और अधिक मूल्य

2056. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1985 के लिए खुली बिक्री हेतु 4 लाख मीट्रिक टन चीनी जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान खुले बाजार में चीनी का अभाव और अधिक मूल्य निरन्तर बने रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो चीनी के निरन्तर अभाव और अधिक मूल्य के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के प्रत्येक महीने के लिए खुली बिक्री की 4.00 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त करने से, खुले बाजार में उपयुक्त मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी।

(घ) आन्तरिक खपत के लिए चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मई, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान आमद के लिए 19.5 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया था। सरकार ने भी स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान करना शामिल है।

दूध के पाउडर का उत्पादन

2057. **श्री ई० अयप्पू रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में 1 अक्तूबर, 1985 तक कुल कितने दूध के पाउडर का उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1985 में दूध के पाउडर का उत्पादन करने वाले कितने कारखानों ने उत्पादन किया; और

(ग) निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में दूध के पाउडर का उत्पादन करने वाले कारखानों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1985 में 1 अक्तूबर, 1985 तक के दुग्ध चूर्ण के कुल उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1984 के दौरान शिशु दुग्ध आहार सहित दुग्ध चूर्ण का कुल अनुमानित उत्पादन लगभग 95,900 मीटरी टन था।

(ख) और (ग). कैलेण्डर वर्ष 1985 (सितम्बर, 1985 तक) के दौरान दूध को सुखाने वाले पांच और संयंत्र आपरेशन फ्लड के तहत लाये गये। 1985 के दौरान निजी क्षेत्र में दूध सुखाने वाला कोई नया संयंत्र चालू नहीं किया गया।

वर्षा के कारण भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के भण्डार की क्षति

2058. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :**

श्री डाल चन्द्र जैन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का 1 अक्तूबर, 1985 को अनुमानित भण्डार क्या था ;

(ख) कितना खाद्यान्न भण्डारण गृह में नहीं रखा गया है; और

(ग) 1 जून से 1 अक्तूबर, 1985 तक वर्षा के कारण खाद्यान्नों के भण्डार की कितनी अनुमानित क्षति हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). पहली अक्तूबर, 1985 की भारतीय खाद्य निगम के पास 168.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 24.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न कवर और प्लिंथ (कैप) भण्डारण में था।

(ग) अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पहली जून, 1985 से पहली अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान 10,000 मीटरी टन खाद्यान्न बाढ़ों और भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए थे।

खाद्यान्नों का उत्पादन और वितरण

2059. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह मूल्यांकन किया है कि वर्ष 1986 में कुल कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी;

(ख) वर्ष 1986 में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होने की आशा है;

(ग) वर्ष 1985 के अन्त तक सरकार के पास कितनी मात्रा में खाद्यान्न शेष रहेगा; और

(घ) सरकार द्वारा 1985 में (सितम्बर तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु कुल कितना खाद्यान्न जारी किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) खाद्यान्नों की आन्तरिक खपत के लिए आवश्यकताओं के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अनाजों की मांग न केवल अनाजों की पैदावार और मूल्यों पर निर्भर करती है बल्कि अनुकल्पिक फसलों, जनसंख्या के आकार, आय स्तर, उपभोक्ताओं की मूल्य सम्बन्धी प्रत्याशाओं जैसे कई एक अन्य तथ्यों पर भी निर्भर करती है।

(ख) 1985-86 के लिए खाद्यान्नों की पैदावार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार, दिसम्बर, 1985 के अन्त तक 201 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होना चाहिए।

(घ) जनवरी से सितम्बर, 1985 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल 72.4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों को जारी किया गया था।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम को डूबते ऋणों से घाटा

2060. **डा० विजय रामाराव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम को डूबते तथा संदिग्ध ऋणों या किसी अन्य कारण से अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम को 31 मार्च, 1985 तक हुई हानि नीचे दी गई है :

	(लाख रुपये)
(9) डूबते और संदिग्ध ऋण	3.81
(2) अन्य हानियां	10.99

दुग्ध उत्पादों का आयात

2061. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्रेशन फ्लड-एक और दो के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में मखनिया दुग्ध पाउडर, बटर आयल और मक्खन का आयात किया गया तथा बेचे गए उत्पादों के प्रायोजन तथा अन्तिम प्रयोग को दर्शाते हुए उक्त उत्पादों की राज्यवार सप्लाई और वसूल की गयी धनराशि का ब्यौर क्या है;

(ख) क्या आयातित दुग्ध उत्पाद, बाल आहार, घी, मक्खन, पनीर, सम्पूर्ण दुग्ध पाउडर, सम्पूर्ण दुग्ध और मानवीकृत दुग्ध अथवा टेट्रायेक दुग्ध के निर्माण के लिए गैर-सरकारी, सहकारी संगठनों और सरकारी डेरियों को भी जारी किए गए और यदि हां, तो किस मूल्य पर; और

(ग) क्या ये उत्पादन सभी राज्यों को जारी किए गए थे, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रौद्योगिकी का प्रयोग

2062. **डा० जी० विजय रामाराव** :

श्री० पी० आर० कुमार मंगलम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केवल 20 प्रतिशत प्रौद्योगिकी का ही प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या शेष 80 प्रयोक्ताओं के लिए अनुपयुक्त वित्तीय दृष्टि से उनकी पहुंच से बाहर है;

(ख) क्या दालों, तिलहनों, नारियल, और बाजरा के बारे में किये गए सफलता के दावों से प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ग) क्या अधिक उपज देने वाली गेहूं की दो आयातित किस्मों को छोड़कर कोई अन्य नये बीज विकसित नहीं किये गए हैं और धान के सम्बन्ध में भी वास्तविक स्थिति यही है;

(घ) क्या जब भी बढ़िया किस्म के बीजों का विकास किया जाता है, उनका प्राय: निर्यात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषकों द्वारा उपयोग में लाई जा रही भा० कृ० अ० प० की प्रौद्योगिकी के प्रतिशत के बारे में प्रामाणिक आकलन उपबन्ध नहीं है, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि नई प्रद्योगिकी की पूर्ण क्षमता का अभी भी अनेक कृषकों द्वारा उपयोग किया जाना है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। दालों, तिलहनों, नारियल और बाजरे के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा इस बात पर निर्भर करता है कि कृषक सिफारिश की गई उत्पादन प्रौद्योकि को अपनाएं। अगर वे अनुशंसित उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो वे प्रक्षेपित (अनुमानित) उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की औसत उत्पादन की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों के अन्तर्गत जो पैदावार प्राप्त हुई है वह दालों में 1½ गुना, तिलहनों में 2½ गुना और बाजरे में 4-5 गुना अधिक है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। गेहूँ की दो प्रजातियों अर्थात् लरमा रोजो और सोनोरा 64 के आयात के बाद से विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अन्तर्गत भारतीय वैज्ञानिकों ने 115 से अधिक गेहूँ की किस्मों का विकास किया है और उन्हें बड़े पैमाने पर उगाने के लिए 9 गेहूँ उगाने वाले राज्यों में वितरित किया गया है। इसी तरह, धान के मामले में केवल पिछले 5 वर्षों के दौरान (80-85) 99 उन्नत किस्में चावल उगाई जाने वाली विभिन्न स्थितियों के लिए रिलीज की गई हैं। इन किस्मों में से 94 किस्में राज्यों द्वारा और 5 किस्में केन्द्रीय-किस्म रिलीज उप-समिति द्वारा रिलीज की गई हैं। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण गेहूं और चावल की किस्में जो लोकप्रिय हो रही हैं—निम्न प्रकार हैं :

गेहूँ

सोनालिका, कल्यान सोना, अर्जुन, एच० डी० 2204, डब्ल्यू० एल० 711, डब्ल्यू एच० 147, यू० पी० 262, एच० पी० 1102, एच० पी० 1209, लोक-1, एच० डी० 2189, एच० डी० 2285, एच० डी०-2329.

धान

महसूरी, सुरेखा, फाल्गुन, प्रभात, जगन्नाथ, पूसा 2-21, जया, रत्ना, राजेन्द्र धान-201 और 202, गौर 1,2, 3,1011, हिम धान, के-332, वी० एल० के० 39, विक्रम, भद्रा, साबरी, अनुपमा, प्रगति, आई० आर०-24, पी० आर० 103 और 106, राशि, चम्बल, सी० ओ० 42, ए० डी० टी० 30।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

फैजाबाद दूरदर्शन केन्द्र में तकनीकी खराबियां

2064. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को फैजाबाद दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में कुछ तकनीकी खराबियों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). फैजाबाद में दूरदर्शन रिले केन्द्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, बिजली चले जाने के कारण सेवा में रुकावटें आने की समय-समय पर रिपोर्ट मिली है। इस प्रकार की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र को एक डीजल जेनरेटर उपलब्ध कर दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में वाइनाड में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

2065. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सर्वाधिक पिछड़े जिले वाइनाड में, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है, एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान वाइनाड जिले के कलपेट्टा में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष-वार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं के अधीन लगभग 25 किलोमीटर की सेवा परिधि के साथ अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट और वायनाड में आकाशवाणी केन्द्र

2066. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के कालीकट रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाने और वायनाड़ में आकाशवाणी का एक नया रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं।

सूरजमुखी के तेल का उत्पादन

2067. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी के तेल का राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ; और

(ख) सातवीं योजनावधि में सूरजमुखी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में सूरजमुखी के तेल के हुए उत्पादन की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन
1982-83	0.81 (लाख मी० टनों में)
1983-84	0.98
1984-85	1.08 (अनुमानित)

सूरजमुखी के तेल के हुए उत्पादन की कुल मात्रा के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विलायक निष्कर्षित सूरजमुखी के तेल का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण पृष्ठ (144-145) में दिया गया है।

(ख) सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, सूरजमुखी की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र को 6984-85 के 6.7 लाख हेक्यटर से बढ़ाकर सातवीं योजना के अन्त में 9.0 लाख हैक्टेयर तक करने का प्रस्ताव है। 1989-90 तक इसके उत्पादन के 5.5 लाख मी० टन तक बढ़ने का अनुमान है। 7वीं योजना में सूरजमुखी के विकास का राज्यवार कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चलाने का प्रस्ताव है।

ताड़ की खेती का लक्ष्य

2068. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान देश में ताड़ की खेती के लिए प्रति वर्ष राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : लाल ताड़ की खेती केरल राज्य तथा अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गयी है जहां इसके विकास के लिए उचित कृषि जलवायु की परिस्थितियां विद्यमान हैं। यह देश के अन्य भागों में नहीं उगाया जाता है। भारत सरकार ने दो छोटी परियोजनाएँ, एक केरल में 4160 हैक्टार क्षेत्र में दूसरी अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, 2400 हैक्टार क्षेत्र में शुरू की हैं। अब तक लाल ताड़ के वनरोपण के तहत केरल में 3705 हैक्टार क्षेत्र और अन्दमान तथा निकोबार में 1436 हैक्टार क्षेत्र लाया गया है। वन भूमि प्राप्त करने में कठिनाई होने की वजह से लाल ताड़ की खेती के लिए कोई वर्ष-वार तथा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

वर्ष, 1983, 1984 और 1985 के दौरान विलायक निष्कर्षित तेल (सूरजमुखी) का राज्यवार उत्पादन

(मात्रा मी० टनों में)

राज्य	1983		1984		1985	
	खाद्य	अखाद्य	खाद्य	अखाद्य	खाद्य	अखाद्य
आंध्र प्रदेश	118 (367)	249	317 (629)	312	587 (697)	110
गुजरात	90 (90)	—	191 (191)	—	— —	—
कर्नाटक	677 (1335)	658	1291 (2503)	1212	1307 (3112)	1805
मध्य प्रदेश	125 (137)	12	13 (23)	10	39 (40)	1
महाराष्ट्र	5013 (5634)	621	1799 (5637)	3838	5748 (7433)	1685
तमिलनाडु	179 (403)	224	1804 (2099)	295	311 (402)	151

उत्तर प्रदेश		—	—	5	10	—	5
		—		(15)		(5)	
	योग	6202	1764	5696	5475	7992	3757
		(7,966)		(11,171)		(11,749)	

टिप्पणी : ऊपर दी गई सूचना विलायक एककों से प्राप्त उत्पादन विवरणियों पर आधारित है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2069. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री अमर सिंह राठवा :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों में दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के रहने तथा खाने की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश में सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था करने हेतु और अधिक ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ङ) देश के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र खोलने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में 89 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। केन्द्रों का राज्य वार वितरण निम्न प्रकार से हैं :—

	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	6
2. अरुणाचल प्रदेश	1
3. असम	2
4. बिहार	8
5. गोआ	1
6. गुजरात	5
7. हरियाणा	3
8. हिमाचल प्रदेश	2
9. जम्मू व कश्मीर	1
10. कर्नाटक	5
11. केरल	4
12. मध्य प्रदेश	5
13. महाराष्ट्र	6
14. मणिपुर	1

	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
15. मेघालय	1
16. मिजोरम	1
17. नागालैंड	1
18. उड़ीसा	5
19. पांडिचेरी	1
20. पंजाब	1
21. राजस्थान	6
22. सिक्किम	1
23. तमिलनाडु	5
24. त्रिपुरा	2
25. उत्तर प्रदेश	10
26. पश्चिम बंगाल	5
कुल :	89

(ख) इन कृषि विज्ञान केन्द्रों में आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण और उसके माध्यम से पता लगायी गयी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रमों को तैयार और विकसित किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्क्रयमों के अन्तर्गत फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, मात्स्यिकी, बागवानी, कृषि अभियान्त्रिकी, गृह विज्ञान आदि विषय क्षेत्र आते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में खेती कार्य करने वाले किसान, कृषि कार्य करने वाली महिलाएं, स्कूल छोड़ने वाले छात्र, और क्षेत्र-स्तर पर विस्तार कार्य करने वाले लोग हैं। पाठ्यक्रम की अवधि किसी विशेष ग्रुप के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है जो एक दिन से लेकर कुछ महीनों तक होती है। कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों के रहने व खाने के प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षणार्थी-छात्रावासों का प्रावधान है। भोजन के लिए इन कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 8 रुपए प्रतिदिन वृत्तिका राशि देने की व्यवस्था की गयी है।

(घ) जी हाँ, श्रीमान।

(ङ) देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने पर परिषद ने विशेष जोर दिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लिए ऐसे विशेष प्रयास जारी रहेंगे।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान

2070. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि शिक्षा और अनुसन्धान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गत तीन वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कृषि शिक्षा और अनुसन्धान लक्ष्य पिछड़ गया है और किसान नवीनतम प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली नवीनतम प्रोद्योगिकी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विभिन्न अध्ययन दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री भोगेन्द्र मकवाना) : (क) कानूनी तौर पर कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान की सम्बन्धित राज्य की जिम्मेवारी है। ये दो कार्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मुख्य रूप से किए जाते हैं। तथापि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस सम्बन्ध में कार्यकरण के निष्पादन हेतु सहायता तथा समन्वय कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुसन्धान संस्थान मुख्यत: राष्ट्रीय कृषि समस्याओं के समाधान में लगे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न किए गए हैं। जहां कहीं भी कमियां है उन्हें दूर करने के लिए नयी प्रायोजनाएं/संस्थाएं भी स्थापित की गयीं हैं। उदाहरण के लिए कृषि वानिकी, कृषि मौसम विज्ञान, दियारा भूमि सुधार, पशु से प्राप्त ऊर्जा, पावर टलर्स, कृषि निकासी, सिंचित ऊर्जा तथा पोषण सप्लाई प्रणाली, सोयाबीन आदि की प्रक्रिया तथा उपयोग पर नयी प्रायोजनाएं शुरू की गई हैं। भैंस के लिए केन्द्रीय संस्थान (हिसार), पशु आनुवंशिकी संसाधन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो तथा पशु आनुवांशिकी का संस्थान (करनाल), याक तथा मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र (अरुणाचल प्रदेश), आश्व (हिसार) तथा ऊंट (बीकानेर) जैसी नयी संस्थाएं भी स्थापित की गयी हैं। कृषि विश्वविद्यालय के साथ मात्स्यिकी, डेयरी तथा कृषि अभियांत्रिकी पर भी कुछ नये महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान का लक्ष्य नहीं पिछड़ रहा है। सामान्य प्रगतिशील किसान कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं परन्तु अन्य सभी किसानों के बारे में यह बात सही नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की उच्च श्रेणी विस्तार प्रणाली तथा कृषि मन्त्रालय/राज्य के कृषि विभागों की मुख्य विस्तार अभिकरणों के द्वारा कृषकों को नयी प्रौद्योगिकी की निश्चित रूप से जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की पहले से ही विद्यमान उच्च श्रेणी प्रौद्योगिकी प्रायोजनायें जो कि कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुसन्धान संस्थाओं के माध्यम से मुख्यत: परिचालित की जाती हैं, को सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों तक शीघ्रता से पहुंचाने हेतु राज्यों में मुख्य विस्तार तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मन्त्रालय /राज्य के कृषि विभागों द्वारा प्रशिक्षण तथा विस्तार दौरा प्रणाली शुरू की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

2071. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : **क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता का उपयोग, जो पौधों को पोषक तत्व सप्लाई करने में मिट्टी को निहित क्षमता का मूल्यांकन करने तथा किसानों को उर्वरक के विवेकपूर्ण और सन्तुलित प्रयोग के बारे में सलाह देने के लिए स्थापित की गई है, भारत में अन्य राज्यों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कारण क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। कुछ राज्यों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता के उपयोग की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालओं की क्षमता का उपयोग कम है।

(ख) अभी तक उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि क्षमता के कम उपयोग के कारण प्रशिक्षण स्टाफ की कमी, बार-बार बिजली में कटौती और उपकरण मरम्मत की सुविधाओं का अभाव है।

(ग) राज्य सरकार को समय-समय पर अपने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता का उपयोग सुधारने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रतोगशालाओं की दक्षता सुधारने के लिए फरवरी और मार्च, 1985 में विधान चन्द्र कृषि विश्व-विद्यालय, पश्चिम बंगाल और असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

पश्चिम बंगाल में पेयजल की सप्लाई

2072. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक ग्रामीण जनता को पेयजल की सप्लाई का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल देश के कुछ अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पश्चिम बंगाल की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध हो गया है;

(ग) भारत के अन्य राज्यों में यह प्रतिशत कितना है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है/देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में पेयजल हेतु शामिल किए गए समस्याग्रस्त गाँवों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल सुलभ

करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहायता देती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, छठी योजना (1980-85) के दौरान पश्चिम बंगाल को 5972.98 लाख रुपए दिए गए। 1985-86 के दौरान अनन्तिम आबंटन 541.13 लाख रुपए है जिसमें से 461 लाख रुपए मुक्त किए जा चुके हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	1-4-80 को समस्याग्रस्त गाँवों की संख्या	शामिल किए गए समस्या-ग्रस्त गाँवों की संख्या* (1980-85)	सातवीं योजना के लिए बचे गाँव	बचे गांवों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8206	8094	112	1.36
2.	असम	15743	8654	7089	45.03
3.	बिहार	15194	14172	1022	6.73
4.	गुजरात	5318	4492	826	15.53
5.	हरियाणा	3440	2122	1318	38.31
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4997	2818	36.05
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4698	2028	2670	56.83
8.	कर्नाटक	15456	15443	13	0.08
9.	केरल	1158	1142	16	1.38
10.	मध्य प्रदेश	24994	23845	1099	4.41
11.	महाराष्ट्र	12935	12016	919	7.10
12.	मणिपुर	1212	819	393	32.43
13.	मेघालय	2927	690	2237	76.43
14.	नागालैंड	649	424	225	34.67
15.	उड़ीसा	23616	22357	1259	5.33
16.	पंजाब	1767	537	1230	69.61
17.	राजस्थान	19803	16043	3760	18.90
18.	सिक्किम	296	212	84	28.38

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	6649	6649	शून्य	—
20.	त्रिपुरा	2800	2486	314	11.21
21.	उत्तर प्रदेश	28505	27143	1362	4.78
22.	पश्चिम बंगाल	25243	15628	9615	38.09

*आंशिक रूप से शामिल किया गया है।

ग्रामीण सड़कों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश

2073. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध धन को इकट्ठा करके ग्रामीण सड़कों को सुधारने के दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य वार उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में निर्धारित लक्ष्य क्या थे और वास्तविक उपलब्धि क्या रही ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के आरम्भ के समय इस मंत्रालय ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों से संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विभागों को यह सलाह दी थी कि वे ग्रामीण विकास से संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विभागों से सम्पर्क स्थापित करें और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करा लें। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संगत कार्य परियोजनाएं जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में सम्पर्क सड़कों के निर्माण की परियोजनाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु शुरू की जा सकती है। इस समय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 906.59 करोड़ रुपये की कुल धन राशि में से ग्रामीण सड़कों की परियोजनाओं का अंश लगभग 55.52 प्रतिशत है। ग्रामीण सड़कों के लिए स्वीकृत निधियों के राज्य वार आंकड़े संलग्न विवरण 1,2,3 और 4 में दिये गए हैं। सड़कों के निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किया जा सकता है। छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 444399 किलो मीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया था। निर्मित सड़कों की लम्बाई के राज्य वार आंकड़े लोक सभा पटल पर रखे गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य पर हुए व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय का क्षेत्रक-ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 और 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सड़कों से जोड़ा जाना है तथा 50 प्रतिशत ऐसे गांवों को छठी योजना के दौरान सड़कों से जोड़ा जाना था। छठी योजना के दौरान दोनों श्रेणियों के गांवों के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण लोक सभा पटल पर रखे गए हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों द्वारा जोड़े जाने वाले गांवों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित सड़क परियोजनाओं की लागत

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	(लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4860.31
2.	असम	1104·79
3.	बिहार	4674.07
4.	गुजरात	1226·02
5.	हरियाणा	182.84
6.	हिमाचल प्रदेश	350.00
7.	जम्मू और कश्मीर	357.33
8.	कर्नाटक	1363.30
9.	केरल	2404.75
10.	मध्य प्रदेश	3837.84
11.	महाराष्ट्र	2894.86
12·	मणिपुर	11.00
13	मेघालय	—
14.	नागालैण्ड	62.84
15.	उड़ीसा	1432.00
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	987.12

1	2	3
18.	सिक्किम	14.79
19.	तमिलनाडु	2417.88
20.	त्रिपुरा	107.56
21.	उत्तर प्रदेश	16624·79
22.	पश्चिम बंगाल	5128·42
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	15.92
24.	अरुणाचल प्रदेश	32.35
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादर और नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	18.19
28.	गोआ, दमन और दीव	64.36
29.	लक्षद्वीप	10.00
30.	मिजोरम	97.60
31.	पांडचेरी	52.74
	अखिल भारत	50333.67

विवरण 2

अभी तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 से लेकर 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/सुधारी गई ग्रामीण सड़कों को दर्शाने वाला विवरण

(किलोमीटर में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	16509	7927	3877	4879
2.	असम	350	846	2963	1049	1576
3.	बिहार	6808	1501	4296	2312	3272
4.	गुजरात	2329	1996	3562	1946	1359
5.	हरियाणा	613	533	256	42	24

1 2	3	4	5	6	7
6. हिमाचल प्रदेश	360	109	386	407	35
7. जम्मू और कश्मीर	1975	910	1265	1123	533
8. कर्नाटक	4021	3696	5387	3226	1663
9. केरल	7115	8464	1992	1632	1535
10. मध्य प्रदेश	—	—	7317	1065	337
11. महाराष्ट्र	11306	329	172	1854	2712
12. मणिपुर	—	36	161	377	900
13. मेघालय	—	—	244	22	409
14. नागालैण्ड	877	480	277	238	53
15. उड़ीसा	24140	10949	9865	3298	5016
16. पंजाब	1664	—	1532	128	2537
17. राजस्थान	1469	289	202	247	882
18. सिक्किम	—	2	130	121	120
19. तमिलनाडु	16871	5724	26129	9157	2238
20. त्रिपुरा	8602	902	1336	772	580
21. उत्तर प्रदेश	64733	5997	1931	2421	3083
22. पश्चिम बंगाल	13121	13490	26870	16757	13945
23. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	5	45	6	17	20
24. अरुणाचल प्रदेश	8	—	6	16	—
25. चंडीगढ़	—	—	—	2	—
26. दादरा और नगर हवेली	—	—	1	8	9
27. दिल्ली	—	—	1	—	—
28. गोआ, दमन और दीव	—	—	—	7	52
29. लक्षद्वीप	—	—	—	7	6
30. मिजोरम	96	168	210	163	312
31. पांडिचेरी	—	35	25	24	26
योग:	166463	73010	104498	52315	48113

विवरण 3

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)

लक्ष्य तथा उपलब्धियां—सड़कें से जोड़े गए 1500 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या

	गांवों की कुल संख्या	छठी योजना के लिए लक्ष्य (1980-85)	छठी योजना के दौरान उपलब्धि (1980-85)	छठी योजना के अन्त तक उपलब्धि (1984-85)
क. राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	7968	220	360	4713
2. असम.	1812	290	201	1411
3. बिहार	9310	2250	2079	6889
4. गुजरात	3664	1223	1132	3573
5. हरियाणा	1754	34	34	1754
6. हिमाचल प्रदेश	121	16	34	98
7. जम्मू व कश्मीर	479	34	35	428
8. कर्नाटक	3747	259	821	2974
9. केरल	1252	—	—	1222
10. मध्य प्रदेश	2990	520	366	2317
11. महाराष्ट्र	6181	2555	2474	5100
12. मणिपुर	126	22	17	92
13. मेघालय	7	—	—	7
14. नागालैंड	47	—	—	47
15. उड़ीसा	4764	1188	950	1462
16. पंजाब	1689	—	—	1689
17. राजस्थान	3300	600	411	2263
18. सिक्किम	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	3762	1264	1264	2498
20. त्रिपुरा	130	44	44	130

21. उत्तर प्रदेश	10899	2642	1559	7174
22. पश्चिम बंगाल	4928	70	123	2630
योग क	*68930*	*13233*	*10904*	*48501*
ख. केन्द्रशासित क्षेत्र				
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4	—	—	4
2. अरुणाचल प्रदेश	18	अप्राप्य	अप्राप्य	—
3. चण्डीगढ़	13	—	—	13
4. दादर व नगर हवेली	25	—	अप्राप्य	22
5. दिल्ली	145	—	—	145
6. गोवा, दमन व द्वीव	154	1	1	153
7. लक्षद्वीप	8	—	—	8
8. मिजोरम	62	9	11	31
9. पांडिचेरी	49	14	8	43
योग ख	478	24	20	420
ग. कुल योग (क व ख)	69408	13257	10924	48921

स्रोत : योजना आयोग

विवरण 4

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)

लक्ष्य तथा उपलब्धियां — सड़कों से जोड़े गए 1000—1500 की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या

	गांवों की कुल संख्या	6ठी योजना के लिए लक्ष्य (1980-85)	छठी योजना के दौरान (1980-85)	छठी योजना के अन्त तक उपलब्धि
क. **राज्य**				
1. आन्ध्र प्रदेश	4080	—	37	1057
2. असम	1907	199	188	1882
3. बिहार	6104	481	373	2783
4. गुजरात	2964	781	1130	2532

5. हरियाणा	1049	60	60	1049
6. हिमाचल प्रदेश	191	36	17	123
7. जम्मू व कश्मीर	508	43	42	460
8. कर्नाटक	2999	103	171	1341
9. केरल	10	—	—	10
10. मध्य प्रदेश	4347	220	469	2201
11. महाराष्ट्र	5143	360	1299	3150
12. मणिपुर	246	23	19	88
13. मेघालय	54	28	2	28
14. नागालैंड	86	4	अप्राप्य	78
15. उड़ीसा	2616	180	180	180
16. पंजाब	1657	—	—	1657
17. राजस्थान	2407	258	164	1121
18. सिक्किम	403	67	101	259
19. तमिलनाडु	2568	372	351	890
20. त्रिपुरा	161	76	76	120
21. उत्तर प्रदेश	11396	265	2047	4915
22. पश्चिम बंगाल	5500	80	95	2881
कुल क	56396	3636	6821	28810
ख. केन्द्र शासित क्षेत्र				
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	14	—	—	14
2. अरुणाचल प्रदेश	31	अप्राप्य	—	3
3. चण्डीगढ़	3	—	—	3
4. दादरा व नगर हवेली	13	3	1	9
5. दिल्ली	37	—	—	37
6. गोवा, दमन व दीव	44	2	2	44
7. लक्षद्वीप	1	—	—	1
8. मिजोरम	32	—	8	14

9. पांडिचेरी	38	10	7	35
कुल ख	213	15	18	157
ग. कुल योग (क व ख)	56609	3651	6839	28697

स्रोत : योजना आयोग

पश्चिमी बंगाल में महिलाओं और बच्चों का विकास

2074. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता का ब्योरा क्या है और केन्द्र ने किन योजनाओं के लिए यह सहायता दी है;

(ग) केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का राज्य सरकार ने कितना उपयोग किया है; और

(घ) इस सहायता से पश्चिम बंगाल में कितनी महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुँचा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना पश्चिमी बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में 1982-83 के दौरान आरम्भ की गई थी। वर्ष 1983-84 में इन जिलों के लिए 1,27,500 रुपये की धनराशि मुक्त की गई थी। राज्य सरकार से वर्ष 1983-84 के दौरान मुक्त की गई निधियों के उपयोग की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण वर्ष 1984-85 में कोई धनराशि मुक्त नहीं की जा सकी। छठी योजना अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च की राशि 1,09,000 रुपये थी। इसे जुलाई, 1985 में अनुमोदित किया गया था। छठी योजना अवधि के दौरान लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1825 थी। बच्चों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास" की योजना के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों, शिशु कल्याण सुविधाओं और कर्मचारी-वर्ग पर होने वाले खर्च के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

दिल्ली में मकानों का निर्माण

2075. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में आवासीय यूनिटों के निर्माण में कौन-कौन सी विभिन्न सरकारी एजेन्सियां कार्यरत हैं;

(ख) छठी योजना अवधि (वर्षवार) के दौरान प्रत्येक एजेन्सी द्वारा कितने मकान बनाये गये;

(ग) लोगों को पर्याप्त आवासीय सुविधायें सुलभ कराने हेतु प्रत्येक एजेन्सी द्वारा क्या प्रयास किये गये; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक एजेन्सी द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार कार्यालयों में जीविका चयन तथा सलाहकार व्यवस्था

2076. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार कार्यालयों में "जीविका चयन तथा सलाहकार देने" सम्बन्धी एक नई व्यवस्था लागू करने के बारे में योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो नई व्यस्स्था को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों और कार्यक्रमों के चयन के लिए गैर-सरकारी पैनल की नियुक्ति

2077. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की जानी वाली फीचर फिल्मों और प्रायोजित कार्यक्रमों के चयन में सहायता करने के लिए एक गैर-सरकारी पैनल नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी पैनल के गठन हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा उत्तम फिल्मों के प्रसारण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). फीचर फिल्मों का चयन करने के लिए दो चयन समितियाँ, एक दिल्ली में तथा दूसरी बम्बई में, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों में विज्ञान, कला, शिक्षा, संस्कृति, समाज कल्याण, महिला कल्याण, युवा गतिविधि आदि के क्षेत्र में प्रख्यात गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल होंगे। पैनल बनाने की कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक प्रायोजित कार्यक्रमों का सम्बन्ध है। इस समय चयन महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता में हमारी सरकारी समिति द्वारा किया जाता है।

(ग) दूरदर्शन ने उच्च गुणवत्ता वाली फीचर फिल्मों तथा दूरदर्शन के लिए विशेष रूप से निर्मित टेली-फिल्मों का टेलीकास्ट करने के लिए कई कदम उठाये हैं। दूरदर्शन के लिये टेलीफिल्में बनाने के लिए बहुत से प्रख्यात निर्माता/निर्देशक आगे आए हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट करने के लिए चुनी गई फीचर फिल्मों के लिए देय दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है। क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों के लिए देय दरों में भी समानुपातिक वृद्धि की जायेगी। "प्रिमीयर टेलीकास्ट" तथा इस प्रकार की फिल्मों के लिए उच्चतर दरों की धारणा को अनुमोदित कर दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि दूरदर्शन अपने दर्शकों को गत 10 वर्षों में बनी उच्चतम गुणवत्ता वाली बाक्स आफिस फिल्मों को दिखा सकेगा।

[हिन्दी]

बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त गेहूं

2078. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बरसात के मौसम के दौरान राज्य-वार गेहूं की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई;

(ख) इसमें किसानों के गेहूं की कितनी मात्रा थी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के गेहूं की कितनी थी और इन उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक बोरे में गेहूं की कितनी मात्रा थी ; और

(घ) भविष्य में गेहूं बरसात में खराब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के पास 1-10-1985 तक पड़े हुए 116.28 लाख मीटरी टन गेहूं में से, पिछले वर्षा मौसम के दौरान पहली जून से पहली अक्तूबर, 1985 तक विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ों/वर्षा से प्रभावित हुए स्टाक का निस्तारण करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त हुए स्टाक के रूप में 7822.5 मीटरी टन गेहूं की मात्रा प्राप्त की गई है। कुछेक क्षेत्रों में बाढ़ों/वर्षा से प्रभावित हुए स्टाक का निस्तारण करने विषयक कार्य अभी प्रगति पर है।

किसानों और अन्य एजेन्सियों के क्षतिग्रस्त हुए गेहूं के स्टाक के बारे में स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बोरी में गेहूं भरने के मामले में 1984 से अपनाया जा रहा मानक वजन 95 किलोग्राम है।

(घ) बाढ़ों/वर्षा से प्रभावित हुए खाद्यान्नों को रद्द करने की मात्रा को स्टाक तत्काल निस्तारण कर कम किया जाता है। वर्षा और बाढ़ों से स्टाक की अच्छी तरह से सुरक्षा करने के लिए सभी सम्भव पग उठाए जाते हैं। तथापि, बाढ़ों और वर्षा का प्रकोप कभी-कभी इतनी क्षति पहुँचाता है, जो कि नियंत्रण के बाहर होती है।

चीनी का मूल्य

2079. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1985 के हिन्दी दैनिक ट्रिब्यून में "चीनी दुनिया भर में सस्ती मगर भारत में मंहगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चीनी के मूल्य कम करने का है ; और यदि हां, तो कब तक और प्रति क्विंटल कितना मूल्य कम किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि ऐसे करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी के मूल्य कम करने के बजाय लेवी चीनी आदि के अनुपात

को सुधारने का है या सरकार का विचार गन्ना उत्पादकों को चालू/आगामी मौसम में गन्ने का लाभप्रद मूल्य देने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां, यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) और (ग). खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी के थोक मूल्य पहले ही पर्याप्त नीचे आ गए हैं। 22-11-85 को ये मूल्य 600 रुपये तथा 672 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थे जबकि जुलाई, 1985 के अन्त में ये मूल्य 685 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थे।

(घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी मौसम 1985-86 के दौरान देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह मूल्य पिछले वर्ष के लिए निर्धारित किए गए मूल्य की तुलना में 2.50 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। आगामी मौसम 1986-87 के लिए सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रुपये प्रति क्विंटल करने के निर्णय की घोषणा की है। चालू मौसम 1985-86 के लिए लेवी चीनी और मुक्त बिक्री की चीनी के वर्तमान 65:35 के अनुपात को बदलकर 55:45 का अनुपात कर दिया गया है। मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा में इस वृद्धि से चीनी फैक्ट्रियां किसानों को गन्ने का ऊँचा मूल्य देने की स्थिति में होंगी।

सातवीं योजना के दौरान नये चीनी कारखानों की स्थापना

2080. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए कोई नई नीति बनाई गई है अथवा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की रूप रेखा क्या है और उसके लिए क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए नयी लाइसेंसिंग नीति विचाराधीन है।

गुजरात को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2081. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा जनवरी से सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में कितनी मात्रा में खाद्यान्न चावल, गेहूं, आयातित तेल, मिट्टी के तेल और चीनी की मांग की गई थी और भारत सरकार ने कितनी मात्रा के लिए मंजूरी दी;

(ख) प्रत्येक मद की कितनी मात्रा की सप्लाई की गई; और

(ग) गुजरात सरकार की समस्त मांग पूरा न करने के क्या कारण हैं और सभी मांगों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). गुजरात सरकार द्वारा की गई विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की मांग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को किए गए आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के हैं और ये आवंटन इन वस्तुओं की केन्द्रीय पूल में उपलब्धता/विभिन्न राज्यों से प्राप्त उनकी मांग, पिछली खपत, खुले बाजार में उनकी उपलब्धता तथा अन्य बातों पर निर्भर करते हैं।

विवरण

जनवरी से सितम्बर 1985 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गुजरात द्वारा की गई आवश्यक वस्तुओं की मांग तथा उन्हें आवंटित की गई मात्रा

	मांग	आवंटन
1. गेहूं (हजार मी० टनों में)		
जनवरी-मार्च, 1985	130.00	90.00
अप्रैल-जून, 1985	90.00	90.00
जुलाई,-सितम्बर, 1985	90.00	90.00
2. चावल (हजार मी० टनों में)		
जनवरी-मार्च, 1985	75.00	22.50
अप्रैल-जून, 1985	75.00	22.50
जुलाई-सितम्बर, 1985	75.00	*40.00
3. चीनी (मी० टनों में)		
जनवरी-मार्च, 1985		46112.3
अप्रैल-जून, 1985		**48567.2
जुलाई-सितम्बर, 1985		***51027.2
4. मिट्टी का तेल (मी० टनों में)		
जनवरी-मार्च, 1985		145820
अप्रैल जून, 1985		135300
जुलाई-सितम्बर, 1985		133980
5. खाद्य तेल (मी० टन)		
जनवरी-मार्च, 1985	23500	16000
अप्रैल-जून, 1985	28500	10500
जुलाई-सितम्बर, 1985	21000	15000

*इसमें 26-7-1985 को एक बार विशेष आवंटन के रूप में दिए गए 10,000 मी० टन चावल शामिल है।

**इसमें 2456 मी० टन का त्यौहार का कोटा भी शामिल है।

***इसमें 4912 मी० टन का त्यौहार का कोटा भी शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्बन्धी परियोजनाएं

2082. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय प्रदर्शनियां एवं क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाओं में जन शक्ति सहित अन्य आदानों का उपयोग किया जायेगा तो उसके परिणामस्वरूप किसानों को कम प्रतिफल के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान होगा; और

(ख) क्या सरकार उन कारणों का विश्लेषण करेगी जिनके कारण किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए दावों को प्राप्त करने में असफल नहीं हो पाए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय प्रदर्शनों एवं परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं में उगाई जाने वाली फसलों की अनुकूलतम जरूरतों के अनुसार मानवशक्ति सहित अन्य निवेशों का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रदर्शनों और परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं के नतीजों से विभिन्न फसलों में 2-4 गुना अधिक उत्पादन देने की क्षमता का पता चला है। इस तरह इसमें भाग लेने वाले कृषकों को कोई क्षति पहुँचने का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) कुछ ऐसे प्रगतिशील कृषक हैं जिन्होंने भा० कृ० अ० प० द्वारा दावा किये गये उत्पादन स्तर को प्राप्त किया है। फिर भी, अधिकांश कृषक अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण उतना उत्पादन प्राप्त नहीं कर सके हैं।

प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए उर्वरक संयंत्रों में परिवर्तन

2083. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ईंधन का उपयोग करने वाले कुछ वर्तमान उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने वाले संयंत्रों में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने संयंत्रों को परिवर्तित किया जायेगा; और

(ग) इन संयंत्रों का प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने वाले संयंत्रों में परिवर्तित करने के बाद ईंधन की खेप में कितनी बचत होगी ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पारप्पनांगाडि में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाना

2084. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** पारप्पनागाडि में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाने के बारे में 12 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3186 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के मालप्पुरम जिले में पारप्पनांगाडि में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के निर्माण के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पारप्पनांगाडि में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, देखिए 13 अगस्त, 1985 के केरल राजपत्र में प्रकाशित केरल सरकार की 8 अगस्त, 1985 की अधिसूचना ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ग). भारतीय खाद्य निगम का बफर स्टाक रखने के लिए केरल में कुछ अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस मूल्यांकन को पूरा करने के बाद पारप्पनागाडि में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ख) केरल सरकार ने पारप्पनांगाडि में भूमि ग्रहण करने के लिए 12 अगस्त, 1985 को अधिसूचना जारी की थी।

धुलिया औरंगाबाद (पश्चिमी बंगाल) में बीड़ी कर्मकारों के लिए क्षय रोग अस्पताल

2085. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में धुलिया औरंगाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रस्तावित क्षय रोग अस्पाल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है;

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। वित्तीय मंजूरी मिलते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) धुलिया में और इसके आस-पास के क्षेत्रों के बीड़ी कर्मकारों की सुविधा के लिए यह 50 पंलगों वाला सामान्य अस्पताल है।

(घ) यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा तथा उनसे इस निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया जाएगा।

[हिन्दी]

देश में जल प्लावन

2086. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्लावन से प्रभावित देश के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं ;

(ख) जल प्लावन के कारण राज्यवार कितना भू-क्षेत्र कृषि योग्य नहीं रह गया है;

(ग) उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) के अनुसार देश में जल प्लावन की समस्या से लगभग 60 लाख हैक्टार क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). जिन उपचारात्मक उपायों का पता लगाया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

1. सतही अथवा उप-सतही जल निकास ;
2. रिसन तथा जल पट्टी के बढ़ने से रोकने के लिए नहरों को पक्का बनाना;
3. जल पट्टी को कम करने तथा नियंत्रित सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए नल कुओं का शोधन;
4. उचित फसल प्रबन्ध अपनाना आदि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड इस समय 5357 जल सर्वेक्षण केन्द्रों के तन्त्र के माध्यम से देश में जल स्तरों तथा भूमिगत जल गुणवता के रुख का प्रबोधन कर रहा है और सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त अन्य 8500 जल सर्वेक्षण केन्द्री की स्थापना करने से सातवीं योजना के अन्त तक ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या लगभग 14,000 के स्तर तक पहुँचने की आशा है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सातवीं योजना के दौरान उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए 6 नहरी कमान क्षेत्रों में जल प्लावन सम्बन्धी अध्ययन किए जाएं। इस समस्या का कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के जरिए 102 चालू सिंचाई परियोजनाओं में भी प्रबोधन किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के निरूपण के लिए भूमि सुधार तथा विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार सातवीं योजना के दौरान एक लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने के लिए 80 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल प्लावन क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार जल प्लावन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टार)
1	2	3
1.	पंजाब	10.90
2.	हरियाणा	6.20
3.	उत्तर प्रदेश	8.10

1	2	3
4.	बिहार	1.17
5.	राजस्थान	3.48
6.	गुजरात	4.84
7.	मध्य प्रदेश	0.57
8.	कर्नाटक	0.10
9.	आन्ध्र प्रदेश	3.39
10.	महाराष्ट्र	1.11
11.	पं० बंगाल	18.50
12.	उड़ीसा	0.60
13.	तमिलनाडु	0.18
14.	केरल	0.61
15.	दिल्ली	0.01
16.	जम्मू और कश्मीर	0.10
	योग :	59.86

अथवा 60 लाख हैक्टार

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उप नगरों का विकास

2087. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी क्षेत्र में उप नगरों के विकास की योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए क्षेत्रीय योजनाओं में प्रोत्साहन और अनुत्साहन के संबंध में समुचित योजनाएं होंगी; और

(ग) यदि हां, तो, देश के विभिन्न भागों में उपनगरों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं शुरू करने हेतु अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). क्षेत्र के सन्तुलित तथा समन्वित विकास के लिए एक क्षेत्रीय योजना बनाने के उद्देश्य से हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संकल्पना का आधारभूत उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वत: पूर्ण संवर्द्धन केन्द्रों का विकास करने दिल्ली की जनसंख्या को नियंत्रणीय सीमा के भीतर रखना है ताकि क्षेत्र के उप नगरों और अन्य नगरों में प्रवासी जनसंख्या को मोड़ कर दिल्ली में अप्रवासी जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों को यह बोर्ड क्षेत्रीय योजना बनाते समय तैयार करेगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन को वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से आय

2089. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी धनराशि अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्रोत से पिछले वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई और 1985-86 में कितनी आय होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञापनों की दरें बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). दूरदर्शन के वाणिज्यिक राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही है। विज्ञापनों/प्रायोजकताओं से पिछले वर्ष 31.43 करोड़ रु० का सकल राजस्व प्राप्त हुआ था तथा वर्ष 1985-86 के लिए अनुमानित आय लगभग 55 करोड़ रु० है।

(ग) और (घ). हाल ही में 1-11-1985 से विज्ञापनों की दरों में संशोधन किया गया है। संशोधित दर कार्ड की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

देश में दूरदर्शन संजाल के लगातार विस्तार से व्यापक कवरेज और दूरदर्शन दर्शकों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों की दरें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

*राष्ट्रीय संजाल पर "नियत समय स्लाट" बुकिंगों के लिए भी यही दर होंगी बशर्ते कि प्रतिमास कम से कम 10 बुकिंग हों।

*1 "×" श्रेणी के स्पाट सुपर "ए" और "ए" कार्यक्रमों से पहले और बाद के अन्तराल को पूरा करने के लिए समय स्पाट के बारे में गारन्टी के बिना किन्तु प्रति मास 4-5 एक्सपोजरों के साथ दिए जायेंगे।

*2 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1½ मिनट का और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 45 सैकेंड का नि:शुल्क विज्ञापन समय दिया जायेगा।

विवरण

दर ढांचा (11-11-1985 से कार्यान्वित) दर्शाने वाला विवरण

प्रस्तावित समूहीकरण	दिल्ली और रिले ट्रांसमीटर	बम्बई और रिले ट्रांसमीटर	कलकत्ता/मद्रास/बंगलोर/त्रिवेन्द्रम/हैदराबाद/लखनऊ और रिले ट्रांसमीटर	नागपुर/जलन्धर और रिले ट्रांसमीटर	श्रीनगर/गोहाटी	राष्ट्रीय संजाल
10 सेकेंड का स्पाट						
सुपर "ए" स्पेशल	25,000	15,000	6,000	5,000	2,500	45,000*
सुपर "ए"	20,000	12,000	5,000	4,000	2,000	40,000
"ए"	10,000	7,000	4,000	3,000	1,500	25,000
"बी"	5,000	4,000	2,000	2,000	1,000	15,000
एक्स *1						20,000
दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम *2						
सुपर "ए" स्पेशल	40,000	30,000	15,000	10,000	10,000	1,50,000
सुपर "ए"	35,000	25,000	12,000	7.500	7,500	1,25,000
"ए"	22,000	12,000	7,000	4,000	4,000	75,000
"बी"	15,000	8,000	5,000	3,000	3,000	50,000

प्रायोजकों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम					
30 मिनट के कार्यक्रम 20,000 (2 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)	12,000	5,000	5,000	5,000	70,000 *3
15 मिनट के कार्यक्रम 12,000 (1 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)	8,000	3,000	3,000	3,000	40,000*3
प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रम *4					
30 मिनट के कार्यक्रम 70,000 (30 सेकेंड के नि:शुल्क समय के साथ)	40,000	20,000	14,000	14,000	2,00,000
15 मिनट के कार्यक्रम 35,000 (20 सेकेंड के नि:शुल्क समय के साथ)	20,000	10,000	7,000	7,000	1,00,000
प्रायोजकों द्वारा दूरदर्शन के लिए बनाई गई प्रायोजित टेलीफिल्में					
90 मिनट की फिल्म					1,00,000 14 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)
60 मिनट की फिल्म					70,000 (3 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)

*3इन कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क विज्ञापन समय इस प्रकार दिया जायेगा :—

1. एनीमेशन और वन्य जीवन पर फिल्में : 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 2 मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1 मिनट।
2. टेली फीचर फिल्में : 90 मिनट के कार्यक्रम के लिए 4 मिनट और 60 मिनट के कार्यक्रम के लिए 3 मिनट।
3. नाटक और नृत्य रास : 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1½ मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 45 सैकेंड।
4. अन्य: 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1 मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के 30 सैकेंड।
5. जब नाटकों और नृत्य रास को रात 10.00 बजे के बाद टेलीकास्ट किया जायेगा तब 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 2 मिनट का और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1 मिनट का निःशुल्क विज्ञापन समय दिया जायेगा।

सभी मामलों में निःशुल्क विज्ञापन समय के अतिरिक्त अधिक से अधिक 10 सैकेंड के नामोल्लेख की अनुमति होगी।

*4. प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क विज्ञापन समय के अतिरिक्त, शुरू में 10 सैकेंड और अन्त में 10 सैकेंड के नामोल्लेख की अनुमति होगी।

नोट : (1) सुपर "ए" विशेष श्रेणी में विश्व कप क्रिकेट और फुटबाल, ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, विम्बलडन टेनिस, आदि शामिल होंगे।

(2) सभी श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए द्वितीय चैनल के लिए दरें वही होंगी जो समूह "घ"(अर्थात् नागपुर/जलन्धर) के लिए हैं।

(3) सभी श्रेणियों के सादे और रंगीन कार्यक्रमों के लिए समान दरें प्रस्तावित की जा रही हैं।

बंगला देश के लोगों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के जमीन पर मकानों का निर्माण

2090. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान बंगला देश से आ रहे लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करके झोपड़ियां बना ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि पिछले तीन माह के दौरान अपने क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हुए बंगला देश से आ रहे लोगों द्वारा निर्मित कोई झुग्गियां उनके ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सतना में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

2091. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतना में वहाँ अभी तक दूरदर्शन की सुविधा न होने के कारण वहाँ के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष में सतना को दूरदर्शन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सतना को दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). सातवीं योजना अवधि के दौरान सतना में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। इस परियोजना का पूरा होना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष-वार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं पर निर्भर करेगा।

भोपाल में उचित दर की दुकानों के माध्यम से गैस प्रभावित गेहूँ की पूर्ति

2092. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने की गैस के कारण खराब हुए गेहूँ की पूर्ति भोपाल की जनता को उचित दर की दुकानों के माध्यम से की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भोपाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम उसी क्षेत्र में स्थित हैं जहाँ यूनियन कार्बाइड गैस दुर्घटना हुई थी ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के समय खाद्यान्नों के सैकड़ों बोरे खुले स्थानों पर पड़े थे ;

(घ) क्या वितरित किये जा रहे खराब गेहूँ के बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच के आदेश देने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। भोपाल में यूनियन कारबाइड प्लांट से गैस के रिसने के कारण भारतीय खाद्य निगम के पास गोदाम में पड़ी गेहूँ को क्षति नहीं पहुँची थी। भोपाल में गैस से प्रभावित गेहूँ के स्टाक की रासायनिक जाँच से पता चला कि यह स्टाक संदूषण रहित था।

(ख) जी, हाँ। भारतीय खाद्य निगम का चोला गोदाम यूनियन कारबाइड फैक्ट्री के निकट स्थित है।

(ग) वारदात के दिन कैप स्टोरेज (कवर और प्लिंथ) में 3,707 मीटरी टन गेहूँ पड़ा था जो कि पोलोथीन कवरों से विधिवत ढका हुआ था।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (क) में दी गई स्थिति की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2093. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वे कौन से विकास खण्ड हैं जहां वर्ष 1984-85 और 1986 में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के विकास खण्डों में भी कुछ कार्य आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र में कोई नया खण्ड शामिल करके परिवर्तन नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 31 नए खण्ड शामिल किए गए थे जबकि 7 खण्ड इस कार्यक्रम से निकाल दिए गए थे। वर्ष 1985-86 के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किए गए नए खण्डों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के क्रमशः 8 तथा 5 खण्डों जिन्हें वर्ष 1985-86 के दौरान सूखासंभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है, के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस समय अल्मोड़ा जिले के लिए अनुमोदित परिव्यय 85.79 लाख रुपए है, मुख्य गतिविधियां ये हैं भूमि तथा जल संरक्षण (52.35 लाख रुपए) वानिकी (14.77 लाख रुपए) तथा पशु पालन (8.95 लाख रुपए)। चूंकि अल्मोड़ा जिले के लिए कुल आवंटन 96 लाख रुपए है अतः राज्य सरकार को कार्यक्रम में कमी को पूरा करने हेतु उपयुक्त अतिरिक्त योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है।

इस समय पिथोरागढ़ जिले के लिए अनुमोदित परिव्यय 56.55 लाख रुपए है, मुख्य गतिविधि जल तथा भूमि संरक्षण (46.00 लाख रुपए) है। चूंकि जिले के लिए कुल आवंटन 60.00 लाख रुपए है अतः राज्य सरकार को कार्यक्रम की कमी को पूरा करने हेतु उपयुक्त अतिरिक्त योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए खंडों की सूची।

	जिले का नाम	खंडों के नाम
1.	इलाहाबाद	1. शंकरगढ़
2.	चमोली	1. जोशीमठ
		2. नारायण बगड़
		3. गैरसैण
		4. थराली

	जिले का नाम	खण्डों के नाम
3.	पौड़ी गढ़वाल	1. पौड़ी 2. लैन्सडाउन 3. बीरोंखाल 4. कोटा 5. खिर्सू 6. पावौ 7. कलजीलाल 8. थैलीसैंण 9. यमकेश्वर 10. डांगू
4.	टेहरी गढ़वाल	1. चम्बा 2. देवप्रयाग 3. कीर्तिनगर
5.	अल्मोड़ा	1. टकुला 2. तामगढ़ 3. कपकोट 4. टैरीखेत 5. दारहाट 6. भिकियासैंण 7. स्यालद 8. साल्ट
6.	पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ 2. गंगोलीघाट 3. चम्पावन 4. बड़ुकोट 5. लोंहकोट
	योग :	31

पिथौरा गढ़ और अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में कृषि विज्ञान केन्द्र

2094. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव किसी संस्था/एजेंसी से परिषद को प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

2095. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड :**

श्री छोटू भाई गामित :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन-चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई है, कुछ की बढ़ गई हैं, जबकि थोड़ी सी वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही हैं।

(ख) सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश रखने के लिए लगातार निगरानी रख रही है। सारे देश में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार की नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, विशेषकर, जिनकी सप्लाई कम है, बढ़ाने पर दिया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात, अपनी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विनियमित किया जाता है। घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार किया जा रहा है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों को लागू कर रही हैं।

धान और गेहूं का स्टाक

2096. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदामों में धान और गेहूं का कितना भंडार है; और

(ख) आंतरिक उपभोग के लिए गेहूं और धान की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकारी एजेन्सियों के पास 1-11-1985 को गेहूं और चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) का क्रमशः 177.8 लाख मीटरी टन और 52.9 लाख मीटरी टन स्टाक होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर गेहूं और चावल का अपेक्षित स्टाक स्तर क्रमशः 71 से 134 लाख मीटरी टन और 65 से 109 लाख मीटरी टन की रेंज में होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यकरण

2097. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण में कोई गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण के बारे में कोई गम्भीर अपर्याप्तता सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के असंतोषजनक कार्यकरण, निर्देशित दवाइयों की अनुपलब्धता, दावों को निपटाने में विलम्ब होने आदि के बारे में शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और समुचित उपचारी कदम उठाए जाते हैं।

चावल का निर्यात

2098. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान चावल का फालतू उत्पादन होगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के दौरान चावल का निर्यात करने का है;

(ग) यदि हां, तो किन देशों को चावल का निर्यात किए जाने का विचार है; और

(घ) चावल के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की राशि अर्जित होने की आशा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फसल वर्ष 1985-86 के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ). मौजूदा निर्यात नीति के अनुसार, गैर बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति नहीं है। बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०-3) द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य पर किया जाता है।

सोवियत रूस, मध्य पूर्व के देश तथा यू० के० बासमती चावल के मुख्य बाजार हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल की मात्रा तथा मूल्य का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि ये व्यापार सम्बन्धी स्थितियों पर निर्भर करेंगे।

सिनेमा कल्याण निधि के लिए एकत्रित की गई धनराशि

2099. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में तथा वर्ष 1985-86 में अब तक सिनेमा कल्याण निधि के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की गई है ; और

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान एकत्र की गई धनराशि में से विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है और किन कल्याण कार्यों के लिए दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (अक्तूबर, 1985 के अन्त तक) में सिनेमा कल्याण निधि के लिए एकत्र की गई राशि इस प्रकार है :—

1984-85	9.51 लाख रुपये
1985-86	6.60 लाख रुपये
(अक्तूबर, 1985 तक)	

(ख) सिनेमा कल्याण निधि के लिए एकत्रित धनराशि में अभी तक कितनी भी धनराशि किसी भी राज्य सरकार को नहीं दी गई है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान का पुनर्गठन

2100. **श्री सनत कुमार मंडल :**

डा० सुधीर राय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान को 5 स्वायत्तशासी संस्थानों, जिनकी स्थापना भिन्न-भिन्न स्थानों पर की जाएगी, में विभाजित करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) नई व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्था का बैरकपुर स्थित अवशिष्ट एक मत्स्य अनुसंधान के किस विशिष्ट विषय का कार्य करेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान, किन्तु वर्तमान ढांचे के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण (ख) में दिया गया है।

(ख) मात्स्यिकी के उचित विकास के लिए बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान में कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत मात्स्यिकी संस्थानों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि में किया गया है।

(ग) नये ढांचे के अन्तर्गत अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर मुख्यालय से निम्नलिखित प्रभागों के कार्य की देख-रेख करेगा।

1. ज्वारनदसंगम मात्स्यिकी प्रभाग जिसका मुख्यालय बैरकपुर में है तथा उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश में स्थित अनुसंधान केन्द्र और पश्चिमी समुद्र तट वाले केन्द्र मुख्यतया कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में।

2. नदी-तटवर्ती मात्स्यिकी प्रभाग जिसका मुख्यालय इलाहाबाद (उ० प्र०) में है तथा गोहाटी (असम) तथा होशंगाबाद (म० प्र०) केन्द्र।

3. सरोवरी मात्स्यिकी प्रभाग जिसका मुख्यालय कर्नाटक/मध्य प्रदेश में है तथा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश/कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम (गोहाटी) और पश्चिम बंगाल केन्द्र।

4. बैरकपुर में स्थापित किए जाने वाला मात्स्यिकी अर्थशास्त्र और सांख्यकी प्रभाग।

5. कल्याणी (पश्चिमी बंगाल) में स्थित मेंढक पालन प्रभाग।

6. बैरकपुर में स्थापित किए जाने वाला विस्तार प्रभाग।

7. अभियान्त्रिकी सेल, बैरकपुर।

8. कृषि विज्ञान केन्द्र, काकद्वीप।

खाद्य तेलों के आयात पर किया गया व्यय

2101. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार खाद्य तेल के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या केरल तथा अण्डमान द्वीप समूह में ताड़ की खेती अच्छी होने की सम्भावना है;

(ग) क्या आयल पाम इण्डिया लिमिटेड ने इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के आयात पर वर्ष-वार खर्च की गयी राशि निम्न प्रकार है : —

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	कीमत (करोड़ रु० में)
1982-83	507.00
1983-84	1319.00
1984-85	1122.13 (अनन्तिम)

(ख) लाल तेल वाले ताड़ (रेड आयल पाम) की खेती केरल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में शुरू की गई है, जहाँ इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद है।

(ग) और (घ). आयल पाम इण्डिया लिमिटेड केरल सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और अब तक 3705 हेक्टेयर भूमि लाल तेल वाले ताड़ (रेड आयल पाम) के अन्तर्गत लाई गई है। केरल में लाल तेल वाले ताड़ (रेड आयल पाम) का कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। सातवीं योजना के दौरान तेल संसाधन सुविधाओं को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है।

कृषि सम्बन्धी शिक्षा प्रणाली में संशोधन

2102. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि सम्बन्धी शिक्षा प्रणाली में संशोधन करने का सुझाव देने के लिए कोई समिति नियुक्ति करने का है, ताकि कृषि स्नातक विश्वास के साथ व्यवसायत्मक खेती आरम्भ कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). "जी नहीं श्रीमान", विश्व में कृषि शिक्षा प्रणालियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद देश में कृषि शिक्षा प्रणाली को संशोधित किया गया था और यह वर्ष 1948-49 तथा 1964-66 के शिक्षा आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्तमान प्रणाली अमेरिका की शिक्षा के लैण्ड ग्रान्ट पैटर्न पर आधारित है। पहला कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में उ० प्र० के पन्तनगर में इसी आधार पर स्थापित किया गया था। इसके बाद देश के 17 प्रमुख राज्यों में 23 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। समय-समय पर कृषि कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को तथ्यपूर्ण तथा व्यवहारपरक बनाने के लिए इसकी समीक्षा की गई है। हाल ही में संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों की समीक्षा की गई थी जिसकी रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों को सभी कृषि विश्वविद्यालयों में अपनाने के लिए भेजा गया है। बी० एस० सी० (कृषि) कार्यक्रम के लिए अनुशासित पाठ्यक्रम की मुख्या विशेषताएँ कृषि में सुदृढ़ सारगर्भित कार्यक्रम तथा अनेक वैकल्पिक कार्यक्रमों को शामिल करना है जिससे स्नातक व्यावसायिक कृषि को विश्वास से अपनाने में समर्थ हो सकें। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान प्रणाली को संशोधित करने के लिए इस अवस्था में समिति का गठन करना आवश्यक नहीं जान पड़ता।

गेहूँ की कुल खरीद

2103. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने केन्द्रीय बफर पूल में गेहूँ के 20 मिलियन टन से अधिक के रिकार्ड भंडार और भंडारण के लिए स्थान की कमी को देखते हुए राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मात्रा के सभी प्रतिबन्धों को हटाते हुए और प्रक्रिया को सुगम बनाकर उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली खरीद में वृद्धि करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). सरकारी एजेन्सियों के पास 1-11-1985 को 178 लाख मीटरी टन गेहूँ का स्टाक होने का अनुमान था।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाएँ ताकि वे अधिक मात्रा में गेहूँ ले सकें और 31 मार्च, 1986 तक मात्रा के बारे में कोई सीमा लगाए बिना कार्डधारियों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूँ दे सकें। आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष रूप से सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों अधिकांशतः गेहूँ, का वितरण करने का भी फैसला किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली

2104. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम ने धान की वसूली शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां यह वसूली शुरू की जा चुकी है तथा किस्म तथा प्रति क्विंटल कीमत सहित प्रत्येक राज्य में 31 अक्तूबर, 1985 तक कितनी मात्रा की वसूली की गई ;

(ग) चालू मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य में वसूली करने के लिए धान की कुल मात्रा का निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) कुछ घटिया किस्म के धान की वसूली करने का तरीका है तथा उसके लिए गरीब किसानों को बचाने हेतु क्या कीमत अदा की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम चालू खरीफ विपणन मौसम शुरू होने से ही धान की वसूली कर रहा है ।

(ख) राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	31-10-85 तक वसूल की गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)
पंजाब	688.6
हरियाणा	1.4
उत्तर प्रदेश	0.1
पांडिचेरी	0.3

केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित औसत किस्म की धान के लिए निर्धारित किए गए वसूली मूल्य निम्नानुसार है :—

धान	किस्म	मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
	साधारण	142
	बढ़िया	146
	बहुत बढ़िया	150

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर विहित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप केवल उचित औसत किस्म मानक के खाद्यान्न ही वसूल किए जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) जैसाकि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, केवल उचित औसत किस्म मानक के खाद्यान्नों, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं, को ही सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर खरीदा जाता है।

सामुदायिक टेलीविजन सैटों के लिए सहायता

2105. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान समुदाय टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सामुदायिक अवलोकन टेलीविजन सैट उपलब्ध करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान नहीं करती है। राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार सामुदायिक अवलोकन सैट उपलब्ध कराने के लिए लागत में हिस्सेदार नहीं बन सकेगी या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकेगी और यह राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन उन्हें अपने कोष में से उपलब्ध कर सकते हैं या पंचायतों के साथ लागत में हिस्सेदार बन सकते हैं। किन्तु एक विशेष योजना के अन्तर्गत सिक्कम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 5000 सामुदायिक अवलोकन सैट लगाने का प्रस्ताव है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के बीच सामुदायिक अवलोकन सैटों के वितरण का ब्यौरा धनराशि उपलब्ध होने पर तय किया जायेगा।

छठी योजना के दौरान इन्सेट स्कीम के अन्तर्गत 6 इन्सेट राज्यों को सामुदायिक अवलोकन सैटों का वितरण इस प्रकार है :—

राज्य	सामुदायिक अवलोकन सैटों की संख्या*	
	बी० एच० एफ० टी० वी० सेट	सीधे संग्रहण सैट
आंध्र प्रदेश	**	400
उड़ीसा	**	400
महाराष्ट्र	600	300
उत्तर प्रदेश	600	300
गुजरात	400	300
बिहार	400	300
कुल :	2000	2000

* इनमें से कुछ सैट लगाने का कार्य अभी चल रहा है।

** साइट उत्सस्वर्ती सैट पहले से ही उपलब्ध है।

ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगार समाप्ति करना

2106. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण महिलाओं में व्याप्त बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुछ जिलों को चुना है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) व (ग). "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" की योजना 22 राज्यों के 50 चुने हुए जिलों में चलाई जा रही है और यह सातवीं योजना के दौरान जारी रहेगी। इस योजना का विस्तार चालू वर्ष से प्रत्येक केन्द्रशासित क्षेत्र के एक जिले में किया गया है। सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता परिव्यय 20.30 करोड़ रु० है। जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के लिए अनुमोदित जिलों की सूची।

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के लिए अनुमोदित जिलों का नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. आदिलाबाद
	2. श्रीकाकूलम
	3. कुडप्पा
2. असम	1. कर्बी अंगलोंग
	2. धुबरी
3. बिहार	1. हजारी बाग
	2. मधुबनी
	3. गोपालगंज
	4. समस्तीपुर
4. हरियाणा	1. महेन्द्रगढ़
	2. सिरसा
5. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा

1	2
6. कर्नाटक	1. बीजपुर 2. चिकमगलूर
7. केरल	1. वायनाड 2. पालघाट
8. मध्य प्रदेश	1. शहडोल 2. छिंदवाड़ा 3. गुना 4. रायपुर
9. महाराष्ट्र	1. ओसमानाबाद 2. भांडरा
10. मणिपुर	केन्द्रीय जिला (इम्फाल, थोबल, बिषनपुर)
11. मेघालय	1. पश्चिम खासी हिल्स 2. पूर्वी गारो हिल्स
12. उड़ीसा	1. कालाहांडी 2. बोलनगीर 3. धेनकनाल 4. सम्बलपुर
13. पंजाब	1. गुरदासपुर 2. ग्रंटिटा
14. राजस्थान	1. बांसवाडा 2. पाली 3. भिलवाड़ा 4. अलवर
15. सिक्किम	1. पश्चिम जिला
16. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी 2. पेरियार
17. त्रिपुरा	1. पश्चिमी त्रिला
18. उत्तर प्रदेश	1. बस्ती 2. बान्दा 3. सुल्तानपुर 4. इटावा 5. देवरिया

1	2
19. पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया
	2. बांकुरा
20. गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. जूनागढ़
21. जम्मू व कश्मीर	2. डोडा
22. नागालैंड	1. कोहिमा

करनाल में "इंस्टीट्यूट आफ एनिमल जेनेटिक्स" तथा "ब्यूरो आफ एनिमल जेनेटिक्स रिर्सोसिज"

2107. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार करनाल, हरियाणा में "इंस्टीट्यूट आफ एनिमल जेनेटिक्स" तथा "ब्यूरो आफ एनिमल जेनेटिक्स रिर्सोसिज" स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के करनाल में स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल में पहले ही पशु आनुवंशिकी संस्थान और पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो की स्थापना कर चुकी है।

(ख) पशु आनुवंशिकी संस्थान व पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो की स्थापना हेतु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन दो संस्थानों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से भूमि के लिए अनुरोध किया गया था। केवल कर्नाटक राज्य ने इन संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में इच्छा व्यक्त की किन्तु अनेक बार अनुरोध करने के बावजूद भी वह इनकी स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि नहीं दे पाया। चूंकि, इन दो संस्थानों की स्थापना में बिलम्ब हो रहा था और भूमि तथा प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित सुविधाएं राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान परिसर करनाल में उपलब्ध होने के कारण पशु आनुवंशिकी संस्थान और पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में ही स्थापित करने का निर्णय किया गया। किन्तु बुनियादी आनुवंशिकी अनुसन्धान से सम्बन्धित रा० डे० अ० सं० की वर्तमान जन शक्ति और प्रयोगशाला सुविधायें एक मुख्य केन्द्र बनाने के उद्देश्य से इन नए संस्थानों को स्थानांतरित की गयी हैं।

कर्नाटक में अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग

2108. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गये परियोजना के प्रस्ताव के अनिवार्य ब्यौरे चयन किये गये अन्य राज्यों से प्राप्त परियोजना ब्यौरों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई सामूहिक परियोजना की रूपरेखा के प्रारूप में शामिल कर दिये गये हैं। इस परियोजना में इष्टतम मछली उत्पादन के लिए 20-1000 हैक्टार के आकार के छोटे और मध्यम जलाशय विकसित करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई परियोजना की रूप रेखा का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों की टिप्पणियां मंगाने के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। ये टिप्पणियां धन प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक को भेजी जाने वाली अन्तिम परियोजना रिपोर्ट में शामिल की जानी है।

कर्नाटक में कृषि अनुसंधान केन्द्र

2109. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक सरकार को सभी जिलों में कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और(ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

दूरदर्शन पर भारतीय फिल्मों का अखिल भारतीय प्रीमियर प्रसारण

2110. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में दूरदर्शन पर भारतीय फिल्मों के अखिल भारतीय प्रीमियर प्रसारण के संबंध में नियमों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस उदारीकरण के क्या कारण हैं और इन फिल्मों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन द्वारा कितना शुल्क अदा किया जाएगा; और

(ग) क्या रविवार को पुरानी फिल्मों के प्रसारण की तरह दूरदर्शन पर इन फिल्मों के अखिल भारतीय प्रीमियर प्रसारण की लागत में भागीदारी के लिए कोई प्रायोजक तैयार नहीं हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) उत्कृष्ट कोटि की फिल्मों पर पर्याप्त जोर देने के लिए प्रीमियर टेलीकास्ट के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, यद्यपि/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त न कर सकी हों। प्रीमियर टेलीकास्ट के लिए देय फीस 8.00 लाख रुपये है जिसमें दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार की फिल्मों के तीन राष्ट्रीय टेलीकास्ट करने का अधिकारी प्राप्त होना शामिल है।

(ग) जी, नहीं। यह धारणा सही नहीं है। सभी फिल्में प्रायोजन को आकर्षित करती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेवा निवृत/सेवा से निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

2111. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी जो सेवा निवृत हो रहे हैं अथवा सेवा निवृत हो चुके हैं और जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना नाम पंजीकृत कराया है, उन्हें अब तक मकान/फ्लैट आबंटित नहीं किए गए हैं; और यदि आबंटित किए गए हैं तो उन्हें उनका अभी कब्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सरकारी कर्मचारियों को मकान आबंटन न करने/कब्जा न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को, जो पहले ही सेवा निवृत हो चुके हैं अथवा कुछ महीनों में सेवा निवृत होने वाले हैं; प्राथमिकता आधार पर तत्काल आबंटन/कब्जा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सेवा निवृत तथा सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पंजीकरण योजना-82 के अन्तर्गत पंजीकृतों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मई, 85 में निकाली गई लाटरी के माध्यम से 1495 फ्लैट आबंटित किए थे। इसके अलावा 50 और फ्लैट उन पंजीकृतों को आबंटित किए गए हैं जो सेवा निवृत हो गए हैं और जिन्हें उनके सेवा निवृत होने के कारण सरकारी आवास खाली कराने की धमकी दी गई है। अपेक्षित राशि प्राप्त होने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जिसके लिए उन्हें अगस्त/सितम्बर, 1985 से 1-2 माह का समय दिया गया है, के बाद आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा दिया जायेगा।

(ग) विशेष आवास योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता की जाती है।

कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों के अन्धाधुंध उपयोग के कारण हानि

2112. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों के बढ़ते हुए अन्धाधुंध उपयोग से भूमि को भारी नुकसान हो रहा है तथा उससे उपज भी कम हो रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने तथा विशेषकर देश के शुष्क क्षेत्रों में बदल-बदल कर खेती करने के लिए किसानों को शिक्षित करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। देश में कृमिनाशक दवाओं और उर्वरकों का अन्धाधुंध प्रयोग नहीं है। कृमिनाशक अधिनियम, 1968 के अधीन प्राधिकारियों ने कीटनाशक दवाओं के अनुमोदित प्रयोग निर्धारित किये हैं जिनमें ठीक-ठीक खुराक और प्रतीक्षा की अवधि भी अंकित की जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विस्तार कार्यकर्ता भी किसानों को इनके उचित प्रयोग के बारे में आवश्यक मार्ग निर्देशन देते हैं। बहुत उच्च उपयोगिता की वस्तुएं होने के कारण कीटनाशक दवाइयों का किसी भी प्रकार से अन्धाधुन्ध या बहुत अधिक प्रयोग निषिद्ध है।

चूंकि फसल पैदा करने के फलस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों का ह्रास होता है इसलिए फसल उत्पादन बनाए रखने के लिए उर्वरक एक अनिवार्य आदान है। फिर भी, हमारे देश में उर्वरक की औषत खपत कम है। उर्वरक की खपत के इस कम स्तर से मृदा को नुकसान पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके विपरीत कृषि उत्पादन के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उर्वरक की अधिक मात्रा का प्रयोग करना जरूरी है।

(ख) किसानों को कई विस्तार कार्यक्रमों द्वारा उर्वरकों के सही और उचित प्रयोग के बारे में तथा खासतौर से देश के शुष्क क्षेत्रों में उचित फसल चक्र क्रम की आवश्यकता के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बतख पालन

2113. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1985 के "पेट्रिअट" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बतख पालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये निर्णायक हो सकता है और मुर्गी पालन से सस्ता पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) (1) सरकार को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अंडे तथा मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन के महत्व तथा क्षमता की जानकारी है।

(2) खाने वाले अंडों का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए बतख पालन तटीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तथापि, बाजार की सीमित मांग के कारण मांस के उत्पादन के लिए बतख पालन उतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि मुर्गीपालन है।

पश्चिम बंगाल में सिंगल हुलर सब्सिडी मिल का आधुनिकीकरण

2114. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित हुलर राजसहायता योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में सिंगल हुलर हस्किंग मिल के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और 1980-85 के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) वास्तविक लक्ष्य क्या थे और वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(घ) यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्ष 1984-85 के के दौरान, 10 सेमिनारों का आयोजन करने तथा 15 निदर्शन यूनिटों की स्थापना करने के लिए मार्च, 1985 में राज्य सरकार को 2.50 लाख रुपए का अनुदान रिलीज किया गया है। सेमिनारों के लिए स्थल, निदर्शन यूनिटों के लिए लाभभोगियों, मशीनरी सप्लाई करने के लिए निर्माताओं का चयन करने, आदि जैसी अपेक्षित प्रारम्भिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है।

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को कार्य सक्षम बनाना

2115. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को कार्य सक्षम बनाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उठाए गए कदमों का क्या प्रभाव पड़ा और इस मामले में क्या प्रगति की गई है ; और

(घ)राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड का पश्चिम बंगाल के लिए भावी कार्यक्रम क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित योजना के तहत सहकारी कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चुनिन्दा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को कृषि आदानों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए ऋण जुटाने के वास्ते मार्जिन-ऋण के रूप में प्रति सोसायटी 30,000 रुपये दिए जाते हैं और कृषि उपकरणों, फर्नीचर, उपस्करों आदि की खरीद के लिए कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा 12,000 रुपए प्रति सोसायटी दिए जाते हैं। अब तक 258 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों को इस योजना के अन्तर्गत समग्र रूप से विकसित करने और मजबूत बनाने हेतु लिया जा चुका है तथा इन सोसायटियों को 74.05 लाख रुपये की राशि मार्जिन-ऋण के रूप में और 30.96 लाख रुपये राजसहायता के रूप में दिए जा चुके हैं। यद्यपि यह योजना हाल ही में शुरू की गई है, तथापि इस राज्य में इस योजना का समग्र प्रभाव संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित एक योजना तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देता है। 1984-85 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 2510 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों के लिए 160.38 लाख रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 1878 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों के लिए 114.45 लाख रुपये मंजूर किए। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों द्वारा सृजित की जाने वाली 2.02 लाख टन की क्षमता वाले 2026 ग्रामीण गोदामों के निर्माण का एक कार्यक्रम भी 31 मार्च, 1985 तक मंजूर किया था। ग्रामीण उपभोक्ता और भण्डारण दोनों योजनाओं के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता से प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियां अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें प्राप्त कर सकेंगी और अपने कार्य स्तर को बढ़ा सकेंगी।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड की योजना के अन्तर्गत इस राज्य में 258 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों को पहले ही विकसित किया जा चुका है और उन्हें सहायता दी जा चुकी है, जबकि लक्ष्य केवल 120 का था। इस कार्यक्रम पर अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर आगे और विचार किया जा सकता है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 1985-86 के कार्यक्रम में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-तीसरी परियोजना के अन्तर्गत 1987-88 तक पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत 152 नयी परियोजनाओं को मजबूत बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों के स्तर पर एक लाख टन की और अधिक भण्डारण क्षमता (1000 ग्रामीण गोदाम) का सृजन करने की व्यवस्था है। "जिला योजना कार्य नीति" के अन्तर्गत बहुउद्देशीय सेवा संगठनों के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों के एकीकृत विकास का कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

उर्वरकों के लिए राज-सहायता

2116. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज कल उर्वरकों के वितरण के लिए काफी राज सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उर्वरकों की सप्लाई पर कुल कितनी वार्षिक राज सहायता वहन करती है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज सहायता समाप्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कृषकों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान भारत सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता की कुल रकम 1927.31 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता वापस लेना

2117. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता वापस लेने पर विचार कर रही है ;

(ख) इस राजसहायता के वापस लिए जाने जाने के बाद गेहूं तथा धान का प्रति किलो मूल्य क्या होगा ;

(ग) क्या इससे निर्धन वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक की योजना

2118. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 7.81 करोड़ रुपए की एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में आगामी प्रगति क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.81 करोड़ रुपये की विशिष्ठ धनराशि की कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, राज्य सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 32.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 10 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगारगारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 29.64 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत की 6 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

केरल में मछुआरों के लिए आवास योजना

2119. **श्री टी० बशीर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु मछुआरों के लिए कोई आवास योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना अनुमोदित कर दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ). आवास राज्य का विषय है ; केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशनों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सभी सामाजिक आवास योजनायें तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने केरल मछुआरा कल्याण निगम को 4.00 करोड़ रुपए की ऋण राशि की पांच योजनाओं की मंजूरी दी है। इन योजनाओं से 20,000 रिहायशी एककों का निर्माण होगा।

दूरदर्शन की विज्ञापनों से होने वाली आय

2120. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को 1984-85 और 1985-86 (अद्यतन) के दौरान विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों से कितनी आय हुई ;

(ख) क्या दूरदर्शन में वाणिज्यिक लेखा प्रणाली है ; और

(ग) यदि हां, तो दो वर्षों के दौरान कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर-1985) के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से हुई सकल आय निम्न प्रकार है :

1984-85	—	31.43 करोड़ रुपए
1985-86	—	30.35 करोड़ रुपए

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को चावल के आवंटन में वृद्धि

2121. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय पूल से चावल के आवंटन में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल के लिए चावल के मासिक आवंटन, जो मई, 1985 में 1,10,000 मीटरी टन था, को बढ़कर जून 1985 में 1,15,000 मीटरी टन, जुलाई, 1985 में 1, 20,000 मीटरी टन तथा अगस्त, 1985 में 1,25,000 मीटरी टन कर दिया गया था। तब से इस बढ़े हुए स्तर को बनाए रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, जुलाई और नवम्बर, 1985 के महीनों के दौरान 25,000 मीटरी टन के दो विशेष अतिरिक्त आवंटन भी किए गये हैं।

तिलहनों और दालों का उत्पादन

2122. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में तिलहनों और दालों की खेती की जा रही है; और

(ख) देश में तिलहनों और दालों की भारी कमी को दूर करने तथा उनके बढ़ते जा रहे मूल्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के रान दलहनों और तिलहनों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण सलग्न है

(ख) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. सम्भावित राज्यों में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना का कार्यान्वयन जिसके अन्तर्गत अनिवार्य आदानों के सम्बन्ध में प्रोत्साहन और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
2. सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे, गैर-परम्परागत तिलहनों का विकास।
3. सिंचित तिलहन फसलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना जैसे कि सम्भावित राज्यों में रवी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के लिए तथा उत्तरी राज्यों में सर्दी के मौसम में तोरिया एवं सरसों के लिए।
4. उत्तम स्तर के बीजों के इस्तेमाल, पौधों की इष्टतम संख्या, फास्फोर्टयुक्त उर्वरकों के इस्तेमाल, पौध संरक्षण उपायों और स्थान विशिष्ट उन्नत पैकेज पद्धति को उत्पादन करना।
5. मिनिकिटों का मुफ्त वितरण बड़े पैमाने पर करना।
6. विपणन सम्बन्धी सहायता।

इसी प्रकार, देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

1. गहन दलहन विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना और मिनिकिटों के वितरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन।
2. उन्नत प्रौद्योगिक का इस्तेमाल जिनमें बेहतर किस्मों कल्चर का उपयोग एवं पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग शामिल है।
3. सिंचित खेती में दालों की फसलों को शामिल करना।
4. दालों की लघु कालिक किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना।
5. दालों की अन्त: फसल पद्धति।
6. मंडी समर्थन।

विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टार में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जुताई के अन्तर्गत क्षेत्र (1984-85)	
	तिलहन	दलहन
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	2214.2	1323.5
2. असम	348.3	138.1

1 2	3	4
3. बिहार	240.8	1181.0
4. गुजरात	2669.6	828.9
5. हरियाणा	329.5	677.4
6. हिमाचल प्रदेश	20.6	41.7
7. जम्मू एवं कश्मीर	61.7	47.7
8. कर्नाटक	1606.7	1356.3
9. केरल	24.7	31.5
10. मध्य प्रदेश	2571.4	4784.9
11. महाराष्ट्र	2336.8	2833.4
12. मणिपुर	4.1	—
13. मेघालय	6.4	1.9
14. नागालैंड	5.7	6.1
15. उड़ीसा	909.7	1718.3
16. पंजाब	190.7	205.7
17. राजस्थान	1876.6	3264.9
18. सिक्किम	10.5	9.0
19. तमिलनाडु	1364·4	911.0
20. त्रिपुरा	6.7	5.8
21. उत्तर प्रदेश	2625.2	2974.5
22. पश्चिम बंगाल	404·1	377.5
23. अरुणाचल प्रदेश	11.3	—
24. दादरा और नगर हवेली	0.4	4.1
25. दिल्ली	1.5	3.5
26. मिजोरम	1.8	2.3
27. पांडिचेरी	2.9	1.7
28. अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह		0.5
अखिल भारत	19856.3	22731.2

चीनी का उत्पादन

2123. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या इससे सरकार को आयात में कमी करने में सहायता मिलेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हाँ।

(ख) चालू वर्ष 1985-86 के लिए लगभग 65 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है जो पिछले मौसम के उत्पादन से लगभग 3.5 लाख मीटरी टन अधिक है।

(ग) जी, हाँ।

उड़ीसा में स्थापित किए गए उर्वरक संयंत्र

2124. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न स्थलों पर अब तक कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कुछ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का था; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उड़ीसा में दो उर्वरक संयंत्र चल रहे हैं एक तालचेर में और दूसरा राउरकेला में।

(ख) एक वृहत, फोस्फेटिक उर्वरक संयंत्र पारादीप, उड़ीसा में निर्माणाधीन है, इसके मार्च, 1986 में चालू होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के मयूरगंज जिले में एक सिंगल सुपर फास्फेट एकक की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया है।

इस समय उड़ीसा में और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मत्स्य पालन विकास

2125. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों एक मछली का मुख्य भोजन है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) खाद्य स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से मत्स्य पालन के विकास में लगी सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) मत्स्य पालन के सम्वर्द्धन की सम्भावनाएँ हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) जल कृषि के विकास में लगी विभिन्न सरकारी एजेन्सियां इस प्रकार हैं : भारत सरकार, राज्य सरकारें और उनके मात्स्यिकी निगम, संघ शासित क्षेत्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृत बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय मछुआ सहकारी संघ लि० और विभिन्न कृषि और अन्य विश्वविद्यालय।

(ग) देश में जलकृषि सम्वर्द्धन की काफी सम्भावनाएं हैं। इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने मछुआ विकास एजेंसियों के सम्बन्ध में विशेष केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का गठन किया है, जिनके माध्यम से प्रशिक्षित मछुओं के जरिए बेकार पड़े तालाबों जलाशयों का विकास किया जा रहा है और वैज्ञानिक मत्स्यपालन के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इस समय देश में 147 मछुआ विकास एजेंसियां कार्य कर रही हैं। ये जिला पर आधारित एजेंसियां हैं और सरकारी जल क्षेत्र की, विशेषकर तालाबों और जलाशयों, पट्टे का व्यवस्था करने में लगी हैं, जल क्षेत्रों का विकास करने के पहले वर्ष के आदान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। वैज्ञानिक मत्स्यपालन पर प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही हैं और मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी का अन्तरण कर रही हैं।

सरकार ने देश में मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना भी शुरू की हैं, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बढ़िया डिम्पोना का उत्पादन करने सम्बन्धी अवसंरचना का सृजन करने हेतु विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किया जाता है।

मत्स्यपालन योजनायें क्रियान्वित करने में द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार राज्यों को सहायता भी कर रही है। इसके अलावा, भारत सरकार राज्य से दूसरे राज्य में मत्स्यपालन के क्षेत्र में अनुभव को अन्तरित करने के लिए एक सम्पर्क संगठन के रूप में भी कार्य करती है।

[अनुवाद]

तिलहनों के उत्पादन का अनुमान

2126. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष तिलहनों का उत्पादन 130 लाख मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 135 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि तिलहन उत्पादकों और तेल उद्योगों को पर्याप्त लाभ मिले वनस्पति उद्योग द्वारा बेहतर बिक्री सुनिश्चित करवायेगी ; और

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के लिए खाद्य तेलों का आयात भी उसके अनुपात में कम किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस वर्ष अर्थात् 1985-86 के लिए तिलहन के उत्पादन के अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, 1984-85 की तिलहन फसल के सम्बन्ध में 130.98 लाख मीटरी टन उत्पादन के सरकारी अनुमान की तुलना में केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन ने 135.00 लाख मीटरी टन उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ख) इस समय वनस्पति उद्योग के लिए आयातित तेल के आबंटन में नवम्बर, 1984 में इसकी 95 प्रतिशत मांग के स्तर से 50 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर रूप से कमी आयी है। इसके अलावा हाल में वनस्पति उद्योग के लिए आयातित तेल का निर्गम मूल्य बढ़ा दिया गया है। वनस्पति उद्योग को उसकी मांग का 10 प्रतिशत निष्कासक विलायक सरसों/तोरिया तेल और अन्य 10 प्रतिशत निष्कासक सरसों/तौरिया तेल का उपयोग करके पूरा करने की भी अनुमति दी गयी है। इन उपायों से वनस्पति उद्योग द्वारा देशी तेलों का उपयोग बढ़ने की सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप देशी तेलों की मांग में वृद्धि होगी और देशी तेलों और तिलहनों के मूल्यों में सुधार होगा।

(ग) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ देशीय तेलों की सम्भावित उपलब्धि और उनकी अनुमानित मांग के मूल्यांकन को ध्यान में रखती हुई खाद्य तेलों के आयात की मात्रा के बारे में निर्णय लेती है। अतः इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान सरकार का निर्णय मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा। सरकार की यह सुसंगत नीति रही है कि खाद्य तेलों के आयात के स्तर को न्यूनतम रखा जाए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

2128. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए मकानों के निर्माण का कार्य कर रहा है ; और

(ख) वर्ष 1986 के अन्त तक किस हद तक निर्माण कार्यों के पूरा होने की सम्भावना है और इस समय निर्माणाधीन मकानों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र/शहर	इस समय निर्माणाधीन मकानों की संख्या	1986 के अन्त तक पूर्ण किए जाने वाले संभावित मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली	4474	3490
2.	शिमला	16	16
3.	लखनऊ	284	284
4.	गाजियाबाद	112	112

1	2	3	4
5.	फरीदाबाद	100	100
6.	कलकत्ता	1844	1040
7.	अगरतल्ला	17	17
8.	इम्फाल	36	36
9	कोहिमा	64	24
10.	शिलांग	16	16
11.	बम्बई	400	190
12.	मद्रास	184	104
13.	हैदराबाद	676	328
14.	बंगलौर	50	50
		8273	5816

राष्ट्रीय टी० वी० नेट वर्क पर फीचर फिल्मों का चयन

2129. **श्री के० एस० राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी छः महीनों के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेट वर्क पर प्रदर्शित करने के लिए चुनी गयी फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शन के लिए कुछ आदर्श श्वेत-श्याम फिल्मों को रद्द किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा हिन्दी में आदर्श फिल्मों का निर्धारण करने के लिए क्या मानदण्ड है और पिछले वर्ष के दौरान अब तक चुनी गयी फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए फिल्मों का चयन एक सतत प्रक्रिया है। 1 नवम्बर, 1985 के माह की स्थिति के अनुसार टेलीकास्ट करने के लिए अनुमोदित फिल्मों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अगले छः महीने के दौरान संलग्न सूची में से तथा उन फिल्मों, जो अगले छः महीने के दौरान अनुमोदित की जाएँ, में से फिल्मों को वास्तविक कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए टेलीकास्ट किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). फिल्मों का चयन तथा अस्वीकार करना स्क्रीनिंग सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, फिल्मों को उनकी समग्र कलात्मक गुणवत्ता, चलचित्रिकी, विषयवस्तु तथा मनोरंजन मूल्यों, प्राप्त पुरस्कार, निर्देशक की ख्याति, निर्माण वर्ष आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित करती है। गत एक वर्ष के दौरान पुरानी क्लासिक फिल्मों के रूप में दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित हिन्दी फिल्मों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित तथा सम्बन्धित निर्माताओं/अधिकार धारकों द्वारा स्वीकार की गई हिन्दी फिल्मों के नाम

(26 नवम्बर, 1985 के दिन की स्थिति के अनुसार)

1.	गरम हवा	20.	जिन्दगी, जिन्दगी
2.	संत ज्ञानेश्वर	21.	हम नहीं सुधरेंगे
3.	आधारशिला	22.	खुशबू
4.	चन्दा और बिजली	23.	परिचय
5.	नादानियां	24.	समस्या
6.	तेरी कसम	25	ये नजदीकियां
7.	धुंध	26	नई इमारत
8.	एक बार चले आओ	27.	दुल्हा बिकता है
9.	मेंहदी रंग लायेगी	28.	साजन
10.	कोशिश	29.	इतनी सी बात
11.	आनन्द	30.	फिर जन्म लेंगे हम
12.	सेहरा	31.	शर्मीली
13.	ज्वैल थीफ	32.	होली
14.	मालिक	33.	सफेद हाथी
15.	काला बाजार	34.	नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे
16.	सबसे बड़ा सुख	35.	फाल्गुन
17.	तेरे प्यार में	36.	अन्धी गली
18.	मंजिल	37.	पैसा या प्यार
19.	गमन		

विवरण-2

राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित पुरानी क्लासिक फिल्मों के नाम

(26 नवम्बर, 1985 के दिन की स्थिति के अनुसार)

1.	राम शास्त्री	22.	रोटी-1940
2.	दुनिया ना माने	23.	दास्तान-1950
3.	आदमी	24.	भाभी
4.	पड़ोसी	25.	बंधन
5.	अमृत मन्थन	26.	कंगन
6.	अमर ज्योति	27.	जन्म भूमि
7.	दहेज	28.	अछूत कन्या
8.	दो आंखे बारह हाथ	29.	किस्मत
9.	सुहाग रात	30.	कठपुतली
10.	बावरे नैन	31.	देख कबीरा रोया
11.	हमारी याद आयेगी	32.	लाजवन्ती
12.	देवदास	33.	शमा परवाना
13.	करोड़पति	34.	माया
14.	विद्यापति	35.	बसंत बहार-1957
15.	चन्डीदास	36.	मुसाफिर-1958
16.	स्ट्रीट सिंगार	37.	जागृति-1955
17.	नया दौर	38.	प्यासा
18.	कानून	39.	कागज के फूल
19.	धर्मपुत्र	40.	साहब बीबी और गुलाम
20.	पुकार		
21.	जेलर		

पश्चिम बंगाल में कृषि शिक्षा और अनुसन्धान का विकास

2130. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उनकी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों का उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान के लिए विधान कृषि विश्व विद्यालय, पश्चिम बंगाल की क्षमता का विस्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में कृषि शिक्षा और अनुसन्धान के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की ओर से भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ समझौता किया है।

प्रायोजना का उद्देश्य अपने सम्बन्ध सेवा क्षेत्रों में पहचाने गए सभी कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट, उत्पादनपरक तथा बहुशाखीय अनुसन्धान को चलाने के लिए राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों की अपेक्षित अनुसन्धान क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। प्रत्येक कृषि जलवायवीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना/सुदृढ़िकरण के द्वारा यह कार्य किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, प्रायोजना के सम्पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित-स्तरों पर कारगर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसन्धान निदेशक के कार्यालय को भी सुदृढ़ किया जाता है।

उप-प्रायोजनाओं के लिए निधियों के अनुमोदन, प्रबोधन और रिलीज का कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा किया जाता है, जबकि इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की है। पांच वर्षों के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों को सुदृढ़ करने/स्थापित करने का सम्पूर्ण खर्च राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके बाद, इन अनुसन्धान केन्द्रों को नियमित रूप से चलाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की हो जाती है जिसके लिए भा० कृ० अ० प० द्वारा कोष आवंटित किए जाने से पहले उनके द्वारा (राज्य कृषि विश्वविद्यालयों) वचन (आश्वासन) लिया जाता है कि वे इन उप-प्रायोजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

(ग) वी० सी० के० वी० वी० (विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय) के मामले में एक अनुसन्धान समीक्षा की गई तथा इसके कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित छः कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के प्रत्येक में एक क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(i) पहाड़ी क्षेत्र—पेडोन्ग

(ii) तराई क्षेत्र—पुन्दीबारी

(iii) पुराने जालोढ़ क्षेत्र—रन्दिया

(iiv) नए जालोढ़ क्षेत्र—मोहनपुर

(iv) मखरला तथा लाल मृदा क्षेत्र—झरग्राम

(vi) तटीय लवणीय क्षेत्र—मथुरापुर

तथापि राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के

लिए कोई उप-प्रायोजनाएं स्वीकृत करना सम्भव नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक राज्य में पूरे कृषि अनुसन्धान को विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में तबादले की शर्त को पूरा नहीं किया है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद उपयुक्त शर्तों को पूरा करने के लिए तेजी से कार्यवाही करने तथा साथ-साथ जैसे ही पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं, उप-प्रायोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रारम्भिक कार्य को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत तीन उप-प्रायोजनाएं, जैसे अनुसन्धान निदेशालय को सुदृढ़ करने के लिए उप-प्रायोजना, लाल तथा मखरला क्षेत्र के लिए अनुसन्धान उप-प्रायोजना, तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए अनुसन्धान उप-प्रायोजना का मूल्यांकन किया गया तथा अनुमोदन के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्त:शाखीय वैज्ञानिक पैनल द्वारा इस पर विचार किया गया ।

जैसे ही राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली जाती हैं वैसे ही उपरोक्त प्रायोजनाओं को स्वीकृत किया जा सकता है :—

(i) विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को राज्य के विभागों से कृषि अनुसन्धान का पूर्ण तबादला;

(ii) क्षेत्रीय तथा उप-अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना के लिए विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से फार्म का तबादला ।

गोबर और अन्य खेत अपशिष्टों का खाद के रूप में प्रयोग

2131. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोबर और अपशिष्ट बहुत अधिक मात्रा में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो ईंधन के रूप में और कृषि खाद के रूप में इसके उत्पादन और प्रयोग के अनुमानित आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रसुलिया (मध्य प्रदेश) फेंड्स रूरल सेंटर) में किए गए परीक्षण से निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि खेती अपशिष्ट उतना ही प्रभावी है जितना रासायनिक उर्वरक तथा उसमें और भी फायदे हैं;

(ग) यदि गोबर और अन्य खेत अपशिष्टों को ईंधन के रूप में न जलाया जाए और उनका खाद के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाए, तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कितनी शुद्ध बचत होगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार सर्वप्रथम गोबर और खेत अपशिष्टों के जलाए जाने पर तीन वर्षों के लिए प्रतिबन्ध लगाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चूंकि ईंधन तथा खाद के रूप में उपयोग की मात्रा के सम्बन्ध में कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यह निर्णायक रूप से सिद्ध हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ खेती अवशिष्ट का मिश्रित रूप से उपयोग करने से अधिक फायदे हुए हैं ।

(ग) और (घ). यह भली प्रकार अभिज्ञात है कि जैव खाद रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में साहायता करती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे जैव खाद का उपयोग बढ़ायें और इस समय लगभग 2350 लाख मीटरी टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 67 लाख मीटरी टन शहरी कम्पोस्ट का खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

महाराष्ट्र को रासायनिक उर्वरकों का आवंटन

2132. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान महाराष्ट्र को कुल कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आवंटन किया गया और राज्य सरकार ने कितनी मात्रा की मांगें की थी; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित मात्रा महाराष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ 1985 (अप्रैल-सितम्बर, 1985) और रबी 1985-86 (अक्तूबर, 1985-मार्च 1986) के दौरान महाराष्ट्र द्वारा मांगी गई उर्वरकों की कुल मात्रा क्रमशः 5.49 और 3.55 लाख मीटरी टन पोषक तत्व था। इन मांगों की गत खपत की प्रवृतियों एवं प्रत्येक मौसम के दौरान परिकल्पित कृषि संबंधी कार्यक्रमों के सन्दर्भ में और प्रत्येक मौसम के शुरू होने से ठीक पूर्व आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में विचार-विमर्श के बाद जांच की गई थी। राज्य सरकार से परस्पर परामर्श करने के बाद निकाली गई अन्तिम मांगें खरीफ तथा रबी मौसम के लिए क्रमशः 5.25 तथा 3.00 लाख मीटरी टन पोषक तत्व थी।

(ख) जी, हाँ।

परियोजनाओं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्य सहायता

2133. **श्री माणिक रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम 2 परियोजनाओं के लिए 24.. मिलियन की खाद्य सहायता देगा और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता प्राप्त पूर्व परियोजनायें वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही हैं जैसाकि डब्ल्यू एफ० पी० 348 आर० डब्ल्यू० एफ० पी० 618 परियोजनाओं के मामले में हुआ; और

(ग) क्या सरकार पिछली सभी डब्ल्यू० एफ० पी० परियोजनाओं की पुनरीक्षा करेगी और परियोजना उद्देश्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के अनुसार समय पर अनुमान लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी संरचना तैयार करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ। अक्तूबर, 1985 में खाद्य सहायता नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी समिति में, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम की शासी परिषद है, नीचे दिए अनुसार दो परियोजनाओं के लिए लगभग 245 लाख डालर मूल्य की जिस सहायता मंजूर की है :—

परियोजनायें	जिंस (मीटरी टन)			अवधि	मूल्य दस लाख अमरीकन डालर
	गेहूं	वनस्पति तेल	दालें		
1. राजस्थान में वानिकी कार्य	34,300	3,430	3,430	5 वर्ष	12.1
2. कर्नाटक में सिचाई तथा कमान क्षेत्र विकास	45,720	1,372	2,744	3 वर्ष	12.4

इन परियोजनाओं के तहत, विश्व खाद्य कार्यक्रम का खाद्यान्न रियायती दर पर मजदूरी के भाग के रूप में श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा और इससे उनका आय तथा पोषण का स्तर बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजाओं में इन जिंसों की आपूर्ति से पैदा की गई धनराशि का उपयोग परियोजना क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक कल्याण की सुविधाओंका विकास करने तथा अवस्थापना का सृजन करने के लिए किया जाएगा।

(ख) जी नहीं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता सभी परियोजनाओं में कारगर रूप से उपयोग में लाई गई है, जिसमें परियोजना 348 पशुओं के सन्तुलित आहार तथा मिल्क टानिंग के माध्यम से दूध की आपूर्ति का सुधार तथा परियोजना 618 दूध विपणन तथा डेरी विकास भी शामिल है।

(ग) जी नहीं। उन परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो यथा समय में पहले ही समाप्त की जा चुकी है और जिनकी समाप्ति करते समय पुनरीक्षा की गई है।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार परियोजनाओं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता आवश्यक संरचना को सुनिश्चित करने बाद ही शुरू होती है। बाद में, परियोजना में विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के उपयोग की प्रगति का बार बार अन्तरालों पर सरकार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा नियमित रूप से पुनरीक्षण/मूल्यांकन तथा प्रबोधन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर, विश्व खाद्य कार्यक्रम का प्रभावी उपयोग तथा परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। परियोजना समाप्त होने के बाद भी विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के उपयोग तथा परियोजना के उद्देश्यों की उपलब्धि के सदर्भ में अन्तिम मूल्यांकन किया जाता है।

बागान मजदूर आवास योजना का कार्यान्वयन

2134. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान मजदूर आवास योजना के कार्यान्वयन में ढीलाई आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत बागान मजदूरों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) सभी बागान मजदूरों को कब तक आवास उपलब्ध कराए जाने की आशा है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ). बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 की धारा 15 बागान के प्रत्येक नियोक्ता को सभी श्रमिकों तथा उनके परिवारों को आवास मुहैया करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए बाध्य करती है। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा बनाये गये नियमों में नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तब तक प्रत्येक वर्ष अपने 8 प्रतिशत श्रमिकों के लिए उपयुक्त आवास का निर्माण करें जब तक कि उन सभी को पर्याप्त रूप से आवास नहीं दे दिया जाता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई नियोक्ता इस बाध्यता को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। फलस्वरूप "बागान श्रमिक आवास योजना (अब बागान श्रमिकों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना) के नाम से परिचित योजना बागान वालों की सहायता के लिए अप्रैल 1956 में आरम्भ की गई थी और इसे 1,4,1970 से केन्द्रीय क्षेत्र में अन्तरित किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1,90,441 बागान श्रमिकों को अभी रिहायशी वास दिया जाना शेष है। इस योजना के अन्तर्गत 30-6-85 तक स्वीकृत तथा निर्मित मकानों की संख्या क्रमशः 51413 और 38613 है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति आशा से बहुत कम रही। छठी योजना के कुल 10,00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में केवल 7,13 करोड़ रुपये ही रिलीज किए जा सके। इस योजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2,00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

2135. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में बागेश्वर डी० डी० हाट, धारचूला मुनस्यारी और मनिला में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के बारे में जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों पर दूरदर्शन टावरों की स्थापना करने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों को दूरदर्शन नेटवर्क के अन्तर्गत लाने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यतः पिथौरागढ़ में इस समय अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है, योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित वर्ष-वार चरणबद्धताओं और अग्रताओं के अधीन अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा, कौसानी और रानीखेत में एक-एक अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों को दूरदर्शन सेवा का और

विस्तार करना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय निधि को समाप्त करना

2136. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय निधि को समाप्त किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय निधि का उद्देश्य क्या है और गत तीन वर्षों में इसका किस प्रकार उपयोग किया गया था ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि को समाप्त करने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस निधि का प्रयोजन प्रतिष्ठित निकायों तथा व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि में दिए गए दान की राशि पर धारा 35 ग ग क तथा 80 छ छ क के अन्तर्गत आयकर से छूट देकर ग्रामीण विकास में तीव्रता लाने हेतु अतिरिक्त संसाधनों को प्राप्त करना है। इस निधि में दिए गए दान की राशि को ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है।

इस निधि की स्थापना दिनांक 29 फरवरी, 84 की एक सरकारी अधिसूचना के तहत की की गई थी। अब तक, इस निधि में 70.90 लाख रुपए की धनराशि दान के रूप में प्राप्त हुई है। इसमें से गुजरात में समन्वित परिवार कल्याण परियोजना को पूरा करने के लिए 15.00 लाख रुपए की धनराशि त्रिभुवनदास फाउन्डेशन आदि को मुक्त की गई है। अन्य प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर निधि के नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

फेडरेशन आफ आल इंडिया हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन से अभ्यावेदन

2137. **श्री वसुदेव आचार्य** :

श्री अनिल बसु :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फेडरेशन आफ आल इण्डिया हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन से दिनांक 26 अगस्त, 1985 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त अभ्यावेदन में उक्त फेडरेशन ने कहा है कि यह सारे भारत में 35,000 कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उनके प्रतिनिधि को भी भवन और निर्माण उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय कार्यकारी दल में शामिल किया जाए।

(ग) फेडरेशन को सूचित किया गया है कि उक्त कार्यकारी दल के गठन के अनुसार, तीन व्यक्तियों को पहले ही कार्यकारी दल से सहयोजित किया जा चुका है और एक व्यक्ति को विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है और अब उक्त कार्यकारी दल में किसी अन्य सदस्य को शामिल करने की गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

गन्ने का मूल्य

2138. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की अधिक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर इसके मूल्य में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राज्यवार गन्ने का वर्तमान मूल्य क्या है और चालू मौसम में संभावित वृद्धि के बाद प्रस्तावित मूल्य क्या होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). 1985-86 मौसम के लिए निर्वात पात्र चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जा चुका है। इसमें 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है। ये मूल्य 1984-85 मौसम के लिए निर्धारित किए गए मूल्य से 2.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया सांविधिक न्यूनतम मूल्य सभी राज्यों में एक-समान रूप से लागू होता है।

[अनुवाद]

"न्यू इण्टरनेशनल इन्फारमेशन आर्डर"

2139. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने "यूनेस्को" के माध्यम से एक "न्यू इन्टर नेशनल इन्फारमेशन आर्डर" के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा क्या है और "न्यू इन्टर नेशनल इन्फारमेशन आर्डर" को ठोस रूप प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रयास किए जाएंगे और इन प्रयासों का स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के लिए विकास शील देशों, विशेष कर गुट-निरपेक्ष देशों की मांगों का विभिन्न यूनिस्को मंचों पर प्रबल रूप से बराबर समर्थन करता रहा है।

यूनेस्को के 20वें आम सम्मेलन (पेरिस, 1978) ने एक नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था की स्थापना करने सम्बन्धी संकल्प पारित किया। यूनेस्को के 21वें आम सम्मेलन (बेलग्रेड, अक्तूबर, 1980) ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आई० पी० डी० सी०) की स्थापना और एक अन्तः सरकारी परिषद की स्थापना करने के लिए, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिये सदस्य राष्ट्रों के 35 चुने हुए सदस्य शामिल होंगे, स्वीकृति दी। यूनेस्को के 22वें आम सम्मेलन (पेरिस, नवम्बर, 1983) में, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने गुट-निरपेक्ष देशों के सातवें शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली, मार्च, 1983) की सिफारिशों को दुहराया जिसमें वर्तमान असमानताओं को दूर करने और सूचना के मुक्त व्यापक और बेहतर संतुलित प्रसार को सुनिश्चित करके सूचना के प्रवाह में नया संतुलन तथा अधिकाधिक परस्परता बनाने के लिए कदम उठाने की माँग की गई थी। भारत ने तीसरे विश्व में संचार अवस्थापना के विकास के साधन के रूप में आई० पी० डी० सी० को पुष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके अलावा, भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम को नियमित रूप से अंशदान देने के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों से अपील की। भारत ने अपनी ओर से अब तक 4,00,000 (चार लाख) अमरीकी डालरों का अंशदान दिया है।

2. हाल ही में हुए यूनेस्को के 23वें आम सम्मेलन (सोफिया, अक्तूबर-नवम्बर, 1985) में सदस्य राष्ट्रों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने विकासशील देशों की माध्यम क्षमताओं का निर्माण करने में वास्तविक सहायता प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम की प्रशंसा की। अब तक अ० स० वि० कार्यक्रम के अन्तर्गत अफ्रीका, एशिया और शान्त, अरब देशों, लेटिन अमरीका और कैरीबियन क्षेत्रों में संचार की 115 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है। इससे पी० ए० एन० ए०, ए० एन० एन०, ए० एल० ए० एम० ई० आई० और एफ० ए० एन० ए० जैसे समाचारों और कार्यक्रमों के क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास करने में मदद मिली है। इसने ए० आइ० बी० डी०, के० आई० एम० सी० और ए० एस० बी० यू० प्रशिक्षण केन्द्र जैसे क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से मूलतः प्रसार प्रशिक्षण का समर्थन किया है। अतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम ने एन० आई० आई० ओ० में प्रवेश पाने में प्रभावी साधन के रूप में प्रशिक्षण का विकास किया है। भारत ने दो प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली और फिल्म एण्ड टेलीविजन इस्टीट्यूट आफ इण्डिया, पुणे के माध्यम से इस प्रयास में सहयोग दिया है।

3. इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम विकासशील देशों की संचार अवस्थापना और क्षमताओं का विकास करने में वास्तविक बहुद्देशीय पहल के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। भारत आई० पी०डी० सी० के प्रारम्भ से ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इस समय अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम की अन्तर सरकारी परिषद के तीन उपाध्यक्षों में से एक है। यूनेस्को के 23वें आम सम्मेलन में भारत को अन्तर सरकारी परिषद के एक सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया।

4. यूनेस्को अपनी गतिविधियों में एन० आई० आई० ओ० की संकल्पना को लगातार बढ़ाता रहा है। हाल ही में हुए यूनेस्को के 23वें आम सम्मेलन में 1986-87 के द्विवर्षीय कार्यक्रमों में संचार अवस्थापना के विकास पर प्रकाश डाला गया है। संचार क्षेत्र से सम्बधित आयोग-4 और पूर्णाधिवेशनों दोनों में अपने हस्तक्षेपों में भारत ने यूनेस्को और इसके कार्यक्रमों को, विशेषकर सतत रूप से विकसित प्रक्रिया के रूप में नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की संकल्पना को अपना समर्थन देने की बात प्रभावी रूप से दोहरायी। हमने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए सूचना एक

महत्वपूर्ण निर्विष्ट है तथा सूचना सेवाओं के प्रावधान और उपयुक्त राष्ट्रीय सूचना प्रणालियों की स्थापना में सहायता के सामग्री स्रोतों और प्रौद्योगिकी के प्रावधान की तरह उसी ढंग से वास्तविक और ठोस योगदान हैं। हमने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं पर थोड़े से ही व्यक्तियों का अधिकार नहीं होना चाहिए तथा सूचना में बढ़ोतरी होने से अवसरों के जनतन्त्रीकरण और मानव की भलाई में योगदान मिलेगा।

कृषि अनुसन्धान प्राथमिकता

2140. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान प्राथमिकता इस समय वाणिज्यिक आधार पर आयात की जा रही मदों को दी जायेगी अथवा खाद्य तेल, चीनी और दालों जैसी मदों को;

(ख) क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दूध को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी जो संवेदनशील वर्गों को सुगमता में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसन्धान प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अभिप्रेरित और समर्पित वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण का सृजन करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र भकवाना) : (क) जिन मदों की कमी है सरकार की नीति उनकी ओर अधिक ध्यान देने की है इनमें खाद्य तेल, चीनी और दालें शामिल हैं। इन मदों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बहुत से अनुसन्धान और विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बड़े हानिकारक कीटों और रोगों की प्रतिरोधी अच्छी क्षमतावान किस्मों के प्रजनन के लिए खाद्य तेल, चीनी और दाल के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्यक्रम को तैयार करने और बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई है। प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए फसल-वार और राज्य-वार एक शानदार पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है।

(ख) हमारे डेरी विकास कार्यक्रमों को अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थान जैसे राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय भैंस अनुसन्धान संस्थान व मवेशी, भैंस समन्वित परियोजना, उप-उत्पाद उपयोग व खुरपका-मुंहपका रोगों का महामारी विज्ञान, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूध पर अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं तथा जिनमें डेरी उत्पादन, संसाधित प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य के सभी पहलू शामिल हैं—उन्हें आगे सुदृढ़ किया जा रहा है तथा उनके अनुसन्धान व प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। दूध के उत्पादन की लागत को कम करने और अधिक दूध व उपयुक्त आहार का उत्पादन बढ़ाने के लिए चारा उत्पादन की प्रौद्योगिकियों व चरागाह विकास को भी प्राथमिकता दी जाती है। दुधारू पशुओं के लिए दूध की मात्रा को बढ़ाने वाले चारे हेतु कृषि वानिकी के माध्यम से भी अब प्रयास किया जा रहा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अभिप्रेरित और समर्पित वैज्ञानिकों के लिए उत्पादक अनुसन्धान कार्य करने हेतु बिल्कुल अनुकूल और सहायक वातावरण है जैसे रिक्तियों के न होने पर भी पंचवर्षीय मूल्यांकन के द्वारा पदोन्नति की नीति, कार्य करने के लिए फुटकर खर्चों की बढ़ती हुई सुविधाएं, भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजना बनाने और वैज्ञानिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वतन्त्रता तथा वैज्ञानिकों की योग्यता को आगे विकसित करने के लिए कुछ ईनाम और पुरस्कार भी हैं।

सुपर बाजार द्वारा मुनाफाखोरी

2141. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की वर्तमान नीति उत्पादकों/निर्माताओं से खरीद करने करने की है ताकि यह उपभोक्ताओं की प्रभावी सेवा कर सके;

(ख) आवश्यक वस्तुओं को बाजार दरों पर बेचने और साधारण खुदरा (विक्रेता) से अधिक लाभ कमाने जैसा कि पाँच किलो के रथ वनस्पति घी के पोलीपैक को उत्पादक से 87.52 रुपए पर खरीद कर 91.20 रुपए के अधिकतम मूल्य पर बेचने का क्या कारण है जबकि साधारण खुदरा विक्रेता भी यह वस्तुएं उसी मूल्य पर बेचता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सुपर बाजार एक सहकारी समिति और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मूल्य स्तर को नीचे लाने वाले कारक के रूप में उपभोक्ताओं की किस प्रकार सेवा कर रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सुपर बाजार के उद्देश्य ये हैं :—

(1) उपभोक्ता वस्तुओं एवं आवश्यक वस्तुओं का थोक तथा फुटकर वितरण करना; तथा बहु-विभागीय भण्डारों की स्थापना करना;

(2) बदलते हुए बाजार के लिए उत्पादन को उपयुक्त बनाने हेतु उसमें सतत आधार पर परिवर्तन लाते रहने के उद्देश्य से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी सम्बन्ध विकसित करना;

(3) उत्पादों की गुणवत्ता को उन्नत करना तथा न्यूनतम स्तर को बनाए रखना।

(4) विपणन सहायता तथा प्रबन्ध परामर्श के माध्यम से नए उत्पादों तथा नए विनिर्माण एककों के विकास को प्रोत्साहित करना;

(5) वितरण लागत को कम करना तथा अच्छी और बढ़िया व्यापार पद्धतियां जैसे निर्धारित कीमतें, आदि आरम्भ करना; तथा

(6) उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को सूचना-सेवा मुहैया करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सुपर बाजार की नीति, विनिर्माताओं अथवा उनके अधिकृत वितरकों/स्टाकिस्टों और शीर्ष निकायों जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन परिसंघ और दूसरी सरकारी एजेंसियों से खरीददारी करने की है।

(ख) जहाँ तक 5 कि०ग्रा० के रथ वनस्पति घी की बिक्री का सम्बन्ध है, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि रथ वनस्पति घी के 5 कि० ग्रा० के पोलीपैक की 87 रुपए 62 पैसे की दर से खरीद करने के पश्चात उन्हें उसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने सभी 98 फुटकर बिक्री केन्द्रों तथा 60 चलती फिरती वैनों तक पहुँचाने के लिए ढुलाई पर खर्चा करना पड़ता है। सुपर बाजार द्वारा ये पोलीपैक 91.20 रु० की दर से बेचे जाते हैं, अतः कीमत लागत अन्तर 4 प्रतिशत के लगभग है। तथापि, इस प्रणाली में भण्डारण, विभिन्न स्तरों पर साज-सम्भाल तथा ढुलाई लागत आवश्यक हैं, जो सभी इस 4 प्रतिशत लागत अन्तर में से वहन किए जाते हैं। निजी फुटकर विक्रेता के लागत ढांचे में यह लागत शमिल नहीं होती है। 91.20 रुपए प्रति 5 कि० ग्रा० के पोलीपैक की यह फुटकर

कीमत विनिर्माताओं द्वारा अनुशंसित 91.56 रुपए (बिक्री कर सहित) की अधिकतम फुटकर कीमत से थोड़ी सी कम है।

(ग) सुपर बाजार, क्वालिटी उत्पादों तथा प्रयोगशाला में परीक्षित खाद्य वस्तुओं को सही तोल में उचित दरों पर सप्लाई करके राजधानी के उपभोक्ताओं की कारगर सेवा करता है। आम-तौर पर इसकी कीमतों की प्रमुख समाचार-पत्रों तथा सुपर बाजार पत्रिका में तुलना की जाती है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सुपर बाजार की कीमतों को बाहरी बाजार की कीमतों से कम रखने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

कमल के बीज

2142. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कमल के बीज उगाए जाते हैं और उनसे "मखाना" बनाया जाता है और प्रत्येक राज्य में इनकी मात्रा कितनी होती है;

(ख) कितना "मखाना" विदेशों को निर्यात किया जाता है; और

(ग) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मखाना बनाने के लिए कमल के बीज मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में एकत्र किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान राज्यों में भी बहुत कम कमल उगाया जाता है। कमल सम्बन्धी आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटी फसल है।

(ख) तथा (ग). गत दो वर्षों में निर्यात किए गए मखाना की मात्रा तथा उनकी कीमत नीचे दी गई है :—

वर्ष	निर्यात किए गए फूल मखाना की मात्रा	कीमत रुपए में
1983-84	3759 कि० ग्रा०	87,917
1984-85 (अस्थायी)	11836 कि० ग्रा०	2,95,771

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बटर आयल के आयात का भारतीय वनस्पति तथा वृग्ध उद्योग पर प्रभाव

2143. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्कीम टू डम्प ई० ई० सी० बटर इन इंडिया" शीर्षक से दिनांक 26 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रमुख द्वारा भारत का दौरा किया गया था और वनस्पति घी के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री बटर आयल को बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की चर्चा की गई थी और क्या बेलजियम स्थित हमारे दूतावास में मन्त्री (यूरोपीय आर्थिक समुदाय) द्वारा भी बटर आयल लेने के लिए सिफारिश की गई थी;

(ग) क्या भारत बटर आयल के आयात द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत करेगा तथा वनस्पति मूल्य में गिरावट आएगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय लिया गया है और भारतीय वनस्पति तथा दुग्ध उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) के आयुक्त ने सितम्बर, 1985 में अपने दौरे के दौरान यह प्रश्न उठाया था कि भारत को आयात किए जाने वाले बनस्पति तेल के साथ-साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास पड़े अधिशेष बटर आयल को भी भारत द्वारा प्रतियोगी मूल्यों पर खरीदे जाने की सम्भावना है। बेलजियम स्थित भारतीय दूतावास ने यूरोपीय आर्थिक ससुदाय से बटर आयल खरीदे जाने के बारे में कोई स्वीकारात्मक विफारिश नहीं की है।

(ग) और (घ). इस समय, वनस्पति उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए बटर आयल के आयात का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, बटर आयल को वनस्पति घी के विनिर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून के अनुसार बनस्पति के लिए एक कच्चा माल नहीं है।

खाद्य तेलों के उत्पादन का लक्ष्य

2144. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). तेल वर्ष 1985-86 (नवम्बर, 1985 से अक्तूबर, 1986) के दौरान, तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 138 लाख मी० टन है, जो 38.75 लाख मी० टन तेलों (अनन्तिम) के बराबर है। लक्ष्यों की प्राप्ति, समय पर वर्षा होने जैसे कृषिजन्य मौसमी कारणों पर निर्भर करती है, जिनका तिलहनों, जो खाद्य तेलों के लिए कच्ची सामग्री हैं, के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

चिरौला और वापातला (आंध्र प्रदेश) में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

2145. **श्री सी० सम्बू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गुन्टूर और प्रकाशन जिलों के दर्शकों को दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने के लिए चिरौला और वापातला में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, विजयवाड़ा के मौजूदा 1 किलोवाट वाले दूरदर्शन के 1986 के मध्य तक 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर उससे गुन्टूर जिले के बड़े भाग में तथा प्रकाशन जिले के छोटे भाग में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, सातवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के अंगोले/डोनाकोन्डा में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बड़े शहरों में परिस्थितिकी और पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखना

2146. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में हाल में यह बात लाई गई है कि देश में बड़े शहरों के निगमों ने अपनी विकास योजनाओं में परिस्थिति की और पर्यावरण सन्तुलन के प्रति ध्यान नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो भीड़-भाड़ वाले शहरों में हरित पट्टियां रखने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार इस मामले से पहले ही अवगत है।

(ख) पर्यावरणीय सन्तुलन सुनिश्चित करने के लिए इन शहरों का विकास सुनियोजित ढंग से विनियमित किया जाना है। इसका उद्देश्य हरित पट्टिटी, परिस्थितिकी तथा नगरीय क्षेत्रों की सौन्दर्यपरकता सहित पर्यावरणीय सन्तुलन बनाए रखना है।

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ऋणों/अनुदानों के उपयोग पर निगरानी

2147. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋणों/अनुदानों के उपयोग पर निगरानी रखने तथा इन ऋणों/अनुदानों से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था की है ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत जाली ऋण/अनुदान मंजर करने के मामले भी प्रकाश में आए हैं ;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में दिए गये ऋण/अनुदान की जांच कब की गई थी ; और

(घ) ऐसे कितने जाली मामलों का पता लगा है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सूचकों पर मासिक रिपोर्ट, भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के बारे में विस्तृत तिमाही रिपोर्ट और आय स्तरों में वृद्धि के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट जैसी आवधिक रिपोर्टें निर्धारित की गई हैं। समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति भी अब शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रति माह 36 जिलों का अध्ययन किया जायेगा। प्रत्येक जिले में दो खण्डों का चयन किया जायेगा

तथा प्रत्येक खण्ड में 10 नये लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों के एक ग्रुप का अध्ययन किया जायेगा। ख्याति प्राप्त अनुसंधान/शैक्षिणिक संगठनों के माध्यम से अध्ययन कराया जायेगा।

(ख) जब कभी कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में लाया जाता है, उसे सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकार को उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ).. राजस्थान सरकार से सूचना मंगाई गई है।

शहरी आधारभूत विकास जल प्रदाय और सफाई से सम्बन्ध परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थायें

2148. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का सारे देश भर में शहरी आधारभूत विकास, जल प्रदाय और सफाई से सम्बद्ध परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थायें स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) इन ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मनेरी भाली पन-बिजली परियोजना में कार्यरत बन्धुआ मजदूर

2149. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **श्रम मन्त्री** मनेरी-भाली पनबिजली परियोजना में कार्यरत बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का तथ्यात्मक ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक ब्यौरे मंगाए गए हैं और प्राप्त होने पर विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2150. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री की उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा के परिणाम-स्वरूप एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनेक गम्भीर कमियों का पता चला है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या इन कमियों की ओर कृषि तथा योजना आयोग विभागों का ध्यान नहीं गया था ;

(घ) यदि हाँ, तो उसे सरल एवं कारगर मूल्यांकन करने और मध्यात्मक उपचारात्मक अधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) क्या सभी अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की छानबीन की जायेगी और यदि हां, तो उसकी क्या समय-सूची है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री जी ने उड़ीसा के अपने दौरे के दौरान यह देखा कि निर्धनतम व्यक्ति हमारे कार्यक्रमों से हमेशा लाभ नहीं उठा पाते हैं और यदि उन्हें लाभ होता भी है तो उन्हें दी गयी परिसम्पतियां आमतौर पर निर्धारित स्तर से नीचे की होती है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन समस्याओं को दूर करने हेतु सातवीं योजना में नए लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार अधिक निवेश तथा उन निवेशों से उचित लाभ पाने के लिए एक मुश्त सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता भी दी जाएगी जो कि अपनी गलती न होने पर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं।

(ग) जी नहीं। ये कमियां ग्रामीण विकास विभाग तथा योजना आयोग के ध्यान में है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर, सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वियन में सुधार लाने हेतु प्रति परिवार अधिक निवेश उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कई अन्य उपाय किए गए हैं। समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति आरम्भ की गई है।

जिला स्तर पर निकायों के चयन तथा जिला आपूर्ति तथा विपणन सोसाइटियों की स्थापना करके पूर्वापर गठजोड़ में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करके प्रशिक्षण प्रयासों के उपयुक्त समन्वय के लिए एक नई योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम के निष्पादन की ऐसी पुनरीक्षा समय-समय पर की जाती है।

जम्मू तथा कश्मीर में वनस्पति यूनिटों की स्थापना हेतु आवेदन

2151. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए राज्यों में वनस्पति यूनिटों की स्थापना हेतु सिफारिश किये गये आवेदनों पर खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय मंजूरी देता है; और

(ख) यदि हां, तो क्रमशः जम्मू क्षेत्र तथा कश्मीर क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1984 तक मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) 1983 और 1984 के दौरान 9 आवेदन श्रीनगर क्षेत्र से और 2 जम्मू क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। उनमें से किसी की भी सिफारिश नहीं की गई है।

बाजार में सीलन वाले खाद्यान्न

2152. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज को जिन फसलों में अधिक सीलन होती है उसमें आसानी से फफूंद लगने, अपवर्ण होने और काला पड़ने का खतरा होता है और ऐसा अनाज मानव उपयोग के लिए खतरनाक है ;

(ख) क्या ऐसी खाद्य फसलों का कोई अनुमान लगाया गया है जो सरकारी खरीद या गैर सरकारी व्यापार के माध्यम से बाजार में पहुँच जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के वर्षवार आकड़े क्या हैं ; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां, कुछेक फफूंद विषाक्त पदार्थ पैदा करने वाले होते हैं।

(ख) और (ग). अखिल भारत आधार पर ऐसे कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय पूल के लिए धान और गेहूं की वसूली खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों, जिनमें नमी की मात्रा की ऊँची सीमा शामिल होती है, के अनुसार की जाती है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं सभा से सम्बन्धित एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ जिस पर सारी सभा सहमत होगी।

यहां जब श्री जगमोहन पर चर्चा हुई थी तो मन्त्री जी ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ टिप्पणियां की थी।

30 तारीख को श्री रामनाथ गोयनका ने एक लेख लिखा है।···

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उस लेख में उन्होंने हमारे मन्त्री जी को, जहां तक उस सभा का सम्बन्ध है, अपराधी कहा और यहां उन्हें किशोर कहा···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मै उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर हमारे मन्त्री जी को यहां किशोर कहा जाता है और वहां अपराधी कहा जाता है तो आपको इसे देखना होगा। इसलिए, मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए जहां उस पर चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने कहा, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते : ताकि, श्री गोयनका द्वारा लगाए आरोपों का खण्डन किया जा सके।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : महोदय, मैंने भी श्री रामनाथ गोयनका के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूँ···मुझे इस पर विचार करने दीजिए।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : मैंने 28 तारीख को श्री लंका समस्या के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। माननीय प्रधान मन्त्री यहाँ उपस्थित है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 9 दिसम्बर को वार्ता पुन: आरम्भ होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले इस मामले को निपटाने दीजिए। हमें पता लगना चाहिए कि श्री रामनाथ गोयनका और मन्त्री जी का क्या होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने भी आपको एक नोटिस भेजा है···

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ। मैंने इस पर विचार करके आपको बताऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इस मामले पर कब चर्चा करेंगे ? क्या आप इसे समिति के पास भेज रहे हैं।

अयध्क्ष महोदय : जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : बड़ी हैरानी की बात है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को श्री रामनाथ गोयनका के इस लेख से परेशानी नहीं हुई।

अयध्क्ष महोदय : महोदय, आप उनसे पूछिए, मुझ से नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस मामले से सम्बन्धित एक और मामला है। विपक्ष के नेता श्री नयनार के नेतृत्व में केरल के 55 विधायक नारियल की खेती करने वाले किसानों की मांगों के समर्थन में बोट क्लब के लान में धरना देने के लिए आए हैं···

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा की जा चुकी है। यह पहला विषय था जिस पर हमने चर्चा की थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : लेकिन उस आश्वासन से तो कीमतें और गिर गई हैं। महोदय, आप अध्यक्ष होने के अलावा किसानों के हिमायती भी हैं। आपको उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं बता चुका हूँ सत्र के पहले सप्ताह में इस पर चर्चा की जा चुकी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम आपके आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई बात है तो हम इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : जाधवपुर विश्वविद्यालय प० बंगाल के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक हैं। वामपंथी सरकार के राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण यह विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैलती जा रही है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनका काम है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय यह क्या है ? क्या आप इसकी अनुमति देंगे ? दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में क्या हो रहा है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह गवर्नर साहब का अपना काम है, आप बैठे जाईये···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, कृपया बैठ जाइए। इसका क्या सम्बन्ध है ? महोदया, यह राज्य का विषय है, इसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मैं कैसे करूं···

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा···यह मेरा काम नहीं है।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जैक्ट है मेरा नहीं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, प्रो० दण्डवते और श्री उन्नीकृष्णन सदन को बार-बार भयंकर भ्रम में डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, वह क्या कह रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम संसदीय कार्य मन्त्री से जानना चाहते हैं कि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की के वर्ष 1978-79 1979-80 और 1980-81 के लेखा परीक्षित लेखे और इन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय भवन—निर्माण अनुसन्धान, रुड़की के वर्ष 1978-79 के लेखा-परीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय भवन—निर्माण अनुसन्धान संस्थान, रुड़की, के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) केन्द्रीय भवन—निर्माण अनुसन्धान संस्थान, रुड़की, के वर्ष 1980-81 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1524/85**]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री के० पी० सिंह देव की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (वर्ष 1985-86 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 840 (अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1525/85**]

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हू :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1985 जो 31 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 826 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी परिवार पेंशन (संशोधन) योजना, 1985 जो 31 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 827 में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 1985, जो 31 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 828 में प्रकाशित हुई थी।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, 1985, जो 21 सितम्बर, 1985, को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 897 में प्रकाशित हुई थी।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, 1985, जो 12 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 968 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1526/85]

दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचना

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दादरा और नागर हवेली वरिष्ठ पंचायत (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 28 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 907 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1527/85]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1982 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 866 (अ)(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 25 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 276/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि, यह उपबन्ध किया जा सके कि ऐसे कम दाम वाले फैब्रिक के फैन्टों, चिथड़ों और चिंदियों की विनिर्दिष्ट मात्रा में निहित

पोलिएस्टर फाइबर पर भी अतिरिक्त सीमा शुल्क की छूट उपलब्ध होगी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1528/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 865 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 25 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सख्या 191/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि यह उपबन्ध किया जा सके कि ऐसे कम दाम वाले फैंब्रिक के फैन्टों, चिथड़ों तथा चिंदियों को विनिर्दिष्ट मात्रा में निहित पोलिएस्टर फाइबर पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट उपलब्ध होगी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1529/85]

खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983, आयल पॉम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खतरनाक मशीन (विनियमन) नियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 352 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1530/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयल पॉम इंडिया लिमिटेड, कोट्टयम, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल पॉम इंडिया लिमिटेड, कोट्टयम का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखेतथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1531/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध शाला विकास निगम लिमिटेड, भोपाल, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध शाला विकास निगम लिमिटेड, भोपाल, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1532/85]

राज्य-सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा 19 नवम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1985 से राज्य सभा बिना किसी संशोधन के सहमत है।"

12.05 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद]

पाकिस्तान में कनाडा से आए हुए तीर्थयात्रियों द्वारा भारतीय राजनयिकों पर किए गए आक्रमण का समाचार

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान में कनाडा से आए हुए तीर्थयात्रियों द्वारा भारतीय राजनयिकों पर किए गए कथित आक्रमण तथा भारत में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के उनके प्रयत्नों के सिलसिले में उग्रवादियों को आतंकवाद का प्रशिक्षण देने, शस्त्रास्त्र तथा अन्य साधन जुटाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कतिपय अन्य देशों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन से उत्पन्न स्थिति तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

विदेश मन्त्री (श्री जी० आर० भगत) : महोदय, मेरे सहयोगी, विदेश राज्य मन्त्री ने 29 नवम्बर, 1985 को इस सदन में 26 नवम्बर को डेरा साहिब गुरुद्वारा परिसर में कुछ कनाडियाई सिखों द्वारा दो वरिष्ठ भारतीय राजनयज्ञों पर निंदनीय आक्रमण के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य में हमारी चिन्ता, निराशा और क्षोभ व्यक्त किया गया था तथा साथ ही यह भी कहा गया था कि हम इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की सरकार से कार्रवाई करने की प्रत्याशा करते हैं। इस लिए अब मैं इस घटना की मुख्य-मुख्य बातों पर संक्षेप में प्रकाश ही डालना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि यद्यपि हमने वहां के प्राधिकारियों का ध्यान इस घटना की ओर तत्काल आकर्षित किया था लेकिन इसके बावजूद 48 घंटे तक पहले कोई गिरफ्तारी ही नहीं की गई और आक्रमण करने वाले लोग लाहौर और ननकाना साहिब के बीच बेरोटोक आते जाते रहे। दूसरे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो एक ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिक की जमानत पर उन्हें तत्काल जोड़ दिया गया जो इन भारतीय राजनयज्ञों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने वाला प्रमुख व्यक्ति था। हमारे जोर देने पर इन लोगों को पुनः गिरफ्तार किया गया है। तीसरे इन 6 कनाडियाइयों पर बहुत मामूली अपराध का दोष लगाया गया है। चौथे इन विदेशी राष्ट्रिकों पर उनकी भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए जिनमें उनके उत्तेजनात्मक भाषण भी शामिल हैं, जिनमें उन्होंने भारतीय नेताओं की हत्या का आह्वान किया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वारदात के सिलसिले में जो घटनाएं घटी हैं उनसे यह दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष ही निकलता है कि पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने कनाडा के इन सिख उग्रवादियों के साथ नम्रता का व्यवहार ही किया है और लगता यह है कि उनके खिलाफ बड़े आराम से कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के प्राधिकारी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे जिसमें विएना अभिसमय के अन्तर्गत उनके दायित्व भी शामिल हैं और इन लोगों को दण्डित करने के लिए शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावकारी कदम उठायेंगे।

विदेश स्थित भारत मूलक समुदाय के छोटे से वर्ग में आतंकवाद एक सहज बात बन गयी है और ये लोग या तो प्राप्त कानून की सक्रिय सहानुभूति से अथवा उसके अन्तर्गत प्राप्त सामान्य संरक्षण से प्रोत्साहन लेते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि सीमा के पार उग्रवादी तत्वों के लिए कुछ प्रशिक्षण शिविर हैं और उन्हें कुछ वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा रही है। इस वर्ष जुलाई में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री जब भारत-पाक संयुक्त आयोग की बैठक के लिए नई दिल्ली आये थे तब उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया था। इस वर्ष अक्तूबर में भी न्यूयार्क में विदेश सचिव ने अपने समकक्ष का ध्यान भी इस मामले के प्रति आकृष्ट किया था। फिर नवम्बर के पहले सप्ताह में इस विषय पर पाकिस्तान के राजदूत को एक नोट दिया गया। इस तरह सदन यह देखेगा कि सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह जागरुक है तथा राजनयिक स्तर पर सक्रिय रूप से इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। सीमा पर भी समुचित कदम उठाए गए हैं ताकि उग्रवादी तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके।

संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में कतिपय ऐसी संस्थायें हैं जो लोगों को फौजी किस्म का प्रशिक्षण देने का दावा करती है। यह तथ्य कि कुछ उग्रवादी तत्व इस प्रकार के स्कूलों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पहल इस वर्ष के शुरू में हमारे ध्यान में लाया गया था। संयुक्त राज्य के अलबामा राज्य में हुयेवील में फ्रेंक कैम्पर नामक व्यक्ति द्वारा सशुल्क प्रशिक्षण देने के स्कूल के बारे में 24 जुलाई, 1985 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया गया था। इस मामले को संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तर पर उठाया गया था और इस प्रकार की संस्थाओं में निहित गम्भीर खतरों पर बल दिया गया था। संघीय और राज्य

स्तर पर विभिन्न अमरीकी प्राधिकारी इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की एक सीनेट उप समिति भी इस प्रकार के स्कूलों पर सुनवाई कर रही है। सरकार को कनाडा स्थित अपने हाई कमीशन से यह खबर मिली है कि 10 युवा सिखों को जो कनाडा के निवासी बताए जाते हैं और जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सिख युवा फेडरेशन (एक उग्रवादी संगठन) की ओर से स्पौन्सर किया गया था, "ईगल कोम्बैट एंड बौडिगार्ड ट्रेनिंग स्कूल" में प्रशिक्षण मिला था जो कि न्यू ईस्टमिन्स्टर, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा में हैं और जिसे राय माया नाम का एक व्यक्ति चलाता है। सरकार ने इस बात की ओर कनाडा की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मामले की तत्काल छानबीन करके इस दिशा में शीघ्र उपयुक्त कार्रवाई करें। कनाडा के प्राधिकारी इस मामले में छानबीन कर रहे हैं और हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं।

विदेश स्थित सिख समुदाय के उग्रवादी तत्वों द्वारा कोष एकत्र करने के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचना मिलती रही है। इस कोष को एकत्र करने के लिए तरह-तरह के बहाने किए जाते हैं जैसे कभी इसे भारत में लोगों की सहायता का नाम दिया जाता है। कभी विदेशों में उन उग्रवादियों को कानूनी सहायता के लिए कोष एकत्र करने का नाम दिया जाता है जिसके खिलाफ वहां कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कभी-कभी इसका अभिव्यक्त उद्देश्य हथियारों को खरीद भी बताया जाता है। परस्पर विरोधी उग्रवादी दलों ने इस प्रकार के कोषों का दुरुपयोग करने के आरोप भी एक दूसरे के खिलाफ लगाए हैं। सरकार सभी प्रकार की सम्भावनाओं की ओर से सजग है और उसने इसकी रोकथाम के उपाय किए हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, पिछली दो सालों में इस सदन में कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि दूसरे देशों की हमारे देश के उग्रवादियों के साथ साँठ-गांठ है और वे उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। पाकिस्तान हो, अमेरिका, कनाडा अथवा इंग्लैंड हो, हर बार जब यह प्रश्न सदन के सामने आते हैं तो मन्त्री एक विवरण देते हैं और हमें ज्ञात होता है कि क्या हो रहा है। सरकार भी सरलता से अन्य देशों की सांठ-गांठ को स्वीकार करती है क्योंकि इस मामले में गुप्त साँठ-गाँठ न होने का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है कि आक्रमणकारियों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों की साँठ-गांठ है। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत ने इस घटना के पश्चात पाकिस्तान के विदेश मन्त्री को सूचित किया है। मैं उद्धरण देता हूँ :—

> "पाकिस्तानी अधिकारी इन अपराधियों तथा दोषी व्यक्तियों का पक्ष ले रहे हैं और उनके प्रति नरमी बरत रहे हैं।"

यह हमारे राजदूत हैं जो साक्षी हैं। वह विदेश मन्त्री को यह पत्र लिखते हैं और हम क्या करते हैं ? हम "हाँ" कहते हैं। हम यह सब जानते है। किन्तु इस मामले में तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती जब तक कि दूसरी घटना नहीं हो जाती और सदन में इसे पुनः नहीं उठाया जाता। इस तरह इस मसले पर सदन में कई बार चर्चा हुई है। कुछ समय पहले हमारे विमान का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ ? अतीत से पता चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं हर वर्ष हर तीसरे महीने होती रहती हैं, और मुझे विश्वास है कि गुप्तचर एजेंसी सरकार को पूरा विवरण हर महीने देती हैं। हमें अन्य स्रोतों से भी जानकारी मिलती हैं। मेरा यह विश्वास है कि यह काम पाकिस्तान अकेले नहीं करता है। पाकिस्तान यह काम अन्य देशों की सांठ-गांठ से करता है। जब हम जानते हैं कि इस काम में उन अन्य देशों की साँठ-गाँठ है जो यह नहीं चाहते कि हमारा देश

प्रगति करे तो इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान के प्रति हमारा रवैया इतना नर्म क्यों है।

समाचार पत्रों में एक समाचार यह था कि इंग्लैंड के उग्रवादी किसी कारण से इक्वेडोर में बसते जा रहे हैं, और कारण स्पष्टतः आर्थिक है। जब उग्रवादी इक्वेडोर जा रहे हैं उसी समय हमारे देश में यहां उन्होंने अपना दूतावास बन्द कर दिया। इक्वेडोर राष्ट्रपति तथा वहां के नेताओं द्वारा विरोधात्मक वक्तव्य दिए गए हैं। इसका समर्थन कौन कर रहा है अथवा इसे कौन बढ़ावा दे रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि इक्वेडोर अकेले यह सारा कुछ नहीं करता है। उनकी अन्य देशों के साथ भी सांठ-गांठ है।

आज भी समाचार पत्रों में आया है कि उग्रवादी इक्वेडोर जा रहे हैं।

जहां तक आज के विषय का सम्बन्ध है उन भारतीय राजनियज्ञों पर उग्रवादियों द्वारा आक्रमण किया गया जो सिक्खों की सहायता के उद्देश्य से गए थे। सरकार के नए रवैये के परिणामस्वरूप हम राष्ट्रपति जिया को अपने एक परमाणु केन्द्र का निरीक्षण करने के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं। अतः हमने पिछले दो सालों में पाकिस्तान की नीतियों से जो सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए यह नर्म रवैया बेतुका है। हम अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस नर्म रवैये तथा राजनैतिक सदव्यवहार का परिणाम अच्छा नहीं रहा है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। हमारा विदेश विभाग बहुत सक्षम है और हमारे विदेश मन्त्री भी सक्षम हैं।

अतः इस नर्म रवैये का क्या कारण है? जब कभी ऐसी बड़ी घटना हुई हमने नर्म रवैया अपनाया। इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी अधिकारी उग्रवादियों की सहायता कर रहे हैं किन्तु फिर भी सरकार हमेशा यह वक्तव्य देती है कि हम सब इन्तजार कर रहे हैं और देख रहे हैं अब समय आएगा जब कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में नियुक्त होना पसन्द नहीं करेगा, और हमारी सरकार के रवैये के कारण हमारा राजदूत भी कार्यमुक्त होना चाहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी विदेश सेवा के अधिकारियों को निरुत्साहित कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने राजदूतों को भी निरुत्साहित कर रहे हैं और उनका मनोबल गिरा रहे हैं। हमारे देश के लोग इस बात पर नाराज हैं कि सरकार पाकिस्तान के प्रति नर्म रवैया क्यों अपना रही है

हम संयुक्त राज्य तथा कनाडा में आतंकवादी प्रशिक्षण विद्यालयों की बात करते हैं। संघीय जांच ब्यूरो (एफ० बी० आई०) ने हरियाणा के मुख्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री की हत्या के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में कैंपर का हाथ होने के संबंध में विवरण दिया है। क्या संघीय जांच ब्यूरो की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी के साथ सांठगांठ नहीं है? इन देशों से हम क्या आशा करते हैं? एल सलवेदार अथवा निकारागुआ में संयुक्त राज्य की क्या गतिविधियां रही हैं, इसका घृणित इतिहास हमारे सामने है। हमने संयुक्त राज्य की घृणित गतिविधियों को देखा है जहां भी वह पिछले पन्द्रह वर्षों में शस्त्र तथा धन लेकर गए हैं। उनके इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए क्या हमें भी उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करनी होगी।

मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान यह सारा कुछ स्वयं अकेले नहीं करता है। यह कैसी सांठ-गांठ है जिसके बारे में सरकार को जानकारी मिली है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य के बीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध कैसे हैं। पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य के बीच इस प्रकार की सांठ-गांठ है कि एक देश एक वर्ष के पहले तीन महीनों में एक तरह का रुख अपनाएगा और दूसरा

देश दूसरी तरह का रूख अपनाएगा। तत्पश्चात अगले तीन महीनों में एक देश एक प्रकार का रुख अपनाएगा और दूसरा देश दूसरी तरह का रुख अपनाएगा ? हमें अपनी आंख नहीं मूंदनी चाहिए। पाकिस्तान द्वारा किसी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियां, गुरीला गतिविधियों संयुक्त राज्य के सहयोग के बिना नहीं हो सकती हैं। यह केवल गुप्त सहयोग का प्रश्न नहीं है, पिछले दो वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह खुला समर्थन है। उससे अधिक खुला समर्थन नहीं हो सकता है जो पिछले दो वर्ष में हमारे सामने आया है। प्रत्येक गतिविधि में चाहे यह अपहरण का प्रश्न हो, या उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न हो, अमरीका पाकिस्तान को खुला समर्थन तथा सहयोग दे रहा है। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद क्या हमें चुपचाप बैठना होगा और पाकिस्तान के प्रति नर्म रुख अपनाना होगा और उसके साथ सदव्यवहार करते रहना होगा।

अब इस विषय में सरकार का क्या रवैया है ? क्या सरकार इस विषय में सचेत है ? यह कहना हेतुका होगा कि वह इस सम्बन्ध में सचेत नहीं हैं। यदि हम सचेत हैं तो क्या सरकार इन सभी देशों के प्रति अपनी नीति अथवा अपने रवैये को बदलेगी जो विमान अपहरण, हमारे राजनयिकों पर आक्रमण जैसी गतिविधियों में उग्रवादियों की सहायता कर रहे हैं अथवा उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उकसा रहे हैं।

गत दो वर्षों के अनुभव तथा पाकिस्तान के साथ कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राज्य के साथ हमारे अनुभव को, तथा अन्य देशों में तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों में अमरीका की कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए, अब हमारी नीति क्या होनी चाहिए ? मैं इसे संकुचित नहीं करना चाहूंगा, किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी नीति में कोई परिवर्तन होगा अथवा हमें चाहे-अनचाहे इसी नर्म नीति पर चलते रहना होगा।

12.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मि० स्पीकर सर, सारा देश चिन्तित है कि हमारे देश में डिइस्टैबिलाइजेशन की एक स्लो प्रोसैस दो साल से चल रही है और कई एजेंसियां भी इस काम में जुटी हैं जो कि एक-एक हजार करोड़ का विदेशी धन यहां देकर कुछ आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देती हैं। अमेरिका के सक्रिय तथा खालिस्तान के स्वयंभू नेता भी उनकी इस काम में सहायता करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है या नहीं कि हमारी इंटैलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि कई नामों से कई संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। इस देश में जो संगठन सी० आई० ए० की तरफ से या दूसरी तरफ से काम कर रहे हैं, जिनका कि बजट एक-एक हजार करोड़ तक जा रहा है, क्या यह उसी ढंग से चलता रहेगा, इसके बारे में मैं सरकार की राय जानना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि कैनेडियन लोगों ने सिर्फ एक्सटीमिस्ट्स को शिक्षा ही नहीं दी है बल्कि वे उनको आर्मी में भी रैक्रूट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट आर्मी में उनको रैक्रूट करती है तो उनके टापमोस्ट आफिसर्स वहां रहते हैं और खालिस्तान के नेता रहते हैं, साथ ही जो खुद ही खालिस्तान के डेपुटी डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं वह भी वहां रहते हैं, तो इस बारे में खाली हम देखते ही रहेंगे या कोई कड़ी कार्यवाही करेंगे ? खाली निषेध-पत्र देकर काम नहीं चलेगा। बीच में अभी जब हमारे प्रधान मन्त्री अमेरिका और ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ दोनों

सरकारें कड़ी कार्यवाही करेंगी। मगर पता तो यह चल रहा है कि कोई कड़ी कार्यवाही इन संगठनों के खिलाफ नहीं हो रही है बल्कि उनको वे लोग काफी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह हिन्दुस्तान में यह जो डी-स्टैबिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है इस बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? क्या इस तरह की मालूमात करने के बाद भी हम सिर्फ इसको देखते रहेंगे?

तीसरी बात यह है कि जो ये गुरिल्ला की ट्रेनिंग देते हैं और सिख कम्यूनिटी एक अलग देश में, इक्वाडोर में जाती है तो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कैनाडा हो या पाकिस्तान हो, ये उनको सहायता देते हैं और पाकिस्तान वालों ने एक कम्यूनिकेशन का रास्ता वहां से बनाया हुआ है, तो इन चारों कन्ट्रीज के बारे में क्या हम कोई बात गंभीरता से सोच रहे हैं या खाली निषेध पत्र देकर बैठे रहेंगे? मेरा सुझाव है सरकार को कि उनको इस बारे में थोड़ी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान में आतंकवाद फैल रहा है या कुछ संगठन यहां ऐसे काम कर रहे हैं, संगठनों के नाम चाहिए तो मैं मन्त्री महोदय को दे सकता हूँ, ऐसी हालत में हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सोच रहे हैं या नहीं यह सुझाव विदेश मन्त्रालय के लिए हो या न हो, लेकिन हर दिन जब आदमी हिन्दुस्तान में मर रहे हैं तो हम सेल्फडिफेंस के लिए कुछ सोचेंगे या नहीं या इसी तरह आतंकवादी विदेश से ट्रेन्ड होकर यहां आएंगे और लोगों को मारते रहेंगे? अभी कुछ पुलिस आफिसर्स के ऊपर हमले हुए हैं, तो जब हमारे ला ऐंड आर्डर और सेक्योरिटी के लोग खतरे में होते हैं, तब भी हम खाली निषेध पत्र देते रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। कोई राजनैतिक सुझाव या कोई राजनैतिक पाबन्दी भी उनके ऊपर लगानी चाहिए। इसके बारे में मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा।

श्री एस० एस० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मन्त्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 26 नवम्बर की घटना का उल्लेख किया जिसमें दो वरिष्ठ राजनयिकों पर आक्रमण किया गया। महोदय, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध तथा भारतीय नेताओं की हत्या का आह्वान करने से उनके उत्तेजक भाषणों के समेत भारत-विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान कुछ सिख उग्रवादी नेताओं को निरन्तर तथा बाकायदा प्रशिक्षण दे रहा है और उन्हें अति आधुनिक शस्त्र उपलब्ध कर रहा है। वास्तव में पाकिस्तान हमारे देश की स्थिरता को समाप्त करने में लगा हुआ है और बहुत सी घटनाएं सरकार की नोटिस में आई हैं। इनमें से कुछ समाचार पत्रों में भी आई हैं।

अतः मैं मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह विस्तार से यह बतायें कि कितने मामलों में इस प्रकार की घटनाएं सरकार के नोटिस में आई हैं और क्या इनको पाकिस्तान की सरकार के नोटिस में भी लाया गया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सिख उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने का यह काम अभी भी नियमित रूप से हो रहा है अथवा नहीं; यदि हां, तो इनको नियंत्रण में रखने के लिए कौन से प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं।

दूसरा पहलू यह है कि ब्रिटेन में उग्रवादी अभी भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। ब्रिटेन में 30 से 40 गुरुद्वारों में शस्त्र खरीदने के लिए और उन्हें पंजाब के सिख उग्रवादियों को देने के लिए निरन्तर भारी धन राशि इकट्ठी की जा रही है। एक प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति सप्ताह लगभग एक लाख से दो लाख पौंड एकत्र किए जाते हैं और इस राशि का उपयोग अवैध यूरोपीय बाजारों से हल्के शस्त्र, उप-मशीनगन तथा विस्फोटक पदार्थ खरीदने और उन्हें पंजाब में सिख समुदाय के विघटनकारी तत्वों को भेजने के लिए किया जा रहा है।

और यही होता आ रहा है। इंगलैण्ड में उग्रवादी तत्वों द्वारा नियमित रूप से धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से गुरुद्वारों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भारत में तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जा सकें, इस प्रकार की कार्यवाही को, जो लम्बे समय से चल रही है, रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रीमान् कुछ समय पूर्व इस सदन में कुछ उग्रवादी तत्वों द्वारा खालिस्तान मुद्रा के छापे जाने और उसका उपयोग किये जाने का मामला उठा और उस पर संभवतया बहस भी हुई, ऐसी बातों को रोकने तथा कारगर तरीके से नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं ? इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं।

इसी प्रकार, इक्वेडोर सरकार में भी लगभग खालिस्तानी सरकार को मान्यता दे दी है, और उनको प्रत्येक सहयोग दिया है। उन्होंने उनको जमीन दी है, पैसा दिया है; उन्होंने उनको प्रत्येक चीज दी है। और इस समय वे उनका आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं : अतः इक्वेडोर सरकार के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं जब वे इन गतिविधियों में भाग लेते हैं ? इसके अतिरिक्त मैं इसको विशेष-कर विदेश मन्त्री के ध्यान में इस तथ्य को, जिसके बारे में उन्होंने हल्का उल्लेख भी किया, लाना चाहता हूँ कि कनाडा में ऐसे नियमित स्कूल—सामरिक स्कूल —भी हैं जो सिख उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कनाडा सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि इस मामले की जाँच की जायेगी तथा उचित कदम उठाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने इस मामले की जाँच की है तो उसका क्या हुआ है और ऐसी जाँच का क्या परिणाम निकला है ? क्या वे मामले की जाँच कर भी रहे हैं और उससे क्या तथ्य सामने आये हैं ? वे किस प्रकार इस स्थिति से निपटने जा रहे हैं ? यह मालूम होना है।

श्रीमान् प्रेस में हाल ही में यह छपा है कि विश्व सिख संघ की हाल ही में टोरन्टो में 30 नवम्बर को हुई एक बैठक में, जिसमें कि हजारों सिख उपस्थित थे, कैप्टन रिले ने उपस्थित खालिस्तानी समर्थकों के सामने सैनिक जीवन के लाभों का वर्णन किया।

उन्होंने कहा कि सेना में शानदार अवसर हैं और उन्होंने जमा हुए 1000 सिख युवकों से आग्रह किया कि वे कनाडा की सेना में भर्ती हो जायें। उनके अनुसार कनाडा वेतन के रूप में 500 डालर प्रति माह देगा तथा लड़ाई के विभिन्न क्षेत्रों/पहलुओं के विषय में 3 वर्ष की विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देगा। यह उन्हें एक खुला निमन्त्रण है कि वे इस अवसर का लाभ उठायें तथा ट्रेनिंग लें। उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया भी है।

श्रीमान्, एक और प्रेस रिपोर्ट इस आशय की है कि अणविक हथियार बनाने की जानकारी देने वाले एक पाठ्यक्रम की न्यू हैवेन्स विश्वविद्यालय द्वारा पेशकस की गयी है जो कि अगले वर्ष प्रारम्भ में दिया जायेगा, यह पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमरीका में भी उपलब्ध है, और मुझे नहीं मालूम कि कितने सिख उग्रवादी तत्व इस अवसर का भी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए, कनाडा सरकार ने हाल ही में प्रत्यर्पण अधिनियम के प्रावधानों को व्यापक बनाकर भारत को भी शामिल कर लिया है। यदि वे चाहें तो कनाडा से कुछ भारतीय सिखों को प्रत्यार्पित कर सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। हाल ही में तजिन्दर सिंह परमार और इन्दरजीत सिंह रेयात नामक दो सिखों को विस्फोटक सम्बन्धी अपराध के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसका क्या हुआ है ? क्या सरकार ने उस मामले में कुछ किया है ? जहाँ तक प्रत्यार्पण अधिनियम का सम्बन्ध है क्या कदम इस सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं; क्या किसी व्यक्ति को उस देश से निकाल कर इस देश में भेजा जा

रहा है ? मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी इस स्थिति को भी स्पष्ट करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। बार-बार वह यह कह रहे हैं कि उस बात के लिए सिक्ख उत्तरदायी हैं, सभी सिक्ख उस बात के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, इस बात के लिए मेरे पूरे के पूरे समुदाय को ही बदनाम किया जा रहा है···(**व्यवधान**) **

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं बोल सकते। यह ध्यानाकर्षण है। आप उस पर नहीं बोल सकते। कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब मन्त्री उत्तर देंगे। आप इसे किसी और समय उठा सकते हैं—इस प्रकार नहीं। यदि आप किसी और समय उठायें तो हम देख सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इन भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ कि सारे सिख उग्रवादी सिखों के साथ नहीं है, बल्कि उनका एक बहुत छोटा हिस्सा ही उनके साथ है। पंजाब के चुनावों और अकाली दल की सरकार ने यह दिखा दिया है। हर जगह, सारी दुनिया में उग्रवादियों की संख्या घटती जा रही है। अधिकांश सिख देश के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। वे मुख्यधारा में है। वे उतने ही देशभक्त हैं जितने और कोई।

मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह खतरे का बिन्दु है। चूंकि उग्रवादियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, उनमें किसी दुस्साहस या हिंसा का सहारा लेने की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है। वे इस बात का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ स्थानों में ऐसा ही हो रहा है।

ध्यानाकर्षण की जहां तक बात है श्री कमल नाथ ने सदन की और देश की भावना और रुख को व्यक्त किया जब उन्होंने कहा कि हमें इस समस्या से सख्त तरीके से निबटना चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम बिलकुल ऐसा ही कर रहे हैं; सरकार सभी स्तरों पर ऐसा कर रही है। दरअसल, स्वयं प्रधान मन्त्री ने प्रत्येक जगह ऐसा ही किया है, चाहे वह अमेरिका में हो, इग्लैण्ड में हो या राष्ट्रमण्डल के देशों की सभा में हो। अर्थात् कनाडा के प्रधान मन्त्री के साथ तथा फिर राष्ट्रपति जिया के साथ अपनी कई मुलाकातों में उन्होंने इन्हीं दो पहलुओं पर बहस की है। जहाँ तक अन्तर-राष्ट्रीय आतंकवाद का सम्बन्ध है। इसे जारी रहने दिया गया तो विश्व में कहीं भी संगठित समाज नहीं रह पायेगा। इसने एक बहुत अच्छा प्रभाव पैदा किया है क्योंकि जहाँ तक इस बात का प्रश्न है सारी सरकारें किसी न किसी रूप में आतंकवाद की चुनौती या खतरे का सामना कर रही हैं। इस बात ने काम किया है। राष्ट्रपति जिया के साथ भी हमारे प्रधान मन्त्री ने इस प्रश्न को उठाया है लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि जबकि अकेले पिछले एक वर्ष में सभी स्तरों पर कई बार विचारों का आदान-प्रदान हुआ है।

श्री कमलनाथ : किस फायदे के ?

श्री बी० आर० भगत : हम दो तरफ नहीं हैं ; हम सब एक तरफ हैं। मैं यह दृष्टिकोण सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि सारे सदन द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

पाकिस्तान के साथ मुश्किल यह है कि एक ओर तो एक राष्ट्रपति जिया से लेकर सभी पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं कि हमसे मित्रता का सम्बन्ध चाहते हैं। राष्ट्रपति जिया मिलीभगत होना तो दूर रहा, उनको मदद देने में कोई हाथ होने से भी पूरी तरह इन्कार करते हैं। हम उनके

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विदेश मन्त्री से, यहां उनके राजदूत से विचार-विमर्श कर रहे हैं—सभी स्तरों पर हम उनसे विचार-विमर्श कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, वे कहते हैं कि वे अच्छे पड़ौस-संबंध चाहते हैं, मैंने पूछा, 'दोनों' पड़ोसियों के किस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिए ? उन्होंने कहा, "व्यक्तियों के स्तर पर, सरकारों के स्तर पर तथा सभी स्तरों पर, हमारे बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए, और प्रत्येक स्तर पर हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, तथ्य यह है कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, उसके वक्तव्यों और यथार्थ के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, यह अन्तर अवश्य है। मैं यह नहीं कहूंगा कि सर्वोच्च स्तर पर इन घटनाओं के साथ पाकिस्तान की सक्रिय मिलीभगत है, लेकिन तथ्य यह है कि वहां पर ट्रेनिंग स्कूल है। हमारे सामने यह घटना भी है जिसमें हमारे दो राजनयिकों पर आक्रमण किया गया। मैं कहूंगा कि किसी सरकार द्वारा ऐसा करना शिष्ट व्यवहार के नियमों के विरुद्ध है। यह वियना अभिसमय का उल्लंघन है।

राजनयिक कर्मचारियों के साथ एक विशेष स्तर का व्यवहार करना होता है, कुछ विशेष नियम होते हैं जिनमें प्रत्येक सरकार साझेदार होती है, यदि कुछ है तो यह वियना कांवेन्शन का पूर्ण उल्लंघन है। यह ऐसा ही प्रतीत होता है, और हमने यह बता दिया है कि सर्वोच्च स्तर पर या नेतृत्व के स्तर पर कोई इच्छा है या नहीं, मैं सदन को बताने में समर्थ नहीं हूँ और सदन भी मुझसे यह बताने की आशा नहीं करेगा मैं कह भी नहीं सकता, और सदन यह भी आशा नहीं करेगा कि मैं मात्रात्मक रूप या परिमाणत्मक रूप में इसे सत्यापित करूँ, लेकिन निःसन्देह जिस ढंग से ये अधिकारी तथा अन्य बर्ताव करते हैं, मध्य-क्रम के अधिकारी, निचले अधिकारी बर्ताव करते हैं, जिस ढंग से वे बातें करते हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं रह जाता है कि निचले और मध्य के स्तर पर कुछ मिली भगत है।

श्री कमल नाथ : क्या राष्ट्रपति जिया जानते हैं कि क्या हो रहा है ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम क्या करें ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक बहुत नकारात्मक घटना है। हम पाकिस्तानी नेताओं को बताते आये हैं कि जरूरत इस बात की है कि···(**व्यवधान**)

श्री कमल नाथ : हमें मध्य क्रम वालों से बात करनी चाहिये क्योंकि राष्ट्रपति जिया को उनकी जानकारी नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने उनसे बात की है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : हम पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं, और पाकिस्तान हमसे मित्रतापूर्ण होना चाहता है।

श्री बी० आर० भगत : यही रास्ते में आ जाती है, यह घटना वास्तव में आड़े आ जाती है, प्रस्ताव कई आये हैं और वे कहते हैं, "आप एक अनाक्रमण सन्धि कर सकते हैं" हमने कहा "अनाक्रमण सन्धि कीजिए लेकिन जो चीज अधिक महत्वपूर्ण है वह है विश्वास होना, क्रिया-कलापों के बीच विश्वासनीयता होना। हमें सहयोग और मित्रता का वातावरण बनाना चाहिए। इसीलिए हमने एक मैत्री सन्धि का प्रस्ताव रखा। हम कुछ विश्वास पैदा करने वाले कदम चाहते थे। इस अकेली घटना ने प्रधान मन्त्री स्तर से लेकर विभिन्न स्तरों तक एक वास्तविक वातावरण बनाने के प्रयास की दिशा में किये गये सारे कार्य को चौपट कर दिया, सारा काम इस प्रकार की घटनाओं से बिगड़ जाता है। और इसलिए हमने उन्हें इस विषय में बताया है और हमने इसको उसके अनन्तर सुधारने की कोशिश भी की है स्थिति यह है कि उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है जिससे आघात पहुँचा है। क्योंकि पहले 48 घन्टों में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और जब उन्होंने कार्यवाही की तो उन्हें गिरफ्तार

किया और छोड़ दिया, अब हमने विरोध व्यक्त किया कि "आप क्या कर रहे हैं ?" तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने यह कह कर उन्हें छोड़ दिया कि यह एक मामूली आरोप है। यह सब इस बात को दर्शाता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है, हमें अपने हितों की रक्षा करनी है, हमें अपनी सीमाओं की, जहां तक हो सके सुरक्षा करनी है।

श्री कमल नाथ : क्या आज सुबह दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है ? श्रीमान् उपाध्यक्ष मेरा प्रश्न था कि इसको देखते हुए क्या आज सुबह और पिछले सोमवार की सुबह के बीच कोई परिवर्तन होने जा रहा है ? क्या कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : असल बात यह है कि हम पड़ौसी हैं। इस मामले में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम उसे जानते हैं वे टेनिंग दे रहे हैं, वे पृथकतावादी तत्वों को, उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, वे हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आदि-आदि। लेकिन तथ्य यह है कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, सुदृढ़ है और हमें पाकिस्तान के साथ मैत्री के साथ रहना है, हम पड़ोसी हैं। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। और यदि हम ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो भी हमें विश्वसनीयता पैदा करनी है ताकि हमारे बीच खाई न बढ़े। हमें इस नीति का पालन करना है। सही अधिकतम सावधानी के साथ हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा करनी है।

माननीय सदस्य, श्री बालासाहेब विखे पाटिल ने कहा, "सी० आई० ए० वहां काम कर रही है" फिर एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि वहां गुप्तचरी की क्रियाएँ हो रही हैं, हम यह जानते हैं। यह जीवन का एक तथ्य है और सभी प्रकार की बाहरी एजेन्सियां वहां हैं और गुप्तचरी हो रही हैं हम यह सब जानते हैं। हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते। हम उन्हें यह आदेश नहीं दे सकते कि वे उन्हें रोकें। हमें अपनी सुरक्षा करनी है। यही कारण है कि प्रजातन्त्र में एक संसदीय प्रजातन्त्र में जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए वचनबद्ध है, एक स्वीकृत देश में, एक अखण्ड देश में अस्थिरता पैदा करने वाली भावनाओं और शक्तियों का तथा बहुत से ऐसे कारकों का सामना करना होता है और यदि पूरे देश एवं पूरे राष्ट्र में एकता हो तो किसी प्रकार की गुप्तचरी या देश में अस्थिरता पैदा करने वाली अन्य शक्तियों के विरुद्ध यही एक कवच है, मुझे खुशी है कि इस संसद के नेतृत्व में, हममें ऐसी भावना है। देश एक है, जब हम देखते हैं कि एकता को खतरा है, कि देश को अस्थिर करने वाली शक्तियां है, हमें उन्हें खत्म करना है तथा देश की रक्षा करनी है, यही करने की कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या उन संगठनों की सरकार ने शिनाख्त कर ली है ?

श्री बी० आर० भगत : वे जाने पहचाने हैं। हमने उनकी शिनाख्त कर ली है। हम जानते हैं कि इन बातों के सम्बन्ध में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि और देशों में क्या हो रहा है। अत: मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जहां तक राष्ट्र के जिलों और देश की सुरक्षा का प्रश्न है, हम बिल्कुल दृढ़ हैं, अडिग हैं और स्पष्ट हैं और हम सभी कदम उठा रहे हैं, साथ ही, जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है हम मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को जारी रखेंगे, विश्वास पैदा करने वाले कदम उठायेंगे और हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह के अन्त में एस० ए० आर० सी० का एक सम्मेलन ढाका में होने जा रहा है जहां हम क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रयत्न करेंगे। यदि एक दूसरे में विश्वास न हो, और एक देश, चाहे वह भारत हो या पाकिस्तान यह सोचता है कि दूसरा देश उसके विरुद्ध विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है तो क्षेत्रीय सहयोग

का वातावरण नहीं बन सकता इस सारी प्रक्रिया को उलटना होगा। हम आपसी विश्वास बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनाएं आयी हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैं उसी पर आ रहा हूं, श्री कमलनाथ ने पाकिस्तान के प्रति हमारे नरम रुख की बात कही, हमारा पाकिस्तान के प्रति मैत्रीपूर्ण रुख है, यह नरम नहीं है। हम अपने रुख में दृढ़ हैं।

श्री कमलनाथ : नपुंसक

श्री बी० आर० भगत : ऐसा मत कहिए। जहां तक इक्वेडोर का प्रश्न है, हमने इक्वेडोर सरकार के साथ मामला उठाया है। कई प्रकार की रिपोर्ट हैं। पहली रिपोर्ट यह थी कि उन्होंने "खालिस्तान सरकार" को मान्यता दे दी है, वे कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, उन्होंने इस बात से साफ-साफ इन्कार किया है फिर कुछ रिपोर्टें थीं कि कुछ लोगों ने वहां जमीनें खरीदी हैं। और भी बहुत सी रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन अब तक इक्वेडोर सरकार ने यही कहा है कि "खालिस्तान" में उनकी कोई रुचि नहीं है, और न तो उनके साथ उनका कोई सम्पर्क है और न ही किसी तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया है, लेकिन हम सजग हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

जहां तक बालासाहेब के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि जब ऐसे लोग सक्रिय हैं और जब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हमें देश को आत्म-रक्षा के लिए तैयार करना चाहिए जो ठीक भी है। सुरक्षा सम्बन्धी कदमों को सख्त बनाने से अतिरिक्त, हमें एक अत्यन्त व्यथित करने वाला अनुभव हुआ है कि हमारी प्रधान मन्त्री की ही हत्या नहीं हुई बल्कि उसके बाद संसद के महत्वपूर्ण सदस्यों की भी हत्या कर दी गई और पंजाब, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें ले ली गयीं, हमें इस आतंकवाद और हिंसा से लड़ना है। इससे लड़ने के कई तरीके हैं। हमने यहां जो तरीका अपनाया है वह है प्रजातांत्रिक ढंग से लड़ने का। वह सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हम आतंकवाद से लड़े और हम इससे इतनी सफलता पूर्वक लड़े कि आज पंजाब की बहुसंख्यक जनता मुख्य धारा में है, और उनकी अपनी सरकार है। हम इससे इसी तरीके से लड़ते हैं।

सबसे बड़ी सुरक्षा है आत्म-रक्षा लेकिन आत्म-रक्षा उसी स्थिति में की जा सकती है जिसमें टकराव, संघर्ष, घृणा एवं हिंसा समाप्त हो जाते हैं एवं लोकतांत्रिक भावना विद्यमान रहती है। साथ ही, सुरक्षा एवं कानून एवं व्यवस्था के मामलों से साधारण तरीके से नहीं निबटा जा सकता है। उसके लिये विशेष कदम और तरीके ढूंढने होंगे। और यही किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हर सम्भव कदम उठाना होगा, क्या लोगों को आत्म-रक्षा की कला में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए यह तो बड़ा विवाद का प्रश्न है क्योंकि और देश ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वही समूह जिसको कि आत्म-रक्षा की कला का प्रशिक्षण दिया जाता है और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वही बाद में आक्रामक तत्व हो सकता है, यही इसके भिन्न-भिन्न पहलू हैं। लेकिन तथ्य यह है कि हमें देश में ऐसा महौल पैदा करना है कि शान्ति और सद्भावना बनी रहे। लोगों के किसी समूह की लम्बे समय से चली आ रही शिकायत नहीं रहनी चाहिए, चीजों को लोकतान्त्रिक तरीके से तय किया जाना चाहिए एवं सबकी सहमति को लेकर करना चाहिए। यही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वास्तव में इससे हमें लाभ भी हुआ है।

सभी लोगों द्वारा हर जगह इसको माना जा रहा है, अतः हम इसको जारी रखेंगे, हमें आतंक-

वाद से निबटना है, इसमें कोई शक नहीं लेकिन हर देश का इससे निबटने का अपना तरीका होता है। हमने रास्ता दिखा दिया है चाहे आप इसको गांधीवादी रास्ता कहें, प्रजातांत्रिक रास्ता कहें या कुछ और···(व्यवधान)

श्री भट्टम ने तीन बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने पाकिस्तान शासन द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही यह सच है। इससे पहले भी हमने वक्तव्य दिए हैं और रिपोर्ट भी आ रही हैं कि उग्रवादी तत्वों को पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे इस देश में सक्रिय हो सकें या हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर सकें, और हम पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि ऐसे लोगों को सहायता और प्रोत्साहन न दिया जाये···(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनाएँ आयी हैं और क्या कार्यवाही की गयी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : इसके बारे में ब्यौरा देना उचित नहीं होगा लेकिन हम उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं, हम उन्हें पकड़ने में सफल रहे हैं, और हम उन्हें अलग-अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा सीमा भी लगभग सील कर दी गयी है, ये सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं लेकिन इसके बारे में ब्यौरा देना कठिन है क्योंकि यह उस उद्देश्य को ही जिसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नाकाम कर देगा।

फिर उन्होंने कहा कि वे बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा कर रहे हैं। यह सत्य है, उन्होंने कई तरह से धन एकत्र किया है, कभी राजनैतिक उद्देश्य से और कभी शस्त्र खरीदने के नाम पर। लेकिन यह बताना कठिन है कि इस पैसे को किस हद तक प्रयोग में लाया जा रहा है क्योंकि यहां तक कि उनकी अपनी ही बैठकों में एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, उनमें आपस में मार-पिटाई हुई है वे एक दूसरे के विरुद्ध धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर हिंसा करने पर उतारू हुए हैं। वास्तव में विभिन्न दलों और लोगों के इसमें निहित स्वार्थ हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं और इन महत्वाकांक्षाओं के नाम पर उन लोगों ने काफी पैसे पर अपना अधिकार बना रखा है और अब वह पैसा अपना बना लिया है। वे समझते हैं कि उन्हें उग्रवाद के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें लाभ पहुँचता है। अतः चूंकि वे अधिकाधिक उजागर होते जा रहे हैं, लोग आगे बढ़कर उनका विरोध कर रहे हैं। और जब भी वे बैठक का आयोजन करते हैं, उनमें और फूट पड़ जाती है। यही समय है जबकि उन्हें और उजागर करना होगा, उन्हें और कमजोर बनाना होगा और अन्य लोगों के मन को जीतकर उन्हें मुख्य धारा में मिलाना होगा ताकि उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके जिस पर चलने में किसी का हित नहीं है।

उन्होंने खालिस्तानी मुद्रा की भी बात कही है, लेकिन वह कोई खास समस्या नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक रुपए का या दो रुपए का नोट या अन्य कोई नोट छापता है तो वह कोई खास समस्या नहीं है। कुछ देशों में ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा छापता है, जो वैध मुद्रा नहीं है तो यह कानूनी मामला नहीं होगा। यदि ब्रिटेन या कनाडा या किन्हीं अन्य स्थानों पर कोई किसी तरह का नोट छापता है और उनकी संख्या कम है तथा यदि वह वैध मुद्रा नहीं है, तो यह कोई विशेष समस्या नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में भी यह कोई समस्या नहीं है। अतः अन्ततः मैं कहूँगा कि हम पूर्णतः···(व्यवधान)। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (व्यवधान) आप प्रश्न पूछ चुके हैं। अब मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ और आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं···(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : मुद्दा कैम्पर स्कूल के बन्द होने के सम्बन्ध में है। यही मुद्दा उठाया गया था।

श्री बी० आर० भगत : हमारी कोशिश के फलस्वरूप अमरीका, ब्रिटेन और यहां तक के कनाडा में भी कुछ परिणाम निकले हैं वहां की सरकारों का रुख बदल गया है। वे उपाय कर रहे हैं। जैसाकि आपने स्वयं कहा है कि कुछ उग्रवादियों को कनाडा से हमारे यहां वापिस भेज दिया गया है। उन्होंने यह एक कड़ा कदम उठाया है। कैम्पर जैसे स्कूलों को निरुत्साहित करने के लिए राज्य और संघीय सरकार द्वारा कई कानून बदले जा रहे हैं। उन्होंने तत्काल एक जो काम किया है वह यह कि कोई भी स्कूल जो शस्त्रों का प्रशिक्षण दे रहा हैं और यदि कोई विदेशी राष्ट्रिक वहां प्रशिक्षण ले रहा है तो उस मामले में स्कूल को सरकार से अनुमति लेनी होगी। अतः हमें यह आशा है कि इस तरह के और स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यह जो कदम उठाया गया है, उससे हमें आशा है कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं होगी। साथ ही, सीनेट भी इस प्रश्न पर विचार करने जा रही है और जब कानून बनेगा तो इस तरह की गतिविधि को रोक लिया जाएगा।

12.51 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक, 1985 के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि 25 नवम्बर, 1985 को रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक 1985 के संबंध में किए जा रहे वाद-विवाद को 2 दिसम्बर, 1985 तक के लिए स्थागित कर दिया गया था। 26 नवम्बर, 1985 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया था कि इस विधेयक पर और आगे विचार विमर्श 4 दिसम्बर 1985 के बाद किया जा सकता है।

यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक पर और आगे विचार 4 दिसम्बर 1985 को किया जा सकता है।

डा० दत्ता सामन्त(बम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले सोमवार को जब मैं इस पर बोलने जा रहा था तो आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में चर्चा 2 दिसम्बर को की जाएगी। हमने इस विधेयक के संबंध में कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं। सैकड़ों कारखाने बन्द पड़े हैं और यह विधेयक भी इतनी देर से पेश किया गया है। आप इसमें विलम्ब कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सरकार का इसके प्रति क्या रुख है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इसमें विलम्ब नहीं कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। किन्तु चूंकि यह परामर्श कार्य मंत्रणा समिति ने दिया है, अतः वे इस पर चर्चा के लिए कोई भी तिथि निर्धारित कर सकते हैं। निश्चय ही इस पर चर्चा की जाएगी। हम इसे स्थगित नहीं कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी, हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 (क) अर्थात नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

12.52 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को अनुसूचित जातियों पर लागू करने के बारे में अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू उत्तराधिकारी कानून 1956 के अन्तर्गत जो लोग आते हैं, उन सब मृतक के पुत्रों, पुत्रियों, बेवाओं तथा मां को समान रूप से प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाता है परन्तु इस कानून के निर्माताओं द्वारा इस कानून की धारा 2 की उप-धारा (2) में यह व्यवस्था की हुई है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर यह कानून तभी लागू होगा जबकि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना जारी करके इस कानून को लागू करेगी।

यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि सन् 1956 में कानून लागू होने के पश्चात् से आज तक, केन्द्रीय सरकार ने, राजस्थान प्रान्त में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर उक्त कानून लागू होने की अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही राजस्थान सरकार ने यह अधिसूचना जारी करवाने का प्रयास किया है जिससे उक्त कानून द्वारा मृतक अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बेवाओं को, अपने पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं और सम्पूर्ण अधिकार पुत्रों को ही प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की बेवाओं के साथ भेदभाव बरता जा रहा है।

अतः हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 2 की उपधारा (2) की मन्शा के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर, उक्त कानून पूर्ण प्रभाव से राजस्थान प्रान्त व अन्य प्रान्तों में लागू होने के संबंध में शीघ्र ही राजकीय अधिसूचना जारी करके भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए।

(दो) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गोमती तथा रेठ नदियों पर पुलों का निर्माण

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में नदियों पर पुल न होने की वजह से बाराबंकी जिला (उ० प्र०) बहुत पिछड़ेपन का शिकार है। रेठ नदी में बंकी से बरेठी मार्ग पर तथा इसी रेठ नदी पर शरीफाबाद घाट पर एवं कल्याणी नदी पर बाबागंज-धुंधटेर से खिजना मार्ग पर तथा इसी कल्याणी नदी में देवीगंज से मवई मार्ग पर तथा रारी में देवीगंज से सुबेहा मार्ग पर कोई पुल नहीं है। इसी तरह गोमती में इब्राहिमाबाद घाट पर, भी पुल न होने की वजह से वहां की आम-जनता को काफी कष्ट है। इन जगहों पर पुल बन जाने से बाराबंकी जिले का पिछड़ापन दूर होगा तथा जनता को काफी राहत मिलेगी। आशा है आप इन पुलों को बनवाने की आज्ञा शीघ्र प्रदान करवायेंगे ताकि वहां की जनता का आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान हो सके तथा उन्हें आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकें।

[अनुवाद]

(तीन) बम्बई में तेरह रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने और सरकार द्वारा अधिगृहीत अन्य तीन मिलों को उदारतापूर्वक रियायतें देने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : भारत सरकार ने 1983 में विशेष विधान जारी करके, बंबई की 13 रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने हाथ में ले लिया था। इन मिलों में अभी तक सामान्य काम

शुरू नहीं हुआ है। इनमें लगभग 19,000 श्रमिक काम कर रहे हैं जबकि हड़ताल से पूर्व यहां 37,000 श्रमिक थे। इन मिलों में सामान्य स्थिति लाने का काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और वहां सामान्य काम आरम्भ होना चाहिए जिससे सभी मजदूरों को काम मिल सके। यह काम किसी मिल को इस आधार पर बन्द किए बिना ही किया जा सकता है कि उससे लाभ नहीं हो रहा है।

इन मिलों के अतिरिक्त, तीन अन्य मिलें बंद की गई हैं, उनके नाम हैं—बम्बई की श्रीनिवास, ब्राडबरी और मुकेश मिल्स। बम्बई में तीन और मिलें, फोइनिक्स, कमला और मार्डन भी आर्थिक संकट से गुजर रही हैं।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि उसे इन मिलों को पुनः चालू करने और श्रमिकों को कम से कम मात्रा में हटाए जाने की बात ध्यान में रखते हुए इन रुग्ण मिलों को उदार सहायता देनी चाहिए।

(चार) पान उत्पादकों की बेहतरी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : पान के पत्ते उगाने वालों को उनकी उपज के न्यूनतम लागत मूल्य से भी काफी कम मिल रहा है। गत वर्ष उन्हें 10,000 पान के पत्तों के 300 रुपए या इसके कुछ रुपये मिले थे किन्तु आजकल उनका मूल्य 50 से 70 रुपये है जो कि उनके लागत मूल्य से भी कम है। यह अनुमान है कि लगभग 40,000 हैक्टयर भूमि पर पान के पत्तों की खेती होती है और लगभग 15 लाख उत्पादक पूरे वर्ष तक इसकी खेती के काम में लगे हुए हैं। 250 रुपए प्रति 10000 पत्ते की दर से भारत प्रति वर्ष करीब 700 करोड़ रुपए मूल्य के पान के पत्तों का उत्पादन करता है। लेकिन इनके उत्पादकों को कई समस्याओं के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। पान के पत्ते उगाने वाले लघु और सीमांत उत्पादकों को उचित विपणन, रेल ढुलाई सुविधा तथा बैंकों से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। अभी तक पान के पत्तों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और इनके उत्पादक व्यवहारिक रूप से बिचौलियों और बड़े व्यापारियों के पंजों में है। इसे देखते हुए, कृषि मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह पान के पत्ते के उत्पादकों की स्थिति सुधारने के लिए यथाशीघ्र निम्नलिखित कदम उठाएं—

(क) सरकार को परम्परागत पान की खेती करने के तरीके स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों लाने चाहिए।

(ख) सरकार को पान के पत्ते उगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए इसके लाभप्रद मूल्य की घोषणा करनी चाहिए।

(ग) नाफेड को उत्पादकों से लाभप्रद मूल्यों पर सारे पान के पत्तों की खरीद करनी चाहिए ताकि उन्हें बिचौलिये और बड़े व्यापारियों के पंजों से बचाया जा सके।

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद को चाहिए कि वह पान के पत्तों को विशेष रूप से खाड़ी के देशों को निर्यात हेतु, निर्यात सूची में शामिल करें।

(ङ) पान के पत्तों पर रेल भाड़ा 50 प्रतिशत की रियायती दर से लिया जाए और 'नष्ट हो सकने वाली वस्तुएं' के अन्तर्गत इनके लिए सुपर फास्ट गाड़ियों की व्यवस्था की जाए।

(च) पान के पत्तों की फसल को फसल-बीमा योजना में शामिल किया जाए; और

(छ) इस मद को डी० आर० डी० ए० योजना में शामिल किया जाये तथा पान के पत्ते उगाने वालों को उदार शर्तों पर बैंक ऋण दिये जाएं।

[हिन्दी]

(पांच) हिमाचल प्रदेश को अपनी राजधानी का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने और उसे भूमि और भवन अन्तरित किये जाने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं यह विषय उठाना चाहता हूँ।

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए काफी समय व्यतीत हो गया है और इस प्रदेश के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा काफी सहायता प्रदान होती रही है। आज एक राज्य में अपना मैडिकल कॉलिज, विश्व-विद्यालय, हाई-कोर्ट आदि सब प्रकार की प्रशासनिक सुविधायें प्राप्त हैं। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र : कांगड़ा, कुल्लू, शिमला आदि जिले इस राज्य में इस कारण से शामिल किए गए कि इन के रस्म-रिवाज इस राज्य के लोगों से मिलते थे। इन जिलों के लोगों को उस समय भारी प्रसन्नता हुई क्योंकि भाई से भाई का मिलाप हुआ। शिमला इस राज्य की राजधानी बनी परन्तु इस स्थान पर अधिकतर इमारतें, मकान और भूमि भारत सरकार की है, जिससे राज्य सरकार अपने कार्यालय चलाने में कठिनाई महसूस करती है। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से मांग तथा प्रार्थना करता हूं कि अन्य राज्यों की भाँति राजधानी बनाने हेतु सहायता प्रदान करायें तथा मकानों, इमारतों एवं भूमि का स्थानान्तरण भारत सरकार राज्य सरकार को करे ताकि राज्य-सरकार को कोई कठिनाई न हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस कठिनाई को दूर करके राज्य की इस मांग को पूरा करेगी।

1.00 म० प०

(छ:) पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में वनों की कटाई को रोकने की आवश्यकता

श्री एम० एल० शिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के कई जिलों के जंगलों को काटकर उनकी जगह पर वन-विभाग की औद्योगिक बानिकी शाखा द्वारा नये सिरे से वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण एवं प्रदूषण रोकने की दृष्टि से यह अनुचित है। साथ ही उनकी इस योजना से वहां के निवासियों में बड़ा रोष एवं आक्रोश फैल रहा है। वे चिपको आन्दोलन कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके चरागाह निस्तार आदि बन्द हो रहे हैं।

अत: केन्द्रीय शासन इस पर हस्तक्षेप करते हुए जंगल काटने की कार्यवाही तत्काल रोकने के आदेश राज्य शासन को दे तथा यह सुझाव भेजे कि पहले उन पहाड़ियों पर पेड़ लगाये जावें जो पेड़ रहित हैं। क्योंकि प्रान्त में पेड़ रहित नंगी पहाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। जब उन पहाड़ियों एवं पेड़ रहित जमीन में पेड़ लग जायें, तब बिगड़े या खराब जंगलों में पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया जाये। पर्यावरण की दृष्टि से एवं जनहित में यह नितान्त आवश्यक है।

[अनुवाद]

(सात) गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अम्बाथुराई, जिला अन्ना, तमिलनाडु, का प्रबन्ध-ग्रहण

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेटिप्पालयम) : तमिलनाडु के अन्ना जिले में अम्बाथुरई स्थित गांधीग्राम इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल हैल्थ फैमिली वैल्फेयर भारत सरकार के शत प्रतिशत अनुदान योजना, जिसमें एम० सी० पी० एफ० भी शामिल है, के अन्तर्गत दक्षिण भारत के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

इस समय, राष्ट्रीय महत्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह संस्थान कुप्रबन्ध के कारण बहुत खराब स्थिति में है ।

पता चला है कि सरकार ने इस संस्थान को अनुचित/अवैध रूप से ट्रस्ट में बदलने के बारे में कानूनी राय प्राप्त की है। फलतः भारत सरकार ने इस संस्थान को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में संस्थान के निदेशक की राय जाननी चाही है। इस संस्थान की सारी चल और अचल संपत्ति जनता के पैसे बनाई गई है और इस संस्थान में आरम्भ से ही किसी ने भी इसमें निजी संपत्ति नहीं लगाई है। संस्थान के कोई नियम-विनियम नहीं है और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा भी नहीं है। इस संस्थान की वर्तमान स्थिति और इसके हजारों कर्मचारियों के हितों को देखते हुए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान को अपने हाथ में ले ले, तथा इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में चलाए। मेरा अनुरोध है कि सरकार को न केवल इस संस्थान को बचाने के लिए, अपितु राष्ट्रीय हित में इसके विकास के लिए भी, तुरन्त इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और सभा 2 बजे म० प० पुनः समवेत होगी।

1.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या-2 लेते हैं। अब श्री मूलचन्द डागा बोलेंगे। आप कितना समय लेना चाहते हैं ? राजस्थान में कोई गोदी नहीं है। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारे श्रम मन्त्री ने काम शुरू किया है, श्रम मन्त्रालय के रोज रोज नये नये बिल आते रहते हैं। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। उनके दिमाग में यह बात जंच गई है कि जो कुछ काम मेरे हाथ से हो जाय वह अच्छा है लेकिन

एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल वह लाए हैं इस बिल की हेडिंग है—डाक वर्कर्स (सेफ्टी, हैल्थ ऐंड वेल्फेयर) बिल और इस बिल का उद्देश्य यह है कि जो डाक वर्कर्स हैं, जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है और उनके कल्याण का सवाल है उसका प्रबन्ध किया जाय। मगर इसके सम्बन्ध में इसमें कोई बात नहीं है। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं कही गई है कि ये मैजर्स इसके लिए लिए जाएँगे। इस बिल में यह जरूर लिखा हुआ है कि—सेफ्टी, हैल्थ ऐंड वेलफेयर, लेकिन कोई माननीय सदस्य यह बतलाने का कष्ट करें कि कौन सी क्लाज में यह कहा गया है यह सेफ्टी होगी, यह वेलफेयर होगा या यह काम उनके हैल्थ के लिए किया जाएगा? कोई एक क्लाज मुझको बता दें?

अब इसके अन्दर यह क्यों नहीं है? तो उसके लिए आपने कह दिया है कि—दैट बिल बी ऐज प्रेस्क्राइब्ड—जब मेन बिल आप पेश कर रहे हैं और बिल के अन्दर ये बातें नहीं हों, सारी चीज ब्यूरोक्रेट्स या एग्जीक्यूटिव एजेंसी पर छोड़ दी जाय, तो इस बिल को कैसे माना जा सकता है? इसमें लिख दिया गया है कि ये सारी बातें एग्जीक्यूटिव या सबार्डिनेट बाडीज जो हैं बनाएगी, इसमें लिखा है—अंडर रूल्स ऐंड रेगुलेशंस।

तो मेरा यह एतराज है कि पार्लियामेंट में यह जो पद्धति चल रही है यह बिलकुल गलत चल रही है। इस गलत पद्धति को समाप्त करना चाहिए। हम इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे कि पार्लमेन्ट के जो अधिकार हैं वह इन लोगों को दे दिए जायें और ये लोग ही सारी बातों का निर्णय करने लगें। केवल प्रोजीजरल मेथड्स को ही उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि पार्लमेन्ट की पावर्स को ले लें। जो प्रोसीजर की बातें हों उन्हीं को ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आप छोड़िए।

[अनुवाद]

"पालिमेंटरी कन्ट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिसलेशन" यह पुस्तक श्री शेषाद्रि द्वारा लिखित है जिसमें उन्होंने कहा है :—

> "संसद की प्रवृत्ति यह है कि धीरे धीरे सरकारी विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाए। वास्तविक विधान केवल सांविधिक पुस्तकों में ही नहीं मिलते बल्कि स्वयं सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत, कई सरकारी विभागों के 'नियमों' और 'आदेशों' में भी मिलते हैं। सर एच० एच० कोजन्स हार्ड विधान के प्रत्यायोजक की ऐसी प्रणाली को बहुत बुरा मानते थे जिसमें भारी खतरे थे क्योंकि प्रशासनिक कार्यवाही सामान्यतः ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सरकारी कार्यालय में अपनी मेज पर बैठा रहता है और जिसका नाम शायद ही किसी को पता हो..."

[हिन्दी]

आज टी० वी० पर यही आएगा कि अन्जैया जी ने यह बिल पास करवाया।

[अनुवाद]

हम श्री अन्जैया को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनके सचिव कौन हैं और वे अधिकारी कौन हैं जो नियम बनायेंगे। मन्त्री महोदय को अनेक काम करने होते हैं और उनके पास इसके लिए समय नहीं होता। (व्यवधान)

यह प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी दूसरी पुस्तक है। मैं सदन का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

> "जब संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत, भारत संघ के राष्ट्रपति ने वर्ष 1951 में दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के पास एक मामला भेजा था तो उच्चतम न्यायालय की पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया था कि यद्यपि विधान बनाने की व्यापक शक्तियां नहीं दी जा सकतीं ···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : हमें नीति और सिद्धान्त निर्धारित करने चाहिए। हम केवल क्रिया-विधि सम्बन्धी काम ही कार्यपालिका पर छोड़ सकते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि हम सिद्धान्त नहीं बनाते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुना रहा था :—

> "सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया था कि यद्यपि विधान बनाने सम्बन्धी व्यापक शक्तियां किसी और को नहीं दी जा सकती, तथापि, यदि विधायिका ने कोई नीति बनाई है और मार्ग-निदेश मानक निर्धारित हैं तब कार्यपालिका वैध रूप से प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती है क्योंकि तब इसका काम केवल विस्तार से इन्हें प्रतिपादित करना ही होगा।"

हमें नीति बनानी ही चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अब मैं खंडों के बारे में बोलूंगा। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा।

[हिन्दी]

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप हर काम को टाइम पर समाप्त करना चाहते हैं। हम आपके शुक्रगुजार है। आप काबिल उपाध्यक्ष हैं और आप बैठे रहते हैं और बहुत समय देते रहते हैं। महरबानी करके इसमें भी समय दीजिए।

पहली बात, जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यह है :

[अनुवाद]

> "किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति···"
>
> "सम्बन्धित सरकार इस अधिनियम और विनियमों के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर, जिन्हें वह सरकार सलाह के लिए निर्दिष्ट करना चाहे, सलाह लेने के लिए किसी सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी।"

उस सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे ? उनकी क्या योग्यताएं होंगी ? यह ज्ञात नहीं है।

> "सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार द्वारा की जाएगी और

उनकी संख्या उतनी होगी और उनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।"

सदस्य कौन होंगे ? क्या वे विशेषज्ञ होंगे तकनीशियन या श्रमिक नेता ? श्रमिक कौन होंगे।

[हिन्दी]

और वे बनेंगे, तो उनकी क्या क्वालीफिकेशन्स होंगी, यह आपको एक्ट में ले डाऊट करना होगा। यह एक बड़ा भारी सवाल है । अब मैं क्लाज 8 पर आता हूँ।

[अनुवाद]

खंड 8 में कहा गया है :

"धारा 5 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिस दिन उसे आदेश संसूचित किया गया है, 15 दिन के भीतर···

संसूचित से आपका क्या अभिप्राय है ? संसूचना मौखिक रूप से भी दी जा सकती है। मैं आपको संसूचना दे सकता हूँ किन्तु क्या वह मौखिक रूप में हो या लिखित किसी रूप में होनी चाहिए ? यदि कोई संसूचना देनी है, तो वह लिखित में ही होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं कि धारा 5 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से 15 दिन के भीतर···"

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि यह 30 दिन होना चाहिए। 30 दिन के अन्दर वह अपील कर सकता है, अगर उसे इन राईटिंग इत्तिला हो जाए।

[अनुवाद]

यहाँ आपने 15 दिन की अवधि रखी है।

[हिन्दी]

एक बात यह है कि वह किस प्रकार से कम्यूनिकेट करेगा। ओरेली करेगा या कैसे करेगा ? और फिर वह अपील कैसे फाइल करेगा ?

[अनुवाद]

क्या उस पर स्टाम्स लगी होगी ? क्या उस पर तीन रुपए का न्यायिक टिकट लगा होगा, वह भी एक कार्य प्रणाली है।

[हिन्दी]

और वह जो अपील फाइल करेगा, उसके लिए आप उसको 30 दिन दीजिए। आपने 15 दिन का प्रोविजन रखा है।

[अनुवाद]

आप व्यथित व्यक्ति को न्याय नहीं दे रहे हैं। उसे लिखित संसूचना मिलने की तिथि से अपील करने के लिए कम से कम 30 दिन मिलने ही चाहिए।

अब सलाहकार समिति के सभापति के बारे में विचार किया जाए। सभापति कौन होगा ?

उसकी योग्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कब तक कार्य करेगा, इसके बारे में भी नहीं पता है। उसमें कहा गया है, "जैसा कि विहित किया जाय" :—

खण्ड 10, उपखण्ड (4) में कहा गया है कि :—

"इस धारा के अधीन जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो समुचित सरकार धारा 20 के अधीन नियमों द्वारा विहित करे।"

अब मैं, खण्ड 13 के बारे में बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि :

"किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी···"

मुकदमा कौन चलायेगा ? कोई निरीक्षक ही चला सकता है। कोई व्यक्ति, जिसे परेशानी है, स्वयं न्यायालय में मुकदमा क्यों दायर नहीं कर सकता है ? इसलिए, इस अधिनियम या विनियम के अधीन, निरीक्षक की पूर्वानुमति के बिना किसी भी अपराध के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

मैं यह भी चाहता था कि यह स्टेच्यूट के जरिए से होना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब गवर्नमैंट ने एक कमेटी मुकर्रर की है।

[अनुवाद]

"7 जून, 1984 को श्री डी० डी० साठे की अध्यक्षता में गठित किया गया पत्तन सुधार आयोग कार्य करने में असफल रहा है। इस आयोग को पत्तन परिचालन के समस्त कार्यों का तथा रेलवे बोर्ड के आधार पर राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। अब साठे आयोग को पुनर्गठित किया गया है तथा इसमें पांच नए कार्यदल नियुक्त किए गए हैं जो बड़े पत्तनों के संगठनात्मक, वित्तीय तथा परिचालनात्मक पहलुओं का अध्ययन करेगा। इस कदम का स्वागत करते हुए यह आशा की जाती है कि ये कार्यकारी दल शीघ्रातिशीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकेंगे। तथापि आधुनिकीरण तथा उत्पादकता बढ़ाने से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव का कार्यान्वयन निश्चित रूप से श्रमिक संघों के सहयोग पर ही निर्भर होगा। समस्या का सबसे कठिन पहलू यही हो सकता है।"

29 मई, 1985 के "इक्नोमिक्स टाइम्स" के सम्पादकीय लेख में यही कहा गया है।

[हिन्दी]

आपने एक कमेटी मुकर्रर की है और वह कमेटी अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट देगी जिसका कि आपने वर्णन किया है। अगर यह बिल इस कमेटी की रिकमण्डेशंस के बाद आता तो यह ज्यादा लाभदायक होता। एक तो यह बिल पहले आया और एक बड़ी बात आपने कही—

[अनुवाद]

अब इस बात पर विचार किया जाये कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?

"भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934 (1934 का 19), डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 और पश्चातवर्ती अधिनियम के अधीन बनाई गई डाक कर्मकार

(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 अन्य बातों के साथ, पोतों की लदाई और उतराई में नियोजित कर्मकारों की दुर्घटना के विरुद्ध संरक्षण, डाक कार्यकारों के नियोजन तथा डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित विषयों के बारे में उपबन्ध करती है। इस प्रकार उक्त विषयों से सम्बन्धित विधि, उस समय, एक से अधिक अधिनियमों में अन्तर्विष्ट हैं।"

अत: वे इस विधेयक में इन सब उपबन्धों को समाविस्ट करना चाहते हैं किन्तु यह देखना होगा कि खण्ड 25 में क्या कहा गया है :—

"इस प्रकार नियुक्ति भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम, 1934 की धारा 5 के अधीन बनाया गया भारतीय डाक श्रमिक विनियम, 1948 और डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 4 के अधीन बनाई गई डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम समझा जाएगा और तब तक प्रवृत रहेगा···"

[हिन्दी]

आपके दोनों एक्ट रहेंगे। वह एक्ट भी रहेगा और एक एक्ट यह बना रहे हैं।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : सब एक्ट्स इस बिल में मर्ज कर दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : वे प्रवृत्त रहेंगे।

[हिन्दी]

इस एक्ट को पास करने के बाद आपके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनेंगे। इसके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनाने में 6 महीने का समय लग जाएगा।

मेरी समझ में अगर इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह बिल बनता तो ज्यादा लाभदायक होता।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय श्रम मन्त्री ने डाक श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा डाक श्रमिकों के हितों को कारगार ढंग से लागू करने से संबंद्ध विभिन्न अधिकारियों को इस एक ही अधिनियम के अन्तर्गत ला दिया है। इसका यह अर्थ यह नहीं है कि डाक श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को शासित करने वाला कानून इस समय है ही नहीं।

श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबद्ध अनेक अधिनियम हैं। यदि श्रम मन्त्री एक अधिनियम लाने की चेष्टा कर रहे हैं; तो मैं यहयह जानना चाहता हूँ कि क्या विद्यमान अधिनियम कारगार नहीं रहे हैं। दूसरे, एक सुरक्षा निदेशालय भी है। इस अधिनियम के प्रवृत हो जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी ?

महोदय, इस विधेयक के खण्ड 4 के अन्तर्गत आप मुख्य निरीक्षकों तथा अन्य निरीक्षकों को नियुक्त करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ही विधेयक पेश किया है किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस अधिनियम को और अधिक कारगार बनाने के लिये इसका कार्यान्वियन अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्रमिक सम्बन्धी अनेक अधिनियमों का

कार्यान्वयन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है तथा बहुत ही प्रभावहीन है। यदि श्रमिक निरीक्षक सावधानी बरतते तो गत वर्ष इस दिन की भोपाल त्रासदी से बचा जा सकता था ? मेरा अनुभव है कि ये निरीक्षक अपना कार्य ठीक ढंग नहीं कर रहे हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वह निश्चित रूप से अपना कर्त्तव्य पालन करें किन्तु मुझे इसके बारे में जरा भी पता नहीं है कि आप उसे किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे। क्या आप इस प्रकार के कुछ नियम बनायेंगे कि यदि वे अपना काम नहीं करेंगे तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायगा। इन निरीक्षकों को निश्चित रूप से न केवल डॉक क्षेत्रों का अपितु अन्य स्थानों का भी निरीक्षण करने के लिए जाना चाहिए। यदि वे अपना काम ईमानदारी के साथ करेंगे और दोषों का पता लगायेंगे तो निश्चित ही इससे लाभ होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस दिशा में करगार कदम उठायेंगे।

महोदय, डॉक श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य के संरक्षण के समान ही डॉक श्रमिकों की सेवा की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ? मेरे विचार से तीन लाख डॉक श्रमिक है और उनमें से अधिकांश नैमित्तिक श्रमिक हैं ? वे बंधुआ मजदूर हैं। वे ठेकेदारों के बन्धन में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। उनमें से अधिकांश श्रमिक अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश कोई भी इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि अगले दिन वहाँ रहेगा अथवा नहीं। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसा समुचित विधेयक लाया जाये जिससे कि इन सभी श्रमिकों को पत्तन न्यास सेवा में ले लिया जाये। ऐसा होने पर ही माननीय मन्त्री महोदय द्वारा लाया गया विधेयक कारगर सिद्ध हो सकेगा अन्यथा इन श्रमिकों को आये दिन ठेकेदारों की दया पर आश्रित रहना पड़ेगा।

एक और पहलू है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह कि डॉक पर कार्य करना वास्तव में सुखद कार्य नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक कार्य है। हमने देखा है कि ये श्रमिक किस प्रकार कार्य करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक श्रमिक द्वारा ढोये जाने वाले अधिकतम भार के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं। यह लगभग60 कि० ग्रा० है। किन्तु कोई भी डॉक श्रमिक अपनी पीठ पर एक क्विंटल भार से कम नहीं ले जाता है। माननीय श्रम मन्त्री को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी डॉक पत्तनों पर आधुनिक मशीनें लगायी जायें और कठोर श्रम को यथा संभव कम किया जाये। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि डॉक श्रमिकों की छंटनी न की जाये क्योंकि वे ही व्यक्ति डॉक श्रमिक बनता है जिसे कहीं भी रोजगार नहीं प्राप्त होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि न केवल सेवा की सुरक्षा ही की जाये अपितु इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि उनके द्वारा किये जा रहे खतरनाक कार्य में यथा संभव कमी की जाये।

अन्त में, मैं डॉक श्रमिकों की आवास सुविधाओं के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। डॉक क्षेत्र के पास रहने वाले अधिकांश व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रहते हैं। महोदय, अधिकांश डॉक श्रमिक पटरियों पर रहते हैं या गन्दी बस्तियों में रहते हैं। यह सुनिश्चित करना सरकार के लिए तथा पत्तन न्यास अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि डॉक श्रमिकों को पक्के मकान की सुविधा प्रदान की जाये। इस देश की अर्थव्यवस्था में डॉक श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि मुझे ठीक से याद है, मैंने समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ी थी कि वत वर्ष डॉक श्रमिक 26 दिन तक हड़ताल पर रहे थे। इससे देश को प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इसलिए, महोदय, इस विधेयक का, जो तीन अधिनियमों के बदले में लाया गया है, स्वागत करते हुए माननीय श्रम मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इसके द्वारा न केवल डॉक श्रमिकों की सुरक्षा की अपितु उनके संरक्षरण की भी व्यवस्था की जाये।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि शिक्षा आदि के मामले में डॉक श्रमिकों की संतानों की बड़ी उपेक्षा हुई है। निस्सन्देह समाज के अन्य वर्गों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किन्तु चूंकि ये श्रमिक शहर या शहर के दायरे से दूर रहते हैं, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ किन्तु उसके साथ ही, माननीय मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका समुचित कार्यान्वयन किया जाये और माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्तमान डॉक श्रमिक (सुरक्षा) निदेशालय के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पहले तीन एक्ट थे और अब एक एक्ट के रूप में परिणत होने से लाभ होगा। अभी श्री डागा जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। डाक वर्कर्स सेफ्टी, हैल्थ एंड वैलफेयर बिल में जो प्रिंसिपल्स हैं, वे सब क्लिअरली इसमें आ गए हैं और पालिसी भी निर्धारित हो गई है। प्रोसीजरल मैटर्स ही एक्जीक्यूट करते हैं। रूल्स एंड रेग्युलेशन्स सबार्डिनेट लेजीस्लेशन कमेटी में डिसकस हो सकते हैं। इस कमेटी को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। जितने भी नार्म्स है, सब उसमें स्पष्ट कर दिए गए हैं और क्लाज बीस और इक्कीस में बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक्जीक्यूटिव को अधिकार दे देते हैं और प्रिंसिपल्स के अकार्डिंगली वह रूल्स बनाती है। उनका एक्जामिनेशन सबर्डिनेट लेजीस्लेशन कमेटी में किया जा सकता है। सब प्रिंसिपल्स निर्धारित किए गए हैं इसलिए यह बिल उपयुक्त है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इन्सपैक्टर्स और चीफ इन्सपैक्टर्स को पावर्स अधिक दे दिए गए है। जिन इन्सपैक्टर्स को पावर्स अधिक दिए गए हैं, वे बहुत ही ऑनेस्ट और ऊँचे दर्जे के हों, तभी उन अधिकारों का सही उपयोग हो पायेगा अगर उनका दर्जा ऊँचा नहीं होगा तो इन अधिकारों का दुरुपयोग होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में ध्यान देने की आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसा पोजीशन साइड की तरफ से भी कहा गया है, वहां जो हड़ताल हुई, वह 26 दिनों तक चली और उसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। शुगर, फर्टीलाइजर आदि जो सामान विदेशों से आता था, उसमें विघ्न पड़ा, डैमेज भी हुआ, डैमरेज भी लगा और जो आवश्यक चीजें लोगों को जल्दी पहुँचनी चाहिए थीं, वे समय पर नहीं पहुँच सकीं। इसके कारण करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे ऐसी कोई व्यववस्था जरूर करनी चाहिए कि कोई भी हड़ताल पहले तो इतने लम्बे समय तक चल ही न सके। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि हड़ताल के इतने लम्बे समय तक चलने के पीछे वहां की यूनियन का स्ट्रांग होना है जिसकी वजह से हम दूसरे लेबर्स को वहां काम पर लगाने की स्थिति में नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए कि कोई भी यूनियन चाहे जितनी मजबूत हो, उसकी वजह से यदि देश को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो केन्द्रीय सरकार वहां हस्तक्षेप करके, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अपनी लेबर्स लगा कर, काम करवा सके ताकि किसी भी हड़ताल का मुकाबला किया जा सके। यहां जिस तरह से सरकार को हड़ताल का मुकाबला करना चाहिए था, उस तरह से नहीं किया। इससे डॉक वर्कर्स की शक्ति बढ़ जाती है, और बाद में चाहे कोई भी वजह दी जाती है लेकिन सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, सरकार को

अपनी शक्तियों प्रयोग करते हुए, यूनियन्स का मुकाबला करना चाहिए और सख्ती से उनसे डील-विद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और केवल एक-दो बातों की ओर ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। डॉक वर्कस की जो सर्विस कण्डीशन्स तथा दूसरी वैल्फेयर स्कीम्स हैं, और पिछले दिनों जो हड़ताल होती रही है, उनसे साफ जाहिर होता है कि उनके अन्दर असंतोष है। चाहे वह सेफ्टी का सवाल हो, हैल्थ का सवाल हो, वैल्फेयर स्कीम्स का सवाल हो या उनकी सर्विस कण्डीशन्स से सम्बन्धित सवाल हों, उनके असंतोष को दूर करने के लिए एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाने की जरूरत है। यह बात सही है कि इस बिल के पढ़ने से, इसमें जिन बातों की चर्चा की गई है, जब रुल्स एण्ड रैगुलेशन्स बनेंगे तो सारे कन्क्रीट स्टैप्स उसके अन्तर्गत आयेंगे और उसमें पार्लियामैंट के सदस्यों को बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात की जरूरत है कि एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाता जिसमें मोटा-मोटी तौर से सारी चीजों का जिक्र होता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सेफ्टी कण्डीशन्स हैं तथा उससे एलाइड जितने मैटर्स हैं, उनकी कन्ट्रावैन्शन होने पर पीनल सैक्शन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें जो सजा तजवीज की गई है वह बहुत ही नाकाफी है। उसका कारण यह है कि इनके जिम्मे जिस तरह के काम हैं, उसमें खतरे की काफी गुंजाइश है और ऐसी स्थिति में उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि सजा को बढ़ाया जाए। उन्हें सजा अवश्य दी जानी चाहिए, और इतनी सजा दी जानी चाहिए ताकि वह सजा कोग्निजेबल औफैन्स के अन्तर्गत आ सके। दूसरे संस्थानों में हम देखते हैं कि वहां स्पेसिफिक कानून बने हुए हैं, फिर भी उनका बड़े पैमाने पर वायोलेशन होता है और बहुत सारे वर्कर्स एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। इसलिए इस सिलसिले में मेरा अनुरोध है कि सजा को बढ़ाया जाना चहिए और इस प्रावधान को सख्ती से लागू किए जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक 1985 जो लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। इस बिल के लाने से निश्चितरूप से माननीय श्रम मन्त्री जी की जो मंशा है कि डॉक कर्मकारों की उन्नति हो, वह निश्चित-रूप से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि इस विधेयक के माध्यम से निरीक्षकों की पॉवर्स अधिक कर दी गई हैं, वहीं ऐसा करने से वे लोग पावर्स का दुरुपयोग न करें, यह ध्यान रखने की बात है। जब भी हम इस सदन में कोई बिल पेश करते हैं तो उम्मीद यही होती है कि उससे अच्छा काम हो, चाहे डॉक के कर्मचारियों के लिए हो चाहे किसी अन्य विभाग के कर्म-चारियों के लिए हो, लेकिन कभी-कभी जो शक्तियां दी जाती हैं, उनका लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है।

महोदय, डॉक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उनकी प्रगति का मार्ग अग्रसर हो, यह मन्त्री जी और हम सभी लोग चाहते हैं। किन्तु जो नियम बने उसका कार्यान्वयन ठीक हो तथा उसके लिए कमेटी में ऐसे आदमी रखे जाएँ जो मजदूरों के कार्याकलापों से पूर्णरूप से अवगत हों, तभी इस संशोधन की मंशा पूर्ण हो सकती है। डॉक में जो भी काम करते हैं, जो भी मजदूर हैं, जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा ये देश के कर्णधार हैं जो देश की प्रगति में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा इस देश के माल को दूसरे देशों में पहुंचाने तथा वहां के माल को इस देश में पहुंचाते हैं। ये

लोग अपने देश और दूसरे देश के माल के आयात-निर्यात में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें देश के कर्णधार माना जाता है।

महोदय, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, डॉक कर्मचारियों ने हड़ताल की, यह बात ठीक नहीं है। उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए। देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में उनकी अहम भूमिका है और इस दृष्टि से उनके कल्याण के कार्यक्रम और कानून बनते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि उनके लिए जो कानून और जो न्याय की व्यवस्था की जाए, वह ऐसी हो कि उन तक वह न्याय की व्यवस्था सही ढंग से पहुंचे और उनको इन संशोधनों से लाभ हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : आदरणीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्य-मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक का सभी ने समर्थन किया है। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न सुझाव दिए हैं। जहां तक चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के लिए उठाए गए विभिन्न सुझावों का सम्बन्ध है मैं, शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधेयक का कार्य क्षेत्र पोत पर सामान लादने और उतारने तथा इनसे सम्बन्धित अनुषांगिक कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण तक ही सीमित है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में काफी लोगों ने चर्चा की और कहा कि यह जो बिल लाया जा रहा है इसको काम्प्रिहेंसिव रूप में लाना चाहिए, वह बात दूसरी है। आज एक सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि इसके अन्दर सीमित रहकर हमें कभी-कभी एक्शन लेने में काफी दिक्कत आ रही है, अब वे दूर हो जाएंगी। इसमें सजा भी बढ़ा दी गई है और जो इन्स्पैक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज बढ़ा दी गयी हैं तथा इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जा रही है, एक एडवायजरी कमेटी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 11 बड़े पोर्ट्स हैं उनके अतिरिक्त जो दूसरे छोटे पोर्ट्स हैं, उनको भी इसमें कवर किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक वर्कर्स, पोर्ट वर्कर्स और दूसरे जो मीडियम पोर्ट्स हैं, वे सब इसी एक्ट में कवर करने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है। इसका स्कोप भी बढ़ रहा है। इसके अंदर सेंटर और स्टेट लैवल की कमेटी रहेगी। कमेटी एक्सपर्ट्स रहेंगे। कमेटी में हमेशा एक्सपर्ट्स रहते हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, सेफ्टी डायरेक्टर्स हैं, वह भी उसके साथ रहेंगे। जैसे आपने बात उठाई, तो वही सेफ्टी के आफिसर्स जो मौजूद हैं, वह इस एक्ट को इम्पलीमैंट करेंगे। यह तमाम चीजें इसीलिये हो रही हैं कि आज वर्कर्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको कम करने के लिए यह एक्ट काफी हद तक मदद दे सकता है। जो ऐक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें कुछ लोग मरे भी हैं, उसके ऊपर कम्पैन्सेशन दिया जाता है, तमाम बच्चों को नौकरी दी जाती है। मगर जहां तक हो सके किसी भी तरीके से इसको एवायड करना चाहिए।

जैसा आपने बताया कि एक वर्कर को 60 के० जी० उठाना चाहिए। आज आई० एल० ओ० कन्वेंशन के अन्दर कितना उठाया जा रहा है और कितने टन उठा सकते हैं? उस प्रकार लोडिंग अन-लोडिंग करने से मजदूरों की हैल्थ पर कितना सीरीयस असर पड़ता है। यह सही है कि इसमें श्रम करने वाले वर्कर्स काफी मेहनत करते हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि यह बड़ा स्ट्रांग और पावरफुल यूनियन है। हिन्दुस्तान में अगर डोमिनेट कर सकते हैं तो इस यूनियन के लोग कर सकते हैं क्योंकि

यह यूनियन बहुत पावरफुल है। दूसरे यूनियन्स के लोग भी पावरफुल हैं, मगर इसके लोग ज्यादा पावरफुल हैं। यहां के लोग बगैर स्ट्राइक कर के भी अपनी डिमांड्ज को मनवाते हैं। हम खुशी से करेंगे। वर्कर्स की तरफ से हमेशा कहता हूँ कि स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी डिमांड्ज दे देंगे तो हम इधर गवर्नमेंट के आफिसर्स और उधर जो लोकल मैनेजमेंट है, उसको और ट्रेड यूनियन लीडरों को बुलाकर, एक जगह बैठकर डिमांड्ज हल कर सकते हैं। मगर होता क्या है कि यूनियन्ज में जो कंपीटीशन है, एक कहता है हम ज्यादा डिमांड्ज दिला सकते हैं, दूसरे कहते हैं हम ज्यादा दिला सकते हैं, इससे सारा नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट का इटेंशन शुरू से है और अब भी है कि वेजेज में जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ती है, खासकर न्यू इन्डैक्स के मुताबिक, वैसे-वैसे वेजेज बढ़ानी हैं। हमारा तो हमेशा कहना यही है कि उनको स्ट्राइक नोटिस देना ठीक नहीं है जब एग्रीमेंट खत्म होता है, उससे 6 महीने पहले डिस्कस करते जाना चाहिए ताकि एग्रीमेंट एक्स पायर होते ही दूसरा एग्रीमेंट चालू हो जाए। अभी होता क्या है कि एक एग्रीमेंट हुआ, दूसरा एग्रीमेंट हुआ, फिर दूसरे लीडर ने डिमांड पेश कीं, यह जो राइवलेरी आफ यूनियन है, इससे काफी नुकसान होता है।

मैंने एक हड़ताल को हैंडिल किया, सारे लोगों को बिठाकर बातचीत की। इर्रेस्पेक्टिव आफ दी इफैक्टेड ट्रेड यूनियन्स, सब को बुलाकर डिस्कस करना चाहिए। यह जो रिकग्नीशन की बातचीत हो रही है, रिकग्नीशन वाले ज्यादा सीट दे सकते हैं, मगर इसका मतलब नहीं कि दूसरी यूनियन को एवायड दिया जाए। ऐसा नहीं कि एक यूनियन को इलिमिनेट करें। तमाम लोगों से बातचीत करनी चाहिए। हमने अपने सैंजश्चन्स दिए हैं।

आप जानते हैं कि डागा साहब तो कोई न कोई दाग लगा देते हैं। वह कहते हैं कि एक्ट में रूल्स नहीं होने चाहिएँ। अभी जो पार्लियामैंट सिस्टम चल रहा है, आप जानते हैं कि हर एक्ट का रूल बना हुआ है। जैन साहब ने कहा कि अगर उस एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में एतराज हो तो कर सकते हैं। मगर पूरे एक्ट में हर चीज का देना बहुत बड़ी बुक बन जाता है। लेबर एक्ट्स इतने हैं कि उनको कम्बाइन्ड करना बड़ा मुश्किल है। डाक वर्कर्स का काम अलग है, टेक्सटाइल वर्कर्स का काम अलग है, फैक्टरी वर्कर्स का काम अलग है। सारी चीजें अलग-अलग हैं। वह सारी चीजें अलग-अलग हैं।

हम यह जो ऐक्ट लाये हैं, इस पर काफी चर्चा की जा चुकी है। इससे पहले वर्कर्स को लोडिंग और अन-लोडिंग में काफी तकलीफ उठानी पड़ता थी, इस ऐक्ट को लाने से वह वर्कर्स कवर हो जाएँगे। लोगों से बातचीत करने के बाद ही हम यह बिल लाए हैं।

जहां तक मैं समझता हूं इस ऐक्ट से मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस ऐक्ट में सेफ्टी और वेलफेयर जैसी तमाम बातों को पूरी तरह से कवर किया गया है। इसको जल्दी अमल में लाने के लिए प्रयास किया जायेगा।

मैं समझता हूँ कि इस पर और ज्यादा बातें बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी तमाम चीजों का जिक्र हो ही चुका है। मेडिकल फैसिलिटी की भी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। इससे वर्कर्स का काफी फायदा होगा। जैसाकि कई सदस्यों ने कहा कि सेफ्टी से सम्बन्धित सबके लिए एक सा ऐक्ट हमें लाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। जो कुछ इस संबंध में किया जा सकेगा, अवश्य किया जायेगा।

अन्त में मैं सभी मैम्बरों से यही अपील करता हूँ कि वह इसको सपोर्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डॉक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 16 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17—अधिकारिता के सम्बन्ध में उपबन्ध

संशोधन किए गए :

1. पृष्ठ 8, पंक्ति 10-11,—

"उस प्रथम तारीख, को जिसको अपराधी की पहचान निरीक्षक की जानकारी में आती है" **के स्थान पर** "उस प्रथम तारीख, से जिसको अपराधी की पहचान निरीक्षक की जानकारी में आती है, छह मास के भीतर" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (1)

2. पृष्ठ 8, पंक्ति 18-19,—

"उस प्रथम तारीख, को जिसको अपराधी की पहचान निरीक्षक की जानकारी में आती है" **के स्थान पर** "उस प्रथम तारीख से, जिसको अपराधी की पहचान निरीक्षक की जानकारी में आती है, छह मास के भीतर **प्रतिस्थापित किया जाये।** (2)

(श्री टी० अन्जैया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19—अन्य अपराधों के लिए दण्ड के लिए साधारण उपबन्ध

संशोधन किया गया :

"19 जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह, यदि

इस अधिनियम के अधीन ऐसे उल्लंघन के लिए किसी अन्य शक्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है तो, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" (3)

(श्री टी० अन्जैया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 विनियम बनाने की शक्ति

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 21 को लेते हैं, श्री टी० अन्जैया के दो संशोधन 4 और 5 है।

संशोधन किये गए।

4. पृष्ठ 10, पंक्ति 6,—

"डाक" के स्थान पर "डेक" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

5. पृष्ठ 10, पंक्ति 20,—

"डाक" के स्थान पर "डेक" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

(श्री टी० अन्जैया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री टी० अन्जैया : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधन रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 को लेते हैं।

2.58 म० प०

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 को अधिनियम में परिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" की परिभाषा के अन्तर्गत वे ही कर्मचारी आते हैं जिनका प्रति माह वेतन 750 रुपए से अधिक नहीं है और उसमें कोई दलाली शामिल नहीं है और उन व्यक्तियों के मामले में जिसका वेतन दलाली या केवल दलाली के रुपए में सलाना 9000 रुपए हैं।

अधिनियम में "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि जो लोग पर्यवेक्षक की हैसियत से काम कर रहे तथा जिनका वेतन प्रतिमाह 1600 रुपए से अधिक है तथा जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रशासकीय हैसियत से काम कर रहे हैं, को छोड़कर सभी विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को शामिल किया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम की धारा 6 में आवश्यक संगत परिवर्तन करना है। इसका उद्देश्य अधिनियम की धारा 4 में भी संशोधन करना है ताकि अर्जित अवकाश तथा अर्जित अवकाश के एवज में नकद क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न मामलों जिनके बारे में नियम बनाए गए हैं, को शामिल करना है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि विधेयक पर विचार करके इसे पारित कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और हमारा दल इसका पूरा समर्थन करता है। हमें बहुत खुशी है कि विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह कल्याणकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मैं श्री टी० अन्जैया को बधाई देता हूँ जिनकी कमजोर वर्गों तथा मजदूरों के हितों के लिए की गई सेवाएं सर्वविदित हैं। हमें बहुत खुशी है कि एक महत्वपूर्ण विभाग-श्रम विभाग-का उत्तर-दायित्व उन पर है। उन्होंने श्रम कल्याण से संबंधित कानूनों में अनेक परिवर्तन किए हैं। पिछले सत्र के दौरान भी श्रम विभाग के कल्याणकारी विधेयकों का पुरःस्थापन किया गया और उन्हें पारित किया गया। हमें खुशी है कि इस सत्र में भी दो विधेयक क्रमशः डॉक कर्मकार(सुरक्षा स्वास्थ्य और

कल्याण) विधेयक तथा विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं और हम उन्हें अधिक विरोध किए बिना पारित कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" की परिभाषा को व्यापक बनाना है। प्रशासकीय और पर्यवेक्षक की हैसियत से काम करने वाले लोगों को छोड़कर जिन लोगों का वेतन प्रतिमाह 1600 रुपए से कम है, उनको "बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी" की परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

3.00 म० प०

जो प्रशासनिक तथा निरीक्षणात्मक हैसियत में लगे हैं उनको छोड़कर अन्य सभी लोग बिक्री संवर्धन कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं। इन सभी कर्मचारियों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम जैसे अनेक अधिनियम लागू होते हैं। किन्तु कर्मचारियों के कुछ अन्य वर्ग भी हैं जिन्हें इस कल्याणकारी विधेयक की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कर्मचारियों के इस वर्ग को भी जिनका गैर-सरकारी नियोक्ताओं तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा भारी लाभ कमाने के लिए दिन-रात शोषण किया जाता है अब मान्यता दी जानी चाहिए और यह कानून उन पर भी लागू किया जाना चाहिए। मैं यह कह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक व्यापार व्यवसाय और वाणिज्य का सम्बन्ध है, इनमें भारी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, जो कर्मचारी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं होते किन्तु जो 'कर्मकार' के वर्गीकरण में आ सकते हैं। निस्संदेह कुछ राज्यों के ऐसे कानून हैं जिनसे उन लोगों को ये सुविधायें उपलब्ध हैं। किन्तु कुछ अन्य राज्यों में उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है। जो व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय में शारीरिक श्रम करते हैं। उदाहरणतः कुछ राज्य कानूनों द्वारा 'मवाली' और घाट मजदूर भी इस के अन्तर्गत लाए गए हैं किन्तु सभी राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। अतः उन सभी लोगों के जो शारीरिक श्रम करते हैं और जिनके शारीरिक श्रम का नियोक्ताओं तथा प्रतिष्ठानों प्रति द्वारा दिन शोषण होता है, हित के लिए कल्याणकारी कानून बनाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री टी० अन्जैया, जो एक जाने-माने मजदूर नेता हैं, जनता के इस वर्ग के लिए अवश्य ही कल्याणकारी विधेयक लायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

3.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मूल विधेयक 1966 में बनाया गया था। उस समय अधिकतम मजदूरी सीमा 750 रुपये निर्धारित की गई थी। इसमें अन्य सभी भत्ते शामिल थे। किन्तु चिकित्सा तथा बिक्री व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी इस अधिनियम में शामिल नहीं किये गये थे। इस विधेयक से वह सीमा हटाई जा रही हैं। चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारी संघ ने इस सीमा को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। इस संशोधन के पश्चात् चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारी चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे। किन्तु मेरा विचार है कि नियोक्ता स्वयं इस कानून को लागू नहीं करेंगे। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे इन कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं को उचित ढंग से लागू किया जा सके।

एक अन्य समस्या भी है। विभिन्न उद्योगों के सभी चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते है। यह केवल औषध उद्योग में नियुक्त चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर ही लागू होता है। इस संबंध में मार्च 1984 में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। सरकार ने ऐसे कुछ अन्य उद्योगों

का भी पता लगाया है जिन पर इस विधेयक का विस्तार किया जा सकता है। "सीटू" ने भी लगभग 22 अन्य उद्योगों का पता लगाया है जहां इस विधेयक को लागू किया जा सकता है और इन उद्योगों की सूची केन्द्रीय सरकार को भेज दी है। सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ तथा कर्मचारी संघ, विक्रय संवर्धन कर्मचारी विनियम को इन सभी उद्योगों पर लागू करने के लिए एकमत हैं किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार उन उद्योगों को इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया है। एफ० एम० आर० ए० आई० के संघ ने अपना 27-सूची मांग-पत्र 1978 में प्रस्तुत किया था। किन्तु सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 1980, 1984 तथा 25 मार्च 1985 को अनेक बार आन्दोलन चलाए। अन्ततः केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया जिसमें सर्व-सम्मति से निर्णय लिए गए। एक सिफारिश यह भी थी कि जहां कहीं आवश्यक हो, वहां पर सभी श्रम सम्बन्धी सभी कानूनों को चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर लागू करने के लिए उचित ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए। इस बात की भी सिफारिश की गई कि केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत एक स्थाई समिति का गठन किया जाये। यद्यपि त्रिपक्षीय समिति में ये निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, फिर भी सरकार इनको लागू करने के प्रति उदासीन है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का 1982 में संशोधन किया गया था। अधिनियम की धारा 2 (घ) का संशोधन किया गया और 24 अगस्त 1984 को वह लागू हुआ। चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारी 'कर्मकार' हैं अथवा नहीं, इस बारे में अब कोई अस्पष्टता नहीं है। किन्तु सरकार वास्तव में सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं कर रही है कि यह धारा चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर भी लागू होगी। अतः इस बात की मांग की जा रही है कि सरकार कम से कम संसद में इस बात की घोषणा करे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसका 1982 में संशोधन किया गया था, चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

एक और समस्या है और वह एस० पी० ई० नियमों के नियम 22 (1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "ए" की मद सं० 9 के संबंध में है। जो नियुक्ति-पत्रों के बारे में है। उस फॉर्म में "सेवा की अन्य शर्तें" शब्द स्पष्टतः लिखे हुए हैं। यदि इन्हें उस फॉर्म से हटाया नहीं जाता है तो इससे चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों के लिए समस्या खड़ी हो जायेगी। नियोक्ता इस खंड का लाभ उठाकर सेवा नियमों में अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सी अतिरिक्त शर्तें शामिल कर रहे हैं। यदि यह बात नियमों में बनी रही तो नियुक्ति-पत्र ढोंग बनकर जाएंगे क्योंकि प्रबन्ध इस खंड का लाभ उठाती रहेगी और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को जटिल से जटिलतर बनाता जायेगा। अतः इन सभी बातों को हटाया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देता हूं। मैं अधिकतम मजदूरी सीमा हटाये जाने का स्वागत करता हूं। यह कर्मचारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही, इस अधिनियम को अन्य उद्योगों में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है ताकि चिकित्सा कर्मचारियों तथा अन्य उद्योगों में नियुक्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने लगे।

दूसरा, त्रिपक्षीय समिति के निर्णयों को लागू किया जाना चाहिए। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर भी लागू होने चाहिए। यदि इनके मामले में भी यह औद्योगिक (नियोजन स्थायी) आदेश अधिनियम लागू कर दिया जाए तो सभी चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों के लिए समान सेवा नियम होंगे और नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम का विस्तार करें ताकि इसमें चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारी भी शामिल हो जायें। अधि-

नियम के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म (क) के मद संख्या 9 को पूर्ण रूप से हटाया जाना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि बोनस अधिनियम में उचित संशोधन किया जाए तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन किया जाये जिससे बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के मामले में सम्बद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत सभी प्रकार की अस्पष्टताएं समाप्त हो जायें।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि सरकार को लोक सभा में इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि 1982 में संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

त्रिपक्षीय बैठक में एक स्थायी समिति के गठन के लिए एक सर्वसम्मत फैसला हुआ था, किन्तु सरकार ने उस स्थाई समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार उस स्थायी समिति का गठन कब करेगी। इस प्रकार की स्थाई समिति चिकित्सा तथा बिक्री कर्मचारियों तथा इस उद्योग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह त्रिपक्षीय बैठक द्वारा सुझाई गई स्थाई समिति के गठन के सम्बन्ध में शीघ्र घोषणा करें।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन बिक्री संवर्धन कर्मचारियों, जिन पर गैर सरकारी नियोक्ताओं द्वारा अत्याचार किए जाते हैं तथा जिन्हें यातनाएं दी जाती हैं की सभी शिकायतों को दूर नहीं करेगा। सभापति महोदय, आप जानते ही हैं कि औषध उद्योग पर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण है। वे यह नहीं चाहते कि मजदूर संघ के अधिकार इस उद्योग पर भी लागू हों। अतः वह इन सब बातों का विरोध कर रहे हैं। मेरा विचार है कि सरकार को औषध उद्योग के इन कर्मचारियों को ये अधिकार देने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी घृणित गतिविधियों के लिए बिक्री तथा चिकित्सा कर्मचारियों का शोषण करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री मेरे सभी सुझावों की ओर ध्यान देंगे और वह 1984 में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए सभी सुझावों को लागू करने का निर्णय देंगे। चूंकि राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भी उस बैठक में भाग लिया था।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मैं पहले माननीय श्रम मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पहले जो आपने बिल बनाया था, उसके अन्तर्गत सेक्शन 10 में कितने आदमियों को सजा हो गई, यह जानना चाहता हूँ सेक्शन 10 के अन्तर्गत—

[अनुवाद]

"जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो···"

[हिन्दी]

यह जो प्रावधान है, इसके अन्तर्गत आपने कितने आदमियों को सजा दे दी ? सवाल यह है कि बिल बन जाते हैं, लेकिन जो कानून बनता है, जो नियम बनते हैं, उनका पालन कहां होता है। मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात कही है कि रूल्स, रेगुलेशन्स बन जाते हैं और बनने के बाद वे स्टेचुटरी-रेगुलेशंस हो

जाते हैं। जब भी रूल्स-रेगुलेशंस बनते हैं तो इसमें यह मेडेटरी प्रावीजन नहीं है कि रूल्स-रेगुलेशंस के पहले ड्राफ्ट फार्म में उनको पब्लिश किया जाएगा। जब रूल्स-रेगुलेशंस बनाकर गजट में पब्लिश कर देते हैं, उसी डेट से वे लागू हो जाते हैं साल, दो साल के बाद कमेटीज उसको एग्जामिन करती हैं। सबार्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी कई सालों के बाद एग्जामिन करती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट के बाद उसके संशोधन मानते हैं। एक राय मेरी यह है कि अगर आप कहते हैं कि रूल्स-रेगुलेशंस बन जाएंगे तो रूल्स-रेगुलेशंस बनने के बाद पहले ड्राफ्ट फार्म में बनने चाहिए, इससे उन पर चर्चा हो सकती है और उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां प्रावीजन है कि जब रूल्स सदन में पेश करते हैं तब तो मेंबर आपत्ति उठा सकता है। श्रीमन्, ये रूल्स-रेगुलेशन बनाने से आप समझें कि कानून चल जाएगा तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही खुलासा कह दिया था। यह जो अब दूसरा बिल लाए हैं, इसमें आपने फिर अमेंडमेंट किया है। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं।

[अनुवाद]

विधेयक के पृष्ठ 2 पर खंड 3 (ख) (2) में लिखा है :

"ऐसी अधिकतम सीमा जिस तक कोई विक्रय संवर्धन कर्मचारी अपनी उपार्जित छुट्टी संचित कर सकेगा, वह होगी, जो विहित की जाए।"

[हिन्दी]

प्रेस्क्राइब्ड करने का सिद्धान्त क्या है। अर्न्ड लीव जो/ड्यू हो जाती है उसको गवर्नमेंट के आधार या किसी और आधार पर प्रेस्क्राइब्ड करना चाहते हैं। यह एक पालिसी मैटर है, एक सिद्धान्त का सवाल है। आपने इस बिल के अन्दर कहा है :

[अनुवाद]

"ऐसी अधिकतम सीमा जिस तक कोई विक्रय संवर्धन कर्मचारी अपनी उपर्जित छुट्टी संचित कर सकेगा वह होगी···"

कितनी ? क्या यह छः महीने, अथवा चार महीने अथवा तीन महीने है।

[हिन्दी]

आप इसमें भी ले-डाउन नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

"···अथवा जो निहित की जाएगी"।

इसका क्या लाभ है ?

खंड 3 (ख) (3) में लिखा है :

"ऐसी सीमा जिस तक उपार्जित छुट्टी किसी विक्रय संवर्धन कर्मचारी द्वारा किसी समय ली जा सकती है···"

[हिन्दी]

यह गवर्नमेंट में माना हुआ सिद्धान्त है। अगर आप एक्जीक्युटिव को दे देते हैं तो इस एक्ट के बनाने की मन्शा क्या है। एम्पालाइज को क्या पता लगेगा कि क्या लाभ मिला है। मैं यह चाहता था कि ये सारे नियम रूल्स रेग्युलेशन्स में नहीं होने चाहिए। यह बिल में आना चाहिए कि इतने

दिनों तक उनको लीव मिलेगी और इतने दिन एक्युमुलेटेड लीव का लाभ उठा सकते हैं। इसमें यह लिख दिया गया है कि जब रूल्स बनेंगे। जब बिल पास हो जायेगा तो आप कब तक सदन में··· (व्यवधान)

श्री टी० अन्जैया : प्रेजेन्ट रूल्स में 90 डेज एट ए टाइम है।

श्री मूल चन्द डागा : अगर आबजेक्शन नहीं हो तो। आबजेक्शन हो तो 60 डेज हो जाते हैं। आप यह कहते है कि छह महीने के बाद लागू होंगे। छह महीने पहले ही क्यों नहीं लागू कर देते हैं कि ससे छह महीने पहले ही उनको लाभ मिल जाए। यह बिल अच्छा है और इस बिल की भावना भी ठीक है। एक्ट के बनाते समय इस प्रकार रूल्स और रेग्युलेशन्स पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यहां पर तो सारी बातें छोड़ दी हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो यह बताने का कष्ट करें कि यह एक्ट आप आज लागू कर देते हैं तो लागू होने के बाद जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक एक्ट का कोई मतलब नहीं होगा, जिस दिन से रूल पास होगा उस दिन से लागू हो जायेगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वैसे तो सारी बातें आ चुकी हैं सिर्फ दो-तीन बातों की चर्चा यहां पर कर देना चाहता हूँ। ट्राइपारटाइट कांफ्रेंस की चर्चा की गई। बेहतर यह होता कि सेल्स रिप्रेजन्टेटिव्ज की जो डिमाण्ड्स थी जिनको गवर्नमेंट आज नहीं तो कल मानने को तैयार है जो ट्राइपारटाइट कांफ्रेंस के जो सुझाव हैं, सब मिलाकर यह लाया जाता तो अच्छा होता। अभी जो कर्मचारी सेल्स प्रोमोशन के काम में लगे हैं, वे कई तरह के कर्मचारी हैं और इस अमैंडमैंट के जरिए उन सब लोगों को इसमें इन्क्लूड नहीं किया गया है। यह जो डिस्पैरिटी रह गई है, मैं समझता हूं कि इसको दूर करने की आवश्यकता है। हमारे कई दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इन बातों को उठाया है और मैं भी समझता हूँ कि इस तरह पीस-मील लाने से जो मसला है, वह जहां का तहां रह जाता है और उसका कोई स्थाई समाधान नहीं निकलता।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बोनस के कन्सीडरेशन के मामले में कमीशन वाली जो आमदनी है, उसको भी इन्क्लूड करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, सरकार ने विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत किया है। चूंकि 1976 में विभिन्न बहु राष्ट्रीय कम्पनियों में नियुक्त उद्योग भेषज और चिकित्सा कर्मचारियों की ओर से भारी दबाव पड़ा और चूंकि वे लोग औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं आते थे इसलिए मूल अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम को बनाते समय सरकार ने बड़े मधुर शब्दों में कहा था कि व्यापारिक गृहों के ऐसे कर्मचारियों को, भी जिनका सम्बन्ध बिक्री संवर्धन से है, लाभ मिलने चाहिए। 1976 में यह अधिनियम बनाया गया था सरकार द्वारा कहा गया था "कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी भी निर्दिष्ट तारीख से लागू कर सकती है।" भेषज उद्योग के अलावा कई उद्योग ऐसे हैं जिनके उत्पादन कार्यालय बम्बई में हैं परन्तु उनके बिक्री केन्द्र पूरे देश में फैले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर क्रोम्पटन के बिक्री केन्द्र पूरे देश में फैले हुए हैं। इन कम्पनियों के चाहे ये बड़ी हो अथवा छोटी, बिक्री कार्यालय पूरे देश में फैले हुये हैं तथा वे सभी नगरों में स्थित हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उनको विधिक संरक्षण, तथा देश में अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ प्रदान करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ ऐसे आयात-निर्यात गृह हैं जिनके बिक्री केन्द्र और प्रदर्शन-कक्ष पूरे देश में व्याप्त हैं। यदि सरकार वास्तव में इस देश के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना चाहती थी तो पिछले 8 वर्ष में सरकार को उन सभी कर्मकारों को ये लाभ देने चाहिए थे जो उसी प्रकार के उद्योगों में कार्यरत हैं। परन्तु यह सरकार विफल रही है। अपने विचार रखते समय मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि उसने सदा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा इस देश के मिल मालकों का साथ दिया है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि ये लाभ सभी कर्मचारियों को दिए जाये। वह स्वयं गरीबों के पक्षधर हो सकते हैं जैसाकि कुछ लोग कह रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। परन्तु मैं सरकार की नीति की आलोचना कर रहा हूँ। कम से कम इस संशोधन को करने के बाद तो सरकार को ऐसे सभी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कार्य करना चाहिए जो कि इस प्रकार के विक्रय या क्रय, संवर्धन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए यह उचित समय है जबकि सरकार इस अधिनियम के लाभों को क्रय-विक्रय-विपणन कार्य में लगे कर्मचारियों को भी तुरन्त प्रदान करे। यह समय की मांग है।

ठेका श्रम (उत्सादन) अधिनियम देखने में तो बड़ा ही रोचक तथा आकर्षक लगता है। परन्तु ठेका पद्धति पर कार्यरत श्रमिकों को स्थायी बनाने का कोई उपबंध उसमें नहीं है। ऐसी कोई उपबंध नहीं है जिसके अनुसार सेवा से हटाये गये ठेका-श्रमिक को सेवा में बहाल किया जा सके। हां, सरकार द्वारा प्रचार तो अच्छे ढंग से किया जाता है। परन्तु कामगरों को कभी लाभ नहीं पहुंचता। इस देश के 50 प्रतिशत श्रमिक या तो नैमित्तिक है, अथवा ठेके पर काम करने वाले है अथवा बदली कर्मचारी या प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम करते हैं गोदी कामिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) विधेयक) से भी, जो आपने पारित कर दिया है। उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। पिछले अनेक वर्षों से सरकार क्या क्या कर रही है। अंग्रेजी शासन के बाद जब सरकार ने कार्य संभाला तब से श्रमिकों की आबादी 10 प्रतिशत से बढ़कर 30 अथवा 40 प्रतिशत हो गई है। परन्तु सरकार श्रमिकों की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करने में विफल रही है। इसलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ। भेषज उद्योग के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक 1976 में पारित किया गया था। मैंने उसके कारण और उद्देश्य पढ़े हैं। आपने क्या सीमा रखी थी। मैं सरकार से तथा श्रम मन्त्री से पूछ रहा हूँ। वह सीमा 750 रुपए थी। भेषज उद्योग के बिक्री कर्मचारी डबल ग्रेजुएट होते हैं तथा उन्हें पूरे देश में यात्रा करनी पड़ती हैं। क्या उस समय भी वे इस सीमा के अन्तर्गत आते थे? आप कहते हैं कि आप विक्रय कर्मचारियों तथा भेषज उद्योग कर्मचारियों को लाभ देते हैं। आपका कहना है कि बेशक उनका वेतन 750 रुपए से कम है, फिर भी उन्हें चिकित्सा कर्मचारी कहा जायेगा। 1976 में भी 90 प्रतिशत चिकित्सा कर्मचारियों को इस कानून का लाभ नहीं मिला था। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि वह प्रचार की दृष्टि से इस प्रकार की बातें करती हैं। वास्तव में वह कर्मकारों के लिए कुछ भी भलाई का कार्य नहीं करना चाहती।

मैं बोनस अधिनियम 1965 की बात कर रहा हूँ। इसके अन्तर्गत 750 रुपए की सीमा निर्धारित है। तब से अब तक बीस वर्ष व्यतीत हो गये हैं। उप वित्त मन्त्री जी जहाँ पर बैठे हुए है— आपका मूल्य सूचकांक 1965 से 1985 तक पांच गुणा बढ़ गया है। परन्तु क्या सरकार ने श्रमिकों के लिए निर्धारित की गई बोनस आदि की सीमाओं में कमी परिवर्तन करने की परवाह की है। आप सभी सो रहे हैं। किसी को श्रमिकों की परवाह नहीं है कि उन्हें क्या मिल रहा है। श्री टी० अन्जैया ने हाल ही में कार्यभार सम्भाला है। हम पिछले 15 वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। आप 750 रुपए तथा 1600 रुपए की इस सीमा को त्याग दीजिए। बम्बई, महाराष्ट्र तथा कलकत्ता की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अधिक देने की क्षमता है। श्रमिकों को लाभ पहुँचेगा। किन्तु सरकार ने भी अधिकतम

सीमा 1800 रुपए की रखी है। मूल्य सूचकांक क्या है? आप इस मामले में सो रहे हैं। आपको लाभ देने की परवाह ही नहीं है।

उपदान अधिनियम को ही लें। मैं इन आकड़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इस कानून का उससे सम्बन्ध है। वेतन के मामले में 1 000 रुपए की सीमा है। इसका आकलन तदानुसार किया जायेगा। यदि आपका वेतन 1000 रुपए से अधिक बढ़ जाता है तो आपका उपदान 1000 रुपए पर ही रुक जाता है। अधिकतम सीमा 20000 रुपए है। सैकड़ों कम्पनियों के पास इस देश के श्रमिकों को उपदान देने की क्षमता है और वे देने को भी तैयार हैं। परन्तु सरकार 1984 तक सोती रही। 1984 में सीमा 1600 तक बढ़ाई गई परन्तु अब आप उसे कम कर रहे हैं। ये सभी सीमाएं महत्व-पूर्ण है क्योंकि इससे इस देश के करोड़ों श्रमिकों का भाग्य जुड़ा है।

अब हम औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करते हैं। 1600 रुपए की सीमा है। संगठित उद्योगों में लगभग सभी श्रमिक अधिक प्राप्त कर रहे हैं।। इसलिए अब समय आ गया है जबकि आप को यह सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपये अथवा 2500 रुपए कर देनी चाहिए। जहाँ श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्याय नहीं मिल रहा, वहां कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। सरकार कहीं एक आध जगह स्थिति ठीक कर देती है किन्तु अन्य स्थानों पर स्थिति पूर्ववत बनी रहती है। सरकार बड़ी बुद्धिमान है। उन्होंने क्या किया? बढ़ाने में सरकार ने बड़ी शीघ्रता की क्योंकि नियोक्ताओं को कुछ भी अधिक नहीं देना पड़ा। श्रमिकों को उनसे कुछ नहीं मिला। परन्तु सरकार ने 1000 रुपए से बढ़ा कर 1600 रुपए कर दिया है।

श्री टी० अन्जैया : अभी जो हड़ताल हुआ, उसमें आपने मैक्सिमम ड्रा किया।

डा० दत्ता सामंत : 3 लाख और अधिक कामगार इसके अन्तर्गत आते हैं। जिस कर्मकार को 1000 रु० वेतन मिलता है, वह कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत आता है। सरकार ने तुरन्त 1600 रुपए करके और वह देश के 3 लाख और कर्मकारों को इसके अन्तर्गत ले आयी। 5 प्रतिशत अर्थात 80 रु० नियोजक से तथा 40 रुपये कार्मिक से। सरकार को प्रति श्रमिक से पिछले वर्ष 120 रुपये प्राप्त हुए। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मुझे लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है। सीमा बढ़ा कर सरकार को एक वर्ष में 40 करोड़ रुपये अधिक मिले। परन्तु क्या आपने अधिक वेतन पाने वालों को चिकित्सा सुविधाएँ दी हैं। आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को आधार बनाकर धन कमा रहे हैं। सरकार श्रमिकों का शोषण कर रही है। यहाँ पर हम बहुत सी बातों पर चर्चा करते हैं। इस देश में 30-40 प्रतिशत लोग श्रमिक हैं। उत्पादन कृषि उत्पादन के बराबर हो रहा है। अतः कोई भी सरकार श्रमिकों की सम्पत्ति तथा लाभों के प्रति उपेक्षा नहीं बरत सकती। अब वेतन की सीमा 750 रुपये के स्थान पर 1600 रुपये है। तब हम उसे विक्रय कर्मचारी कहेंगे तथा लाभों से वंचित कर देंगे। मैं सभा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ। चिकित्सा कर्मचारी और विक्रय कर्मचारी सभी स्नातक और दो विषयों के स्नातक होते हैं। वे शहरों में रहते हैं। विक्रय से सम्बन्धित 80 प्रतिशत व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। यदि आप वास्तव में कुछ कार्य करना चाहते है तो आपको यह सीमा बढ़ानी चाहिए। ये विक्रय कर्मचारी एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं तथा वे सभी नगरों में रहते हैं तथा आपके अधिनियम ने अब 750रु०से बढ़ाकर 1600रुपये कर दिया है। 1600 रुपये तक पाने वाले को मैं श्रमिक कहूँगा और उससे अधिक पाने वाले नहीं। वह पर्यवेक्षण अथवा प्रबन्ध का कार्य करता है। हम उसे श्रमिक नहीं कहेंगे। बहुराष्ट्रीक कम्पनियाँ तथा नियोक्ता बड़े बुद्धिमान लोग हैं। आप उन्हें विवश कर रहे हैं कि वे कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र दें। परन्तु क्या वे उन्हें उचित नियुक्ति-पत्र दे रहे हैं? सरकार की क्या मजबूरी है? क्या किसी ने पिछले 18

वर्ष में इसकी चिन्ता की है। क्या विक्रय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। यह केवल इस सभा में चर्चा का विषय बन कर रह गया है। इस कानून से विक्रय संवर्धन पर लगे 80 प्रतिशत उच्च कर्मचारी लाभान्वित नहीं होंगे। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि सीमा को 1600 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 2500 रुपये किया जाये। तब कहीं 50 प्रतिशत श्रमिकों को लाभ पहुंच सकेगा। मुझे पता है कि मन्त्री महोदय इसे मानेंगे नहीं, फिर भी मैं उन्हें इसे स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। इस विधेयक में उपबन्ध है :

"ऐसी अधिकतम सीमा जिस तक कोई विक्रय संवर्धन कर्मचारी अपनी उपार्जित छुट्टी संचित कर सकेगा, वह होगी, जो विहित की जाए।"

मूल अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था जैसा कि श्री मूलचन्द डागा ने बताया है उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, कर्मकार प्रति पूर्ति अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, तथा अन्य अधिनियमों के लाभ मिलेंगे। यदि उन्हें इन अधिनियमों के अन्तर्गत लाभ मिलते हैं तो हम नहीं चाहते कि ऐसा उपबन्ध रखा जाये। हम सौदा करेंगे तथा श्रमिकों के लिए सभी लाभ प्राप्त करेंगे। अतः इस कानून के अधीन सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।

मैं एक वर्ष से सुन रहा हूँ। मन्त्री महोदय कहते हैं कि कानून बदले जा रहे हैं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम का क्या बना ? उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। चार-पांच करोड़ कृषि मजदूरों को, निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों को संरक्षण नहीं दिया गया।

इस सदन के माननीय सदस्य जब भी कुछ कहते हैं तो वे सिर्फ खाना, रेल अथवा पत्तनों के बारे में ही कहते हैं वे हमेशा ठेका श्रमिकों की बात करते हैं तो क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह समय साहस का परिचय देकर कोई घोषणा करे विशेषकर इस समय जब आपने निर्धन व्यक्तियों को आशा बंधाई है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू किया जायेगा ? अगर सरकार यह कर दे तो समेकित ग्रामीण विकास योजना की कोई जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों में से 50 प्रतिशत लोग इस स्तर से ऊपर उठ जायेंगे। अतः इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि सरकार बहुत ही धीमे अर्थात कछुए की चाल से कार्य कर रही है। मैं सरकार के कार्य से एक प्रतिशत भी सन्तुष्ट नहीं हूँ। 1976 में जो कुछ किया गया था अब उससे थोड़ा बेहतर किया जा रहा है। 1976 में 10 प्रतिशत लोग भी लाभान्वित नहीं हुए थे और अब 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग लाभान्वित नहीं होंगे। सरकार बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रही है। अगर सरकार सचमुच में निर्धनों के लिए कुछ करना चाहती है तो वर्तमान नीतियों में ठोस परिवर्तन होना चाहिए। सरकार हड़ताल कराने के लिए श्रमिक नेताओं की हमेशा आलोचना करती रहती है। कोई भी नेता, जो श्रमिकों का कल्याण चाहता है, हड़तालों को सह नहीं देगा। सरकार हमेशा ही नियोजकों के साथ बात-चीत करती है तथा उत्पादकता की बात करती है। उत्पादकता के सन्दर्भ में मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछता हूँ महाराष्ट्र में औद्योगिक संहिता का क्या हुआ ? जब हमारे मुख्य मन्त्री ने मुझे हिटलर कहा तो मैंने उनके सामने अपने 100 समझौते रखे। प्रीमीयर आटोमोबाइल्स में 800 से 900रुपये प्रति माह की वृद्धि मिलती है। सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 2000 रुपए है और प्रबन्धक इस तनख्वाह को देने में समर्थ हैं। फायरस्टोन में 90 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक 3000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह पाते हैं। और यह कम्पनी बड़े आराम से चल रही है। ये संगठन इस तरह के कार्य करने में समर्थ हैं। आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बताईये जहां इस तरह का प्रबन्धन आप चला रहे हों। जहां तक औद्योगिक संहिता का सम्बन्ध है, प्रबन्धन के लेखे जोखे को

देखने के बाद भी श्रमिकों के वेतन में कोई भी वृद्धि नहीं करने दी रही है।

एक नियोजक 10 रुपए से उद्योग शुरू कर सकता है। और उसे 90 रुपए दे देंगे। बैंक दे रहे हैं। शेयर धारी पैसा दे देते हैं। वह पनप सकता है, अपने काम का विस्तार कर सकता है वह अपनी इकाई को रुग्ण भी बना सकता है। परन्तु श्रमिकों का क्या होगा? क्या श्रमिकों के हितों को देखना और यह देखना कि इस प्रकार के कानून से क्या उनको वास्तव में फायदा होरहा है सरकार का कर्त्तव्य नहीं है? अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन कर रहा हूँ। मैं न सिर्फ औषध उद्योग परन्तु बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात तथा शो-रूम के बारे में भी कह रहा हूँ। प्रत्येक कम्पनी में श्रमिक हैं। सरकार आज ही इस विधेयक में इसे लाए या फिर कल अधिसूचना जारी करे कि इतने श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है। उन्हें कारखाने के श्रमिकों की ही भाँति समझना चाहिए तथा उन्हें फायदा भी मिलना चाहिये। मैं सिर्फ मधुर भाषण नहीं चाहता क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं होगा। सरकार द्वारा विचार के लिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं। दूसरे, अगर आप हमें 1600 रुपए तक भी बढ़ा देते हैं तो भी बिक्री विभागों के 80 प्रतिशत उच्च दर्जीय कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा करने से जनसाधारण इस कानून की परिधि में नहीं आयेंगे।

मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इन दो सुझावों को स्वीकार करेंगे ताकि कुछ न कुछ किया जा सके। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे मेरे सुझावों को स्वीकार कर लें।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं 2-4 बातें ही बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि कानून बनाने की जो प्रणाली है जिस पर हम पिछले तीन सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं तथा पिछले सत्र में भी की थी, उसमें अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है मैं अपनी बातों को दोहरा नहीं रहा हूं। मन्त्री महोदय जानते ही हैं अभी-अभी श्री दत्ता सामन्त ने दो खण्डों के बारे में बताया है जिसमें उन्होंने "प्रतिष्ठित" शब्द का उल्लेख किया गया है।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अधिनियम में कानून का मुख्य भाग नहीं होता है। बल्कि मुख्य कानून उन नियमों में होता है जो बाद में बनाये जाते हैं। अन्ततः जब यह उच्चतम विधायी निकाय कानून बनाता है तो क्या यह न्याय संगत उचित तथा व्यावहारिक नहीं है कि हम कानून के मुख्य भाग को अधिनियम में लायें तथा थोड़ा अंश ही नियमों में सम्मलित करें? अब हम क्या करते हैं? हम कानून का एक ढांचा सा बनाते हैं और सभी कुछ नियमों पर छोड़ देते हैं। अगर आप अधिकतर कानूनों में विहित शब्द की परिभाषा देखें तो आप पायेंगे कि 'विहित' का अर्थ है नियमों द्वारा विहित यदि आप नियमों को देखें मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या स्थित है, तो आप पायेंगे कि नियमों में कुछ नहीं होगा परन्तु यह लिखा गया होगा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। इसका यह अर्थ हुआ कि पहले आप मदों पर आदेश पढ़िये उसके बाद नियमों को तथा फिर किसी खास मुद्दे पर कानून का आदेश जानने के लिए आप और कुछ पढ़े। जैसा कि मैंने सदन में कई बार कहा है, इस प्रणाली को बदला जाना चाहिए।

जो सीमा यहां पर बताई गई है, मैं माननीय साथी से सहमत हूँ कि यह सीमा कुछ भी नहीं है। वास्तव में मूल्य वृद्धि के इन दिनों में जब हर रोज प्रत्येक व्यक्ति की आम जरूरतें बढ़ती जा रही हैं 1500 या 1600 रुपए की माहवार आय कुछ भी नहीं है। इस मामले में मैं चाहूंगा कि इस सीमा में 25 प्रतिशत की रियायत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप समझते हैं कि 1600 रुपए उचित हैं तो आप उसमें 25 प्रतिशत और जोड़ें तथा फिर निर्धारण करें ताकि पता चले कि मूल्य बढ़ रहे हैं तथा भविष्य में तनख्वाह भी बढ़ेगी। और आपको बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीमा बढ़ा देने से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

तीसरे विक्रय संवर्धकों के हित का देखते हुए मैं कहूँगा कि उनको सभी बातों पर विचार करना चाहिए न कि कुछ एक पहलुओं पर। हमें वास्तविकता को देखना चाहिए। क्योंकि ये ही लोग हैं जो धूप में ठण्ड में काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग टाई, शर्ट पैंट आदि बड़े सलीके से पहनते हैं अगर कम्पनी उनको पैसा नहीं देती है तो यह संवर्धक या विक्रय प्रशिक्षु अपने अपने वेतन का अधिकांश भाग पोशाक आदि पर खर्च करते हैं, मेरे विचार से उनकी आधी तनख्वाह उनके कपड़ों पर ही खर्च हो जाती है। अतः इनके लिए भी हमें उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। इनमें से अधिकतर लोग अपना निजी वाहन प्रयोग करते हैं। कभी-कभी उन्हें गर्मी, धूल तथा ठण्ड में पैदल चलना पड़ता है। हमें इस बात पर ध्यान चाहिए कि उनमें से प्रत्येक को कोई न कोई वाहन मिलना चाहिए। बिक्री बढ़ाने के लिए ये लोग उद्योग के लिए काफी कार्य करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से औद्योगिक एवं अन्य प्रकार के उत्पादनों का विपणन किया जा सकता है। अतः हमें उनकी सम्पूर्ण भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जरूरत पड़ने पर या नियोजक की इच्छानुसार इन्हें सभी परिस्थितियों में बाहर जाना ही पड़ेगा। ये श्रमिकों की भाँति स्थिर जीवन नहीं जीते हैं। कुछ लोग एक ही जगह पर रहते हुए कई प्रकार के काम कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को बुखार हो तब भी वह अपना काम चला सकता है। परन्तु अगर हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये लोग आने जाने में असमर्थ होंगे और अन्ततः उनका स्वास्थ्य खराब हो जायेगा। इन परिस्थितियों पर गौर किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहूँगा। यही वे लोग हैं जो कि बिक्री को बढ़ावा देते हैं इन्हीं लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप ही नियोजक को लाभ का काफी बड़ा हिस्सा मिलता है। अतः कोई-न-कोई होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए जिसके द्वारा मुनाफे का कुछ हिस्सा इन कर्मचारियों एवं विक्रय संवर्धनों को दिया जा सके। नियोजकों को निदेश देने के लिए एक अनिवार्य कानून होना चाहिए ताकि नियोजक मुनाफे का कुछ हिस्सा इन कर्मचारियों में बांटें। तभी हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धकों के लिए कोई लाभकारी कानून बनाया गया है।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकारा) : यह संशोधन विधेयक निश्चय ही विक्रय संवर्धन कर्मचारी की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए लाया गया है। जहाँ तक इसका प्रश्न है यह स्वागत योग्य है। परन्तु आज के सन्दर्भ में 1600 रुपये की जो सीमा निर्धारित की हुई है वह बहुत ही कम है और बोनस अधिनियम में रखी गई 2500 रुपये की सीमा, रुपये का कीमत में और वेतन में जिसमें महंगाई बढ़ने के कारण तथा मजदूरी सम्बन्धी अन्य कारकों के कारण वृद्धि हुई है, वर्तमान संदर्भ में विक्रय संवर्धन कर्मचारी को परिभाषित करने के लिए वास्तविक सीमा होनी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि वर्तमान संशोधन व्यापक नहीं है तथा मन्त्री महोदय को नया संशोधन लाना होगा ताकि इस कार्य में लगे हुए सभी लोगों को इसमें शामिल किया जा सके।

'विक्रय संवर्धक कर्मचारी' ही भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। किसी भी चीज का उत्पादन इन्हीं के हाथों में है, उन्हें मन लगाकर काम करना होता है तभी चीजों को बेचा जा सकता है। वे अथक परिश्रम करते हैं परन्तु वे सुरक्षित नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी उपाय नहीं हैं। सामूहिक समझौते के लिए उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। वे औद्योगिक विवाद अदालत में नहीं जा सकते। उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि के बाहर रखा गया है और वे लोग औद्योगिक विवाद अदालतों में नहीं जा सकते। उन्हें इस अधिनियम की परिधि से परे रखा गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि जब कानून को लागू किया जाय तो जो लोग वास्तव में इस देश के श्रमिक हैं तो श्रमिकों को

जो संरक्षण दिया जाता है, चाहे वह कम ही है, इन लोगों को भी मिलना चाहिए। मेरा सुझाव यह भी है कि इन विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को भी श्रमिकों की ही भाँति माना जाना चाहिए तथा अपने अधिकारों को पाने के लिए ये लोग औद्योगिक विवाद अदालतों में जाने के हकदार हों। काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और लाखों लोग इसमें आते हैं। अधिकतर कम्पनियाँ या फर्में जो उपभोक्ता वस्तुएँ बनाती हैं वे 'सेल्स रिप्रेजन्टेटिव' नियुक्त करती हैं। भारत में ऐसे कार्मिकों की श्रेणी प्रमुख है और उन्हें इस अधिनियम के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए? अब चूंकि श्रमिक कानून बनाने के लिए चर्चा चल रही है, अतः इस तरह के श्रमिकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये। स्कूल के अध्यापकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। जो लोग धर्मार्थ संस्थानों में काम करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार एक कानून बनाने पर विचार कर रही है।

इसी प्रकार में हाल ही में कृषि श्रमिकों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर रखा गया है। परन्तु अभी तक इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई मंच नहीं बनाया गया है। ये भी उसी तरह के ही श्रमिक हैं और चूंकि यद्यपि इनकी संख्या काफी ज्यादा है, उन्हें सरकार तथा समाज ने ठुकरा दिया है। ये लोग ठीक से संगठित भी नहीं है। अतः नियोजक द्वारा विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवाओं को मनमाने ढंग से समाप्त करने से उनकी रक्षा करने हेतु सम्पूर्ण देश में विक्रय संवर्धन कार्यों में लगे इन सभी लोगों की माँग थी।

अतः मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि वे इनकी रक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि यह विधेयक विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए है। क्या आप उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करेंगे तथा शिक्षा और धर्मार्थ संस्थानों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो इसी प्रकार का कानून बनाया जा रहा है उसमें यह उपबन्ध रखने का प्रस्ताव है? अन्यथा इन लोगों का भविष्य अन्धकारपूर्ण है।

एक और पहलू यह है कि जब हम लोग विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव भी हैं। देश में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं तथा जो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे खुद ही लोगों को बताते हैं कि इन दवाईयों पर रोक लगा देना चाहिए क्योंकि ये दवाइयां हानिकारक हैं। परन्तु खेद की बात है कि श्रमिक इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि इसी पर उनकी नौकरी निर्भर है। कर्मचारी की नौकरी नियोजक की इच्छा पर निर्भर है। अतः सरकार को इन कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये ताकि इन लोगों को हानिकारक दवाईयां बेचने पर मजबूर न होना पड़े। उन्हें भी संघ बनाने तथा सामूहिक समझौते का अधिकार मिलना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि इन कार्मिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त संशोधन लाया जाना चाहिए तथा इन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि के तहत लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : सभापति महोदय, इस बिल में, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, जिसको 750 रुपए कमीशन मिल रहा है उसको बढ़ाकर 1600 तक कर देंगे। बेनिफिट यह है कि जो बोनस होगा वह, अगर 2500 कमीशन मिलता है तो वह भी मिलेगा, वर्कर्स कंपेन्सेशन भी मिलेगा और अर्न्ड लीव वगैरह भी मिलेगा। लेकिन अभी जो रूल्स पास हुए हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारे दत्ता सामन्त जी ने दो-तीन बातें कही हैं कि इसको 2500 तक करो। ठीक है, इंडियन लेबर कांफ्रेन्स में स्टैंडिंग कमेटी बैठी है उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वर्कर्स की जो डेफनीशन

है उसको चेंज किया जाये लेकिन इसके लिए हमें सारे अमेन्डमेंट्स करने पड़ेंगे। अभी जिसको 1600 तनख्वाह मिलती है उसको वर्कर मानते हैं लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि वर्कर 2000 रुपया भी पा रहा है लेकिन यह एक पालिसी मैटर है कि वर्कर की डेफनीशन को चेंज करने के लिए कितनी तनख्वाह मानी जाए। 250 होनी चाहिए या तीन हजार होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए—इसका डिसीजन हम लेंगे। पर यह जनरल डिपोजन हम सिर्फ सेल्स प्रमोटर के केस में नहीं ले सकते हैं। दत्ता सामन्त जी ने जो प्रपोजल दिया है कि तनख्वाह जो लिखी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन दत्ता सामन्त जी को मालूम है कि वर्कर्स की डेफनीशन में 1600 ही है। उसको हम बढ़ा सकते हैं—यह मैं मानता हूँ, परन्तु इस बिल में लाकर नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह एक पालिसी मैटर है। जैसा मैंने कहा है, इंडियन लेबर कांफ्रेन्स की स्टैंडिंग कमेटी बन रही है उसमें डिस्कशन हो। हम भी चाहते हैं कि इस डेफनीशन को बढ़ना चाहिए और जैसा आपने कहा, यह इसी बिल में ही नहीं दूसरी मार्केटिंग, पर्चेजिंग इण्डस्ट्रीज वगैरह, ऐसी 11 इण्डस्ट्रीज पर इसको लागू करना चाहिए और इसको लागू करने के लिए गवर्नमेन्ट सोच भी रही है···(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : 1976 से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री टी० अन्जैया : नहीं हुआ, वह बात दूसरी है लेकिन अब आप और हम इसमें करने के लिए सोचेंगे। अब वर्कर्स की जो समस्यायें हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं और हम चाहते हैं वर्कर्स को भी वही स्टैट्स देना चाहिए जो कि बाहर के मुल्कों में दिया जाता है। लेकिन इस दिशा में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फास्टली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें सभी को साथ लेकर चलना है। प्रोडक्शन का सवाल भी है। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, हमने भी कई बार कहा, इस हाउस में भी कहा है कि हिन्दुस्तान के वर्कर्स की वेज्रेज बहुत कम हैं। हम और आप सभी इस बात को मानते हैं।

उसमें कोई फर्क नहीं है मगर हमारे यहां वर्कर्स का जो प्रोडक्शन है, वह कम है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको छाती पर बैठकर पूछने की ताकत देनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह इतनी कम क्यों है। वे एक ही बात कहने वाले हैं कि आपका प्रोडक्शन क्या है। अभी मैं कोल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। फोरेन कन्ट्रीज के बारे में मैंने एक्सीडेंट्स को देखा और एमीनिटीज को देखा और देखने के बाद यह पाया कि वहाँ पर 2 लाख आदमी काम करते हैं और यहाँ पर 8-10 लाख आदमी काम करते हैं और उनकी प्रोडक्शन और अपने यहाँ प्रोडक्शन को कम्पेयर किया, तो यह पाया कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब वर्कर्स पार्टीसिपेशन होगा और वर्कर्स पार्टीसिपेशन तब होगा जब यूनियन्स के अन्दर यूनिटी होगी आज हमारे मुल्क में जो ज्यादा उत्पत्ति हो रही है, वह ट्रेड यूनियन लीडर्स की उत्पत्ति हो रही है। मैं उनकी कोई निन्दा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर था मगर एक इंडस्ट्री में 50-50 यूनियनें बन जाएं, तो क्या हो सकता है।···(**व्यवधान**)···हम और आप एक हैं मगर होता क्या है कि एक यूनियन कहती है कि काम करो और दूसरी कहती है कि काम मत करो। इस तरह से कैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा और किस तरह से हम वर्कर्स को ज्यादा पैसा दिलाएँगे। हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी जंग में बिल्कुल तबाह हो गया था लेकिन आज वहाँ वर्कर्स को मकानात मिले हैं और उनकी अब प्राब्लम यह है कि मोटर को कहाँ रखा जाए। हमारे यहाँ सिर छिपाने की प्राब्लम है। प्रोडक्शन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लें, तो हम पैसा बढ़ाने के लिए तैयार हैं ··· (**व्यवधान**)··

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : वहां जो वेतन एक घण्टे के लिए दिया जाता है, यहां अपने देश में उन्हें 8 घण्टे के लिए वही वेतन मिलता है।

एक माननीय सदस्य : क्या यहां श्रमिक 8 घण्टे काम नहीं करते हैं ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : मगर प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेवारी आप लें। आज कितना काम होता है।

डा० दत्ता सामन्त : पैसा दे दो, तो काम हो जाएगा।

श्री टी० अन्जैया : पैसा हम देने के लिए तैयार हैं मगर बार बार लीडर्स स्ट्राइक करा देते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि पहले अपने आप बैठकर हमें इसके बारे में फैसला करना है।

इसमें दो बातें आपने कही हैं। एक 2,500 रुपये की बात है। इन्डियन लैबर कान्फ्रेन्स की स्टेन्डिंग कमेटी बनी है। 14 साल के बाद हम मिले हैं और बहुत सी बातों पर एग्रीमेंट हुआ है। नेशनल वेज पालिसी के बारे में भी हम तय करेंगे और "वर्कर" की डेफीनीशन भी चेन्ज होनी चाहिए। इन्डस्ट्रिइल एक्ट और दूसरे जो एक्ट आने वाले हैं, उन सब एक्ट्स के अन्दर इन सब बातों के बारे में चर्चा होगी। हम तो यह चाहते हैं कि आप लोग यूनाइटेड हों। जिस दिन आप यूनाइट हो जाएंगे, उस दिन वेजेज डबल हो जोयेंगे ट्रबल हो जाएंगे मगर ऐसा होता नहीं है। बुनियादी तौर पर ट्रेड यूनियन लीडर मान्य हो और उसकी इज्जत हो, यह हम चाहते हैं लेकिन होता क्या है कि वह जब चाहे काम करा सकता है और जब चाहे फैक्टरी बन्द करा सकता है। इस तरह का ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम बहुत आगे नहीं जा सकते।

आपने सैल्स प्रोमोशन की और इंडस्ट्रीज को इसके अन्तर्गत लाने की बात कही। इस वक्त हमारे पास 11 हैं, जिनके बारे में इस एक्ट के अन्दर हम नोटीफिकेशन कर सकते हैं। हम और बहुत से लोगों को इसमें लाने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट ने काफी हद तक इसके लिए काम किया है।

हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वे चाहते हैं कि वर्कर्स का भला हो। वे भी एक वर्कर रहे हैं, वे पाइलेट रहे हैं और उन्होंने भी यूनियन को बनवा दिया है और ट्रेड यूनियन में काम किया है। वे जिस तरह से पाइलेटिंग करते हुए हमारे मुल्क में शान्ति लाए और बाहर भी शान्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कौन नहीं जानता। वे इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जब वर्कर्स का सवाल आता है, तो उसके बारे में बोलते हैं कि उनकी मदद करो। आपने देखा होगाकि पब्लिक सेक्टर कितने लास में जा रहे हैं और आप यह भी जानते हैं कि लास के बावजूद भी आज गवर्नमेंट उन फैक्टरीज को चलाने के लिए सोच रही हैऔर उन्हें बन्द करने की बात नहीं सोच रही है जहां तक प्राइवेट सेक्टर के मालिकों का सवाल है, आप जानते हैं कि उनके ऊपर भी एक्ट आ रहा है। पुजारी साहब यहां बैठे हुए हैं।···व्यवधान···

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : प्रबन्धक कर्मचारी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। परिभाषा के अनुसार यहां श्रमिक वे हैं जिन्हें 2500 रुपए वेतन प्रतिमाह मिलता है।

श्री टी० अन्जैया : प्रबन्धक कर्मचारियों की बात और है।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

वर्कर्स के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है। वर्कर्स के फायदे के लिए ही इसमें सब चीजें हैं।

यह एक छोटा-सा अमेंडमेंट है। मैं मानता हूँ कि वर्कर्स दो हजार भी कमाते हैं और इससे ज्यादा भी कमाते हैं। यह बिल हम पार्लियामेंट में एक कदम आगे बढ़ने के लिए लाए हैं। यह एक छोटा सा अमेंडमेंट लाए है। आप इसको पास कीजिए।

आगे चल कर हम पूरे हिन्दुस्तान की लेबर पालिसी के बारे में 14 साल के बाद बैठकर एक नतीजे पर आए हैं कि हमें कुछ करना है। उसको आपको वक्त देना चाहिए। आपकी कोआप्रेशन से देश में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। अगर स्ट्राइक और लोक-आऊट नहीं होंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी जब तक मैं यहां हूँ आप कम से कम स्ट्राइक तो नहीं कीजिए। जितने भी लेबर आज गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट उनको इम्पलीमेंट करेगी। हमने यहाँ से स्टेट के लेबर मिनिस्टर्स से भी कहा है कि आप लेबर लाज की पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करिए। जो मजदूरों के एक्ट हैं, उनके फायदे के लिए हम और भी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दूसरे भी जो वर्कर्स हैं, जो कि पीछे पड़े हुए है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी हो सकता है वह करेंगे। इसमें हमें आपकी कोआप्रेशन चाहिए।

एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो मालिक इण्डस्ट्रीज को सिक बना देते हैं उनके लिए दवा तैयार हो रही है। वह ऐसी दवा होगी जिससे कि मिल सिक नहीं हो सकेगी। कोई भी मालिक जो फैक्ट्री को सिक कर देता है, उसमें से पैसा निकाल लेता है, या फाइनेंशयल कारपोरेशन से पैसा ले लेता है, सरकार से पेमेंट्स ले लेता और सारी गड़बड़ी करता है, वे सब गड़बड़ियाँ अब चलने वाली नहीं हैं। अब तक ऐसी चीज होती आ रही है। हम सिक मिल्स का एक एक्ट पास कर चुके हैं। आगे भी हम दवा तैयार कर रहे हैं। वह ऐसी दवा होगी जिससे कि मालिक मजदूर को इन्सान समझे। जिस तरह से काऊ को स्लोटर हाऊस में भेजने के बजाय गौशाला में भेजा जाता है, उसी तरह से मालिक की भी यह मजबूरी होगी कि वह यह समझे कि वह गाय को नहीं पाल रहा है, बल्कि एक इन्सान को पाल रहा है। उसको यह समझना पड़ेगा।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि बाम्बे हिन्दुस्तान का, भारत का एक बहुत बड़ा सनअत का, उद्योग का केन्द्र है। वह ट्रेड यूनियन्स का भी बहुत बड़ा केन्द्र है। वहाँ से गवर्नमेंट को पूरी मदद मिलनी चाहिए। उसको प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन कर रहना चाहिए। आप जब गवर्नमेंट को सहयोग देंगे और जितना सहयोग देंगे उतनी ही देश की उन्नति होगी। इतना कह कर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बिल को पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

खंड 2 – धारा 2 का संशोधन

डा० दत्ता सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

पृष्ठ—1 पंक्ति 16—

"सोलह सौ रुपए" **के स्थान पर** "पच्चीस सौ रुपए" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि कर्मचारी संघ के सभी लोग बुरे हैं। तथापि, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। किन्तु अन्ततोगत्वा यह एक महत्व पूर्ण विषय है और इसका सम्बन्ध लाखों कर्मचारियों से है। सारा मुद्दा यह है कि 80 प्रतिशत विक्रय संवर्धन कर्मचारी, जिनमें मैडिकल रिप्रेन्जेटिव अथवा अन्य विक्रय कर्मचारी हैं तथा जिन्हें 1976 में 750 रुपए मिल रहे थे अब 1600 रुपए प्रतिमाह पाते हैं। इसलिए, इस विधेयक में माननीय मन्त्री महोदय, जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। मुझे इसी बात का दुःख है। 1965 की तुलना में मूल्य सूचकांक में पांच गुणी वृद्धि हुई है। इसलिए, बोनस उपदान तथा अन्य सभी प्राप्य लाभों का स्तर भी बदलना होगा। 2500 रुपए तक वेतन पाने वाले लोगों को भी औद्योगिक श्रमिक की परिभाषा में शामिल करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वह इस बात पर विचार करेंगे। किन्तु अन्ततोगत्वा, मन्त्री महोदय स्वयं एक बड़े दल के सदस्य हैं। दल को निर्णय लेना चाहिए। किन्तु उनके हाथ में बहुत सी बातें नहीं हैं। मेरी कठिनाई यही है और मुझे इसी बात का दुख है। आज प्रातः काल आपने कपड़ा श्रमिकों का उल्लेख किया था। 95 प्र० श० श्रमिक मेरे साथ हैं। तो भी सरकार गुप्त मतदान के पक्ष में नहीं है। इस मामले को लेकर हड़ताल करने जैसी समस्या आरम्भ होती है। मेरे विचार से सरकार गुप्त मतदान कानून नहीं चाहती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अन्तर संघ सम्बन्धी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पायेगी। अपने रुख के कारण कांग्रेस पार्टी कम से कम बम्बई में तो अपना सम्मान खो रही है। उसके कारण ही इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात यह है कि फार्मास्यूटीकल के अतिरिक्त, आयात, निर्यात और अन्य उद्योगों को शीघ्र ही शामिल किया जायेगा। मैं इस "शीघ्र" शब्द की परिभाषा या अर्थ नहीं जानता हूँ। गत एक वर्ष से आप बहुत सारों अच्छी-अच्छी बातें कहते आ रहे हैं और मैं आपके वक्तव्य पढ़ता रहा हूँ। आपने कहा था कि ये सारे कानून पुराने हैं और इनमें परिवर्तन करना होगा। किन्तु एक प्रतिशत भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि एक महीने या 15 दिन के अन्दर अन्दर परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि यह कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दें तो मैं संशोधन वापिस ले लूंगा। किन्तु मेरे विचार से वह समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपनी मांग पर जोर देना चाहूँगा। मेरे विचार से 90 प्रतिशत व्यक्ति 2500 को स्वीकार करेंगे क्योंकि इससे 70 प्र० श० व्यक्ति इसकी सीमा में आ जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : श्री दत्ता सामन्त जी बहुत जल्दबाजी करते हैं, वे भी हमारी ही पार्टी से आए हैं, वे कांग्रेस में नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन

[अनुवाद]

इसमें समय लगेगा। इस समय 1600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हम इसकी सीमा कहां तक बढ़ाने वाले हैं, मैं उन्हें अवश्य ही दिखा दूंगा।

[हिन्दी]

अभी जो आप कहते हैं कि 2500 कर दो, अभी यह नहीं होगा, हम अभी सोच रहें हैं, जितना आपने कहा है उसके लिए हम सोच रहे हैं। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, आप जो भी चाहेंगे वह हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय लगता है। अगर आप चाहते हैं तो हमें सहयोग दीजिए।

सभापति महोदय : मैं अब सभा के समक्ष मतदान के लिए डा० दत्ता सामन्त द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 1 को रखूंगा।

संशोधन सं० 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री टी० अन्जैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

4.09 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगला मुद्दा अर्थात अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1985-86 लेंगे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों की आरम्भिक टिप्पणियों में, भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय की राशि 300.29 करोड़ रुपए के स्थान पर 601.29 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि पहले ही ठीक दर्शाई गई है और इससे सभा में प्रस्तुत की गई कुल मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय : गलती ठीक कर ली जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।

मांग संख्या—5, 8, 9, 14, 28, 38, 39, 41, 44, 49, 50, 58, 59, 61, 64 69, 70, 73, 77, 80, 81, 87, 90, 91, 92, 97, 101, 102 और 106।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1985-86 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय			
5.	सहकारिता	...	1,000
8.	ग्रामीण विकास विभाग	194,71,31,000	...
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय			
9.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	250,00,000	...
संचार मन्त्रालय			
14.	संचार मन्त्रालय	2,00,000	
विदेश मन्त्रालय			
28.	विदेश मन्त्रालय		10,00,00,000
वित्त मन्त्रालय			
38.	राज्य सरकारों को अन्तरण	139,00,00,000	...
39.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	1,000	...
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय			
41.	खाद्य विभाग	300,00,00,000	...
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,000	...
गृह मन्त्रालय			
49.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	5,06,00,000	7,05,00,000

1	2	3	
	50. पुनर्वास	...	1,75,00,000
उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय			
	58. उद्योग	25,00,00,000	...
	59. ग्राम लघु उद्योग	50,00,00,000	...
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय			
	61. सूचना और प्रचार	32,95,000	61,23,000
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय			
	64. विद्युत विभाग	...	1,000
संसदीय कार्य मन्त्रालय			
	69. संसदीय कार्य मन्त्रालय	6,92,000	...
पेट्रोलियम मन्त्रालय			
	70. पेट्रोलियम मन्त्रालय	...	130,00,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
	73. विज्ञान औ प्रौद्योगिकी विभाग	2,000	...
	77. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग	25,00,00,000	...
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय			
	80. पत्तन, द्वीप स्तम्भ और नौवहन	...	9,00,00,000
	81. सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	...	40,00,00,000
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय			
	87. विमानन	3,51,43,000	...
निर्माण और आवास मन्त्रालय			
	90. लोक निर्माण	...	1,000
	91. जलपूर्ति और मल निकासी	1,000	...
	92. आवास और नगर विकास	...	1,000
संस्कृत विभाग			
	97. संस्कृति विभाग	2,60,00,000	...
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग			
	101. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	3,22,86,000	...

1	2	3	
अन्तरिक्ष विभाग			
102.	अन्तरिक्ष विभाग	...	24,28,98,000
संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
106.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	14,56,000	...

सभापति महोदय : अब श्री तुलसीराम बोलें।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम(नगरकुरनूल) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने तीन हजार पांच सौ करोड़ का घाटे का बजट पेश किया है। इसको पहले बजट में भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी जरूरत थी कि फिर से यह बजट लाया गया है। यह ठीक पद्धति नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आन्ध्र-प्रदेश में जो सूखा पड़ा है वहाँ तकरीबन साठ परसेंट लोग इससे परेशान हो रहे हैं। उसके लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 608 करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं दिया गया है। तीस करोड़ का तो पेपर में आया है, वह कितना सही है, यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि उसका जवाब दें। इतने लोग वहाँ परेशानी में हैं। खाने के लिए भी परेशान हैं। जानवरों को खिलाने के लिए घास भी नहीं है। चारा न होने की वजह से वहाँ के लोग जानवरों को बेच रहे हैं। अच्छे-अच्छे जानवर जो खेती के काबिल हैं, सिर्फ चारा न होने की वजह से उनको काटने के लिए कसाई लोगों को बेच रहे हैं। पीने के पानी की भी बहुत तकलीफ है। कहीं-कहीं पर तो ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर जहाँ पानी मिल रहा है, वहाँ पर चले गए हैं। दो महीने पहले वहाँ सेंट्रल टीम गई थी। आज तक वह सेन्ट्रल टीम वहाँ क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है। उन्होंने शायद रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दी है। वहाँ के लोग इतनी परेशानी में हैं और ऐसे समय में दो-दो, तीन-तीन महीने तक रिपोर्ट ही न दें तो वहाँ के लोगों को सहायता कैसे मिल सकती है। गुजरात और तमिलनाडु को तत्काल ही सहायता पहुँच गयी है तो फिर आन्ध्र प्रदेश के लिए क्यों नहीं है... **(व्यवधान)** मेरे पास जो इन्फार्मेशन है, वह मैं बता रहा हूँ।

4.13 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

केन्द्र को सारे प्रदेशों को एक ही नजर से देखना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश हो या पंजाब, गुजरात, बिहार या राजस्थान हो, सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। एक केन्द्र सरकार है और एक प्रधान मन्त्री हैं इसलिए आन्ध्र प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के वे पिता जैसे हैं और हिन्दुस्तान के लोग उनके बच्चे हैं, इस तरह से देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है और पहले भी थी कि हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री हैं, वे इस तरह से आगे कभी नहीं करेंगे। सब राज्यों को और हरेक इन्सान को एक ही ढंग से देखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वे वैसे ही देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति जी, मेरी कांसटीटूऐन्सी आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में नगरकुरनूल है जिसके विषय में मैंने स्वयं प्रधानमन्त्री जी को दो पत्र लिखे हैं। एक पत्र तो इस विषय में लिखा है कि वहाँ के फोरेस्ट से जो हरिजन और गिरीजन पिछले 30-35 सालों से खेती करते आ रहे थे, अब उनको

हटाया जा रहा है उनसे वह जमीन छीनी जा रही है और जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। यदि उनको किसी दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था की गई होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वैसे भी यह सरकार कहीं हरिजनों और गिरिजनों को जमीन नहीं दे रही है, यह मैं केवल आन्ध्र प्रदेश की ही बात नहीं कह रहा हूँ, सारे भारतवर्ष में एक जैसी स्थिति है। जो लोग वहाँ 30-35 सालों से रहते थे और अपना जीवन-यापन करते आ रहे थे, अब उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने एक दूसरा पत्र इस सम्बन्ध में लिखा है कि वहां एक फौरेस्ट ऐसा है जिस में शेरों को पाला जा रहा है। वह प्रोजेक्ट सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ शेरों को तो पाला जा रहा है, लेकिन किसी तरह की फेंसिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों के सामने रक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई हैं। मैंने पत्र में उनसे अनुरोध किया था कि या तो इस प्रोजेक्ट को वहाँ से हटा दिया जाए और किसी ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जहाँ आदमी न रहते हों अथवा वहां फैन्सिग का प्रावधान किया जाए ताकि उस इलाके में रहने वाले लोगों को किसी तरह का खतरा न रहे या कोई रक्षा का उपाय किया जाए परन्तु उस पर अभी तक कुछ कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती। वहाँ यह स्थिति पैदा हो गयी है कि उस इलाके के खेती करने वाले गरीब किसान अपने खेतों के पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि किसी भी समय शेर आकर उन पर हमला कर सकता है ऐसा उन्हें सदा भय बना रहता है। वे रात में भी अपने खेत के पास नहीं जा सकते और इस कारण उनके खेतों में जंगली जानवर, जंगली सूअर, आदि घुस आते हैं और सारे खेत को उजाड़ देते हैं, क्योंकि उनके खेत जंगलों में पड़ते हैं। इस कारण न केवल उनके खेतों को नुकसान हो रहा है बल्कि उनके सामने अपनी जीविका चलाने का प्रश्न भी खड़ा हो गया है। यदि वे खेतों की रखवाली करते हैं तो उनकी जान को खतरा है। दूसरी उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है जिसे सरकार ले लेना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से गरीबों का भला होने वाला नहीं है और इस मामले में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ हरिजनों और गिरिजनों के उत्थान की बहुत सी बातें की जाती हैं लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो उनको कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। सर्विस करने वाले 20 परसेंट हरिजनों और गिरिजनों को यदि छोड़ दिया जाय, तो आप किसी भी गाँव का उदाहरण ले लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उनकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देश में 80 प्रतिशत हरिजन और गिरिजन आज भी वहीं के वहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से एन० आर० ई० पी० या आर० एल० ई० जी० पी० आदि कई स्कीमें बनाई और चालू की गयी हैं, सरकार कहती है कि हम देहातों में लोगों को काम दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूँ आदि दे रहे हैं, लेकिन क्या वह उनको पहुँच रहा है। उसका कुछ अजीब ही ढंग है। पहले तो यहाँ से ही कम दिया जा रहा है, आन्ध्र प्रदेश की बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, वहाँ कम गल्ला पहुंचता है और वह भी सही तरीके से नहीं दिया जाता और दूसरे वहाँ उसका ठीक ढंग से वितरण भी नहीं हो रहा है। हरिजनों को चावल, गेहूँ आदि देने की बहुत सी बातें कही जाती हैं। उनको मकान बना कर देने की बातें कही जाती हैं, लेकिन मैंने पहले भी वर्णन किया था, आज फिर कहना चाहता हूँ कि आप कहीं का भी उदाहरण देख लिजिए, मन्त्री जी आना चाहें, कोई अन्य मेंबर आना चाहें, अथवा स्वयं प्रधानमन्त्री जी आना चाहें तो मेरे साथ चलकर देख लें हरिजनों और गिरिजनों का कितना उद्धार हुआ है। आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में एक जैसी स्थिति है, आप कोई भी गाँव ले लीजिए।…(**व्यवधान**)…आप क्वैश्चन आवर में भी यही करती रहती हैं, अब भी वैसे ही कर रही हैं, अगर आप सुन नहीं सकतीं तो कम से कम बाहर चली जाइए।

आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वहाँ दो रुपए किलो चावल दे रही है, जिससे उनको कुछ खाने को मिल रहा

है। अब पानी का सवाल है और सवाल भी ठीक है, उनके पीने के पानी के लिए आप कुछ इन्तजाम कीजिए। आप केन्द्र से वहां के लोगों को जो चावल और गेहूं दे रहे हैं, उस कोटे को आप कुछ ज्यादा कर दीजिए जिससे उनको कुछ और ज्यादा फायदा हो सकता है।

महोदय, वहां के जो देहातों के किसान हैं, उनके लिए ये कहते हैं कि हर किसान को बावली से सिंचाई के लिए कनेक्शन दे दिए गए हैं, लेकिन वे पूरे गांव और देहातों में नहीं दिए गए हैं, वे कम हैं। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि बावली या ट्यूब वैल्स से सिंचाई के लिए जो बिजली के करन्ट देने की बात है वह पूरे गांवों और देहातों को मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि सारे हिन्दुस्तान में खेती ही मुख्य धन्धा है। खास तौर से इस वक्त जो सूखा पड़ा हुआ है जिसके कारण किसान लोग तकलीफ उठा रहे हैं, ऐसे टाइम में उनको कुआ खोदने के लिए यदि सहायता मिल जाए, तो उनका बहुत भला होगा।

महोदय, अब जो सूखा पड़ता है, वह कई जगहों में पड़ता है; मैं आन्ध्र प्रदेश में तैलंगाना और रायलसीमा के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके लिए कहीं-कहीं तो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इससे काफी फायदा नहीं होता। अगर और कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आपसे मांग की है और उसके लिए आप धन दें तो उससे किसानों को और गरीबों को मदद मिल सकती है और सूखा पड़ने से ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के सहारे वह जी सकते हैं। जैसे यहां नार्थ में कई जगह हरियाणा में जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, नाले जो बहते हैं जिसके पानी से खेती अच्छी होती है, उस तरह की खेती वहां नहीं हो पा रही है। इसलिए इस तरफ केन्द्रीय सरकार ज्यादा सोचे। इनके भले के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाये तो अच्छा है।

मैं भारत सरकार से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसे गरीबों के लिए, उनके भले के लिए जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए।

वहां पर श्री रामाराव जी दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, गरीबों की सहायता के लिए रात-दिन मेहनत करके जो अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको मदद देनी चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि श्री रामा राव जी कोई अलग हैं। हम अच्छे काम के लिए हर वक्त आपके साथ हैं और आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम गवर्नमेंट है, इसलिए वहां नहीं देना चाहिए, और जगहों में देना चाहिए। ऐसा मत सोचिए। हम हर अच्छे काम के लिए आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद।

जब कोई वित्त मन्त्री कभी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पेश करता है तो उसको यही सुनने को मिलता है कि यह पूरे बजट में ही आ जाना चाहिए था, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक रिवाज है। लेकिन अनुपूरक अनुदानों का अपना एक महत्व होता है। क्योंकि फरवरी के महीने में यह अन्दाजा लगाना कि साल में क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या हमको कहां से मिल जायेगा, यह सम्भव नहीं होता।

इसके अलावा हम एक डायनेमिक सोसायटी में रह रहे हैं, स्टैटिक सोसायटी में नहीं रह रहे हैं, आवश्यकतायें बदलती हैं और इसलिए अनुपूरक अनुदान की मांगें पेश करनी पड़ती हैं। माननीय सदस्यों को इसका स्वागत ही करना चाहिए क्योंकि सरकार हर नीति पर बात करने का इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट खाली आमदनी और खर्च करने का लेखा-जोखा ही नहीं होता, बल्कि केन्द्रीय बजट एक दिशा-निर्देश देता है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष वित्त मन्त्री महोदय ने जो दिशा-निर्देश दिया था, जो चेष्टा की थी, उसका परिणाम हमारे सामने आया है। बहुत ज्यादा फैक्टस हमारे सामने नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि मैंने वित्त मन्त्री जी से कुछ सूचना मांगी थी और उनके पास एक मिनी कम्प्यूटर होता है, उसमें उन्होंने उसे रखा था, लेकिन वह सूचना मुझे मिली नहीं। लेकिन अपनी सूचना के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि बजट के कारण मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए, इन्फलेशन नहीं होना चाहिए। यह आशंका प्रकट की गई थी, लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि मुद्रा-स्फीति नियन्त्रण में रही। टैक्स रेट में जो कन्सैशन दिए गए थे, जो सहूलियतें दी गई थीं, उनसे आशंकाएं प्रकट की गई थीं कि राजस्व में गिरावट आयेगी, लेकिन उसमें कोई गिरावट नहीं आई। इससे संकेत मिलता है कि जो परिवर्तन किए गए थे, वह ठीक दिशा में दिए गए थे और उनके अच्छे परिणाम सामने आए।

अक्तूबर का महीना अभी खत्म हुआ है। इस साल अक्तूबर तक प्रत्यक्ष कर से करीब 2100 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इसमें कहीं कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। पिछली अवधि में 1700 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। 400 करोड़ बढ़ा है। हमारे कस्टम और एक्साइज की आमदनी से 1200 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी अवधि में पिछले वर्ष 900 करोड़ की आमदनी हुई थी। जहां तक मुझे सूचना है, इस काल में जो वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले में पिछले वर्ष हुई थी वह 50,53 के बीच में थी और इस साल 60 के ऊपर है। यह एक अच्छी बात है।

सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में जो हमारी मनी सप्लाई है, चाहे हमारे प्रचलित नोटों के द्वारा हो या बैंकों के द्वारा सरकारी उपक्रमों को दिया गया ऋण हो, या अग्रिम एडवांस को मिला कर, उस स्तर से नीचे रहा है, जिसकी कल्पना बजट में की गई थी। यह एक अच्छा संकेत है, फाइनेन्शियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बजट का घाटा रोकने की चेष्टा की जा रही है और की जानी चाहिए। बहुत सख्ती से इस पर पाबन्दी लगानी चाहिए। इसमें हमें राज्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी कि वह घाटे की व्यवस्था न करें, ओवर ड्राफ्टिंग न करें।

इसके अलावा यह भी चेष्टा की जा रही है कि गैर योजना-व्यय घटाकर उसको रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमारी प्रदेश सरकारों के बजट का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे केन्द्रीय बजट पर आता है, वह बहुत बाद में पड़ता है। हमें राज्य सरकारों से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह अपने बजट को जल्द से जल्द पास करें। उससे खर्च करने के लिए अच्छा समय मिल जाता है और उस पर नियन्त्रण भी अच्छा होता है।

मैं भी उत्तर प्रदेश में वित्त मन्त्री था। मैंने देखा कि 16 साल से बजट कभी समय पर पास नहीं हुआ। मैंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि मैं बजट समय में पास करना चाहता हूँ, इस साल आप समय पर बजट पास करायें। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बजट भी 31 मार्च तक पास नहीं होता, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? लेकिन एक साल कोशिश के बाद मैंने 4 साल तक समय पर बजट पास कराया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने पाया कि हम खर्च पर नियंत्रण रख सके, योजना पर पूरा व्यय कर सके और हमको ओवर ड्राफ्टिंग नहीं करना पड़ा। हमारा वित्तीय नियन्त्रण कामयाब रहा और यह होना चाहिए।

हमारा जो सबसे बड़ा खर्च होता है वह पैट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स के आयात पर होता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं बजट पर बोल रहा था, उस

समय भी कहा था, लेकिन मुझे खेद है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न पत्र पर ध्यान दिया न बोलने पर ध्यान दिया। सुझाव यह है कि पैट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स का हमको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसका विकल्प है गन्ने से उत्पन्न होने वाला जो शीरा है, उससे हम एलकोहल बनायें। यह ब्राजील में हुआ। मैंने उदाहरण भी दिया था, इस पर विचार होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए।

एक ओर हम मांग करते हैं कि किसानों को 30 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम दिया जाये, यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए हमको इसके बाई-प्रोडक्ट्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बाई-प्रोडक्ट शीरा है, जिससे अल्कोहल और अल्कोहल से कैमिकल बनाना पड़ेगा। इसके बगास से हम पेपर बना सकते हैं, फैक्टरी चला सकते हैं। दूसरी बात बहुत छोटी बातें हैं।

सन्तोष की बात है कि पिछली इसी अवधि में पिछले कई वर्षों के मुकाबले में कई चीजों के दाम ज्यादा नहीं पढ़े। कुछ चीजों के दाम बढ़ाने पड़े हैं, उसका हमें कारण मालूम है। फल-सब्जी के दाम ज्यादा पड़ते हैं। इसमें मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो जहां-जहां सब्जी पैदा करने की योजनायें बनाई गयी हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करायें। उत्तर प्रदेश के जो 8 पहाड़ी जिले हैं, वह उस जमाने में फल सब्जी देते हैं, जिस जमाने में फल सब्जी बहुत कम किसी-किसी जगह पर पैदा होते हैं। उन पहाड़ी जिलों के लिए 57 करोड़ की योजना बनायी गई है, आप उसको स्वीकृति प्रदान करायें।

हमारा विशाल देश एक बहुत अच्छा और सुन्दर देश है। अगर किसी स्थान पर किसी फल या सब्जी की पैदावार नहीं होती है तो दूसरे स्थान पर इसकी पैदावार हो जाती है।

अगर आप फल-सब्जी को लाने ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था कर दें तो उनके दामों पर नियंत्रण लाया जा सकता है। हमारे नगर विकास मन्त्री जी बैठे है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तमाम जो सब्जी पैदा करने वाले छोटे खेत हैं, जो कि नगरों के चारों ओर होते हैं, वहाँ पर रहने के लिए आवास गृह बनते जा रहे हैं। अगर यह खेत घर बनाने के काम में चले जायेंगे तो रहने वालों के लिए खाने का प्रबन्ध हम नहीं कर पायेंगे।

आपने एडवांस प्लान एसिस्टेंट्स फार रिलिफ के लिए ढाई सौ करोड़ की व्यवस्था की है और इसके अलावा आपने रिलिफ आन एकाऊन्ट आफ नैचुरल कलैमिटिज भी दिया है। मैं इस बारे में उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन मदद सवा सौ करोड़ के आस पास दी गई। आप इस पर पुनर्विचार करें। भारत को अगर सूखा और बाढ़ से बचाना है तो बहुउद्देशीय योजनाओं को लेना पड़ेगा। जैसे टिहरी बांध है। उससे सिंचाई भी होगी, बिजली भी होगी और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा।

आपने आर० एल० ई० जी० पी० के लिए 96 करोड़ का प्रावीजन किया। हमारे पूरे जिले में दो विकास खंड हैं, जहां केवल जन जाति के लोग रहते हैं उन दो विकास खण्डों को इस योजना में नहीं लिया गया है। हमारे ग्राम विकास मन्त्री इसको देखें और उन दो विकास खण्डों को भी उस योजना में शामिल करें। विदेशों से सहायता के लिए बहुत सी योजनायें भेजी जाती हैं जैसे ट्यूबवैल के लिए है इण्डस्ट्री लगाने के लिए मल्टी परपज योजनायें हैं। इनको तय करने के लिए विश्व बैंक से बात की जाती है या किसी विदेशी एजेंसी से बात की जाती है। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि जो विदेशी रुपया मिल रहा है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं यह आपको देखना चाहिए और इनके बारे में निर्णय शीघ्र होना चाहिए। होता यह है कि एक जगह से योजना पास हो जाती है, लेकिन बीच में किसी जगह पर अटक जाती है। हर डिपार्टमेंट पूरी सूचना शुरू से मांगना शुरू कर देता है। आप क्यों नहीं इकट्ठे बैठकर विचार करते।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं यह मानता हूँ कि जो बजट पेश किया गया था वह बहुत अच्छा बजट था और जो लक्ष्य हमने रखें हैं उनको हम पूरा कर सकेंगे।

***कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : सभापति महोदया, मैं पूरे दिल से इस पूरक बजट का समर्थन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस बजट पर बोलते समय हमारे पास कई विषय हैं क्योंकि यह सामान्य बजट है न कि विशेष बजट। पिछले सामान्य बजट में हमने देखा था कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गाँधी और उनके मन्त्रिमण्डल ने 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई थीं। मैं वित्त राज्य मन्त्री श्री जर्नादन पुजारी, को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में वह गरीबों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। वह सामूहिक ग्रहण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब लोगों को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह पश्चिम बंगाल में कुछ परिपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे है। हम जानते हैं कि गरीब लोगों की सहायता के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आई०आर० डी०पी० एन०आर०ई०पी० आदि जैसी विभिन्न योजनाएँ हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे राज्य में पंचायत और पंचायत समितियां पूरी तरह से सी०पी०आई०(एम) द्वारा नियंत्रित हैं और उनके हाथों में हैं। इसके परिणामस्वरूप सी० पी०आई०(एम०) के समर्थकों तथा उनके दल के कार्यकर्त्ताओं के अलावा किसी को सहायता नहीं मिलती है। आम लोगों को उन योजनाओं के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं मिलती है केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के कारण बैंकों के नए प्रयासों के कारण सामूहिक ऋण कार्यक्रमों को लोगों को सूचित किया जा रहा है तथा उन्हें नजदीक लाना संभव हो गया है और मैं उस सूचना का स्वागत करती हूँ। साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री की सूचना के लिए बताना चाहती हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत गरीब लोग रहते हैं। मैं उनसे अपने क्षेत्र में अधिक ऋण की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था और इस सम्बन्ध में, मैं श्री नायर, चेयरमैन, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया से भी मिली हूं। एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई कि जब कि जब मैंने उन्हें बताया कि 'मैं अपने क्षेत्र में अधिक ऋण का वितरण चाहती हूं अत: आप कृपया एक तारीख निश्चित करें' चेयरमेन ने कहा मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि जो कुछ मैं कह रही हूँ उस पर वे ध्यान दें क्योंकि यह मुख्य बात है—जवाब में बैंक के चेयरमेन ने कहा कि "आप पता लगाइए कि किसको और कहाँ ऋण देना है। आप मुझे पूरी जानकारी दें तब मैं ऋण दूंगा"···(व्यवधान) मुझे परेशान मत कीजिए। यदि आपको दिलचस्पी है तो आप भी बोल सकते हैं लेकिन मुझे परेशान मत करिए। जैसाकि मैं कह रही थी, बैंक के चेयरमेन ने मुझे पूरा ब्योरा देने को कहा था। परन्तु मुझे ब्योरा क्यों देना चाहिए? बैंक को आपको सूचना देनी चाहिए और बैंक को वहाँ आपको लेकर जाना चाहिए। महोदया, मेरा जिला 24 परगना बहुत गरीब और उपेक्षित क्षेत्र है वहाँ पर वामपंथी सरकार लोगों के साथ केवल राजनीति का खेल खेलती है। उन्होंने उनकी भलाई या गरीब लोगों के जीवन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप पश्चिम बंगाल में जाएँ तो आप देखेंगे कि एक तरफ लोग कराह तथा रो रहे हैं। आम लोगों को आई० आर० डी० पी० तथा एन० आर० ई० पी० योजनाओं के अन्तर्गत पैसा नहीं मिल रहा है। उन्हें बैंक ऋण नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ वामपंथी सरकार का सबसे बड़ी घटक (सी० पी० आई० (एम) देश भर के अपने नेताओं के मनोरंजन पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। श्री नम्बूदरीपाद तथा अन्य नेताओं को सी० पी० आई० (एम) की गोष्ठी तथा सम्मेलन आदि के लिए

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पश्चिम बंगाल में नियन्त्रण दिया जा रहा है तथा राजकोष में से खर्च करके उन्हें दावतें आदि दी जा रही हैं। जबकि ग्रामीण बंगाल के गरीब लोग तकलीफ तथा गरीबी से दुखी हैं। उनके लिए कोई राहत नहीं है। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की आवाज चुपचाप आंसू बहा रही है। महोदया, स्वत: रोजगार कार्यक्रम के बारे में, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। स्वत: रोजगार कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन 3 दिन पहले मैंने समाचार पत्र में एक समाचार देखा था कि संयुक्त औद्योगिक बैंक ने दक्षिण 24 परगना में ऋण देने से मना कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यदि ए० सी० टी० कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम विफल हो जाते हैं। यदि बैंक ऋण देने की मनाही करते हैं तब समूचे युवा वर्ग को कष्ट होगा। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि ए० सी० टी० कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र के लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण नहीं मिल रहा है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतभेद हो रहा है। मैं उद्योग मन्त्रालय की सलाहकार समिति की सदस्या हूँ और मैंने इस समिति की बैठक में कहा है कि ए० सी० टी० कार्यक्रम को लागू करने में दलगत राजनीति चल रही है। चूंकि संसद सदस्य और विधायक इस कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं हैं इसलिए स्वत: रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल सी० पी० एम० के लोगों को ऋण मिल रहा है। सामान्य युवा वर्ग को कोई ऋण नहीं मिल रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस घोटाले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करती हूं क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम में संसद सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। सभी संसद सदस्यों को कर्मी दल का सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह सलाहकार समिति इन सभी बातों पर ध्यान दे सकती है। उन्हें इस, बात का भी पता चल जाएगा कि बास्तव में क्या हो रहा है। हम तो इन सभी बातों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं।

संसद की एक युवा सदस्या के रूप में, मैं एक और अनुरोध करना चाहती हूँ। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती काफी समय से बन्द है। इसके परिणामस्वरूप वे लोग जिनकी आयु 28 वर्ष से ऊपर हो रही है वे केन्द्रीय सरकार की सेवा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनकी आयु बढ़ रही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में, मैं मांग कर रही हूँ, मैंने इस बारे में प्रधानमन्त्री जी को भी लिखा है कि केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिए आयु सीमा को 28 वर्ष से 33 वर्ष तक बढ़ाई जानी चाहिए जो कि अन्तर्राष्ट्रीय आयु सीमा है। यदि ऐसा किया जाता है तो बहुत से योग्य युवा लोगों को जिन्होंने वर्तमान आयु सीमा पार कर ली है आयु सीमा हटाने के बाद सेवा में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में लिया जाएगा। उन्हें नया जीवन मिलेगा। पश्चिम बंगाल में, मेरे क्षेत्र के रोजगार कार्यालय को सी० पी० एम० का कार्यालय बना दिया गया है। जो सी० पी० एम० के सदस्य हैं उन्हें ही सारी नौकरियां मिलती हैं। उन्हें नौकरी के सभी अवसर मिलते हैं। लेकिन आम लोग रो रहे हैं और वामपन्थी सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है। अत: मेरा आप से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए। (व्यवधान) ...तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। महोदया:, मुझे कृपया कुछ और समय दिया जाए।

मैं कुरु संचार के बारे में कहना चाहती हूँ। कलकत्ता टेलीफोन की हालत बहुत खराब है। मीलों तक संचार व्यवस्था पूरी तरह से अस्तव्यस्त है। यदि कलकत्ता टेलीफोन को बम्बई और दिल्ली की तरह प्रायोगिक परियोजना के रूप में ले लिया जाए तो कलकत्ता के लोगों को बहुत लाभ होगा।

मैं रुग्ण उद्योगों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि 'एस० ए० पी० कम्पनी तथा 'ए' स्टाक कम्पनी' के सम्बन्ध में, मैं कई बार आपके पास शिष्टमण्डल के साथ आ चुकी हूं। जब हम राज्य सरकार के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यह केन्द्रीय

सरकार का काम है। जब हमने केन्द्रीय सरकार से इसकी सिफारिश की तो हमें एक लाइन का जवाब मिला। मामले की जांच की जा रही है। कृपया हमें बताइए कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाना चाहिए। हम संसद सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल में एस० ए० पी० कम्पनी, ए स्टाक एण्ड कम्पनी, ब्रेथवेट, एम० ए० एम० सी०, कृष्णा ग्लास, लोकनाथ काटन मिल्स, बंगाल पोटरीज, भारत बैटरीज की तरह कई कम्पनियां तथा कई अन्य कम्पनियां और कारखाने रुग्ण हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि इन रुग्ण इकाइयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की नीति नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में, जो कि बहुत भावुक मामले हैं। यदि आप वैकल्पिक प्रबन्ध के रूप में उनके लिए नई परियोजनाओं को तैयार करें या यदि आप कुछ रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ समायोजित करें तो कई लोगों को लाभ होगा और एस० ए० पी० के 2000 मजदूरों की जो आज भुखमरी का सामना कर रहे हैं तथा जो आज बेकार हैं उनकी रक्षा होगी। सी० पी० एम० इन भूखे मजदूरों का शोषण कर रही है तथा उनके दुःखों से राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप उनकी रक्षा के लिए नहीं आते तथा उन्हें आशा की एक किरण नहीं दिखा सकते हैं तब पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों का जो थोड़ा बहुत केन्द्रीय सरकार में आशा और विश्वास है, वह भी खतम हो जाएगा।

महोदया, अब मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में कुछ बातें कहूँगी। मैं जानती हूँ कि 1972 से 1977 तक जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार की तब प्रत्येक क्षेत्र में इन स्वास्थ्य केन्द्रों को आबंटित किया गया था। परन्तु आज अधिकतर इन केन्द्रों की दशा बहुत खराब है। केन्द्र द्वारा 12 एम्बूलेंस की गाड़िया दी गई थी। लेकिन आज वे सब खराब पड़ी हैं। गाँवों के भीतरी भाग में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विष्णुपुर के रखरवाली दमदमा नामक स्थान का दौरा किया था। यह बहुत अन्दर जाकर दूर-दराज का क्षेत्र है। रेलगाड़ी में 3 घन्टे की यात्रा के बाद 20 मील तक पैदल चलना होता है और उसके बाद उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए छोटी नाव से यात्रा करनी पड़ती है। मीलों तक यात्रा करनी पड़ती है और चिकित्सा के अभाव में सड़कों पर ही महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। ग्रामीण महिलाएँ चिकित्सा के अभाव में मर रही हैं। आप इसकी जांच करें। यदि साँप किसी को डसता है तो पीड़ित के पास कोई डाक्टर पहुंच सके, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा की जाती है। ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ कोई सड़क नहीं है। रखखाली दमदमा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पीने का पानी न मिलने के कारण छः लोगों की मृत्यु हो गयी। वहां ट्यूबवेल नहीं है। मैंने प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात कई-कई बार लाई है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको आश्चर्य होगा कि मैं यह सब कुछ क्यों कह रही हूँ ? सी० पी० ए० के मेरे दोस्त चिल्ला रहे हैं। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। यदि वे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे होते तो मैं चुप ही रहती व पीने के पानी की सप्लाई में भी राजनीति ला रहे हैं। केवल सी० पी० एम० के समर्थकों को पानी मिल रहा है परन्तु आम लोगों को पीने के पानी की सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। सी० पी० एम० के मित्रों को चिल्लाने के स्थान पर इसके लिए शर्म आनी चाहिए। उनकी निन्दा की जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उन सभी गांवों में जहां आजादी के 38 वर्ष बाद भी ट्यूबवेल नहीं है। वहाँ तुरन्त ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वामपंथी सरकार द्वारा इस प्रकार का भ्रम बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के गांवों को सुनहरी भूमि में परिवर्तन किया गया है। लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। वास्तव में

उन्होंने इसे दुःखों भरा नर्क यन्त्रणा तथा षड्यन्त्र का केन्द्र बना दिया है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि प्रत्येक गांव में ट्यूबवेलों की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदया, पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। मैं शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो कुछ भी धन की व्यवस्था की जाती है वह अनेक शरणार्थी कालोनियों को नहीं मिलती है। मैं आपसे जांच करने और यह पता लगाने का अनुरोध करती हूं कि किन कालोनियों को धन नहीं दिया गया है, जिसकी केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था की है। एक जांच की जानी चाहिए कि शरणार्थी कालोनियों को धन क्यों नहीं दिया गया है जिसके लिए उसकी व्यवस्था की गई थी। सभापति महोदया मुझे और अधिक समय नहीं दे रही है तथा मैं भी अधिक समय नहीं लेना चाहती हूँ। यदि मैं एक के बाद एक सभी घटनाओं का ब्यौरा दूं तो मुझे कई दिन और रातों की आश्यकता होगी। फिर भी वे पूरी नहीं होंगी। पश्चिम में शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास की दशा बहुत सोचनीय है। मैं आपसे पहल करने और इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने का अनुरोध करती हूँ। राज्य सरकार केवल दूसरों पर आरोप लगा सकती है। लेकिन हम ठोस कार्य चाहते है और रचनात्मक कार्य के लिए मैं आपसे आशा करती हूं कि जो कुछ ध्यान मैंने आज पूरक बजट पर बोलते समय कहा उस पर आप ध्यान दें। तथा स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। यदि आप कृपया करके मेरे सुझावों को स्वीकार करके पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे।

***श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम)** : अध्यक्ष महोदया, अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रकड़गम की ओर से मैं वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांगों के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। महोदया, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अच्छा अवसर दिया।

इन अनुपूरक मांगों के द्वारा, 713.12 करोड़ रुपये के योजना कम एवं 1111.54 करोड़ रुपये को गैर-योजना व्यय के किये इस सम्मिलित सदन की अनुमति मांगी जा रही है। मैं गैर-योजना व्यय में कटौती करने की आवश्यकता पर बल देना चाहूँगा जिससे हम पर मुद्रा स्फीति जनक दबाव कम हो जाये। मैं भारत सरकार के गैर योजना व्यय में चालू वर्ष में 800 करोड़ रुपये की कटौती करने के प्रयत्नों के बारे में कुछ समय पूर्व छपी एक खबर का स्मरण दिलाऊँगा। मुझे बेहिचक कहना चाहिए कि यह एक प्रशंसनीय प्रयत्न है। भारत सरकार ने भी योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गैर-योजना व्यय के मामले पर विचार करने एवं इसको कम करने के लिए मार्गोपाय सुझाने के लिए नियुक्त की थी, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा किये जाने वाले निरर्थक व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति हमेशा भारी व्यय करते रहते हैं। अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के नाम पर एकाधिकारी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक हर माह बाहर जाते हैं और देश की दुर्लभ विदेशी मुद्रा के संसाधनों को दिल खोलकर खर्च करते हैं।

मैं ऐसे निरर्थक व्यय के सम्बन्ध में एक-दो उदाहरण दूंगा। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मोदी उद्योगों के उप-सभापति का पुत्र नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार के आरोप में अमेरिका में पकड़ा गया, और वह 50,000 अमरीकी डालर के मुचलके पर जेल से छोड़ा गया। मुझे आश्चर्य होता है

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कैसे 50,000 अमरीकी डालर की बड़ी रकम इस काम के लिए स्वीकृत कर दी, एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी के बारे में कहा जा रहा है कि वह झूठे लदान-पत्रों द्वारा भारी मात्रा में बाल-बियरिंग का आयात कर रही है और उसे बड़े मुनाफे पर बेच रही है। प्रधान कार्यालय को, जो किसी बाहरी देश में है, विदेशी मुद्रा के रूप में भारी मुनाफा भेज दिया जाता है। महोदय, यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी कम्पनियों के तुलन पत्र पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि एक सेल्समैन का वेतन एवं प्राप्त अन्य सुविधाएं भारत सरकार के सचिव के वेतन एवं उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं से अधिक है। कई प्रबन्ध निदेशक 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक प्रति माह पाते हैं। मेरे एक मित्र जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी में कार्यकारी उप-सभापति है, वार्षिक वेतन के रूप में 1,80,000 रुपया पाते है। बम्बई में उन्हें आवास के किराये के लिए 4000 रुपया प्रति माह अतिरिक्त मिलता है। जब उनके हाथ में इतना अधिक धन होता है तो स्वाभाविक रूप से वे असंयमित व्यय करते हैं जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। मैं 1885-86 के केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत आय पर आय कर की दरों में कमी सम्बन्धी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक व्यय आयोग शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दूंगा। जिन कम्पनियों का निवेश 20 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें आयोग के सम्मुख अपने वार्षिक व्यय का लेखा प्रस्तुत करना चाहिए। इन कम्पनियों द्वारा किए गए निरर्थक फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में व्यय आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को सरकार द्वारा जोरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी सरकार निरन्तर बढ़ने वाली मुद्रास्फीति जनक प्रवृत्तियों का रोकने में सफल होगी।

अब मैं विशेष रूप से मांग संख्या 38—राज्य सरकारों को हस्तान्तरण -- का उल्लेख करूंगा, 1985-86 के केन्द्रीय बजट ने राज्यों को सूखे को छोड़कर अन्य प्राकृतिक विपदाओं के लिए राहत हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस अनुपूरक मांग में 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस उद्देश्य के लिए मांगी जा रही है। तमिलनाडु में प्रकृति के कोप के कारण हुई अभूतपूर्व बर्बादी के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों को अखबारों द्वारा मालूम हो गया होगा। राज्य के तटवर्ती कस्बे, समुद्र की विकराल लहरों द्वारा बर्बाद किए गए हैं। निरन्तर वर्षा से बाढ़ की उफनती हुई लहरों द्वारा जो विनाश कर दिया गया, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भयंकर वर्षा के कारण जो हजारों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं उनमें हजारों घर बर्बाद हो गए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति-पूर्ण नहीं होगा कि तमिलनाडु में अभूतपूर्व वर्षा (क्लाउड बर्स्ट) के कारण जनसाधारण की मुश्किलें कई गुना बढ़ गयी हैं। इसके अतिरिक्त उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके दिलों में पीड़ा की आग है। जब तमिलनाडु में सबसे बड़ी मदुरांतकम झील ने अपने किनारे तोड़ दिए तो पानी तीस फुट ऊंचा उठ गया और मानव जीवन, जानवरों, मकानों और इसके अलावा जो कुछ भी इसके रास्ते में आया, उसको बहुत भारी हानि पहुंचायी। मुख्य रूप से तमिलनाडु के सबसे बड़े लाल, हमारे नेता डा० एम० जी० रामचन्द्रन के उदारतापूर्ण कार्यों से मदुरान्तम् कस्बे के 40,000 लोगों को बाढ़ के कोप से बचाया जा सका। तंजावूर जिले में, जिसे तमिलनाडु के स्वर्णिम कटोरे (गोल्डन बाउल) के रूप में जाना जाता है, खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं। तमिलनाडु की उपजाऊ जमीन में हर जगह पानी ही पानी है। तमिलनाडु की तैयार फसल को साधारण रूप में प्रयुक्त मानकों से नहीं मापा जा सकता। तमिलनाडु में भूमि से प्राप्त कृषि की पैदावार इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है जैसेकि रोज ही नई फसल पैदा हो रही हो। धान के लिए फसलों की गहाई पशुओं द्वारा नहीं की जा सकती। उस काम के लिए केवल हाथियों का ही प्रयोग किया जा सकता है। तमिलनाडु, जो कि इन शब्दों में अपनी कृषि का वर्णन कर गर्व कर सकता है, बाढ़ से बुरी तरह पीड़ित हो रहा है। हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम०

जी० आर० के उदार नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ राहत कार्य को युद्ध स्तर पर प्रारम्भ करने के लिए 200 करोड़ की मांग की है। हमारे गतिशील युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को, जो कि लोगों के दुःख को, चाहे वे किसी भी भाग में रहते हों, दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, तमिलों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए आगे आना चाहिए और तमिलनाडु में राहत कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। महोदया, आपको शायद तमिलनाडु के सात प्राचीन लोकोपकारियों के बारे में मालूम होगा। तमिलनाडु के लोग आशा कर रहे हैं कि हमारे प्रधान मन्त्री तमिलनाडु में बाढ़ राहत कार्य के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति को सुनिश्चित करके बीसवीं सदी के आठवें लोकोपकारी बन जायेंगे।

मैं मांग संख्या 39 का उल्लेख करूंगा जिसके अन्तर्गत गरीब परिवारों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को—जो कि 1985-86 के बजट की नयी समाज कल्याण योजना है—लागू करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि मांगी गयी है। इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र सारे भारत में लागू किया जाना चाहिए। कृषि श्रमिकों को भी इस योजना की परिधि में लाया जाना चाहिए।

मांग नं० 58 के अन्तर्गत चुने हुए पिछड़े इलाकों में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों के लिए सरकारी सहायता के प्रावधान में बढ़ोत्तरी करने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। हालांकि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि देश में लघु स्तर के उद्योगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु में सैकड़ों लघु स्तर की इकाइयां रुग्ण हैं। धन की कमी के कारण वे रुग्ण हो गयी हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे तमिलनाडु की इन रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए धन प्रदान करें।

समाप्त करने से पहले मैं आंग्ल-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल पांडिचेरी के हजारों श्रमिकों की कृतज्ञता सदन तक पहुंचाना चाहता हूं जिसके राष्ट्रीयकरण के लिए पांडिचेरी शासन को 12 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदया, मैं अपने आपको नीति सम्बन्धी कुछ ही मुद्दों तक सीमित रखूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मन्त्री की कई आशाएं पूरी हो गयी हैं और यद्यपि करारोपण की दरों में कमी कर दी गयी है उनसे प्राप्त राजस्व बढ़ गया है जैसाकि बहुत से अर्थशास्त्रियों ने आशा की थी।

लेकिन साथ ही मैं अपने माननीय मित्र वित्त मन्त्री और सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि वे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में तथाकथित वृद्धि से डरें नहीं। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना, हमारे जैसे देश में 'जहां घाटे की अर्थव्यवस्था हो, बिल्कुल स्वाभाविक है' घाटे की अर्थव्यवस्था भी एक विकासशील देश में स्वाभाविक है। सम्पन्न देशों के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था से लड़ना बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था हमेशा से ही फलती-फूलती आई है और इसलिए उनकी करारोपण प्रणाली अतिरिक्त धन पैदा कर सकती है। लेकिन एक विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसी कि हमारी अपनी है, में राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन की बहुत बड़ी जरूरत है। प्राकृतिक आपदायें होती हैं। उनके लिए केन्द्र से इतनी अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। केन्द्र उसका मांग का 1/10 भी देने में अपने को समर्थ नहीं पाता। इस के कारण काफी असन्तोष है। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार को शिकायत रहती है कि राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली से अधिकाधिक धन के लिए मांग करती रहती हैं। इसलिए वे ओवरड्राफ्ट करती चली जाती हैं। इस सबसे हम कैसे बाहर निकलें? इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, घाटे की अर्थव्यवस्था, राज्य सरकारें किसी भी

सीमा तक घाटे की अर्थव्यस्था का सहारा नहीं ले सकतीं। लेकिन केन्द्र ऐसा कर सकता है। लेकिन इस घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सीमा है। इसी बात पर मैं अपनी सरकार को इस घाटे की अर्थव्यवस्था पर यथासम्भव रोक लगाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, ऐसा करने का एक तरीका है प्रशासन में मितव्यतता लाना।

लम्बे समय से हम एक व्यय-आयोग की माँग करते आ रहे है। मुझे खुशी है कि अब सरकार ने ऐसी समिति की नियुक्ति कर दी है। इससे अधिक अच्छी बात यह है कि इस वर्ष उन्होंने अरबों रुपये की बचत की है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे कई विकास योजनाओं के लिए, इस तरह की गयी मितव्ययता से, धन जुटाने में सफल हो पाई हैं। लेकिन अवश्य ही, इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। उदाहरणार्थ डाक विभाग को तथा बहुत से अन्य विभागों को लीजिए। उनमें जो मितव्ययता लाई गयी है उसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और वे असन्तुष्ट हो गए हैं और हम सभी पर दबाव है। लेकिन हम इन कष्टों से और समस्याओं से नहीं बच सकते। हमें प्रशासनिक मितव्ययता करनी ही होगी, और मुझे खुशी है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने लगी है। कुछ समाचार पत्र कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह रहे हैं बजट पेश होने के एक माह बाद उन्होंने बड़ा हो हल्ला किया और वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं, ये कीमतें किस दिशा में ऊपर जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं सदन के विभिन्न वर्गों में से कई सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व शिकायत की थी कि कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत गिर रही हैं। अब देखिये कृषक हमारे देश की जनता का बहुसंख्यक भाग है। यदि वे कीमतें कम हो जायें तो प्रेस उसके बारे में चुप्पी साधे रखता है, जब कृषकों को न्यूनतम कीमतें भी नहीं मिल पाती तो भी प्रेस चुप रहता है। लेकिन जैसे ही खाना पकाने के तेल की कीमतें कहीं ऊँची हो जाती हैं, क्योंकि खाना पकाने का तेल, सब्जियां, फल और जो कुछ भी ऐसा है, शहरों में धनी लोग कस्बों में शिक्षित लोग इनका उपयोग करते हैं; तो समाचार पत्र इसके विषय में जोर-शोर से चिल्लाते हैं; वे बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर कृषकों का क्या होगा? क्या एक घाटे की अर्थव्यवस्था में,' हमारे जैसे एक विकासशील देश में कीमतें नहीं बढ़ेंगी? कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, बस, सरकार को केवल इतना देखना है कि कीमतें बहुत तेजी से न बढ़ें और बहुत अधिक न बढ़ें क्योंकि उस हालत में गरीब लोगों को कष्ट होगा। लेकिन धनी लोगों को कृषि उत्पादों के किए ऊँची कीमतें देनी ही होंगी, हमें धनी लोगों को पैसा देने के लिए क्यों कहना चाहिए?

5.00 म० प०

देश में हमेशा हर जगह यह शिकायत होती रही है कि धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं लेकिन धनी लोगों के धन में ज्यामितीय अनुपात से वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? हम उन पर कर लगा सकते हैं, जब हम उन पर कर लगाते हैं तो वे उससे बचते हैं; अतः आयकर कम किया जा रहा है और, सभी अन्य कर, प्रत्यक्ष कर भी कम किये जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है, फिर इतना अधिक कर अपवंचन भी होता है, तब और क्या तरीका है जिसके द्वारा आप उन तक पहुँच सकते हैं? आप उन पर मुद्रा स्फीति द्वारा पहुँच सकते हैं नियंत्रित मुद्रा-फीति द्वारा पहुँच सकते हैं, और नियन्त्रित मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप उनकी जमा पूंजी, जो कि ी रे भारत में सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये के बराबर है, का मूल्य एक अप्रत्यक्ष तरीके से कम किया जा ता है, इस प्रणाली द्वारा धनी लोगों से धन का हस्तांतरण बाकी जनता में किया जा सकता है और ीमतों में वृद्धि द्वारा प्राप्त किया जा रहा है जिसको मुद्रास्फीति के नाम से जाना जा सकता है, ीति के भी दो पक्ष हैं। एक तो होती है कीमतों में वृद्धि के कारण, दूसरी होतीहै काला बाजारी

के कारण। आप यह काला-बाजारी को कैसे दूर करेंगे ? वर्तमान सरकार इस से वाकिफ है, मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। इसको दूर करने में मैं उनके लिए हर-सम्भव सफलता मिले इसकी कामना करता हूँ, मैं नहीं समझता कि वे इस को पूरी तरह रोक सकते हैं।

मैं कृषि उत्पादों की कीमतों के बढ़ाये जाने की एक बार फिर वकालत करना चाहूँगा, किस सीमा तक कीमतें बढ़ाई जायें ? कम से-कम उस सीमा तक, जहाँ न्यूनतम कीमत स्तर ऐसा हो जिससे उनके खर्चे निकल आयें, जिसे आप कृषि की लागत कहते हैं। और साथ ही जोखिम भी, और उसके अतिरिक्त, एक निश्चित मात्रा में मुनाफा नहीं, एक निश्चित मात्रा में वित्तीय प्रतिफल (return) मिलना चाहिए जिससे उनके न्यूनतम खर्चे निकल सकें, यह नहीं किया जा रहा है और सरकार का इसके बाद अपना विशेष ध्यान इस दिशा में देना चाहिए।

5.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके बाद मैं प्रशासन में बचत के प्रश्न पर आता हूँ। यह एक बहुत अच्छी बात है और यह एक उपलब्धि है, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे इस प्रक्रिया को जारी रखें। कुछ समाचार पत्र यह मांग करते रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर एवं दूसरे कर-भारों को कृषकों पर भी लगाया जाय, मैं प्रेस एवं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि कृषक बाकी लोगों की तुलना में अपवाद नहीं हैं; बाकी सारे लोगों के साथ वे भी दूसरे सभी उत्पाद-कर देते हैं, और फिर आयात-शुल्क भी वे चुकाते हैं, इसलिए मैं कोई कारण नहीं देखता कि उन पर विशेष रूप कर क्यों लगाया जाय। और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वे सिंचाई के लिए जल कर, जल-निकासी कर और भूमि-का लगान भी चुका रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि उन पर और अधिक कर लगाया जाय तो यह अन्याय होगा।

इसके अतिरिक्त, एक ऐसी गलत धारणा है कि कृषकों में कुछ बड़े भू-स्वामी हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि आज अधिकतम सीमा कानून बना हुआ है। यह लागू किया गया है, यह कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे कुछ ही लोग बच सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं उन्हें अधिकतम सीमा से कम की जोतों ही रखनी होंगी। उन्हें इससे कितना लाभ मिलेगा ? यदि कुछ बागानों की बात छोड़ दें तो एक कृषक जिसके पास अधिकतम सीमा के भीतर अधिकतम जमीन है, के मुकाबले किसी भी बैंक कर्मचारी के नौकर को कहीं अधिक पैसा मिलता है। क्या हम उनकी सामाजिक हैसियत से ईर्ष्या करें ? यदि उनकी अच्छी हैसियत है तो इसलिए नहीं कि उनकी आय अधिक है या ऐसी और कोई बात है, बल्कि इसलिए कि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हैं, वे निजी-रोजगार में लगे लोग हैं, वे मजदूरी कमाने वाले नहीं है। वे किसी के भी नौकर नहीं हैं। उन्हें अपने छोटे फार्म के प्रबन्ध में किसी को साझेदार बनाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण उनमें आत्म सम्मान है, वास्तव में निश्चय ही यह रूचि है कि आज गाँवों में उनका रहने का स्तर सर्वाधिक धनियों के जैसा नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती जमींदारों के उत्तराधिकारी या ऐसे ही कुछ नहीं है। बाकी कृषकों का रहने का स्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्तर से भी बहुत नीचा है, गाँवों में एक यही लाभ उन्हें होता है कि वे भारी गृह को मुक्त हैं। आवास निः शुल्क है; जबकि कस्बों में मकान के लिए ऊँचे किराये चुकाते हैं। केवल यही न के लाभ उन्हें है।

बाहर

सी भी

दूसरा लाभ यह है कि वे इतना अधिक नहीं पीते जितना ये लोग पीते हैं चाहे वह काफी हो या अल्कोहाल हो या कोई ठंडा पेय हो। इस प्रकार वे अपना स्वास्थ्य बनाये रख पाते हैं हालांकि उन्हें निम्न जीवन-स्तर रखना पड़ता है और वे स्वतन्त्र लोगों के रूप में अपने क्रिया कलाप जारी रखते हैं।

अब मैं एक चीज की हिमायत करना चाहूंगा, मैं ऐसा कई वर्षों से करता आ रहा हूँ, केवल यही काफी नहीं है कि केन्द्र सरकार राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं और उसके परिणामों की समस्या से निबटने के लिए कुछ अनुदान दे दें, समय आ चुका है कि हमारे पास अखिल राष्ट्रीय स्थायी कोष हो यह एक आवर्ती कोष होना चाहिए। एक वर्ष हमें अधिक खर्च करना पड़ सकता है और दूसरे वर्ष हमें कम खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन हमें प्रत्येक वर्ष अपने कुल कर-राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत इस प्राकृतिक आपदा आवर्ती बीमा कोष में डालना चाहिए और इसमें किसी विश्व कोष से भी धन लेकर वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन इससे सभी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक उलझनें पैदा हो सकती हैं। यद्यपि मैं इसका सुझाव देता रहा हूं, तो भी मैं तुरन्त ही इसकी स्थापना के लिए जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं प्राकृतिक अपदाओं के विरुद्ध एक राष्ट्रीय आवर्ती कोष चाहता हूँ।

द्रमुक या अन्ना द्रमुक से सम्बन्धित मेरे माननीय मित्र ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, यह पहले ही हमारे बजट सुझावों में है। मेरा मतलब व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कोष से है, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई यह एक शानदार योजना है, मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे लोग विशेषकर, कृषि श्रमिक, और औद्योगिक श्रमिक भी, विशेषकर वे लोग जो किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में नहीं लगे हैं लेकिन जो कस्बों और ग्रामों में विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कोष में से उचित पैसा देकर उनकी परेशानियों-कष्टों से बचाया जा सके।

इसके बाद मैं, उचित दर की दुकानों के विषय में कुछ शब्द कहूँगा, यह सच है कि वे सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन वे कुछ अच्छा कार्य भी कर रही हैं। उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और फिर उतनी ही संख्या में गांव और शहरों में सहकारी समितियों का संगठन करके इन उचित दर की दुकानों के प्रयत्नों में योगदान दिया जाना चाहिए। यह काफी नहीं है कि सरकार लोगों की प्रतीक्षा करे कि वे अपने को सहकारी समितियों के रूप में संगठित करें। सरकार को भी हाथ बंटाना चाहिए और लोगों को सहकारी समितियों के रूप में अपने को संगठित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन समितियों को राजसहायता प्राप्त वस्तुएं, जैसे खाद्य वस्तुएं, तेल, कपड़ा तथा अन्य बहुत सी चीजें उपलब्ध करायी जा सकती हैं। चलती फिरती दुकानें भी होनी चाहिए। अब तक उन्होंने इनकी स्थापना नहीं की है, इसके लिए उनके पास आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध आदि नहीं हैं, जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम अपने लोगों की मुद्रस्फीति एवं बढ़ती कीमतों के बुरे प्रभावों से सुरक्षा दे नहीं सकते। अतः यदि हम इन गरीब लोगों की इस प्रकार देखभाल करें तो घाटे का बजट, मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों की स्थिति होने पर भी, हमें दुःखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे नियन्त्रण में रहें।

मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार यह करने का प्रयत्न कर रही है और मुझे इस बात की भी संतोषी है कि उसके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों से कुछ हद तक सफलता मिली है।

राज्य सरकारों द्वारा स्थापित उद्यम बोझ बन गए हैं। वे हमारे बहुत से प्राकृतिक संसाधन बेकार कर रहे हैं। केवल राज्यों द्वारा स्थापित उद्यम ही ऐसे नहीं हैं। ये हजारों मिलें क्यों रुग्ण हुई ?

इसका कारण यह है कि ये पूंजीपति भी राज्य सरकारों द्वारा स्थापित उद्यमों के प्रबन्धकों की भांति गैर-जिम्मेदार हो गए हैं। हमारी सरकार को समाज के इन दोनों तत्वों का दृढ़ता से सामना करने और उन पर नियन्त्रण करने के उपाय करने होंगे ।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि मेरे माननीय सहयोगी, राज्य मन्त्री श्री पुजारी जी निर्धन लोगों को अपना काम आरम्भ करने के लिए बैंकों से ऋण दिला रहे हैं। यह ऋण उद्यमियों को भी दिया जा रहा है। उनका यह करना सराहनीय है। अधिकांश बैंकों के प्रबन्धक सहयोग नहीं करते है । उनके अधिकांश कर्मचारी भी अधिक सहयोग नहीं करते। लेकिन मन्त्री जी उन्हें सचेत करके अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हैं और यह आशा सुनिश्चित कर रहे है कि हमारे देश के निर्धन लोगों को, जो अपने ऋण की गारन्टी देने में असमर्थ हैं और जो कोई प्रतिभूति नहीं दे सकते, ब्याज की बहुत कम दरों पर ऋण मिले। बड़ी संख्या में लोग उस पैसे का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अतः बैंक यह शोर मचा रहे हैं कि इस तरह से अरबों रुपए वसूल नहीं हो रहे हैं । वस्तुतः यह अमीर लोगों से पैसा लेने का तरीका है ।

बैंक कर्मचारियों को सबसे अधिक तनख्वाह मिलती है । बैंक यथासंभव ऋण प्राप्त कर यथा-संभव लाभ कमाते हैं। वह सारा पैसा किसके पास जाता है । यह सारा धन बहुत धनी लोगों और उनके शेयरधारियों की जेबों में जाता है। इन्दिरा जी की व्यावहारिक राजनीतिज्ञता के कारण वे बैंक राष्ट्रीयकृत हुए और वह पैसा बैंक में है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस धन का 50 प्रतिशत तक बैंकों के पास है। श्री पुजारी जी बैंक प्रशासकों को यह इस बात के लिए राजी करने और यह सुनिश्चित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश के अत्यन्त निर्धन लोगों को अपना काम नियोजित आरम्भ करने के लिए उनकी सहायता की जाए। सब्जी विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों, दर्जियों, डेरी में काम करने वालों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, फल विक्रेताओं आदि को बैंकों से ऋण दिया जा रहा है।

यदि अन्य केन्द्रीय मन्त्री और राज्यों के मन्त्री मेरे माननीय सहयोगी की भांति अलोकप्रिय होने का जोखिम उठा कर इतनी ही कुशलता, उत्साह और शान्त भाव से प्रयास किया होता तो विकास सम्बन्धी इन योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग सम्बन्धी जो शिकायतें मिल रही हैं उनसे बचा जा सकता है।

अब मैं सभी लोक कर्मकारों जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, से एक अपील करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। हम जितनी ईमानदारी से काम कर सकते हैं, उतनी ईमानदारी से काम करके शेष जनता के सामने एक उदाहरण रखें विशेषकर उन करोड़ों लोगों के समक्ष जो 'व्यापार में लगें हैं और फिर उन लोगों से यह अपेक्षा करें कि वे भी ईमानदार बने, मितव्ययी बने और निः-स्वार्थ भाव से काम करें।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सप्लीमेंट्री डिमांडस सदन में रखी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूं। मान्यवर जैसा मेरे से पूर्व वक्ता सम्मानीय और श्रद्धेय श्री रंगा जी ने बतलाया कि मौजूदा ट्रेड डेफीसिट बजट का है और वह डैफिसिट बजट केन्द्र और स्टेट्स दोनों में है। बजट का सन्तुलन, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को ध्यान में रखकर के, इस बैलेंस को कायम रखना ही माननीय वित्त मन्त्री जी का प्रथम और मुख्य कर्त्तव्य है। 1985-86 के बजट को प्रस्तुत करते हुए जैसा माननीय वित्त मन्त्री

जी ने कहा था कि हमारे पास अपने बजट को सक्षम बनाने के लिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम विदेश से ऋण नहीं ले सकते हैं और हमारी जो आन्तरिक बोरोइंग है, उधार लेने की हमारी जो ताकत है उसको भी हम अधिक बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तथा नॉन प्लान के बजट का 70 प्रतिशत डिफेंस, पेमेंट आफ इन्टरेस्ट और जो हमारी फर्टिलाइजर और फूड की सबसिडी है, उनके पेमेंट में जाता है, केन्द्रीय सरकार एक बहुत बड़ा हिस्सा नान-प्लान स्कीडीचर का 70 प्रतिशत केवल 3 आइटम पर खर्च करती है और बाकी 30 परसेंट हमारी एमिनिटीज सोशल एसेन्शियल और स्टेट को जो ग्रान्टस दी जाती है, उस पर खर्च करती है । इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीट के स्रोत हैं, उनको बढ़ावा देने में हमारे वित्त मन्त्री जी कहां तक सक्षम हुए ?

सबसे प्रथम आवश्यकता यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेन्स है, उसको बढ़ायें । हमारा इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े । इससे बहुत ही शाश्वत तरीके से, नियन्त्रित तरीके से इनकम का स्रोत जैनरेट होता है । इससे हमारे केन्द्रीय बजट को इनकम प्राप्त होती है और वह हमेशा के लिए हमारे बजट को सहायता प्रदान करती है । इसके साथ ही हमारे जो आवश्यक इम्पोर्ट हैं, उन पर ही सीमित रहकर, अनावश्यक इम्पोर्ट जिससे व्यक्ति को लाभ होता है, उसको हम कम करें ।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया था, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कि 750 रुपए प्रतिमाह की सैलरी की सीलिंग को बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमाह तक बोनस देंगे और उसकी घोषणा उन्होंने सदन में की और इस तरह से कर्मचारियों को जो आपने सुविधा दी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ ।

इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे फूडग्रेन्स और एडिब आयल की नीति को भी दोबारा देखा है । 6 महीने बाद आपने इसका रिव्यू किया है और विदेश से जो हम रेपसीड या पाम-आयल या दूसरे एडिबल आयल्स मंगा रहे थे जिनका कांट्रेक्ट भी समाप्त होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि जैसा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने यहां पर कहा था कि उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि मस्टर्ड की जो कीमत या रेपसीड की कीमत 375 रुपये रैमुनेटिव प्राइस पर दी थी उसको अब 385 रुपए घोषित की है । उसके साथ ही पाम आयल और रेप-सीड आयल मंगाने के लिए भी आगे आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है । इससे यहां पर उत्पादन करने वाले किसान को प्रोत्साहन मिलेगा कि वह अपने एडिबल आयल्स की उपज ज्यादा बढ़ाये ।

इसके साथ ही आपने बैजिटेबिल आयल में मस्टर्ड आयल का 10 प्रतिशत शामिल करने की जो घोषणा की है, उससे भी किसान को रबी की फसल बोते समय एक नया प्रोत्साहन मिला है, और यह प्रसन्नता की बात है ।

आपने 1985-86 में शुगर-केन की प्राइस जो साढ़े 14 रुपये 50 पैसा क्विंटल थी, उसे साढ़े 16 रुपए किया है, यह भी अपने आप में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कदम हैं । आगामी वर्ष 1986-87 के लिए आपने इसे 17 रुपये क्विंटल करने की घोषणा की है, उससे भी किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, इन्सेंटिव मिलेगा ।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके दूसरे गुड्ज इन्टरनेशल मार्केट में हैं,

उनमें बहुत बड़ा कम्पीटीशन है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऐसी हैं, वैजिटेबल, फ्रूट्स, फूडग्रेन्स, राइस, शुगर, काफी, टी और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है कैशनट्स वगैरह, उनको बेचकर भी ज्यादा से ज्यादा फारेन-एक्सचेंज कमा सकते हैं। इनके लिए जब तक आप अलग से एक्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक नियमित रूप से यह आमदनी नहीं हो सकेगी। जो आप कंजूअल तरीके से व्हीट और राइस बाहर भेजते हैं, इस साल आपने 5 मिलियन टन व्हीट रशिया को भेजा है, 1 लाख टन गेहूं रोमानिया को दिया है, 1 लाख टन गेहूं अमरिकन कन्ट्रीज को दिया है, लेकिन जब तक इसकी निश्चित नीति नहीं बनायेंगे तब तक काम नहीं चल सकेगा।

आपके पास 29 मिलियन टन व्हीट का बफर स्टाक है, उसे आप कह रहे हैं कि डेढ़ रुपए किलो से फेयर प्राइस शाप्स, फूड फार वर्क प्रोग्राम के अन्तर्गत देंगे। मतलब यह है कि बफर स्टाक को आप कम करना चाहते हैं ताकि आने वाली फसल पर रैमुनरेटिव प्राइस पर आप किसान से फसल खरीद सकें। प्रश्न यह है कि इस गेहूं को अगर फारेन-एक्सचेंज के माध्यम से आप एक्सपोर्ट करें तो फारेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको एक लांग टर्म पालिसी बनाने की आवश्यकता है, जो आपको बनानी चाहिए, अभी तक आपने नहीं बनाई है।

सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो हम सदन में मांग करते आये हैं कि आप एग्रीकल्चर को इन्डस्ट्री घोषित कीजिए और उसके बाद नैसेसरीली जिसकी आवश्यकता देश में नहीं है, उनको आप बाहर भेजिए। यह जरूरी नहीं कि यहां के इन्सान एपैल्स खायें या माल्टा खायें। यदि आप फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं तो उन्हें बाहर भेजना चाहिए।

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में पिछले छः महीने में आपका दो हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है अर्थात दो हजार करोड़ का इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। यह अपने आप में व्यापारिकता असंतुलन है। यह बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए सोचने की आवश्यकता है। आपका इम्पोर्ट भी वीडिओं कैसेट और दूसरी लग्जरी आइटम्स में है। दूसरा आपने जो आइटम्स शामिल किए हैं वह आइटम लग्जरी आइटम्स में आते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल करना होगा। आपने अपनी आयात नीति को उदारवादी बनाया है। आपका मकसद केवल यह था कि हम केवल नैससरी आइटम्स जैसे आवश्यक मशीनों के लिए इम्पोर्ट एलाऊ करेंगे जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जो कि देश में मिलती है, उनकी किफायत न कर अन्य देशों से मंगा कर इम्पोर्ट करते हैं। चूंकि व्यापारी नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए उसके ऊपर आपको दुबारा से गौर करना चाहिए।

आपने बजट में आश्वासन दिया था कि जिन कमोडिटिज को हमें बाहर से मंगाते हैं और अगर उनके बिना काम चल सकता है तो उनको हम बाहर से नहीं मंगायेंगे। इसके लिए आपने कौन सी आइटम्स को चुना है कि इनको हम मंगायेंगे और इनको नहीं मंगायेंगे। जब से अधिक आइटम्स ओ० जी० एल० में रखी हैं तब से इम्पोर्ट बढ़ा है और इम्पोर्ट बढ़ने के बाद व्यापारी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको देखने की आवश्यकता है। इम्पोर्ट पालिसी पर गौर करना होगा क्योंकि इंपोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा सोना विदेशों में जाता है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बजट में आश्वासन दिया था कि रेवेन्यू रिकवरी बढ़ेगी वह बढ़ी है और जो एस्टीमेट 1985-86 के बजट में दिया था, उससे रिकवरी कहीं ज्यादा है। उस रिकवरी का प्रतिशत 22 से 27 तक है। रिकवरी के माध्यम से जो पैसा प्राप्त हुआ है उससे आपके बजट में आय बढ़ेगी। यह एक अच्छा कदम है। डायरेक्ट टेक्सिज की उदारवादी नीति के कारण भी यह सम्भव हो सका है।

आपने इंडस्ट्रियल डी-लाइसेंसिंग पालिसी में जो कदम उठाये हैं उनसे कुल 700 प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने से अब तक लग सके हैं। इससे दो हजार करोड़ रुपये का इनवैस्टमेंट सम्भव हो सका है। इसी तरह पिछले 7 महीने में आपने लाइसेंस सेक्टर में 918 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है। फारेन कोलैबरेशन से लगने वाली जो इंडस्ट्री हैं, जिनमें मल्टी नेशनल भी हैं, उनकी संख्या 440 है और 13 एम०आर०टी०पी० कम्पनियों की स्थापना हुई है जिन के द्वारा 6 हजार करोड़ रुपये का इनवैस्टमेंट हो सका। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन अभी तक जो इंडस्ट्रीयल प्रोडेक्शन है जो एस्टीमेट किया गया कि 8 परसेंट होना चाहिए और जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 6 परसेंट हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी और जो प्लान का टारगेट था उससे नीचे है। इसी तरह पिछले 15 सालों में हमारी एवरेज इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन 6 प्रतिशत होनी चाहिए, वह साढ़े चार परसेंट है। हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं कि इन पिछले 7 महीनों में यानि एक अप्रैल से आज तक इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन 8 से कम है। इतने लाइसेंस देने के बाद भी हम अभी तक अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन को नहीं बढ़ा सके हैं। इससे इनकम जैनरेशन जो आपने 6 प्रतिशत माना है, वह सम्भव नहीं हो सकेगा। इन दोनों का रेशियो है 8 और 6 का। जब आपका 8 परसेंट हो नहीं हुआ तो इनकम जेनरेशन भी 6 परसेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से राष्ट्र की इनकम का सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में पहले वर्ष का जो असेसमेंट है उस असेसमेंट पर हम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को किस तरह से आगे आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं इसको हम देखें और बढ़ाएं और किस तरह से एक्सपोर्ट को आने वाले समय में हम बढ़ाएं, यह भी हम देखें।

इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर को भी कम करना बहुत जरूरी है और उसको कम करना चाहिए। जब तक यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर कम नहीं होगा तब तक हमारा नान-प्लान का जो पैसा है उसमें जो करीब करीब हर स्टेट का जो डेफिसिट बजट चलरहा है उस डेफिसिट को दूर करने में हमें कामयाबी नहीं मिल सकेगी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अभी आपने एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मे मार्जिन मनी जो रखा है उस एमाउंट से नेचुरल कैलेमिटीज का मुकाबिला नहीं किया जा सकता। लगातार जिस स्टेट के 27 जिलों में से पूरे 27 के 27 जिलों में ड्राउट हो, पीने के पानी की समस्या हो, कैटिल फाडर की समस्या हो, मवेशियों को वे कैसे जिन्दा रखें, इसकी उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो, इसको मीट आउट करने के लिए पहले शुरू में आप मार्जिन मनी देते हैं, उसके बाद में 5 परसेंट जो आपने तखमीना बना रखा है उसके आधार पर चलते हैं, उस आपके तखमीने से चला जाएगा तो अकाल का मुकाबिला करने में ऐसी स्टेट जिसका डेफिसिट बजट हो वह कितनी कामयाबी हासिल कर सकेगी, यह अपने आप में सन्देह लिए हुए हैं। इसलिए इस में लिबरल तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज को फेस करने के लिए अधिक से अधिक धन दें और राजस्थान सरकार ने इस के लिए जो 500 करोड़ रुपये की मांग की है और उस 500 करोड़ रुपये के लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट भेजे हैं, फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए और इस तरह के भी वर्क्स के लिए जो परमानेन्ट नेचर आफ पब्लिक यूटिलिटी के हैं, उन को आप स्वीकृति दें। इस के साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसी स्टेट्स के लिए जहां पर कि फेमिन अपने आप में एक इंसीडेंट बना हुआ है, नेचुरल तरीके से रेकर होता है, उस के लिए आप बजट में निश्चित रूप से ऐसा प्रावधान कर के चलें जिससे वे लोग उसका मुकाबिला कर सकें। राजस्थान स्टेट चूंकि एक बोर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के बोर्डर पर है, वहां जब ऐसी स्थिति

उत्पन्न होती है तो वहां के लोग वहां से हटने लग जाते हैं। तो सामरिक महत्व की दृष्टि से भी आप को इस के बारे में सोचना चाहिए कि वहां कि आबादी वहीं रहे। उस के लिए उन को पीने के पानी की, मवेशियों के चारे की और आदमियों के लिए खाद्यपदार्थों की सुविधा अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी आप दें जिस से वह पापुलेशन वहीं पर रुकी रहे और अकाल का मुकाबिला राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि अपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं यहाँ माननीय वित्त मन्त्री द्वारा सदनके समक्ष रखी गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों, विशेष रूप मे कृषि मन्त्रालय, गृह मंत्रालय तथा विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं शिरोमणि अकाली दल (संसदीय दल) की ओर से कई कारणों से इसका विरोध कर रहा हूँ और इसका मुख्य कारण यह है कि इन मन्त्रालयों ने इस सभा में समय-समय पर किए गए वायदों और सदन से बाहर जनता को दिए गए आश्वासनों और संधि-वार्त्ताओं के दौरान दिए गए बचनों को पूरा नहीं किया है। मैं इस गरिमामयी सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि गृह मन्त्रालय में एक खास तंत्र, नौकर शाह तंत्र ने पंजाब समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करके और मैथ्यू आयोग के निदेशपदों को नया आयाम आदि देकर कई गलत काम किए है। सब जानते हैं कि समूचे देश को और विशेष रूप से पंजाब को 3-4 वर्षों तक मानसिक तनाव सहने पड़े और उसके बाद यह समझौता हुआ यह एक पवित्र दस्तावेज है क्योंकि यह इस सभा में स्वीकार किया गया था और यह समझौता शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोगोंवाल और प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के बीच हुआ था। मेरा यह कहना गलत न होगा कि इस समझौते पर सन्त हरचंद सिंह लोंगोवाल ने अपने खून से हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता इस आशा से किया गया था कि इससे एक नए युग की शुरूआत होगी और इससे पंजाबियों के घाव भरेंगे और ऐसा करके देश में अखंडता, एकता और शांति बनाए रखने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया।

माननीय सदस्यों ने यह पढ़ा होगा कि मैथ्यू आयोग के निर्देशपदों में एक नया खण्ड जोड़ा गया है और उस "अन्य कारक" खण्ड के अन्तर्गत अन्य बातें आयोगक स्वविवेक पर छोड़ दी गई हैं "अन्य कारक" का व्यापक अर्थ हो सकता है। इस समझौते का सार-तत्व समझौते के खण्ड 7.2 में बताया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को मिलना था और चंडीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र पड़ोसी राज्य हरियाणा को मिलने थे, और एकता तथा भाषायी संबद्धता, गांव को एक इकाई मानते हुए, को इस निर्धारण का आधार माना जाना था। ऐसे क्षेत्र निर्धारण के तीन मुख्य मुद्दे माने गए थे। लेकिन जिस समय मैथ्यू आयोग के निदेशपदों को बनाया गया था, उसमें एक नया आयाम जोड़ दिया गया। कृपया मुझे गृह मन्त्रालय के निदेश पदों को पढ़ने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उद्धृत करने की बजाय, कृपाया तथ्य बता दीजिए।

श्री मेवा सिंह गिल : महोदय, इस समझौते की सीमा को तोड़ते हुए एक नया खण्ड जोड़ा गया था और वह इस प्रकार है :

"आयोग अन्य कारकों पर भी विचार कर सकता है, जो यह उचित समझे।"

अन्य बातों का जिक्र समझौते में नहीं था और न ही समझौता करने वालों ने यह निर्णय किया था कि आयोग को ऐसे अधिकार दिए जाएंगे कि वह स्वविवेक से उन अन्य बातों पर विचार

करे जो वह उचित समझे और जिस तरीके से उचित समझे, करे। समझौते की शर्तों में ऐसा नहीं कहा गया था।

जब हम संधिवार्त्ता में बैठे तब हमारे घाव ताजा थे। हमने जिनसे बात की उनके कपड़ों पर अभी भी खून के धब्बे थे और उनकी पीठ पर छुरियां लटक रही थीं। हम संधि-वार्त्ता में उन लोगों के साथ बैठे जो हमें देश द्रोही कह रहे थे, वे इस बात को भूल गए कि इस देश के स्वततंत्रता संग्राम में हमने क्या योगदान किया, सैकड़ों वर्षों से हम इस दिशा में क्या योगदान देते रहे। हमने इस देश की रक्षा में योगदान दिया और घुसपैठियों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे। हजारों लाखों सिखों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। वे भूल गए कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उस संघर्ष में सबसे आगे रहे। करतार सिंह सराभा, शहीद भगत सिंह, अक्षम सिंह और अन्य हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई, जेलों में भेजा गया और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया क्योंकि वे इस देश को स्वतन्त्र कराना चाहते थे। इन सब बातों को भुलाकर उन्होंने हमें देशद्रोही कहा। हम उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने यह बात भुलाकर हमें आतंकवादी कहा कि इस देश की जमीन का हर कतरा हमारा है और हमारी देह इस देश के लिए है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में शांति बनी रहे, यहां की अखंडता और एकता की रक्षा की जानी चाहिए। हमने इन सब बातों को बर्दाश्त किया। उसके फलस्वरूप, यह पवित्र दस्तावेज बना, जिसे 'पंजाब समझौता' नाम दिया गया। लेकिन अब मैथ्यू आयोग इस नए कारण पर विचार करने जा रहा है क्योंकि उसे इस बात की अनुमति दी गई है कि वह जो चाहे कर सकता है। माननीय प्रधानमन्त्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया। उन्होंने संभवत: 12 अक्तूबर को सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य में यह कहा कि यह प्रारूप सम्बन्धी भूल है। इस सम्बन्ध में मैं 'पंजाब ट्रिब्यून' से कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूँ :

> "पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रीय दावों पर विचार करने के लिए गठित मैथ्यू आयोग के निर्देश पदों में जो प्रारूप सम्बन्धी भूल हुई है उसे राजीव गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
>
> प्रेस क्लब में आयोजित औपचारिक बैठक के दौरान प्रधानमन्त्री ने कहा कि उनकी सरकार की पंजाब समझौते में जो शर्तें हैं उनमें परिवर्तन करने की कोई मंशा नहीं थी, जैसाकि अकालियों ने आरोप लगाया है।
>
> तथापि उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस (आई) सरकार का कोई भी सदस्य आयोग के निर्देश पदों के 'आपत्तिजनक खंड' का लाभ नहीं उठायेगा।
>
> प्रादेशिक दावों का निर्धारण करते समय भाषा, सानिद्धयता, और गांवों को एक इकाई मानने के अलावा 'अन्य बातों' पर अकालियों ने आपत्ति की थी।
>
> श्री गांधी ने कहा कि उनकी सरकार उग्रवादियों·····आदि के विरुद्ध लंबित मामलों की समीक्षा करेगी।"

प्रधान मन्त्री द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए गृह मन्त्रालय से यह अनुरोध किया गया था कि वह मैथ्यू आयोग के निर्देश पदों में संशोधन करे और 'अन्य कारक' वाले खण्ड को हटा दे। किन्तु शिरोमणि अकाली दल, पंजाब, पंजाब की जनता और पंजाब सरकार द्वारा कई बार अनुरोध किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह

सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटनाएं इस तरह से हो रही हैं कि पंजाब को पुनः उस स्थिति में धकेला जा रहा है जिसमे 3-4 वर्षों तक अशांति रहने के बाद उसे राहत मिली थी। यह प्रश्न भावना का है। जब तक हम इस देश का हिस्सा हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गांव इधर रहे या दूसरे राज्य में जाए। पर यह न्याय का सवाल है, निष्पक्षता और अखंडता का सवाल है; दो पक्षों के बीच हुए एक समझौते की पावनता का सवाल है। मैं इस गरिमामयी सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि गृह मन्त्रालय बहुत ही सही और न्यायपूर्व मांग की अनदेखी कर रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा गृह मन्त्रालय के लिए रखी गई मांगों का विरोध करता हूँ।

दूसरी कृषि मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि यह मन्त्रालय इस मौसम की फसल के विषय में भी एकदम असफल रहा है। इस बारे में आपने अखबारों और लोगों से सुना होगा। आप मेरे माननीय बंधु को भी बोलते हुए सुन चुके हैं। कोई भी धान की खरीद नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम भी असफल रहा है। किसानों को भारी हानि हुई है। मालूम नहीं निगम को इस बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं लेकिन बहुत दिनों तक, कम-से-कम 15 दिन तक निगम खाद्यान्न की खरीद के लिए मंडियों में नहीं गया। इसके पीछे क्या कारण है यह तो मंत्रालय को ही बेहतर मालूम होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि किसानों को भारी और अपूरणीय क्षति हुई है। उसे निराश किया गया है। भविष्य में वह खेतों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। मैं इस सदन के ध्यान में यह भी बात लाना चाहता हूं कि विदेश मन्त्रालय अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। आज इस सदन में मैंने सिख समुदाय के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां सुनी हैं। मैंने माननीय सदस्यों और कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों को ये टिप्पणियां करते हुए सुना है। जब भी देश या विदेश में आतंकवाद का प्रश्न उठता है तो विशेष रूप से 'सिख' शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम यह क्यों नहीं कह सकते हैं कि एक कनाडावासी ने यह सब किया है? आप लोगों और दुनियावालों को यह क्यों कहते हैं कि कनाडावासी सिख ने ऐसा किया है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिता की मांग करता है तो वह उस देश--उदाहरण के लिए कनाडा, अमरीका या ब्रिटेन —का नागरिक बन जाता है। वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। अतः उसे कनाडावासी सिख कहना अनुचित है। मैं तो कहूँगा कि ऐसा करना उन्हीं पुरानी भावनाओं को पुनः जागना है जिनके कारण हम बहुत समय तक तकलीफें सह चुके हैं। चाहे वे सिख हो, हिन्दू हो या कोई और, उन्होंने देश के हित के खिलाफ काम किया है अतः हम उन्हें हिंदू नहीं मानते। हम उन्हें हिंदू या सिख नहीं मानते। अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस के सदन के सभी माननीय सदस्यों खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। 'सिख' आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करना पंजाब के हितों के विरुद्ध, भारत के अभिन्न अंग उन सिखों के विरुद्ध है, जो इस देश को उतना ही अपना समझते है जितना कि प्रो० मधु दण्डवते या दूसरी तरफ बैठे सदस्य या कोई और व्यक्ति।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिजांपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

एक माननीय सदस्य : मिर्जापुर के बारे में ही मत बोलियेगा।

• **श्री उमा कान्त मिश्र** : नहीं भई, हम जनरल बात कहेंगे।

श्रीमान् ये जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं इनका मैं समर्थन करता हूं। इन पर बोलते हुए बहुत लम्बे-चौड़े भाषण की गुंजाईश नहीं है। लेकिन मौके का फायदा उठा कर मैं कुछ जरूरी बातें आपसे कहना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो मैं प्रधान मन्त्री जी को, वित्त मन्त्री जी को और वित्त राज्य मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काले धन की अर्थ व्यवस्था को तहस-नहस करने का प्रयास आरम्भ कर दिया है।

श्रीमान् यह काले धन की जो समानान्तर अर्थव्यवस्था होती है, यह किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर सकती है। देश में खरबों रुपये की ब्लेक मनी चल रही है। जिस देश में खरबों रुपये, अनुमान के अनुसार 35 हजार करोड़ रुपये की ब्लेक मनी आप्रेट कर रही हो उस देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रखना वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। जिस देश में इतनी बड़ी कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही हो उस देश में मुद्रास्फीति न हो, मूल्यों में वृद्धि न हो, यह वास्तव में बड़ी सराहनीय बात है। प्राइस राईज और इन्फलेशन देश के आम आदमी के लिए बड़ी दुःखदायी चीज होती है। प्रधान मन्त्री जी की नीतियों के अनुसार, हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस कालेधन की अर्थव्यवस्था पर जो प्रहार किया है और उसमें हमें सफलता भी मिली है और उससे देश को लाभ भी हो रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ रहा है, कीमतों पर असर पड़ रहा है, मुद्रास्फीति पर असर पड़ रहा है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसी कारण हमारे वित्त मन्त्री जी ने गरीबों के लिए कुछ उपाय किए हैं और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

श्रीमान् मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मुल्यों के सम्बन्ध में हमारे वयोवृद्ध सदस्य प्रो० रंगा साहब ने कहा है कि मुद्रास्फीति, डेफिसिट इकोनोमी किसी भी विकासशील देश में स्वाभाविक चीज है। विकासशील देश में यह स्वाभाविक है, यह बात सही है कि वहां पर डेफिसिट बजट और डेफिसिट इकानमी चलेगी, मूल्यों में वृद्धि और मुद्रास्फीति स्वाभाविक है, यह बात सही है, मगर श्रीमन्, एक समाजवादी लोकतंत्र को स्वीकार करने वाले मुल्क में हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरतों की उपलब्धि हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लोक कल्याणकारी राज्य का होना क्लेम नहीं कर सकते। ये जो अत्यंत बुनियादी वस्तुएं हैं, जैसे खाने की चीजें, पहनने के लिए मोटा कपड़ा, तेल, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, नमक, डालडा, ये जो अत्यंत आवश्यक चीजें हैं, उनकी उपलब्धता उचित मूल्य पर रखनी पड़ेगी। इनको महगा होने से रोकना पड़ेगा नहीं तो जिनकी परचेजिंग पावर कम है, खरीदने की शक्ति कम है वह खाना, नमक, मसाले, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं पाएगा। चाहे डेफिसिट इकानमी हो, चाहे डेवलपिंग कट्री हो, डेफिसिट बजट हो, सब कुछ होने के बावजूद अत्यंत बुनियादी वस्तुएं जो जीवन के लिए हैं, उनकी कीमतों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह से करना पड़े, चाहे अनुदान देकर करना पड़े, गरीब लोगों को उचित दाम पर इन चीजों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसलिए इस पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि उनके दाम न बढ़ें। हम मानते हैं कि रुपये की कमी है, इसके लिए आपको राजस्व बढ़ाना पड़ेगा। अगर विकास करना है, देश के बजट के घाटे को कम करना है तो राजस्व बढ़ाना पड़ेगा। राजस्व बढ़ाने के और कई रास्ते हैं। लग्जरी गुड्स हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, फाइन कपड़ा है, रेफ्रीजेटर है, टी० वी० है, कार है, ये जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जिनको आम आदमी

उपयोग में नहीं लाता, उन पर दाम बढ़ा कर आप राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं पर कीमत कम रखनी पड़ेगी और उसको रोकने के लिए प्रधान-मन्त्री श्री राजीव गांधी, वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और वित्त राज्य मन्त्री श्री पुजारी जी, सब लोग प्रयत्नशील हैं, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। (व्यवधान)

तीसरी बात अभी मेरे पूर्ववक्ता सरदार जी चले गए हैं, उन्होंने एक बात ठीक कही, बाकी तो सब ठीक ही कहा उन्होंने, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। आखिर में उन्होंने किसानों की बात की। असल में इस देश का किसान ही इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर ही हमारे देश के मस्तक को दुनिया में ऊंचा कर रखा है। जैसाकि प्रधानमन्त्री जी एक जगह एक प्रकरण पढ़ रहे थे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में गए थे तो वहां किसी मसले पर अफ्रीकी नेता से उन्होंने पूछा कि आपने इस मामले का विरोध क्यों नहीं किया तो उस नेता ने कहा, अफ्रीकी नेता ने कहा कि अमुक देश के राजदूत आकर मुझ से कह गए हैं कि अगर आपने इसका विरोध किया तो आपके देश को जो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, वह कल से बन्द कर दी जाएगी। इसलिए हम उसका विरोध नही कर सके, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए अगर दुनिया के मंचों पर अपनी सच्ची बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो इसके लिए वे मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि रोटी का मामला है। उनके यहां करोड़ों लोग रोटी के बगैर रह जायेंगे अगर वे सच्ची बात कह देंगे, उनको गल्ला मिलना बन्द हो जाएगा। (व्यवधान)

तो श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा था किसानों के बारे में। इस देश की स्वर्गीया प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस बात का श्रेय जाता है कि जब 1966-67 में इस देश में सूखा पड़ा था, इस देश के बड़े-बड़े लोग अमरीका से जो "रैड माइलो" आता था, उसको खाकर जिन्दा रहते थे, लेकिन 10-15 वर्षों में उन्होंने इस देश में गेहूं, चावल, गल्ले का अम्बार लगा दिया। आज हम दुनिया के मोहताज नहीं हैं रोटी के मामले में, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय स्वर्गीय श्रीमती गांधी, कृषि के विशेषज्ञों, उससे भी ज्यादा कृषि की नीतियों और सबसे ज्यादा किसानों को जाता है जिन्होंने परिश्रम करके खाद्यान्न के मामले में हमें अपने पैरों पर खड़ा किया। हम अपने पैरों पर खड़े हैं इसलिए आज हमारे प्रधान मन्त्री जी दुनिया में कहीं भी जाकर यह कह रहे हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं क्योंकि किसान ने शक्तिशाली, मजबूत और दृढ़ बनाया है। उस किसान को उसके उत्पादन की उचित कीमत मिलनी चाहिए। गेहूं काफी पैदा हुआ और पानी के भाव चला गया। अभी कई लाख टन गेहूं किसानों के पास पड़ा है। छोटे किसान उसको नहीं रख सकते हैं इसलिए उन्होंने पानी के भाव बेच दिया। बुन्देलखण्ड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और सारे देश में ही धान की फसल काफी अच्छी हुई है। जहां नहीं होती थी वहां भी पैदावार काफी हुई है। धान की कीमत कृषि मूल्य आयोग ने 142 रुपए फिक्स की है। मिर्जापुर, बनारस, बुन्देलखण्ड और इस्टर्न यू० पी० में 80, 90, 100 या जो शहरों के आस-पास है 110 रुपये बिक रहा है। अच्छी वेरायटी का धान 110 रुपए से ज्यादा नहीं बिक रहा है। आप देख सकते हैं कि 142 में और 110 में कितना फर्क है। किसान को उचित न्याय नहीं मिल रहा है। वित्त मन्त्री जी व्यापक रूप से वार्षिक नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री जी भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश के किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिले। प्रत्येक ब्लाक में दो-दो या तीन-तीन खरीद केन्द्र खोले जाएं। किसान लुट रहा है, उसका शोषण हो रहा है। किसान का गल्ला पानी के भाव जा रहा है। किसान हतोत्साहित हो जायेगा और चावल तथा गेहूं की खेती नहीं करेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड में औद्योगो-

करण के बिना गांवों की गरीबी दूर नहीं हो सकती है इसलिए बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों का औद्योगिकरण किया जाए और लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपको और वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

***श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत 1985-86 की पूरक माँगों पर चन्द शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : दास जी, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ।

श्री अनादि चरण दास : जी हां, मैं दस मिनट में अपना भाषण पूरा कर लूंगा। मैं कल बोल लूंगा। अब केवल 9 मिनट बचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको अपना भाषण आज ही पूरा करना होगा।

श्री अनादि चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरक माँगों की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं कुछ आम बातें ही कहूंगा। साथ ही मैं सरकार को कुछ सुझाव दूंगा जो देश के लिए, उडीसा के और उसकी गरीब जनता के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे।

शुरू में मैं पाराद्वीप बन्दरगाह के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। महोदय, पारादीप बन्दरगाह भारत का एक प्रमुख बन्दरगाह रह चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज यह बहुत ही खराब दशा में है। सारे बन्दरगाह में बहुत तेजी से गाद भरती जा रही है। पर सरकार बन्दरगाह को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ध्यान नहीं दे रही है। महोदय, परादीप बन्दरगाह के मौजूदा अध्यक्ष वहाँ बहुत से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमें बहुत सी शिकायतें मिली हैं। सभी श्रेणियों के लोग उनकी काम करने की पद्धति के खिलाफ हैं। इसके बावजूद उनका तबादला नहीं किया गया है। शायद सरकार को पारादीप बन्दरगाह के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला है। यदि आप बन्दरगाह का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले अध्यक्ष को बदलना होगा। इसके विकास के लिए अगर तत्काल उपाय नहीं किए गये तो यह बन्दरगाह काम करने के योग्य नहीं रहेगा। अतः सरकार को मेरा सुझाव है कि इसके विकास के लिए एक वृहद योजना तैयार की जाए। पूरक माँगों में जो धनराशि आबंटित की गई है वह इसकी विकास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दें। उड़ीसा राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत हद तक पाराद्वीप बन्दरगाह पर निर्भर करता है। उड़ीसा के लोगों का भाग्य इस बन्दरगाह से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बन्दरगाह के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए।

महोदय, भारत सरकार का प्रस्ताव था कि जाखपाड़ा और बांसपानी के बीच रेल लाईन का निर्माण किया जाये। इस प्रस्ताव को पांचवीं योजना और छठीं योजना में भी शामिल किया गया था। लेकिन बड़े खेद की बात है कि जाखपाड़ा और दईतरी के बीच प्रस्तावित रेल लाईन के पहले चरण को ही पूरा किया गया है और उसे 1979 को यायायात के लिये खोला गया है। दूसरे और तीसरे चरण को पूरा करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। यह मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की माँग नहीं है बल्कि राज्य की प्रमुख मांगों में से है। क्योंझर जिले में और कटक के दईतरी तोमका खण्डों में

*उड़िया में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

खनिज संसाधनों की बहुलता है। अगर इस लाईन को पूरा कर लिया जाए तो लौह अयस्क, मैंगनीज और अन्य खनिजों को रेल द्वारा पारादीप बन्दरगाह भेजा जा सकता है। इससे खनिज और धातु व्यापार निगम का काफी समय और परिवहन लागत की बचत होगी। इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जाखपाड़ा-बांसपानी रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने की बहुत जरूरत है। मेरी मांग है कि इस सम्बन्ध में और विलम्ब किए बिना जरूरी उपाय किए जाएं।

महोदय, 170 किलो मीटर लम्बी तलचर-सम्बलपुर रेलवे लाईन तलचर के खनिज और औद्योगिक परिसर को सुन्दरगढ़ और सम्बलपुर जिलों के खनिज परिसर से जोड़ेगी और दूरी कम होने से तटीय जिलों से भी सम्पर्क जुड़ेगा। पश्चिम और पूर्वी उड़ीसा के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क के अभाव के कारण ही उडीसा राज्य की भावात्मक एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं मिल पाया है। अतः इस रेल लाईन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए।

अब मैं मुद्रा-स्फीति पर बोलूंगा। मुद्रा स्फीति क्यों है ? मुद्रा स्फीति का एक प्रमुख कारण राज सहायता का दिया जाना है। देश में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और आदि अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार इन योजनाओं के अन्तर्गत 15 से 75 प्रतिशत राज सहायता दे रही है। इससे राजस्व को बहुत हानि हो रही है। मेरे मतानुसार राज सहायता की बजाय ब्याज मुक्त ऋण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। यह प्रणाली कुछ निर्धारित वर्षों जैसे पांच वर्षों के लिए शुरू की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो कम से कम सरकार को अपनी पूंजी तो वापिस मिल जाएगी। ऋण लेने वाला भी उस अवधि विशेष में ऋण वापस कर सकेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपीरत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और मुद्रास्फीति भी नहीं होगी। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि आर्थिक सहायता की बजाय ब्याज मुक्त ऋण प्रणाली शुरू की जाए।

महोदय, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना श्रीमती गांधी का सपना था। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इस योजना को बहुत से राज्यों में ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ऋण प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को साल में 365 दिन तक हम काम नहीं दे पाते। इस योजना के अन्तर्गत हम उन्हें मजदूरी के रूप में एक दिन के 8 रुपए भी नहीं दे पाते। श्रीमती गांधी ने भी यह बात नोट की थी। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे कि योजना के अन्तर्गत साल में कम से कम उन्हें 100 दिन काम दिया जाय। उड़ीसा में कोई परियोजना ऐसी नहीं है जिसके अन्तर्गत उन्हें 100 दिन काम दिया जा रहा हो। वस्तुतः किसी भी राज्य में इस योजना के अन्तर्गत उन्हें 100 दिन काम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले प्रभारी अधिकारी फाइलों में ऐसा दिखा रहे हैं। कई बार वे इन अनपढ़ लोगों से अंगूठे का निशान लगवा लेते हैं और कागजों में दिखा देते हैं कि उन्हें 100 दिन का काम दिया जा रहा है। महोदय इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस योजना के अन्तर्गत उनसे आय कर लिया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों से ही आय कर की कटौती की जाती थी। मैंने इस मामले को सदन में उठाया है। उसके बाद इस मामले को आश्वासनों सम्बन्धी समिति में उठाया गया। आश्वासन समिति द्वारा हस्तक्षेप करने पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की आय में से की जाने वाली कटौती को समाप्त

कर दिया गया। ऐसा करने में अधिकारियों को 1-1/2 साल लगा। माननीय वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की आय में से की जाने वाली आयकर की कटौती को समाप्त किया जाय। उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत आयकर की 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत की कटौती को समाप्त किया जाए।

महोदय, बहुत से राज्यों में मजदूरी के बदले चावल, धान या कोई और अनाज देने का काम ठीक से नहीं हो रहा है। यह अनियमितता सबसे अधिक उड़ीसा और कुछ अन्य पिछड़े राज्यों में देखने में आई है। राज्य सरकार संसद सदस्यों को अधिक महत्व नहीं देती। वे संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करतीं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा गरीबी कम करने सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम को लागू करने में जो अनियमितताएं बरती जाती हैं उन्हें वे छिपाती हैं। राज्य सरकारें केन्द्र को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में गलत छवि प्रस्तुत कर रही हैं। उड़ीसा जैसे अनेकों पिछड़े राज्यों में गरीबी कम करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को बहुत कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इस रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह समय-समय पर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर निगरानी रखे और देखें कि ये कार्यक्रम ठीक से कार्यान्वित किए जाएँ।

महोदय, मैं उड़ीसा में दईतरी में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी चन्द शब्द कहूँगा। छठी योजना में दईतरी में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध करा दी थी। इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए दईतरी में सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरम्भिक कार्यों पर 7 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं। लेकिन इस्पात संयंत्र के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम अभी तक यह नहीं जानते कि दईतरी की स्थापना की भी जाएगी या नहीं। आशा है माननीय वित्त मन्त्री उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के महत्व को महसूस करेंगे और इस्पात और खान मन्त्रालय को उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वियन की सलाह देंगे।

महोदय, उद्यमियों का एक समूह छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है बशर्ते की सरकार उन्हें 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और सम्भव हुआ तो उन्हें आवश्यक सहायता देगी ताकि दईतरी में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा सके।

मैं 'नेल्को' परियोजना के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। महोदय, एशिया की सबसे बड़ी अल्युमिनियम परियोजना की स्थापना उड़ीसा के पिछड़े जिले कोरापुर में की जाएगी। राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी परियोजना की स्थापना करेगी। 'नेल्को' परियोजना की स्थापना करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, वहाँ से हटा दिया गया है। उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरा सुझाव है कि जिस-जिस परिवार की भूमि अर्जित की गई है उसके कम से कम एक सदस्य को 'नेल्को' में नौकरी दी जाए। जिन लोगों की जमीनें अर्जित की गई हैं उन्हें उपयुक्त मुआवजा दिया जाए। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता दी जाए। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा कर लिया जाए।

महोदय, अन्त में मैं शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर जोर दूंगा। पहले देश भर में पंचायती राज और जिला परिषदें आरम्भ की गयी थी। लेकिन अब बहुत से राज्यों में यह प्रणाली नहीं है।

जिला परिषद कारगर जिला-प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इसलिए मेरा विचार है कि जिन राज्यों में जिला परिषद प्रणाली नहीं है वहां इसे आरम्भ किया जाए। सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में आवश्यक उपाय करें।

चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 3 दिसम्बर 1985/12 अग्रहायण, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित